STUDY IQ IAS

Civils IQ

मासिक करेंट अफेयर्स

सितम्बर 2025

हमारी विशेषताएँ

- प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा का व्यापक कवरेज
- यूपीएससी पाठ्यक्रम और पीवाईक्यू द्वारा निर्देशित टॉपिक
- सभी टॉपिक के लिए सिलेबस मैपिंग
- कंटेट का रिविजन और याद रखने योग्य प्रस्तुति

India's Biggest Educational Youtube Channel

Visit us at

नई दिल्ली | पटना | प्रयागराज | लखनऊ | इंदौर | गुवाहाटी

Visit studyiq.com or Download the App Google play App Store 076-4000-3000

विषय सूची

भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन

मुख्य परीक्षा के लिए विषय (भूगोल) 1

- प्रवाहहीन नदी: क्या गंगा को बचाया जा सकता है? 1
- डेसिबल सीमा का उल्लंघन: शहरी भारत में ध्वनि प्रदूषण 5
- भारतीय शहरों की पुनर्कल्पना: जलवायु समुत्थानशील और निम्न-कार्बन भविष्य के मार्ग 8
- खेतों से लेकर ईंधन टैंकों तक: भारत के जलवायु लक्ष्यों में इथेनॉल की भूमिका 10

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय (भूगोल) 13

- नदियों के मार्ग में परिवर्तन 13
- महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना 14
- ब्लड मून (रक्तिम चंद्रमा) 14
- अपतटीय जलभृत 14
- जीवाश्म पत्तियों से मानसून का विकास उजागर 15
- धोरडो – एक नया सौर गांव 15
- दुर्लभ मृदाओं के वैश्विक भंडार और उत्पादन 16
- वेम्बनाड झील में पारिस्थितिक तनाव 17
- स्फीति तरंगें (स्वेल वेव) 18
- भूतापीय ऊर्जा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति 18
- मेघालय में यूरेनियम खनन 19

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय (पर्यावरण) 20

- GCP (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) के अंतर्गत नई संशोधित नीति 20
- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 20
- वन (संरक्षण) अधिनियम का विकास 20
- पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 21
- वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन 21
- महामारियों को रोकने में गिद्धों की भूमिका 22
- बीएस-VII मानदंड 22
- पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव 22
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार – 2025 23
- जीवाश्म ईंधन और वैश्विक स्वास्थ्य: GCHA रिपोर्ट (2025) 23
- ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) 24
- सड़कों पर धूमकुहा (SMOG) की परत 25
- न्यूज इन शॉर्ट्स 25
- समाचार में प्रजातियाँ 28
- समाचार में स्थान 30

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं आंतरिक सुरक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए विषय 37

- 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन – तियानजिन 37
- नेपाल का राजनीतिक संकट और भारत के पड़ोस में अस्थिरता 40
- भारत-जापान संबंध 43
- भारत-ईएईयू संबंध: अवसर और चुनौतियाँ 45
- ईरान परमाणु संकट और भारत की भूमिका 47
- पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौता: भारत और पश्चिम एशिया पर प्रभाव 49
- नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा 51
- एच1बी वीजा और हालिया अमेरिकी नीतिगत बदलाव 53
- भारतीय सशस्त्र बलों का थियेटराइजेशन 55

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय 57

- वैश्विक सुरक्षा गठबंधन 57
- कच्चाथीवु द्वीप 58
- भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश संधि 58
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) 59
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) 60
- विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए भारत और एफएओ के मध्य समझौता 61
- अमेरिका द्वारा चाबहार पर प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा 61
- नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन 62
- बगराम एयरबेस 62
- चीनी K-वीजा 63
- कुकी-जो विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौता 64
- प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (टीपीसीआर-2025) 65
- उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर नई रडार प्रणालियाँ 66
- IDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) 66
- ऑपरेशन पोलो 67
- आईएनएस एंड्रोथ 67
- रक्षा खरीद मैनुअल 2025 67
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) वार्षिक रिपोर्ट 2024 68
- अमोघ फ्यूरी अभ्यास 68
- वन इन वन आउट स्कीम 69
- 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों द्वारा ICC की सदस्यता का त्याग 69
- कोल्ड स्टार्ट – मेगा ड्रोन ड्रिल 69
- अग्नि प्राइम मिसाइल 70

राजव्यवस्था एवं शासन

मुख्य परीक्षा के लिए विषय 74

- लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के अंतर्गत दर्जा पाने की मांग 74
- न्यायिक आधार पर लैंगिक अंतर: भारत के न्यायालयों को अधिक महिलाओं की आवश्यकता क्यों है? 78
- भारत में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा 82
- मानहानि को अपराधमुक्त करना 85
- भारत का खेल प्रशासन पारिस्थितिकी तंत्र 88
- विशाखापत्तनम घोषणा: भारत को ई-शासन में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करना 92

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय 96

- आदि वाणी ऐप 96
- अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE के अंतर्गत छूट 97
- उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति 97
- आप्रवास और विदेशियों के विषयक (छूट) आदेश, 2025 98
- आरक्षण और 50% की सीमा 98
- भारत और अमेरिका में जमानत प्रणाली की कार्यप्रणाली 99
- विधान सभा के मंत्रिमंडल का आकार 99
- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPS) 100
- आगामी जनगणना के दौरान भवनों की जियो-टैगिंग 101
- भारत के उपराष्ट्रपति 101
- डीएनए पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश 102
- जातिगत अपराध में अग्रिम जमानत 102
- वक्फ अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश 102
- वित्त आयोग 103
- सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमेबाजी (SLAPP) मुकदमे 104
- चुनाव संचालन नियम, 1961 104
- मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी प्रक्रिया 105
- अविश्वास प्रस्ताव 105
- अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र 106

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

मुख्य परीक्षा के लिए विषय (अर्थव्यवस्था) 107

- जीएसटी 2.0 सुधार 107
- भारतीय राज्यों पर ऋण में वृद्धि 110
- भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाना 112
- उभरते बाजारों के लिए तिहरा झटका 114
- आईबीसी संशोधन विधेयक 2025 115

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित विषय (अर्थव्यवस्था) 117

- आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती के बावजूद भारत के बॉन्ड पर प्रतिफल में वृद्धि 117
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 118
- नियामक परिसंपत्तियाँ 118
- विमान पट्टे पर देना 118
- डी मिनिमिस रेगुलेशन 119
- अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 119
- इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC) 120
- आरबीआई ने अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों में अपना स्वामित्व कम किया 120
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 121
- एकीकृत पेंशन प्रणाली 121
- भारत-अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौता ज्ञापन 122
- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025 122
- औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0 123
- लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) 2.0 123
- नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (HSN) कोड 123
- तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD) योजना 124
- चांदी की हॉलमार्किंग 124

मुख्य परीक्षा के लिए विषय (कृषि) 125

- कपास पर आयात शुल्क का निलंबन 125
- भारत की उर्वरक पर निर्भरता 127
- दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता 129
- किसानों के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका 132
- भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र 135
- नीति आयोग – आर्मचेयर (सैद्धांतिक/प्रयोगहीन) निकाय या भारतीय अर्थव्यवस्था का चालक? 137

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित विषय (कृषि) 138

- भारती पहल 138
- नारियल विकास बोर्ड 139
- भारत का मक्का उत्पादन 139
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन 140
- पीएम मित्र पार्क 140
- बनासकांठा में महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी क्रांति 141
- जैविक उत्पादों के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया MRA 141
- वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 142

समाज, सामाजिक न्याय एवं योजनाएँ

मुख्य परीक्षा के लिए विषय 143

- भारत में दहेज: एक सामाजिक बुराई जो कायम है 143
- भारत में शैक्षिक व्यय में लैंगिक विभाजन 145

- भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की पुनर्कल्पना 147
- भारत के कामकाजी युवाओं में अकेलापन 149
- जलवायु-स्वास्थ्य दृष्टि: भारत से सीख 151

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय 153

- नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 153
- बायोकेयर (जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुन: अभिविन्यास) कार्यक्रम 153
- NIRF रैंकिंग, 2025 154
- हेल्थएआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क 154
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) 154
- बाल पोषण वैश्विक रिपोर्ट-2025 155
- स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान 156
- जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट 156
- आदि संस्कृति 156
- पूर्ण साक्षर राज्य 157
- निवेशक दीदी पहल 157
- कुर्मी और मोरन समुदाय 157
- अपातानी जनजाति 158
- मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर WHO डेटा 158
- महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (उत्तर प्रदेश) 159
- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 159

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय 160

- अंतरिक्ष कचरा और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का भविष्य 160
- आइसोब्यूटेनॉल-डीजल मिश्रण: अवसर और चुनौतियाँ 161
- भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा 163
- भारत में डिजिटल संप्रभुता की आवश्यकता 164

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय 166

- APK धोखाधड़ी मामला 166
- एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (AUSC) प्रौद्योगिकी 167
- डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) 167
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) 167
- मेजराना कण 168
- E-20 ईंधन 168
- एडल्ट न्यूरोजेनेसिस 169
- नई खोज क्या है? 169
- प्रोटीन भाषा मॉडल 169
- ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 169
- ऑप्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम 170
- मंगल ग्रह पर बायोसिग्नेचर की खोज 170
- ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज (BROADLY NEUTRALISING ANTIBODIES) 171
- आयन क्रोमैटोग्राफी 171
- फ्रंटियर 50 पहल 172
- रिइन्फोर्समेंट लर्निंग 172
- इंडिया-एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 173
- एक्सट्रीम न्यूक्लीयर ट्रांजिएंट्स (ENTS) 173
- दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर 173
- अन्य प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाएँ 174
- बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स 174
- फेंटानाइल/फेंटानिल 174
- इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशनस स्केल (आईआरआईएस) 174
- क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए डीएसआईआर योजना 175

इतिहास, कला एवं संस्कृति

मुख्य परीक्षा के लिए विषय 179

- आत्मसम्मान आंदोलन के 100 वर्ष 179

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय 183

- भारत के पारंपरिक अनुष्ठान रंगमंच 183
- ज्ञान भारतम मिशन 184
- यूनेस्को की अनंतिम विश्व धरोहर सूची 185
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 185
- छठ 186
- मानकी-मुंडा प्रणाली 186
- सारनाथ 186
- विश्व धर्म संसद 187
- समाचारों में व्यक्तित्व 187

भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन

मुख्य परीक्षा के लिए विषय (भूगोल)

प्रवाहहीन नदी: क्या गंगा को बचाया जा सकता है?

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-1 भूगोल, सामान्य अध्ययन-3 पर्यावरण

सन्दर्भ

एक नए शोध के अनुसार, गंगा बेसिन को 1991 से 2020 तक सबसे अधिक सूखा झेलना पड़ा, जो एक सहस्राब्दी में सबसे गंभीर था।

गंगा नदी का महत्व

पर्यावरणीय महत्व

- **जैव विविधता समर्थन:** गंगा एक पारिस्थितिक जीवनरेखा के रूप में कार्य करती है, जो संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन, असंख्य मछलियों की प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों जैसे विविध जीवों को सहारा देती है, जो इसके प्रवाह और आर्द्रभूमियों पर निर्भर हैं।
- **भूजल पुनर्भरण और मृदा उर्वरता:** इसकी वार्षिक बाढ़ भूजल पुनर्भरण और मृदा उर्वरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे सिंधु-गंगा के मैदानों को पोषक तत्वों से भरपूर जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है जो कृषि के लिए सहायक होती है।
- **जलवायु विनियमन:** नदी जलवायु विनियमन में योगदान देती है, क्योंकि इसके विशाल मीठे पानी के भंडार क्षेत्रीय तापमान को नियंत्रित करते हैं, जबकि आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदान महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं।

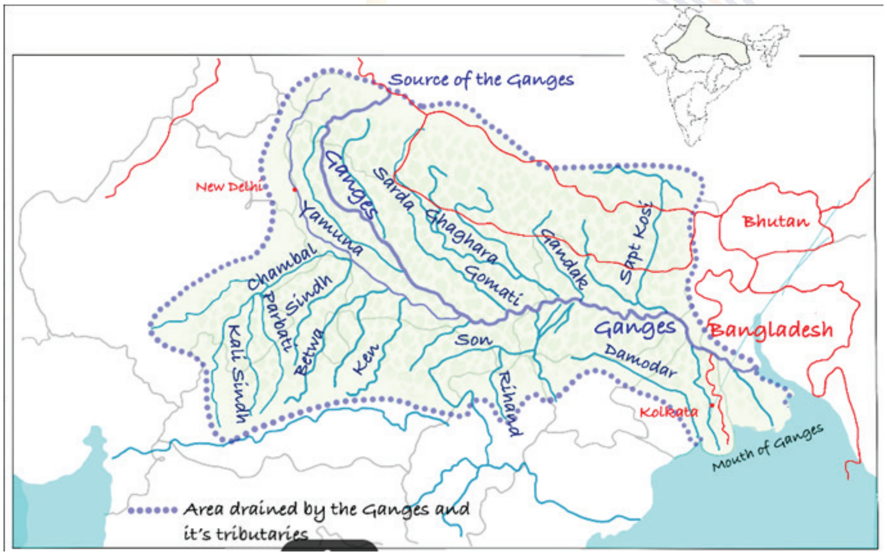

आर्थिक महत्व

- **कृषि को बढ़ावा:** उपजाऊ गंगा के मैदान भारत की कृषि रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ चावल, गेहूं, गन्ना और दालें जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
- **उद्योग एवं शहरी आपूर्ति:** नदी शहरी केंद्रों और उद्योगों को जीवित रखती है, तथा कानपुर में चमड़े के कारखानों, वस्त्र उद्योग केंद्रों, बिजली संयंत्रों और बेसिन में फैले अन्य औद्योगिक समूहों को जल उपलब्ध कराती है।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग और व्यापार:** गंगा अंतर्देशीय नौवहन और व्यापार का अभिन्न अंग है, हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है और सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

- **सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व:** गंगा का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, इसे हिंदू परंपरा में गंगा मैया के रूप में पूजा जाता है, तथा गंगा आरती, दाह संस्कार और कुंभ मेले जैसे प्रमुख त्योहारों जैसे अनुष्ठानों में इसका विशेष स्थान है।

- **ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत भूमिका:** इसने भारत के इतिहास को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई है, क्योंकि इसके तट पर कई प्राचीन शहर और सभ्यताएँ फली-फूलीं, जिनमें वाराणसी, पटना और इलाहाबाद शामिल हैं, जो विरासत और शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं।
- **पर्यटन एवं तीर्थयात्रा:** गंगा नदी पर्यटन और तीर्थयात्रा को भी बढ़ावा देती है, तथा प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं और आगंतुकों को आकर्षित करती है, जिससे स्थानीय समुदायों को सहयोग मिलने के साथ-साथ भारत की आध्यात्मिक पहचान भी मजबूत होती है।

गंगा के सूखने के कारण

- **हिंद महासागर का गर्म होना:** हिंद महासागर में समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान ने भूमि-समुद्र तापीय भिन्नता को कमजोर कर दिया है, जो दक्षिण एशियाई मानसून का मुख्य चालक है।
  - गर्म महासागर अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे वायु परिसंचरण पैटर्न बाधित होता है और गंगा बेसिन पर मानसूनी वर्षा की शक्ति और विश्वसनीयता कम हो जाती है।
  - इसके कारण लंबे समय तक सूखा पड़ा है और नदी पुनर्भरण में कमी आई है, तथा शोध से पुष्टि हुई है कि 1991-2020 के बीच सूखने की प्रवृत्ति पिछली सहस्राब्दी की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता से कहीं अधिक है।
- **हिमालय में ग्लेशियरों का निवर्तन:** गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर का दो दशकों में लगभग एक किलोमीटर निवर्तन हो गया है, जिससे दीर्घकालिक जल प्रवाह कम हो गया है।
  - हालांकि हिमनदों के पिघलने से शुरू में अचानक बाढ़ और हिमनद झील विस्फोट जनित बाढ़ (GLOF) आती है, लेकिन लंबे समय में इससे गंगा और उसकी सहायक नदियों को मिलने वाली बारहमासी आपूर्ति कम हो जाती है।
- **मानवजनित एरोसोल:** कारखानों, वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले एरोसोल में सूक्ष्म कण और तरल बूंदें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को बिखेरती और अवशोषित करती हैं, जिससे भूमि की सतह ठंडी हो जाती है।
  - यह शीतलन भूमि और समुद्र के बीच मानसून को संचालित करने वाले तापमान प्रवणता को कमजोर कर देता है, जिससे उत्तरी भारत में वर्षा की तीव्रता कम हो जाती है।
  - इसके अलावा, एरोसोल बादलों की परावर्तकता **('दीप्तिमंदकता प्रभाव') को बढ़ाते हैं,** जिससे वर्षा कम होती है और गंगा बेसिन के सूखने की समस्या और बढ़ जाती है।
- **भूजल का अत्यधिक दोहन:** गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन का जलभृत विश्व में सबसे तेजी से घट रहा है, तथा जल स्तर प्रति वर्ष 15-20 मिमी. तक गिर रहा है।
  - सिंचाई, शहरी उपभोग और उद्योग के लिए भूजल निष्कर्षण के कारण नदी में प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी आई है।
- **मानव इंजीनियरिंग और नदी विनियमन:** फरक्का बैराज जैसे बुनियादी ढाँचे ने अधोप्रवाही क्षेत्रों, विशेष रूप से बांग्लादेश में शुष्क ऋतु के दौरान प्रवाह को कम कर दिया है, जिससे प्राकृतिक जल विज्ञान में बदलाव आया है।
  - सिंचाई नहरों, जलविद्युत परियोजनाओं और शहरी आपूर्ति के लिए नदी के मार्ग परिवर्तन ने नदी प्रणाली को खंडित कर दिया है।
- **अपशिष्ट उत्पादन और प्रदूषण प्रतिबल:** गंगा में प्रतिदिन अनुमानित 3 बिलियन लीटर अनुपचारित सीवेज, चमड़े के कारखानों, कागज मिलों और कपड़ा इकाइयों से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाते हैं।
  - ठोस अपशिष्ट डंपिंग और दाह संस्कार की प्रथाएँ जल की गुणवत्ता को और अधिक खराब कर देती हैं, जिससे नदी की स्व-शुद्धिकरण क्षमता कम हो जाती है।
  - प्रदूषित जल जलीय जीवन को बाधित करता है और उपयोग योग्य ताजे पानी की उपलब्धता घटाता है, जिससे **"कार्यात्मक गंगा"** सिमट जाती है, भले ही प्रवाह जारी रहे।
- **वनों की कटाई और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण:** ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई से वर्षा जल का अन्त:स्यंदन कम हो जाता है और मृदा अपरदन में तेजी आती है, जिससे नदी में गाद जमाव बढ़ जाता है।
  - बाढ़ के मैदान, जो कभी प्राकृतिक अवरोधक थे, अब आवास और कृषि के लिए भारी अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं, जिससे पुनर्भरण में कमी आ रही है और मौसमी प्रवाह परिवर्तनशीलता बिगड़ रही है।
- **बढ़ती जनसंख्या का दबाव और शहरीकरण:** गंगा बेसिन 600 मिलियन से अधिक लोगों का जीवन-यापन करता है, जिससे यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाले नदी बेसिनों में से एक बन गया है।
  - विस्तारित शहरी केंद्र घरेलू, कृषि और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नदी से भारी मात्रा में पानी प्राप्त करते हैं।
  - प्रति व्यक्ति जल की मांग बढ़ने के कारण, दबाव प्राकृतिक पुन:पूर्ति से कहीं अधिक हो जाता है, जिससे सूखने की प्रवृत्ति तेज हो जाती है।

भूजल या ग्लेशियर का पिघलना – गंगा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है?

- आईआईटी-रुड़की द्वारा किए गए पहले व्यापक समस्थानिक अध्ययन के अनुसार भारत में भीषण ग्रीष्मकालीन महीनों में गंगा के प्रवाह को बनाए रखने में भूजल मुख्य स्रोत है, न कि हिमनदों का पिघला हुआ जल।
- पिछले अध्ययनों में, जो मुख्यतः उपग्रह अवलोकनों पर आधारित थे, ग्लेशियर और बर्फ के पिघलने को गंगा का प्राथमिक स्रोत माना गया था।
- हालाँकि, नए अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि गंगा के जल प्रवाह को बनाए रखने में ग्लेशियरों के पिघलने की भूमिका नगण्य है। वास्तव में, हिमालय की तलहटी से आगे, नदी जल के स्रोत के रूप में इसका योगदान नगण्य है।
- गंगा का मध्य मैदानी भाग (1,200 किमी तक फैला हुआ), जो कृषि और उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, नदी-भूजल के बीच "सबसे महत्वपूर्ण" अंतर्क्रिया को प्रदर्शित करता है।
- इस क्षेत्र में भूजल का निर्वाह नदी के प्रवाह को लगभग 120% तक बढ़ा देता है, जबकि खंड की शुरुआत में नदी का प्रवाह अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।

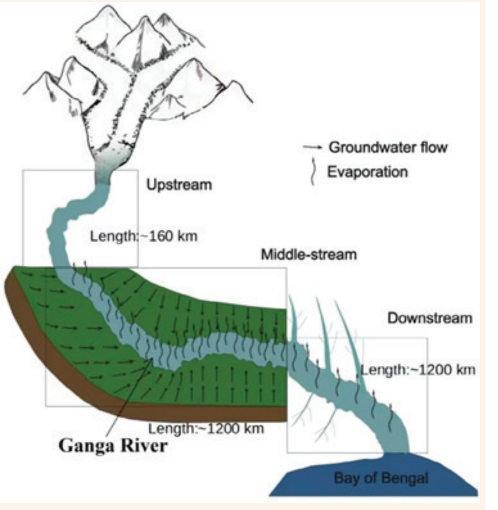

गंगा के सूखने के परिणाम

- **कृषि और खाद्य सुरक्षा पर:** भारत के खाद्यान्न उत्पादन में सिंधु-गंगा के मैदानों का योगदान लगभग 40% है।
- गंगा का प्रवाह कम होने से, विशेषकर धान और गन्ने जैसी अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों के लिए सिंचाई प्रभावित होती है।
  - **खाद्य असुरक्षा एक बड़ा जोखिम बन जाती है:** एफएओ (2021) ने चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया पहले से ही भूखमरी की चपेट में है, और सूखती गंगा कुपोषण और बढ़ती खाद्य कीमतों को बढ़ावा दे सकती है, जिसका गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **जल आपूर्ति का प्रभाव:** 600 मिलियन से अधिक लोग पीने, स्वच्छता और दैनिक आवश्यकताओं के लिए गंगा पर निर्भर हैं।
  - प्रवाह में कमी और प्रदूषण में वृद्धि के कारण वाराणसी, कानपुर और पटना जैसे शहरों में पानी की भारी कमी हो रही है, जबकि ग्रामीण समुदायों को आर्सेनिक और फ्लोराइड से दूषित असुरक्षित भूजल स्रोतों की ओर धकेला जा रहा है।

नमामि गंगे

- यह भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसके दो उद्देश्य हैं- प्रदूषण में प्रभावी कमी, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार।
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व पुनरुद्धार फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है।
- **प्रमुख हस्तक्षेप**
  - **प्रदूषण निवारण (निर्मल गंगा):** नदी में प्रदूषण के स्रोतों को संबोधित करना और उन्हें कम करना।
  - **पारिस्थितिकी और प्रवाह में सुधार (अविरल गंगा):** नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य और निरंतर प्रवाह को बढ़ाना।
  - **जन-नदी संपर्क को मजबूत करना (जन गंगा):** सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता के माध्यम से लोगों और नदी के बीच गहरा संबंध विकसित करना।
  - **अनुसंधान और नीति को सुगम बनाना (ज्ञान गंगा):** विविध अनुसंधान, वैज्ञानिक मानचित्रण, अध्ययन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना

- **पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर प्रभाव:** जल स्तर में गिरावट से आर्द्रभूमि, बाढ़ के मैदान और मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, विशेष रूप से सुंदरबन में, जहाँ मीठे पानी के प्रवाह में कमी के कारण लवणता बढ़ रही है।
  - गंगा डॉल्फिन, महाशीर या महासीर मछली और प्रवासी पक्षियों जैसी जलीय प्रजातियों को आवास हानि और घटती आबादी का सामना करना पड़ेगा।
  - नदी की स्व-शुद्धिकरण क्षमता में कमी के कारण प्रदूषण का दबाव बढ़ जाता है, जिससे जलीय जीवन के लिए मृत क्षेत्र बन जाते हैं।
- **जलवायु-प्रेरित प्रवासन:** कृषि उत्पादन में गिरावट और जल-संकट के कारण लोग पलायन करेंगे और "जलवायु शरणार्थी" की स्थिति बनेगी।
  - विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक दक्षिण एशिया में 40 मिलियन आंतरिक जलवायु प्रवासी होंगे, जिनमें गंगा बेसिन एक हॉटस्पॉट होगा।

- **सामाजिक संघर्ष:** दुर्लभ जल संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच (जैसे, उत्तर प्रदेश बनाम बिहार) और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार प्रवाह को लेकर संघर्ष को बढ़ा सकती है।
  - सामुदायिक स्तर पर, पानी तक असमान पहुँच सामाजिक अशांति और किसान विरोध को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विभाजन गहरा सकता है।
- **वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव:** गंगा बेसिन दक्षिण एशिया की खाद्य आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यवधान से क्षेत्रीय व्यापार, खाद्य कीमतें और पोषण प्रभावित होते हैं।
  - गंगा के सूखने से सुंदरवन के मैंग्रोव का विनाश तेजी से हो रहा है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल और वैश्विक कार्बन सिंक है।
  - बंगाल की खाड़ी में प्रवाह में कमी से हिंद महासागर परिसंचरण पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जलवायु और मानसून पैटर्न पर संभावित प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ता है।

गंगा नदी को बचाने के लिए सुझाए गए उपाय

- **शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन:** गंगा बेसिन में गन्ना और धान जैसी अधिक जल-उपभोग करने वाली फसलों के स्थान पर मोटे अनाज, दलहन और तिलहन जैसी कम पानी माँगने वाली फसलों को प्रोत्साहित करना।
  - राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जैसी सरकारी योजनाओं के तहत जलवायु समुत्थानशील कृषि को बढ़ावा देना।
- **सतत जल प्रबंधन:** सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर असतत भूजल निष्कर्षण को कम करना।
  - नीति निर्धारण हेतु उन्नत जलवायु मॉडलों को शामिल करना जो मानवीय गतिविधियों (सिंचाई, बांध) को मानसून परिवर्तनशीलता के साथ एकीकृत करते हैं।
- **अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण:** चमड़ा, वस्त्र, कागज उद्योगों पर कठोर जवाबदेही सुनिश्चित करना और शून्य तरल उत्सर्जन मानकों का पालन अनिवार्य करना।
  - केंद्रों में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट उपचार को प्रोत्साहित करना ताकि अनुपचारित अपशिष्ट का प्रवाह कम हो सके।
- **बाढ़ के मैदानों के कंक्रीटीकरण को रोकना:** शहरी विकास के लिए बाढ़ के मैदानों के अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण को रोकने के लिए नदी विनियमन क्षेत्रों को लागू करना।
  - नदी के किनारों पर पुनः वनरोपण और वृक्षारोपण द्वारा प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रों को बहाल करना।
  - उदाहरण के लिए, दिल्ली में यमुना बाढ़ क्षेत्र पुनरुद्धार परियोजनाएँ गंगा किनारे बसे शहरों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
- **नील-हरित अवसंरचना:** आर्द्रभूमि, ऑक्सबो झीलों और तालाबों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना जो जलभृतों को रिचार्ज करने के लिए प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करते हैं।
  - शहरी नियोजन में नील-हरित अवसंरचना को अपनाना, जल प्रतिधारण में सुधार के लिए पार्कों, आर्द्रभूमि और बायोस्वेल को एकीकृत करना।
  - पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमियाँ यह दर्शाती हैं कि शहरी अपशिष्ट जल का प्राकृतिक शोधन किस प्रकार किया जा सकता है और साथ ही आजीविकाओं को भी बनाए रखा जा सकता है।
- **सीमापार सहयोग को मजबूत करना:** डेटा साझाकरण, बांध प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन पर भारत-बांग्लादेश-नेपाल सहयोग को बढ़ाना।
  - बेहतर शासन व्यवस्था हेतु संयुक्त नदी बेसिन संगठनों का संस्थानीकरण किया जाए, जैसा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में मेकांग नदी आयोग के रूप में विद्यमान है।
  - अंतरराष्ट्रीय जलवायु निधियों (जैसे हरित जलवायु कोष) के लिए पहल की जाए ताकि गंगा को वैश्विक पारिस्थितिक प्राथमिकता के रूप में देखा जा सके।
- **समावेशी और सहभागी शासन:** यह सुनिश्चित करना कि नदी पुनरुद्धार अधोमुखी न हो, बल्कि इसमें नीति निर्माताओं के साथ-साथ स्थानीय समुदाय, किसान, महिला समूह और गैर सरकारी संगठन भी शामिल हों।
  - गंगा के संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियानों में उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करना।
- **वैश्विक घोषणाओं से सीखना**
  - **पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखना (ब्रिस्बेन घोषणा, 2007 और 2018):** गंगा में पर्यावरणीय प्रवाह आवश्यकताओं को कानूनी रूप से लागू करना महत्वपूर्ण है, ताकि सिंचाई और उद्योग के लिए जल मोड़ने के बाद भी नदी में पर्याप्त पानी बना रहे।

– जलवायु समुत्थानशीलता के लिए नदी बेसिन प्रबंधन (बर्लिन जल घोषणापत्र, 2021): जलवायु समुत्थानशीलता के लिए सतत नदी बेसिन प्रबंधन को केंद्रीय महत्व देना जरूरी है। इसके अलावा, नदियों को वैश्विक पारिस्थितिक साझा संसाधन माना जाना चाहिए।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास: टेम्स नदी, यूके

1950 के दशक में लंदन स्थित टेम्स नदी को अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और शहरी कचरे के कारण 'जैविक रूप से मृत' घोषित किया गया था। इसे कड़े प्रदूषण नियंत्रण कानूनों, आधुनिक सीवेज शोधन संयंत्रों, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन और समुदाय की भागीदारी (Thames 21) के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया। आज यह 125 से अधिक मछली प्रजातियों का आश्रय स्थल है और 2010 के दशक में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व की सबसे स्वच्छ शहरी नदी घोषित किया गया।

डेसिबल सीमा का उल्लंघन: शहरी भारत में ध्वनि प्रदूषण

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-3 पर्यावरण

सन्दर्भ

जनवरी 2023 में EARTH5R द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत के 15 शहरों में ध्वनि वर्जित क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि स्तर अनुमेय सीमा (50 डेसीबल) से लगभग 50% अधिक है।

ध्वनि प्रदूषण

- ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य अवांछित या हानिकारक ध्वनियों से है जो मानव और पशु जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुरक्षित ध्वनि सीमा**
  – दिन का समय: 65 डेसीबल से कम
  – रात्रि का समय: 30 डेसीबल से कम (सुखद नींद हेतु)
  – ट्रैफिक एक्सपोजर: ≤53 dB
- **75 डेसीबल से ऊपर का संपर्क हानिकारक माना जाता है, जबकि 120 डेसीबल तक का स्तर पीड़ादायक होता है।**
- भारत के शहरी केंद्रों में **यातायात, निर्माण और मनोरंजन के केंद्रों में ध्वनि का स्तर अक्सर 90-110 डीबी** से अधिक होता है, जो सुरक्षित स्तर से कहीं अधिक है।

शहरी भारत में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत

- **यातायात और परिवहन: वाहन हॉर्न: 90-100 डीबी**, बस हॉर्न: **100 डीबी**, विमान टेक-ऑफ: **130 डीबी।**
- **निर्माण गतिविधियाँ:** शहरी विकास के कारण मेट्रो, फ्लाईओवर, आवास परियोजनाओं का निर्माण कार्य 24/7 चल रहा है। प्रवेधन मशीन, पाइल ड्राइवर, कंक्रीट मिक्सर जैसी मशीनें 90-110 डेसीबल तक ध्वनि उत्पन्न करती हैं।
- **आवासीय एवं घरेलू स्रोत:** लाउडस्पीकर, जनरेटर, खराब इन्सुलेशन वाली इमारतें रोजमर्रा के ध्वनि को बढ़ाती हैं।
- **औद्योगिक और वाणिज्यिक स्रोत:** आवासीय क्षेत्रों के पास स्थित कारखाने। छोटे पैमाने की इकाइयाँ (जनरेटर, मिलें) अक्सर बिना ध्वनिरोधन उपकरणों के चलती हैं।
- **मनोरंजन एवं नाइटलाइफ:** बार, पब, संगीत समारोह, डीजे नाइट्स: अक्सर 100 डीबी से अधिक हो जाते हैं, जिससे आस-पास के निवासियों पर प्रभाव पड़ता है।
- **पशु:** आवारा कुत्तों का भौंकना (60-80 डीबी), विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाली कॉलोनियों में, अशांति को बढ़ाता है।

ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

- **शारीरिक स्वास्थ्य:**
  – **सुनने की क्षमता में कमी,** टिनिटस (कानों में घंटी बजने जैसी आवाज) की समस्या हो जाती है।
  – **हृदय संबंधी समस्याएँ:** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन से पता चलता है कि ध्वनि से उच्च रक्तचाप और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।
  – **नींद में व्यवधान:** 45 डेसीबल से अधिक ध्वनि आरईएम (REM) नींद चक्र को प्रभावित करती है, जिसके कारण थकान और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है।

- **मानसिक स्वास्थ्य:** ध्वनि तनाव, चिंता, आक्रामकता और अवसाद को बढ़ाता है। लंबे समय तक ध्वनि के संपर्क में रहने से संज्ञानात्मक गिरावट होती है।
- **बच्चों और वृद्धों पर प्रभाव:**
  - **बच्चे:** सीखने, याददाश्त और एकाग्रता में कमी।
  - **वृद्धजन:** मनोभ्रंश, चिंता और रक्तचाप को बढ़ाता है।

पारिस्थितिक प्रभाव

- **पक्षी:** मैना, गौरैया और कबूतर अपने चहकने के पैटर्न बदल लेते हैं; कुछ प्रजातियाँ इन क्षेत्रों में घोंसला बनाने से बचती हैं।
- **वन्यजीव:** ध्वनियुक्त आवासों में ब्लूबर्ड्स के बच्चों की संख्या कम हो जाती है; तेज ध्वनि के संपर्क में आने पर कैटरपिलर (इल्ली) की हृदय गति तेज हो जाती है।
- **व्यापक जोखिम:** ध्वनि पारिस्थितिकीय संचार को बाधित करता है, जिससे जैव-विविधता के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक प्रभाव

- **ध्वनि शहरों में जीवन की गुणवत्ता को कम करता है,** विशेष रूप से कमजोर समूहों (रोगियों, छात्रों, रात्रि पाली में काम करने वाले श्रमिकों) के लिए।
- **सामाजिक संघर्ष** (पड़ोसी, धार्मिक समूह, नाइटलाइफ बनाम निवासी) उत्पन्न करता है।

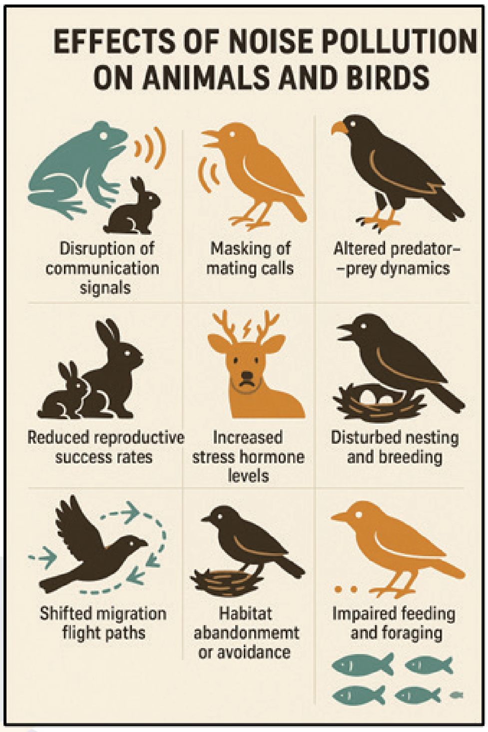

महासागर ध्वनि प्रदूषण

महासागरीय ध्वनि से तात्पर्य **मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनियों से है, जो** समुद्री जीवों की समुद्र में प्राकृतिक ध्वनियों को सुनने की क्षमता में बाधा डाल सकती हैं या उसे अस्पष्ट कर सकती हैं।

- **समुद्री ध्वनि प्रदूषण के स्रोत:**
  - मुख्य स्रोत मानवीय गतिविधियाँ हैं जैसे शिपिंग, तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन, निर्माण, और नौसेना सोनार।
  - अन्य स्रोतों में वाणिज्यिक और मनोरंजक मछली पकड़ना, तथा पानी के अन्दर विस्फोट करना शामिल हैं।
  - जलवायु परिवर्तन समुद्री बर्फ के पिघलने और तूफानों की बढ़ती आवृत्ति के माध्यम से महासागरीय ध्वनि प्रदूषण में भी योगदान देता है।
- **समुद्री ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव:**
  - **समुद्री जीवन के लिए खतरा:** पानी के अंदर ध्वनि उत्सर्जन के बढ़ते स्तर से समुद्री स्तनधारियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, जिनकी आवश्यक व्यवहारिक गतिविधियाँ ऊर्जा के मुख्य रूप के रूप में ध्वनि पर निर्भर करती हैं।
  - **महत्वपूर्ण ध्वनियों को छिपाना:** कम आवृत्ति रेंज (<500 हर्ट्ज) में जहाजों का ध्वनि और कंपन समुद्री प्रजातियों की संचार आवृत्तियों को छिपा सकता है, जिससे संभावित रूप से प्रवास मार्ग में परिवर्तन हो सकता है और गहरे पानी में उनकी वापसी में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - **दीर्घकालिक प्रभाव:** जहाजों से निकलने वाली ध्वनि दीर्घकालिक आधार पर उन्हें प्रभावित करती है और इसके परिणामस्वरूप आंतरिक चोटें, सुनने की क्षमता में कमी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन, मास्किंग (संवरण) और तनाव होता है।

ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी उपाय

- **ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000:** औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और ध्वनि वर्जित क्षेत्र के लिए स्वीकार्य परिवेशीय ध्वनि मानक निर्धारित किए गए।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** यह व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत ध्वनि को पर्यावरण प्रदूषक माना जाता है।
  - पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत मोटर वाहनों, एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, डीजल जनरेटरों और कुछ प्रकार के निर्माण उपकरणों के लिए ध्वनि मानक निर्धारित किए गए हैं।

निगरानी तंत्र

- **राष्ट्रीय परिवेशीय ध्वनि निगरानी नेटवर्क (NANMN), 2011:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा 7 प्रमुख शहरों में वास्तविक समय में ध्वनि स्तर की निगरानी हेतु स्थापित।

- **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs):** इन्हें स्थानीय स्तर पर निगरानी करने, नोटिस जारी करने और डेसिबल सीमा लागू कराने का अधिकार प्राप्त है।

Area code	Type of area	Environmental noise standards (L_{eq}) in dBA	
		Day time	Night time
A	Industrial area	75	65
B	Commercial area	65	55
C	Residential area	55	45
D	Silence area	50	40

Notes: Day time shall mean from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.; Night time shall mean from 10.00 a.m. to 6.0

ध्वनि प्रदूषण से निपटने में चुनौतियाँ

- **कमजोर प्रवर्तन:** हालाँकि भारत में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन अपर्याप्त है। सीपीसीबी का निगरानी नेटवर्क ज्यादातर सक्रिय प्रवर्तन के बिना ही आँकड़े एकत्र करता है।
- **सेंसर की त्रुटिपूर्ण स्थापना:** कई ध्वनि-निगरानी यंत्र 25-30 फीट ऊँचाई पर लगाए गए हैं, जो CPCB की 2015 की दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं और भ्रामक आँकड़े प्रस्तुत करते हैं।
- **संस्थागत उत्तरदायित्व का विखंडन:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और नगर निकायों पर जिम्मेदारी बँटी हुई है, जिससे समन्वय की विफलताएँ सामने आती हैं।
- **शहरीकरण का दबाव:** बुनियादी ढाँचे (महानगरों, राजमार्गों) का निरंतर विकास अनुपालन को कठिन बना देता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में शायद ही कभी ध्वनि वर्जित क्षेत्र बचे हों।
- **जनमानस का दृष्टिकोण:** हॉर्न बजाना एक आदत बन चुकी है; भारत विश्व के सबसे अधिक हॉर्न बजाने वाले देशों में से एक है। तेज आवाज में उत्सव मनाना आनंद का प्रतीक माना जाता है, जबकि मौन को नीरसता से जोड़ा जाता है।
- **प्रौद्योगिकीय अंतराल:** वास्तविक समय निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्रवर्तन का सीमित उपयोग है। ध्वनिअवरोधक और ध्वनि अवशोषक डामर जैसे शहरी डिजाइन उपायों की कमी है।

बढ़ता ध्वनि प्रदूषण → संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन?

- 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में पुन: पुष्टि की कि अनियंत्रित शहरी ध्वनि सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता है।

आगे की राह

- **निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना**
  - अधिक जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई के लिए ध्वनि प्रदूषण की निगरानी को वार्ड और नगरपालिका स्तर तक विकेन्द्रित किया जाना चाहिए।
  - सभी शहरों में वास्तविक समय के ध्वनि मीटर लगाए जाने चाहिए, साथ ही उल्लंघनों को चिन्हित करने में समुदायों को सशक्त बनाने के लिए नागरिक रिपोर्टिंग ऐप्स भी लगाए जाने चाहिए।
  - ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को वर्तमान वास्तविकताओं जैसे उच्च वाहन घनत्व, 24x7 वाणिज्यिक गतिविधि और आधुनिक शहरी जीवन शैली को प्रतिबिंबित करने के लिए तत्काल अद्यतन की आवश्यकता है।
- **शहरी डिजाइन समाधान**
  - शहरों को सड़क और भवन डिजाइन में ध्वनि अवरोधक, ध्वनिरोधी डामर और ध्वनिक-अनुकूल नियोजन सिद्धांतों को एकीकृत करना चाहिए।
  - सड़क किनारे हरित पट्टी और शहरी वनों का विकास प्राकृतिक ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे सौंदर्यबोध और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा।
- **व्यवहारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन**
  - ''ध्वनि शिष्टाचार'' और ध्वनि सहानुभूति को बढ़ावा देने वाले जागरूकता अभियानों को स्कूलों, कार्यस्थलों और मीडिया संदेश में मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।
  - मुंबई के नो हॉन्किंग डे जैसी सफल पहल को अन्य भारतीय शहरों में भी व्यापक रूप से अपनाया और संस्थागत किया जाना चाहिए।

- **तकनीकी विकल्प**
  - इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और साइकिलिंग को बढ़ावा देने से शहरी यातायात ध्वनि में काफी कमी आ सकती है।
  - नीतिगत समर्थन और उद्योग मानकों के माध्यम से शांत निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकरण**
  - स्कूलों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य जांच केंद्रों में नियमित रूप से ध्वनि स्क्रीनिंग शुरू की जानी चाहिए ताकि दीर्घकालिक जोखिम के प्रारंभिक प्रभावों की पहचान की जा सके।
  - ध्वनि से उत्पन्न तनाव और संबंधित विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए परामर्श और चिकित्सा सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

भारतीय शहरों की पुनर्कल्पना: जलवायु समुत्थानशील और निम्न-कार्बन भविष्य के मार्ग

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-1 भूगोल, सामान्य अध्ययन-3 पर्यावरण

सन्दर्भ

भारतीय नगर देश के भविष्य को निर्णायक रूप से आकार देंगे। वर्ष 2050-2070 तक शहरी जनसंख्या लगभग 1 अरब के समीप हो सकती है, जहाँ अनेक महा-नगर ऐसे होंगे जिनकी जनसंख्या अनेक देशों से अधिक होगी। यह तीव्र शहरीकरण एक ओर अवसर उत्पन्न करता है तो दूसरी ओर गंभीर जोखिम भी बढ़ाता है।

2070 तक शहरी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ और निवेश

- **शहरी विकास अनुमान:**
  - **जनसंख्या:** शहरी जनसंख्या वर्ष 2020 के 48 करोड़ से बढ़कर 2070 तक 110 करोड़ तक पहुँच सकती है।
  - **आवास: 144 मिलियन (14.4 करोड़) नए आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान आवासीय उपलब्धता से लगभग दोगुना है।**
  - **ठोस अपशिष्ट: वर्ष 2035 तक नगर 285 मिलियन टन तथा वर्ष 2050 तक 415 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करेंगे।**
- **निवेश की आवश्यकता वाले क्षेत्र:** शहरी परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, वर्षा जल अपवाह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)
- **जलवायु समुत्थानशील डिजाइन:** हरित तकनीक, बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए 9%-27% अतिरिक्त निवेश।
- **वर्तमान व्यय बनाम भविष्य की आवश्यकताएँ:**
  - **वर्तमान पूँजीगत व्यय (2011-2018):** प्रति वर्ष 10.6 अरब अमेरिकी डॉलर, अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.7%।

भविष्य की आवश्यकता: 2070 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अधोसंरचना पर GDP के हिस्से को वर्तमान से अधिक से अधिक दोगुना करना होगा।

भारतीय शहरों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

जलवायु प्रभाव और आपदा

- **बाढ़:** खराब जल अपवाह और तेज निर्माण के कारण बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं। 2030 तक, दो-तिहाई से ज्यादा शहरी निवासियों को सतही/वर्षाजन्य बाढ़ का खतरा होगा।
  - **अनुमानित क्षति:** 2030 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर → 2070 तक 30 अरब अमेरिकी डॉलर।
- **अत्यधिक ऊष्मा:** शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के कारण शहरों का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 3-4°C अधिक बढ़ जाता है। बढ़ते तापमान के साथ, **ऊष्मा से संबंधित मृत्यु और उत्पादकता में कमी का खतरा बढ़ जाता है।**
  - 2050 तक ऊष्मा से संबंधित मृत्यु दोगुनी हो सकती हैं।

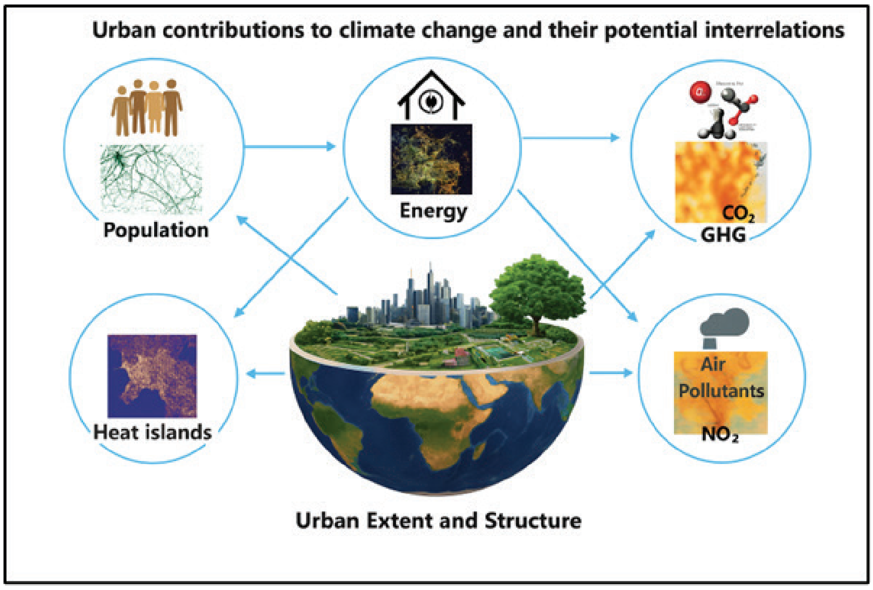

- **आवास की भेद्यता:** अनौपचारिक बस्तियाँ अक्सर निचले इलाकों में, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित होती हैं जहाँ आवास की गुणवत्ता खराब होती है। वर्तमान आवास बाढ़, ऊष्मा, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।
- **जल की कमी:** बढ़ती मांग और जलवायु तनाव के कारण जल की कमी हो जाती है, विशेषकर उन मलिन बस्तियों में जहाँ जल की उपलब्धता कम है।
  - **उदाहरण: चेन्नई का "डे-जीरो संकट" (2019), जब जलाशय पूरी तरह सूख गए थे।**

शहरी विकास और नियोजन अंतराल

- **तीव्र, अनियोजित शहरीकरण:** 2050 तक जनसंख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी, जिससे विकास शहर के बाहरी इलाकों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हो जाएगा।
  - IPCC (AR6) ने चेतावनी दी है कि जलवायु प्रवास के कारण भारतीय शहरी आबादी में और अधिक वृद्धि हो सकती है।
- **अपर्याप्त योजना:** 50% से अधिक शहरों में अनुमोदित मास्टर प्लान का अभाव है; मौजूदा योजनाओं का अक्सर खराब क्रियान्वयन किया जाता है।
- **हरित आवरण की हानि:** प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र की कमी से ऊष्मा बढ़ता है तथा प्राकृतिक बाढ़ अवशोषण कम होता है।
- **परिवहन की कमजोरी:** सड़कों पर 10-20% जलभराव भी 50% परिवहन व्यवस्थाओं को ठप कर सकता है। ऊष्मा से रेल की पटरियाँ खराब हो सकती हैं और परिवहन बाधित हो सकता है।

बढ़ते ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन

- **ऊर्जा, परिवहन, भवन क्षेत्र:** क्षैतिज एवं कम-घनत्व वाला शहरी प्रसार वाहनों पर निर्भरता तथा ऊर्जा की माँग को बढ़ाता है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM):** अक्षम अपशिष्ट निस्तारण से मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक मानवजनित मीथेन उत्सर्जन का लगभग 20% है। अपशिष्ट से नालियाँ जाम होने पर शहरी बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है।
- **आवास क्षेत्र:** निर्माण सामग्री (सीमेंट, इस्पात) तथा भवनों में ऊर्जा उपयोग से कार्बन पदचिह्न में भारी वृद्धि होती है।

वित्तपोषण और संस्थागत कमजोरियाँ

- **विशाल निवेश की आवश्यकता:** जलवायु-सहिष्णु शहरी अवसंरचना हेतु वर्ष 2050 तक 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2070 तक 10.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- **कम राजस्व और निर्भरता:** नगरपालिकाएँ मुख्य रूप से केंद्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाले हस्तांतरण पर निर्भर रहती हैं; संपत्ति कर वसूली वैश्विक मानकों की तुलना में अत्यंत कम है।
- **सीमित व्यय क्षमता:** शहरों के पास उपलब्ध बजट का भी प्रभावी उपयोग करने की क्षमता कमजोर है।
- **जलवायु वित्त पर निगरानी का अभाव:** जलवायु-सम्बंधित व्यय का अलग से लेखा-जोखा नहीं होता, जिससे उत्तरदायित्व और वित्तपोषण कठिन हो जाता है।
- **निजी क्षेत्र की कम भूमिका:** शहरी अवसंरचना वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 5% है, जो नीतिगत एवं नियामकीय जोखिमों के कारण हतोत्साहित है।
- **खंडित शासन व्यवस्था:** विभिन्न एजेंसियों के बीच भूमिकाओं के अतिक्रमण से देरी एवं समन्वय की कमी उत्पन्न होती है।
- **सीमित तकनीकी विशेषज्ञता:** छोटे एवं मध्यम नगरों में जोखिम आकलन और जलवायु योजना हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है।

शहरी जलवायु समुत्थानशीलता पहल

- **अहमदाबाद - हीट एक्शन प्लान (2013):** प्रतिवर्ष ~1,200 लोगों की जान बचाई गई; इसमें पूर्व चेतावनी, जागरूकता, चिकित्सा क्षमता और ताप-न्यूनीकरण उपाय शामिल हैं।
- **कोलकाता** - बाढ़ पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणाली: 400 सेंसर नोड वायु गुणवत्ता, जल-जमाव और तापमान की निगरानी करते हैं; चेतावनी मोबाइल, रेडियो और टीवी के माध्यम से प्रसारित की जाती है।
- **इंदौर** - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM): घर-घर अपशिष्ट संग्रह, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र तथा एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) के माध्यम से निगरानी।

वैश्विक उदाहरण

- योकोहामा, जापान: समेकित बाढ़ सुरक्षा उपाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) के उपयोग से वर्ष 2050 तक कार्बन-न्यूट्रल रोडमैप।
- **बेइरा, मोजाम्बिक:** नदी पुनर्स्थापन एवं पार्क निर्माण जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों के साथ जल निकासी प्रणाली का समन्वय।
- **शिज़ुओका, जापान:** बहु-स्तरीय बाढ़ भंडारण क्षेत्र (6,90,000 घन मीटर क्षमता)।

जलवायु-समुत्थानशील एवं निम्न-कार्बन शहरों के निर्माण हेतु सुझाए गए उपाय

नगर-स्तरीय कार्ययोजनाएँ

- **जोखिम मूल्याँकन:** नियमित जलवायु जोखिम अध्ययन, ग्रीनहाउस गैस (GHG) सूचीकरण, तथा भूमि उपयोग नियोजन में उनका समावेश। उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण रोकना।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** बहु-आपदा चेतावनी प्रणाली जिसमें अंतिम मील तक संवेदनशील समूहों तक पहुँच सुनिश्चित हो।
  - **उदाहरण:** ओडिशा की चक्रवात चेतावनी प्रणाली, जिसे हजारों लोगों की जान बचाने का श्रेय दिया जाता है।
- **जलवायु-संवेदनशील विकास:** मजबूत भवन संहिता, लचीला बुनियादी ढाँचा, जोखिम-संवेदनशील क्षेत्रीकरण।
- **एकीकृत जोखिम न्यूनीकरण:** ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल अपवाह, तटबंध) और ब्लू - ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर्द्रभूमि, पार्क, पेड़) दोनों का उपयोग करें। ठंडी छतों, शहरी हरियाली और जल-संवेदनशील डिजाइन को बढ़ावा देना।
- **सुभेद्य आबादी पर ध्यान केंद्रित करना:** मलिन बस्तियों में यथास्थान उन्नयन, अनुकूल सामाजिक संरक्षण, अंतिम उपाय के रूप में पुनर्वास।
- **सुवाह्य एवं ग्रीन सिटी योजना:** उत्सर्जन को कम करने के लिए पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी), मिश्रित उपयोग योजना और प्रबंधित घनत्व को प्रोत्साहित करना।
- **नगर निगम सेवाओं का उन्नयन:** अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, पुनर्चक्रण, तथा लैंडफिल में मीथेन गैस का संग्रहण।
- **समुत्थानशील परिवहन:** सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, पैदल व साइकिल चलने को प्रोत्साहन, बसों का विद्युतीकरण, तथा सड़क प्रणाली में अतिरिक्त विकल्प विकसित करना।
- **हरित भवन:** सौर छतें, ऊर्जा-कुशल डिजाइन, कम आय वाले आवास पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहन।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय लचीलापन कार्यक्रम

- **शहरी लचीलापन मिशन:** बाढ़ लचीलापन और गर्मी प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करना।
- **क्षमता निर्माण:** नगरपालिका कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, कुशल शहरी योजनाकारों और इंजीनियरों को नियुक्त करना।
- **डेटा सिस्टम:** जलवायु लचीलापन डेटा, जीएचजी सूची और परियोजना तैयारी के लिए राष्ट्रीय केंद्र।
- **एकीकृत नीतियाँ:** आवास, अपशिष्ट और परिवहन नीतियों को जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।

वित्तपोषण और संस्थागत सुधार

- **शहरी निवेश में वृद्धि:** शहरी बुनियादी ढाँचे, विशेष रूप से जलवायु संबंधी व्यय के लिए सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा बढ़ाना।
- **नगरपालिका राजस्व में वृद्धि:** स्वयं के स्रोत से राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और सेवा शुल्क में सुधार करना।
- **जलवायु बजट टैगिंग:** पारदर्शिता में सुधार और वित्त पोषण को आकर्षित करने के लिए शहर के खातों में जलवायु-संबंधी व्यय को चिह्नित करना।
- **नवोन्मेषी वित्तपोषण:** हरित बांड, कार्बन बाजार, भूमि मूल्य अधिग्रहण, कर-वृद्धि वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियों का उपयोग करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** बैंक योग्य परियोजनाएँ तैयार करना, खरीद प्रक्रियाओं में सुधार, ऋण गारंटी उपलब्ध कराना, तथा बीमा बाजार का विस्तार।

हितधारक सहयोग

- **बहु-क्षेत्रीय योजना:** परिवहन, आवास, जल और अपशिष्ट प्रबंधन योजना को एकीकृत करना।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** बाढ़, अपशिष्ट एवं प्रदूषण की समस्या का समाधान नदी-घाटी एवं महानगरीय स्तर पर करना, न कि केवल नगर सीमाओं तक सीमित रहना।
- **नागरिक भागीदारी:** नियोजन, अपशिष्ट पृथक्करण, जल संरक्षण, आपदा प्रतिक्रिया में समुदायों को शामिल करना। जलवायु कार्रवाई के लिए जागरूकता अभियान।

खेतों से लेकर ईंधन टैंकों तक: भारत के जलवायु लक्ष्यों में इथेनॉल की भूमिका

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-1 भूगोल, सामान्य अध्ययन-3 पर्यावरण

सन्दर्भ

पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण वित्त वर्ष 2018 (FY18) के 4.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 (FY25) में 18.9% तक पहुँच गया है, जो वित्त वर्ष 2026 के लिए निर्धारित E20 लक्ष्य (20% मिश्रण) के करीब है। इसके बावजूद, कच्चे तेल के आयात में या पेट्रोल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम: पृष्ठभूमि

- **प्रारंभ:** वर्ष 2003 में, चुनिंदा क्षेत्रों में 5% मिश्रण (E5) को अनिवार्य किया गया।
- **विस्तार:** राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 (संशोधित 2022)।
- **लक्ष्य:** वर्ष 2030 की बजाय 2025-26 तक E20 प्राप्त करना।
- **उद्देश्य:**
  - कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना।
  - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना।
  - किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना (गन्ना, मक्का, चावल, क्षतिग्रस्त अनाज से इथेनॉल उत्पादन)।

अब तक की उपलब्धियाँ

- FY18 के 4.2% से FY25 में 18.9% तक की वृद्धि, जो E20 लक्ष्य के निकट है।
- भारत अब अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है।
- गन्ने और अधिशेष अनाज की अतिरिक्त माँग ने किसानों की आय में सहयोग किया है।

भारत के लिए इथेनॉल मिश्रण का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा और आयात बचत:** इथेनॉल सम्मिश्रण से आयातित पेट्रोल के स्थान पर घरेलू स्तर पर उत्पादित जैव ईंधन का उपयोग करके आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - उदाहरण के लिए, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम ने पहले ही 1.1 ट्रिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई है और 181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल (2014-2024) को प्रतिस्थापित किया है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है।
- **स्वच्छ पर्यावरण और उत्सर्जन में कमी:** इथेनॉल, अपनी ऑक्सीजन सामग्री के साथ, इंजनों में अधिक पूर्ण दहन को सक्षम बनाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कणिकीय पदार्थों का उत्सर्जन कम होता है।
  - उदाहरण के लिए, 2014 से अब तक इथेनॉल के उपयोग से 544 लाख मीट्रिक टन CO_2 की कमी आई है, जो भारत के नेट जीरो 2070 प्रतिज्ञा के अनुरूप है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करता है।
- **ग्रामीण समृद्धि और रोजगार सृजन:** इथेनॉल उत्पादन से गन्ना, मक्का और अधिशेष अनाज के लिए एक स्थिर बाजार का सृजन होता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।
  - पीएम-जी-वन योजना फसल अवशेषों से 2जी इथेनॉल बनाने को बढ़ावा देती है, जिससे पराली जलाने पर अंकुश लगता है और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।
- **फसल विविधीकरण और अपशिष्ट उपयोग:** इथेनॉल के लिए एफसीआई चावल और मक्का का उपयोग किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है और अनाज अधिशेष को कम करता है।
  - सरकारी प्रोत्साहन और ब्याज अनुदान योजनाओं ने अनाज-आधारित डिस्टिलरी (आसवनशालाओं) का विस्तार किया है, जिससे अनेक फीडस्टॉक्स से इथेनॉल उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन गया है।

- औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश: इथेनॉल सम्मिश्रण निवेश के लिए एक आकर्षण का केन्द्र बन गया है, तथा दीर्घकालिक इथेनॉल खरीद नीति जैसी नीतियाँ राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।
  - वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जी 20, 2023) के शुभारंभ ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक जैव ईंधन केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है।
- **परिवहन और ईंधन अवसंरचना को मजबूत करना:** वाहन निर्माता इंजन और ईंधन प्रणालियों को नया स्वरूप दे रहे हैं, जबकि ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने E20 पेट्रोल की उपलब्धता को 13,569 पीएसयू आउटलेट्स (अप्रैल 2024) तक बढ़ा दिया है।

- यह परिवर्तन भारत की हरित गतिशीलता रणनीति का समर्थन करता है, जो बहु-ईंधन परिवहन भविष्य के लिए इथेनॉल को ईवी और हाइड्रोजन ईंधन के साथ एकीकृत करता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण से कच्चे तेल का आयात कम क्यों नहीं हुआ है?

- **मिश्रण में केवल पेट्रोल शामिल है:** इथेनॉल को केवल पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, जो भारत के ईंधन उपयोग का एक छोटा सा हिस्सा है।
  - डीजल, एटीएफ, एलपीजी और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उत्पाद अछूते रह गए हैं।
- **उच्च डीजल निर्भरता:** भारत का माल ढुलाई, परिवहन और कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से डीजल पर निर्भर हैं।
- **बढ़ती ईंधन मांग:** निजी वाहनों के बढ़ते उपयोग और कमजोर सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के कारण वित्त वर्ष 2025 में पेट्रोल का उपयोग 7.5% बढ़ा।
- **अन्य पेट्रोलियम आवश्यकताएँ:** कच्चे तेल को विमानन ईंधन, एलपीजी और पेट्रोकेमिकल्स में भी परिष्कृत किया जाता है, जहाँ मांग बढ़ रही है।
- **वैश्विक कारकों से प्रेरित आयात:** भारत की ईंधन कीमतें और आयात आवश्यकताएँ वैश्विक तेल बाजारों (ओपेक आपूर्ति, रूस-यूक्रेन युद्ध) से जुड़ी हुई हैं।

भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में समस्याएँ

उत्पादन बाधाएँ

- **फीडस्टॉक निर्भरता:** गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता → जल-गहन, खाद्य बनाम ईंधन बहस का जोखिम।
- **सीमित विविधीकरण:** मक्का, चावल, क्षतिग्रस्त अनाज या सेल्यूलोसिक इथेनॉल को अपनाने में धीमी गति।
- **आपूर्ति श्रृंखला अंतराल:** फीडस्टॉक्स की मौसमी उपलब्धता उत्पादन में अस्थिरता पैदा करती है।

बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी

- **मिश्रण क्षमता:** कई डिपो और खुदरा पंपों में मिश्रण और वितरण बुनियादी ढाँचे का अभाव है।
- **वाहन अनुकूलता:** हाल ही में E20-संगत वाहन पेश किए जा रहे हैं; पुराने इंजनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है।
- **भंडारण संबंधी समस्याएँ:** इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है (पानी को अवशोषित कर लेता है), जिसके कारण भंडारण और हैंडलिंग में चुनौतियाँ आती हैं।

आर्थिक मुद्दे

- **लागत में अस्थिरता:** इथेनॉल खरीद मूल्यों के लिए सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता होती है; तेल विपणन कंपनियों के लिए लाभप्रदता असमान है।
- **वैश्विक तेल बाजार:** कच्चे तेल का आयात वैश्विक कीमतों और भू-राजनीतिक व्यवधानों (रूस-यूक्रेन युद्ध, ओपेक आपूर्ति) से जुड़ा हुआ है।

अन्य चिंताएँ

- **मंत्रालयों एवं हितधारकों के बीच समन्वय:** इसमें अनेक एजेंसियाँ शामिल हैं (पेट्रोलियम, कृषि, पर्यावरण, परिवहन) - समन्वय में अंतराल बना हुआ है।
- **भूमि उपयोग:** बड़े पैमाने पर फसलों का पथांतरण होने पर खाद्य फसलों पर दबाव बढ़ने की संभावना है।

क्या भारतीय वाहन और निर्माता उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए तैयार हैं?

अधिकांश वाहन पेट्रोल में कम प्रतिशत एथेनॉल (E5–E10) के लिए ही बनाए गए थे। E20 मिश्रण के लिए वाहनों को अधिक मजबूत पुर्जो (ईंधन पाइप, सील आदि) तथा इंजन के पुन:-समायोजन की आवश्यकता होगी।

- **फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (किसी भी पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रण पर चलने वाले)** बनाना संभव है, लेकिन इसके लिए पुन: डिजाइन और परीक्षण, प्रमाणन और डीलर प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त लागत की आवश्यकता होती है।
  - कंपनियाँ **E20 के लिए इंजन सॉफ्टवेयर, ईंधन प्रणाली और उत्सर्जन नियंत्रण को समायोजित कर सकती हैं।**
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और परीक्षण एजेंसियों को E20 संबंधी नियमों को अंतिम रूप देना होगा। वाहन निर्माता कंपनियों को मानकों की स्पष्टता चाहिए ताकि वे वारंटी और इंजन डिजाइन को अद्यतन कर सकें।
- मैकेनिकों को इथेनॉल से संबंधित मुद्दों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। स्पेयर पार्ट्स और ईंधन प्रणाली सामग्री इथेनॉल-अनुकूल होनी चाहिए।

आगे की राह

- **फीडस्टॉक का विविधीकरण:** मक्का, धान, ज्वार, बाँस तथा द्वितीय पीढ़ी (2G) जैव-ईंधन जैसे कृषि-अवशेष और अपशिष्ट बायोमास से एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन।
- **बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ बनाना:** मिश्रण डिपो, पाइपलाइन तथा भंडारण क्षमता का विस्तार।
- **प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन:** फ्लेक्स-फ्यूल इंजन, हाइब्रिड वाहन तथा उन्नत एथेनॉल उत्पादन विधियों पर अनुसंधान को बढ़ावा।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** खाद्य बनाम ईंधन संतुलन सुनिश्चित करना तथा गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता से बचना।
- **डीजल के विकल्प:** पेट्रोल से आगे कच्चे तेल की मांग घटाने हेतु बायोडीजल, संपीडित बायोगैस (CBG) तथा हाइड्रोजन मिश्रण की खोज।
- **बाजार संपर्क:** कड़े मूल्य-नियंत्रण को कम करना; एथेनॉल मिश्रण को उपभोक्ता ईंधन लागत में परिलक्षित होने देना, जिससे माँग-आपूर्ति दक्षता में सुधार होगा।
- **समेकित ऊर्जा रणनीति:** एथेनॉल मिश्रण को विद्युत वाहन (EV) अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन के साथ समन्वित करना, ताकि बहुआयामी ऊर्जा सुरक्षा योजना विकसित हो सके।

ब्राजील की इथेनॉल सफलता (केस स्टडी)

ब्राजील के प्रोआलकूल कार्यक्रम (1970 के दशक) ने अधिशेष गन्ने का उपयोग कर तेल आयात घटाने के लिए अनिवार्य एथेनॉल मिश्रण (E20–E27) पर आधारित था, जिसे सब्सिडी और कर प्रोत्साहनों का सहारा मिला। इसने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) को बढ़ावा दिया और खेत से ईंधन तक एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार की। परिणामस्वरूप, तेल आयात में कमी, किसानों की आय में वृद्धि, उत्सर्जन में कमी तथा वैश्विक जैव-ईंधन नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हुई।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय (भूगोल)

नदियों के मार्ग में परिवर्तन

सन्दर्भ

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा (यूसीएसबी) द्वारा विश्वभर की 84 नदियों (1985-2021) पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एकल-धारा वाली नदियाँ स्थिर रहती हैं जबकि बहु-धारा वाली नदियाँ विभाजित हो जाती हैं।

STUDY IQ PUBLICATIONS

निष्कर्ष

- **एकल-धारा नदियाँ → अपरदन और निक्षेपण के बीच संतुलन के कारण स्थिर चौड़ाई बनाए रखती हैं।**
- **बहु-धारा नदियाँ (गुम्फित) → अस्थिर रहती हैं;** इनमें अपरदन निक्षेपण पर हावी रहता है, जिसके कारण नदी चौड़ी होती है और धाराएँ अलग-अलग मार्गों में बँट जाती हैं।

नदियों के बदलते मार्ग के कारण

- **अपरदन और निक्षेप असंतुलन:** जब किनारों का अत्यधिक अपरदन होता है और निक्षेपण कम होता है तो नदी चौड़ी होकर मार्ग बदलती है।
  - यह गुम्फित/बहु-धारा नदियों का मुख्य चालक है।
- **अवसाद की मात्रा:** गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी अवसाद-समृद्ध नदियाँ असमान रूप से अवसाद जमा करती हैं, जिससे नदी की धाराएँ विभाजित या स्थानांतरित हो जाती हैं।
- **जल विज्ञान एवं ढलान:** अधिक तीव्र ढलान और अधिक तीव्र बहाव अस्थिरता और मार्ग परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं।
- **वनस्पति:** जिन नदियों के किनारे पर वनस्पति होती है, वे स्थिर रहती हैं (जैसे मंद्र प्रवाही नदियाँ)।
  - वनस्पति रहित तट अधिक आसानी से अपरदित हो जाते हैं, जिससे विस्थापन होता है।
- **बाढ़ और चरम घटनाएँ:** अचानक भारी बाढ़ से तट टूट जाते हैं, जिससे जल प्रवाह नए मार्गों की ओर मुड़ जाता है।
- **विवर्तनिक गतिविधि:** भूकंप या भूमि उत्थान/अवसादन घाटियों को झुका सकता है, जिससे नदी की दिशा बदल सकती है।
- **मानवीय हस्तक्षेप:** बांध, तटबंध, तलकर्षण और खनन प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे कभी-कभी अचानक मार्ग परिवर्तन हो जाता है।

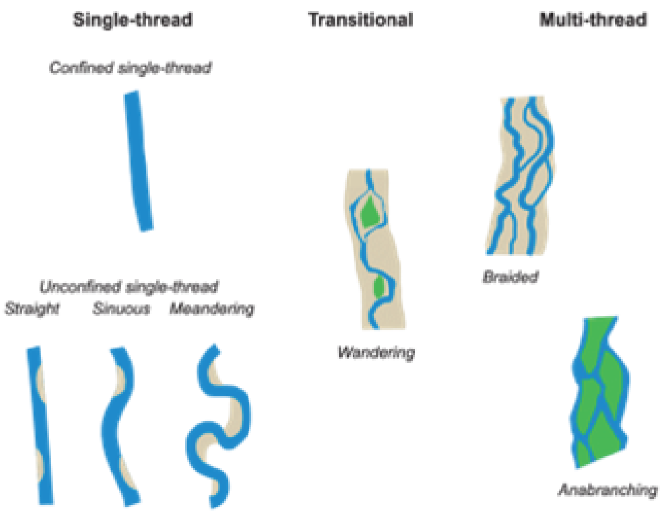

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना

सन्दर्भ

कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** नई खनन परियोजनाओं की लंबी अवधि को देखते हुए, आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा) के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
- **वित्तीय परिव्यय: ₹1,500 करोड़।**
- **अवधि: 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31)।**
- **पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएँ**
  - **योग्य फीडस्टॉक:** ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स और अंत्य-जीवन वाहन स्क्रैप।
  - **लाभार्थी:** बड़े पुनर्चक्रणकर्ता तथा छोटे/नए उद्यम (स्टार्ट-अप्स सहित)।
    - » परिव्यय का एक तिहाई हिस्सा छोटी संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
  - **प्रोत्साहन तंत्र:**
    - » **पूंजीगत व्यय सब्सिडी:** समय पर उत्पादन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी पर 20%।
    - » **वृद्धिशील बिक्री पर परिचालन सब्सिडी:** 40% (वर्ष 2) और 60% (वर्ष 5)।
    - » **प्रोत्साहन सीमा:** बड़ी संस्थाओं के लिए ₹50 करोड़, छोटी संस्थाओं के लिए ₹25 करोड़।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)

- **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 तक।
- **उद्देश्य:** घरेलू और विदेशी स्रोतों से भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **कार्यक्षेत्र:** संपूर्ण मूल्य **श्रृंखला → अन्वेषण → खनन → प्रसंस्करण → लाभकारीकरण → जीवन-अंत उत्पादों से पुनर्प्राप्ति।**

ब्लड मून (रक्तिम चंद्रमा)

सन्दर्भ

8 सितंबर, 2025 को एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोगों ने पूर्ण चंद्रग्रहण देखा, जिसे लोकप्रिय रूप से ब्लड मून कहा जाता है।

चंद्र ग्रहण के बारे में

- चंद्र **ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है**, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता।
- **प्रकार:**
  - **पूर्ण ग्रहण:** चंद्रमा पृथ्वी की **प्रच्छाया** (अंधेरे आंतरिक छाया) से पूरी तरह से गुजरता है।
  - **आंशिक ग्रहण:** चंद्रमा का केवल एक भाग ही प्रच्छाया में प्रवेश करता है।
  - **उपच्छाया ग्रहण:** चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया (बाहरी छाया) से होकर गुजरता है, जिससे अल्प दीप्ति मंदाक्ता आ जाती है।
- सूर्य ग्रहण के विपरीत, चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखना सुरक्षित है।

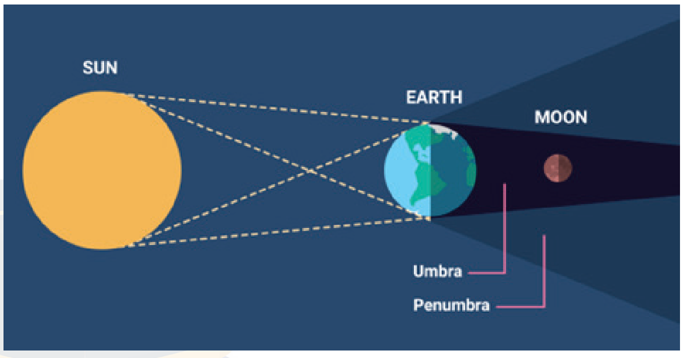

ब्लड मून के बारे में

- **पूर्ण चंद्रग्रहण** के दौरान ब्लड मून दिखाई देता है।
- **पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है,** तो नीली रोशनी जैसी छोटी तरंगदैर्ध्य बिखर जाती है (रेले बिखराव), जबकि लाल प्रकाश गुजर कर चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे वह लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है।
- **महत्व:**
  - चन्द्रमा का लाल रंग किस प्रकार का होगा, यह पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल और प्रदूषकों पर निर्भर करता है।
  - उदाहरणस्वरूप, अतीत में ज्वालामुखी विस्फोटों के समय ब्लड मून और अधिक गहरा दिखाई दिया था। इस प्रकार, यह जलवायु तथा पर्यावरणीय इतिहास के बारे में संकेत प्रदान करता है।

अपतटीय जलभृत

सन्दर्भ

लगभग 50 वर्ष पूर्व अमेरिका की एक सरकारी अनुसंधान पोत ने देश के उत्तर-पूर्वी तट के समीप समुद्रतल के नीचे मीठे पानी की उपस्थिति का आकस्मिक रूप से पता लगाया था। अब अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के नीचे एक विशाल अपतटीय जलभृत की उपस्थिति की पुष्टि की है।

अपतटीय जलभृतों के बारे में

- वे **समुद्र तल के नीचे स्थित संरंध्री चट्टान या अवसाद की ग्रंथिका होते हैं** जो मीठे पानी का भंडारण करते हैं।

- अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक तटों के नीचे **1 मिलियन घन किलोमीटर ताजा पानी मौजूद है- जो कि समस्त स्थलीय ताजे पानी का लगभग 10% है।**
- **वितरण: ऑस्ट्रेलिया, चीन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया, और अब अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तट पर व्यवस्थित रूप से प्रवेधन की जाती है।**
- **निर्माण संबंधी सिद्धांत:**
  - **हिमयुग में विपाशन →** जब समुद्र का स्तर कम था तब मीठा पानी भूमिगत रूप से रिसता था।
  - **तटवर्ती संपर्क →** भूमि जलभृतों से जुड़ा हुआ, वर्षा के माध्यम से पुनर्भरित।
- संरक्षण तंत्र: सघन मिट्टी की एक **चट्टानी परत खारे पानी के साथ मिश्रण को रोकती है।**

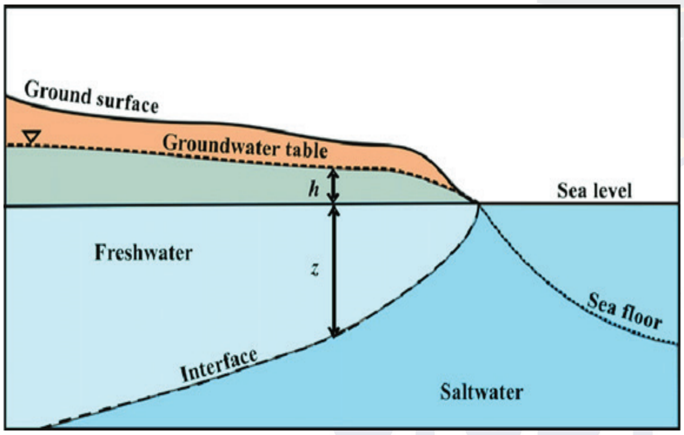

अपतटीय जलभृतों का महत्व

- **जल सुरक्षा:** ऐसे समय में जब 2023 संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में **2030 तक जल की मांग बनाम आपूर्ति में 40% अंतर की भविष्यवाणी की गई है, यह नए अप्रयुक्त भंडार के रूप में कार्य कर सकता है।**
- **जलवायु अनुकूलन:** सूखे, वर्षा के बदलते पैटर्न और हिमनदों के पिघलने से होने वाली बाधाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।
- **रणनीतिक संसाधन:** जिन देशों के पास इन संसाधनों तक पहुँच है, वे अति-दोहन वाले भूमि जलभृतों और विलवणीकरण संयंत्रों पर निर्भरता कम कर सकते हैं।
- **संपोषणीय क्षमता:** यदि नवीकरणीय (भूमि जलभृतों द्वारा पोषित) हो, तो दीर्घकालिक मीठे पानी का स्रोत उपलब्ध हो सकता है।
- **वैश्विक समता:** यह तटीय एवं द्वीपीय देशों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, जिनके पास सीमित मीठा पानी उपलब्ध है।
- **अनुसंधान मूल्य:** ये पृथ्वी के **जलचक्र और जलवायु इतिहास** (जैसे हिमयुग के जल भंडारण) की समझ को गहरा करने में सहायक हैं।

जीवाश्म पत्तियों से मानसून का विकास उजागर

सन्दर्भ

- नागालैंड से प्राप्त जीवाश्मों से पता चलता है कि अंटार्कटिका ने भारतीय मानसून को किस प्रकार आकार दिया।
  - शोधकर्ताओं ने CLAMP (क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम) नामक विधि का उपयोग करके यह पता लगाया।

निष्कर्षों से अंतर्दृष्टि

- **अंटार्कटिक बर्फ की चादरों के निर्माण (लगभग 34 मिलियन वर्ष पूर्व)** ने वैश्विक पवन और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित किया, **जिसने भारतीय मानसून प्रणाली के प्रारंभिक विकास को आकार दिया।**
- अंटार्कटिक हिमचादरों की वृद्धि के कारण अंतरउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) – जो एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय वर्षा पट्टी है- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर विस्थापित हो गया।
- अंटार्कटिक क्षेत्र की जलवायु आज की तुलना में **कभी अधिक ऊष्ण और आर्द्र थी।**

क्लैम्प विधि (क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम)

- यह एक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसका उपयोग जीवाश्म पत्तियों के आकारिकी (आकार, आकृति, संरचना) का विश्लेषण कर प्राचीन जलवायु का पुनर्निर्माण करने हेतु किया जाता है।
- **सिद्धांत:** पत्तियों के गुण (जैसे आकार, किनारों का प्रकार, आकृति) का जलवायु चर (तापमान, वर्षा, आर्द्रता) से घनिष्ठ संबंध होता है।
- **कार्यप्रणाली**
  - जीवाश्म पत्तियों का संग्रह कर उनकी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है।
  - इन विशेषताओं की तुलना आधुनिक पत्तियों-जलवायु डेटासेट से की जाती है।
  - सांख्यिकीय मॉडल के माध्यम से अतीत के तापमान, वर्षा और आर्द्रता का अनुमान लगाया जाता है।
- लाखों वर्ष पुरानी अवधि के लिए **मात्रात्मक और विश्वसनीय जलवायु डेटा प्रदान** करता है, जहाँ कोई यंत्रीय रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

धोरडो - एक नया सौर गांव

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर **में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान गुजरात के कच्छ** में धोरडो गांव को भारत के सबसे नए सौर गांव के रूप में समर्पित किया।

धोरडो गाँव के बारे में

- **कच्छ के रण का प्रवेश द्वार और प्रसिद्ध रण उत्सव** का स्थल माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की उपाधि दी गई।

नोटः मोढेरा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव था।

भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति

- भारत ने जनवरी 2025 में 100 गीगावाट सौर क्षमता का मील का पत्थर पार किया।
- भारत **नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है।** (आईआरईएनए आरई सांख्यिकी 2025)
- विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक।**
- **सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में शीर्ष राज्यः** राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु।
- **सरकार का लक्ष्यः वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म/नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी सौर ऊर्जा से अपेक्षित है।**

भारत में सौर ऊर्जा संवर्धन हेतु प्रमुख योजनाएँ

- **सौर पार्क योजना (2014):** विद्युत ग्रिड से जुड़े बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 गीगावाट है।
- **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं योजना उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना (2019):** किसान नए सौर पंप स्थापित करने या पुराने पंपों को सौर में बदलने के लिए 30% से 50% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
- **पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (2024):** छत पर सौर ऊर्जा अपनाने वाले परिवारों को 300 यूनिट/माह तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है।
- **सौर पी.वी. विनिर्माण क्षमता में वृद्धिः** 2014 से अब तक भारत की सौर पीवी सेल बनाने की क्षमता लगभग 21 गुना बढ़ी है- 2014 में 1.2 गीगावाट से मार्च 2025 तक लगभग 25 गीगावाट।

भारत का वैश्विक सौर नेतृत्व

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): 2015 में COP-21 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया।
  - अब ISA 100 से अधिक देशों का गठबंधन है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सौर ऊर्जा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- **एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG):** 2018 में ISA असेंबली के दौरान भारत द्वारा घोषित, इसका उद्देश्य **दक्षिण एशिया से अफ्रीका और यूरोप तक के क्षेत्रों को जोड़ते हुए**, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संसाधनों को आपस में जोड़ना है।

समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम

- **यह समुद्री विकास, "नीली अर्थव्यवस्था" और तटीय बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित एक कार्यक्रम है।**
- **प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:**
  - बंदरगाहों पर प्रक्रियाओं का सरलीकरणः बंदरगाह संचालन और व्यापार को आसान बनाने के लिए "एक राष्ट्र, एक बंदरगाह / एक राष्ट्र, एक दस्तावेज" प्रक्रियाएँ।
  - समुद्री क्षेत्र की पहल के लिए 7,870 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।

दुर्लभ मृदाओं के वैश्विक भंडार और उत्पादन

सन्दर्भ

चीन के **उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निष्कर्षण,** शोधन और निर्यात की निगरानी को केंद्रीकृत करने के लिए दुर्लभ मृदा खनन और प्रसंस्करण पर नियमों को कड़ा कर दिया है।

दुर्लभ मृदाओं के वैश्विक भंडार और उत्पादन की स्थिति

- **दुर्लभ मृदाओं के वैश्विक भंडार (अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार)**
  - चीनः 48.9%
  - ब्राजीलः 23.3%
  - वियतनामः 7.7%
  - ऑस्ट्रेलियाः 6.3%
  - रूसः 4.2%
  - भारतः 3.9%
  - अमेरिकाः 2.1%
  - अन्य (दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, कनाडा, आदि): <2%
- **दुर्लभ मृदा का वैश्विक उत्पादन (2020-25 अनुमान)**
  - चीनः विश्व उत्पादन का 65.8%
  - अमेरिकाः 13.2%
  - बर्मा (म्याँमार): 9%
  - ऑस्ट्रेलियाः 5.6%
  - थाईलैंडः 2.1%
  - नाइजीरियाः 1.2%
  - भारतः 0.9%

दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में

- शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ (IUPAC) दुर्लभ मृदा खनिजों को आवर्त सारणी में सत्रह रासायनिक तत्वों के एक समूह के रूप में परिभाषित करता है। इन धातुओं के गुण समान होते हैं।

– थूलियम और ल्यूटीशियम दो दुर्लभ मृदा तत्व हैं जिनकी प्रचुरता सबसे कम है।
– सीरियम, इट्रियम, लैंथेनम और नियोडिमियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा तत्व हैं।

- चीन विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) का लगभग 90% उत्पादन करता है।
- दुनिया भर में सर्वाधिक भंडार: (1) चीन (2) ब्राजील (3) भारत (4) रूस (5) ऑस्ट्रेलिया

दुर्लभ मृदा तत्व	वर्तमान अनुप्रयोग
इट्रियम	फॉस्फोरस, चीनी मिट्टी, मिश्र धातु
लैंथेनम	बैटरियाँ, पेट्रोलियम शोधन के लिए उत्प्रेरक
सीरियम	ऑटो उत्प्रेरक, रासायनिक उत्प्रेरक, ग्लास पॉलिशिंग, धातु मिश्र धातु
प्रेजियोडिमियम	उच्च शक्ति चुंबक, पीला सिरेमिक वर्णक
नियोडिमियम	उच्च शक्ति चुम्बक
प्रोमीथियम	बीटा विकिरण स्रोत
सैमरियम	उच्च तापमान चुम्बक,
युरोपियम	फ्लोरोसेंट लाइटिंग
गैडोलीनियम	एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट, परमाणु रिएक्टर छड़ें
टर्बियम	प्रप्रकाश हेतु फॉस्फर, उच्च तापमान चुंबक
डिस्प्रोशियम	उच्च शक्ति उच्च तापमान चुम्बक, लेजर
होल्मियम	अस्तित्व में सर्वाधिक शक्तिशाली चुम्बक
एर्बियम	लेजर, काँच का वर्णक
थूलियम	सिरेमिक चुंबकीय सामग्री (विकासाधीन)
इटर्बियम	फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकी, सौर पैनल
ल्यूटेशियम	पीईटी स्कैनर

वेम्बनाड झील में पारिस्थितिक तनाव

सन्दर्भ

केरल की वेम्बनाड झील गंभीर पारिस्थितिक संकट का सामना कर रही है।

पारिस्थितिक तनावों के बारे में

- CWRDM **अध्ययन** से पता चलता है कि झील की **हाउसबोटों (461) की वहन क्षमता बहुत अधिक हो गई है, जहाँ प्रतिदिन 954 हाउसबोट + 241 शिकारा + 404 मोटरबोट + 1,625 देशी नावें संचालित होती हैं।**
- **पर्यटन का दबाव →** अपशोधित सीवेज, डीजल प्रदूषण और जल भराव की स्थिति → पुन्नमदा क्षेत्र में कोलीफॉर्म स्तर 8,000 तक पहुँच गया है, जो खतरनाक रूप से उच्च है।
- मछली प्रजनन स्थलों के नष्ट होने तथा जलमार्गों पर लक्जरी हाउसबोटों के एकाधिकार के कारण **स्थानीय मछुआरों की आजीविका नष्ट हो रही है।**
- झील का **क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है** (1967 में 130.68 वर्ग किमी से घटकर 2011 में मात्र 3.29 वर्ग किमी रह गया; तथा अभी भी प्रतिवर्ष ~0.3 वर्ग किमी की कमी हो रही है)।
- **अतिक्रमण (अवैध रिसॉर्ट, विला,** मराडू फ्लैट्स, नेडियाथुरुथु विला जैसी ऊँची इमारतें) आर्द्रभूमि को नष्ट कर रहे हैं और जलमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं।

वेम्बनाड झील के बारे में

- यह **केरल में स्थित है और अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम** जिलों से घिरा हुआ है।
- यह **भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और इसे 2002** में रामसर स्थल घोषित किया गया था। (प्रथम – सुंदरबन)
- रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि है जिसे आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पारिस्थितिक क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसे **'आर्द्रभूमि सम्मेलन'** के रूप में भी जाना जाता है।
- झील का स्रोत 4 नदियाँ हैं: मीनाचिल, अचनकोविल, पम्पा और मणिमला।
- वेम्बनाड **भारत की सबसे लंबी झील है (96.5 किमी)** केरल की सबसे बड़ी झील.
- प्रसिद्ध **नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वेम्बनाड झील** में आयोजित की जाती है।
- कुमारकोम पक्षी अभयारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है।
- **केरल का चावल का कटोरा कुट्टनाड** झील के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- **झील के स्थानीय नाम:** वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा झील आदि।
- **झील को खतरा:**
  – **प्रदूषण:** यह झील सीवेज नहरों, नदियों और अपवाह से उत्पन्न सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें **शहरी बस्तियों से निकल**ने वाले पोषक तत्व और चावल के खेतों से निकलने वाले कीटनाशक अवशेष भी शामिल हैं।
  – **भूमि पुनर्ग्रहण:** भूमि पुनर्ग्रहण के कारण झील ने अपने मूल क्षेत्रफल का 37% हिस्सा खो दिया है।
  – **नारियल की भूसी का अपगलन:** नारियल की भूसी के अपगलन से पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
  – **पर्यटन:** रिसॉर्ट और आवासीय परिसर अपना कचरा नदी में बहा देते हैं, तथा कई हाउसबोटों में जैव-शौचालय नहीं होते हैं।

तथ्य

- भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील – वुलर झील, जम्मू और कश्मीर
- भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील – चिल्का झील, उड़ीसा
- भारत की सबसे ऊँची झील (ऊँचाई) – चोलामू झील, सिक्किम
- भारत की सबसे लंबी झील – वेम्बनाड झील, केरल
- भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील – गोविंद वल्लभ पंत सागर (रिहंद बांध)

स्फीति तरंगें (स्वेल वेव)

सन्दर्भ

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि श्रीलंका का भूभाग भारत के पूर्वी तट को विनाशकारी दक्षिणी महासागर की स्वेल वेव से बचाता है।

स्वेल वेव्स के बारे में

निर्माणः

- स्वेल तरंगें स्थानीय पवनों से नहीं, बल्कि दूरस्थ तूफानों जैसे हरिकेन या लंबे समय तक चलने वाली तीव्र पवन-झंझा से उत्पन्न होती हैं।
- इन तूफानों के दौरान, वायुमंडल से जल में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिससे ऊँची तरंगें उत्पन्न होती हैं।
- ये तरंगें तूफान केंद्र से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके तट तक पहुँच सकती हैं।

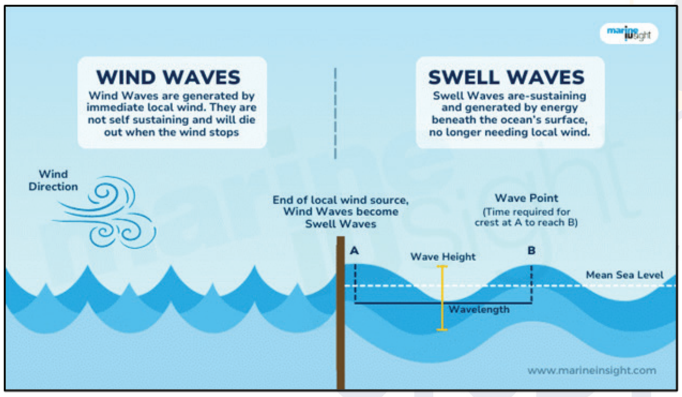

विशेषताएँ:

- स्वेल तरंगें, अपने उद्गम क्षेत्र से फैलाव के कारण, स्थानीय पवन तरंगों की तुलना में आवृत्ति और दिशा की संकीर्ण सीमा प्रदर्शित करती हैं।
- स्वेल तरंगें, पवन की दिशा से स्वतंत्र होकर भी गति कर सकती हैं, जबकि सागरीय तरंगे पवन की दिशा के अनुरूप होती है।
- सामान्यतः स्वेल तरंगों की तरंगदैर्घ्य 150 मीटर से अधिक नहीं होती, परंतु अत्यधिक भीषण तूफानों में ये तरंगें 700 मीटर से भी लंबी हो सकती हैं।
- स्वेल तरंगें किसी भी स्थानीय पवन गतिविधि या पूर्व संकेतों के बिना भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- भारत में इन्हें **"कल्लक्कडल तरंगें"** भी कहा जाता है।

भूतापीय ऊर्जा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति

सन्दर्भ

भारत सरकार ने भूतापीय ऊर्जा पर अपनी पहली राष्ट्रीय नीति शुरू की।

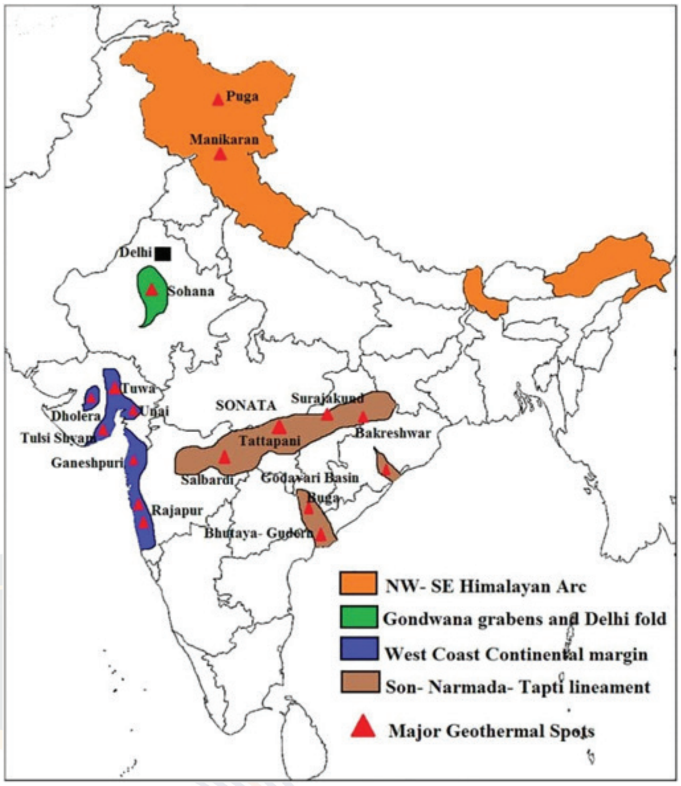

नीति का विजन और लक्ष्य

- **2070 के नेट जीरो लक्ष्य को** पूरा करने के लिए भूतापीय ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण के एक स्तंभ के रूप में स्थापित करना।
- **अनुसंधान एवं अन्वेषण में सुधार** (उन्नत प्रवेधन, जलाशय प्रबंधन, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियाँ)।
- वैश्विक भूतापीय एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- **प्रत्यक्ष-उपयोग अनुप्रयोगों** (तापन, शीतलन, कृषि, उद्योग, जीएसएचपी) को परिनियोजित करना।
- भूतापीय विद्युत उत्पादन के लिए परित्यक्त तेल एवं गैस कुओं का पुनः उपयोग करना।
- एक मजबूत सार्वजनिक-**निजी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें**

प्रमुख विशेषताएँ

- **विकास चरणः** अन्वेषण → व्यवहार्यता → प्रवेधन → डिजाइन → निर्माण → कमीशनिंग।
- 100% एफडीआई की अनुमति; स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता।
- **संयुक्त उद्यमः** भूतापीय डेवलपर्स और तेल/खनिज कंपनियों के बीच।
- **वित्तपोषण तंत्रः** संप्रभु ग्रीन बांड, रियायती ऋण, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ), फीड-इन टैरिफ, जोखिम शमन ऋण।

- राजकोषीय प्रोत्साहन: आयात/जीएसटी छूट, कर अवकाश, त्वरित मूल्यह्रास, जीएसएचपी उपयोगकर्ताओं के लिए संपत्ति कर छूट
- भूमि, जल, वन और पर्यावरण संबंधी अनुमतियों के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली स्थापित करनी होगी।
- **भू-तापीय क्षेत्रों का आवंटन** - 3 वर्ष (अन्वेषण हेतु, बढ़ाया जा सकता है) तथा 30 वर्ष (विकास हेतु, बढ़ाया जा सकता है)।

भूतापीय ऊर्जा के बारे में

- भूतापीय ऊर्जा **पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहीत ऊष्मा है**, जिसे **गर्म सोतों, उत्स्रुत कूप या भूमिगत जलाशयों के माध्यम से निकाला जाता है।**
- **भारत में भूतापीय ऊर्जा:** 381 गर्म झरने और 10 भूतापीय प्रांत, जिनमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं।
  - **जैसे,** पुगा घाटी (लद्दाख), मणिकरण (हिमाचल प्रदेश), तातापानी (छत्तीसगढ़), बकरेश्वर (पश्चिम बंगाल)।

मेघालय में यूरेनियम खनन

सन्दर्भ

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक **कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी किया**, जिसमें परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई।

यूरेनियम के बारे में

- यूरेनियम एक सघन, कठोर धात्विक तत्व है जिसका रंग चांदी जैसा सफेद होता है।
- यह अधिकांश चट्टानों में 2 से 4 भाग प्रति मिलियन की सांद्रता में पाया जाता है और पृथ्वी की पर्पटी में टिन, टंगस्टन और मोलिब्डेनम जितना ही आम है। यूरेनियम समुद्री जल में पाया जाता है और इसे महासागरों से प्राप्त किया जा सकता है।
- कुछ महत्वपूर्ण यूरेनियम खनिज हैं **पिचब्लेंड, यूरेनिनाइट, कार्नोटाइट, ऑटुनाइट और टॉर्बरनाइट।**
- **उपयोग:**
  - समृद्ध यूरेनियम, जिसमें U-235 की सांद्रता बढ़ाई जाती है, का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ईंधन तथा **नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है।** इसका उपयोग परमाणु हथियारों में भी संभव है।
  - अवक्षयित यूरेनियम (अधिकांशतः U-238 युक्त यूरेनियम) का उपयोग विकिरण परिरक्षण के लिए या कवच -भेदी हथियारों में प्रक्षेप्य के रूप में किया जा सकता है।

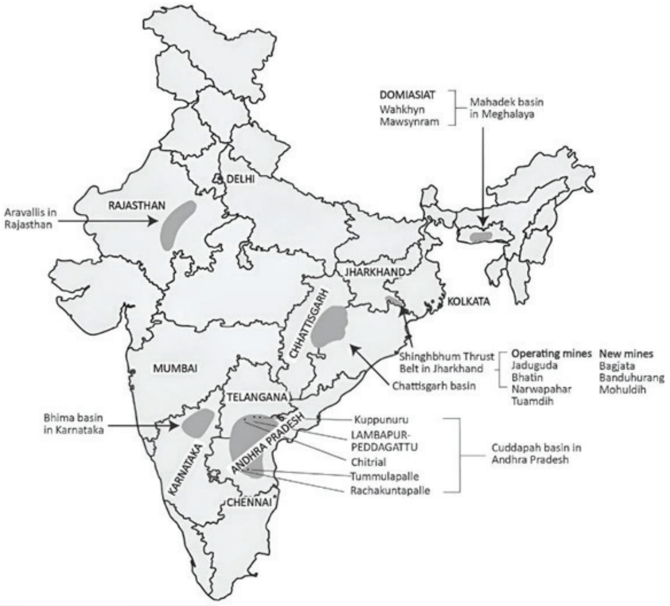

यूरेनियम का वितरण

- **विश्व भर में यूरेनियम के अग्रणी उत्पादक:** कजाकिस्तान (सबसे बड़ा उत्पादक), कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
- **महत्वपूर्ण खदानें:** ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम और रेंजर खान, तथा कनाडा में अथाबास्का बेसिन क्षेत्र।
- भारत में यूरेनियम: भारत में पर्याप्त यूरेनियम भंडार का अभाव है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।
  - सिंहभूम शियर जोन (झारखंड), कडप्पा बेसिन (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना), महादेक बेसिन (मेघालय), दिल्ली सुपरग्रुप ऑफ रॉक्स (राजस्थान) और भीमा बेसिन (कर्नाटक) के भूवैज्ञानिक बेसिनों में पाए जाते हैं।
  - सिंहभूम में जादूगुड़ा 1951 में भारत में खोजा गया पहला यूरेनियम भंडार है।

मेघालय में यूरेनियम भंडार

- मेघालय में भारत के यूरेनियम भंडार का लगभग 16% हिस्सा है, जो इसे झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भंडार बनाता है।
- डोमियासियाट - **वाहकाजी बेल्ट में** लगभग 9,500 टन यूरेनियम ऑक्साइड होने का अनुमान है।
- यद्यपि ये भंडार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, तथापि ये भंडार पारिस्थितिक रूप से भंगुर और जनसांख्यिकी दृष्टि से संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय (पर्यावरण)

GCP (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) के अंतर्गत नई संशोधित नीति

सन्दर्भ

वृक्षारोपण के लिए हरित क्रेडिट अब केवल 5 वर्षों के बाद ही प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 40% वितान घनत्व पर आधारित होगा। क्रेडिट केवल वृक्षारोपण संख्या के बजाय वृक्षों की उत्तरजीविता दर पर निर्भर करेगा।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के बारे में

- **शुभारम्भ: दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन** में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा (नवंबर 2023)।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC)।
- **कानूनी आधार:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित।
- **उद्देश्य:** एक बाजार आधारित व्यापार तंत्र बनाना जो व्यक्तियों, कंपनियों और समुदायों को ग्रीन क्रेडिट से पुरस्कृत करके पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित करे।
- **कार्यक्षेत्र:** इसमें वृक्षारोपण, वनरोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और बंजर भूमि की बहाली जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
  - **ग्रीन क्रेडिट्स को खरीदा, बेचा या अदल-बदल किया जा सकता है, जिससे निजी क्षेत्र और समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।**
- **प्रगति:** अब तक **57,986 हेक्टेयर निम्नीकृत** भूमि जी.सी.पी. के अंतर्गत पंजीकृत की गई है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025

सन्दर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 जारी किए हैं, जिन्हें वन संरक्षण संशोधन नियम (FCA), 2025 भी कहा जाता है।

2025 नियमों का मुख्य प्रावधान

- **रेखीय परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति:** अब "कार्य अनुमति" प्रथम चरण (Stage-I) – सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद दी जा सकती है।
  - यह अनुमति संसाधनों की जुटान और प्रारंभिक कार्यों (सर्वेक्षण, स्थल-तैयारी आदि) की शुरुआत की अनुमति देती है।
  - लेकिन इसमें ब्लैक-टॉपिंग, सड़क पक्कीकरण, रेलवे ट्रैक बिछाना, ट्रांसमिशन लाइन चार्ज करना आदि कार्य शामिल नहीं हैं, जब तक कि केंद्र सरकार विशेष रूप से अनुमति न दे।
  - ऐसे कार्यों के दायरे का निर्णय केंद्र सरकार के पास होगा।
- **अनुमोदन की स्पष्ट परिभाषाएँ: चरण-I (सैद्धांतिक अनुमोदन):** विशिष्ट शर्तों के अधीन, वन भूमि के उपयोग के लिए प्रारंभिक अनुमोदन।
  - **चरण-II (अंतिम अनुमोदन):** राज्य सरकार द्वारा चरण-I की शर्तों पर संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रदान किया जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार अंतिम मंजूरी देती है।
- **विशेष मामलों में ऑफलाइन आवेदन:** कुछ परियोजनाएँ ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के बजाय ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
  - यह रक्षा, सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाओं, सार्वजनिक हित या आपातकालीन मामलों के असाधारण मामलों पर लागू होता है।
- **महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष प्रावधान:** महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन (MMDR अधिनियम, 1957 के अनुसार) को विशेष छूट मिलेगी।
  - ऐसी परियोजनाओं से क्षतिग्रस्त वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाया जा सकता है, जो कि परिवर्तित भूमि क्षेत्र से कम से कम दोगुना है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण (CA) नियम बदले गए:**
  - भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत सीए भूमि को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाना था।
  - अब: यह आवश्यकता **वैकल्पिक है।** भूमि निम्न में से कोई भी हो सकती है:
    - » वन विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूप में हस्तांतरित और परिवर्तित, या
    - » भारतीय वन अधिनियम, 1927 (या किसी अन्य कानून) के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित।

वन (संरक्षण) अधिनियम का विकास

- **1980 से पहले: वन राज्य सूची के अंतर्गत थे,** जिसके कारण कृषि, खनन और उद्योग के लिए भूमि का व्यापक रूप से उपयोग किया गया।
- **42वां संविधान संशोधन (1976):** वनों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र को संरक्षण में बड़ी भूमिका मिली।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** वनों की कटाई को रोकने के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु केंद्रीकृत अनुमोदन।

- **1988 संशोधन:** निजी संस्थाओं को वन भूमि पट्टे पर देने के विनियमन सहित कड़े नियम लाए गए।
- **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023:** पारिस्थितिक संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने पर केंद्रित, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप।

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025

सन्दर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की है।

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 की मुख्य विशेषताएँ

- **पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (EADA):** पर्यावरण लेखा परीक्षकों के प्रमाणीकरण, पंजीकरण, प्रशिक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय।
- **पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक (REAs):**
  - केवल प्रमाणित और पंजीकृत लेखा परीक्षक ही पर्यावरणीय अंकेक्षण कर सकेंगे।
  - प्रमाणन योग्यता और अनुभव की समीक्षा अथवा परीक्षा के माध्यम से होगा।
  - तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए REAs का **आवंटन यादृच्छिक समनुदेशन प्रणाली के माध्यम से किया जाता** है।
- **REAs की जिम्मेदारियाँ:**
  - सैम्पलिंग और विश्लेषण करना।
  - पर्यावरणीय प्रतिकर की गणना करना।
  - ग्रीन क्रेडिट नियमों के अंतर्गत अनुपालन की पुष्टि करना।
  - अपशिष्ट प्रबंधन नियमों तथा अन्य पर्यावरण एवं वन संबंधी कानूनों के अंतर्गत अंकेक्षण करना।
- **दो-स्तरीय लेखा परीक्षा प्रणाली:**
  - **टियर-1:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) और MOEFCC के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परंपरागत अनुपालन समीक्षा।
  - **टियर-2:** REAs द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा।
- **संस्थागत भूमिकाएँ:**
  - **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय:** समग्र पर्यवेक्षण प्रदान करता है और दिशानिर्देश जारी करता है।
  - **CPCB/SPCBs/क्षेत्रीय कार्यालय:** निरीक्षण, सत्यापन जारी रखेंगे और कार्यान्वयन में MOEFCC की सहायता करेंगे।
- **निरीक्षण तंत्र:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति कार्यान्वयन पर नजर रखेगी और सुधारों की सिफारिश करेगी।

वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन

सन्दर्भ

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वायु गुणवत्ता एवं जलवायु बुलेटिन जारी किया।

मुख्य अंश

- **पीएम 2.5 प्रदूषण:** वैश्विक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख खतरों में से एक, जिसके कारण प्रतिवर्ष लाखों लोगों की अकाल मृत्यु होती है।
  - कड़े नियमों के कारण उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में इसके स्तर में गिरावट आई है।
  - दक्षिण एशिया और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में यह खतरनाक रूप से उच्च बना हुआ है, तथा वनाग्नि और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण यह और भी बढ़ गया है।
- **शिपिंग उत्सर्जन (MARPOL VI विनियम):** समुद्री ईंधन में सल्फर सामग्री पर प्रतिबंध से वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ और स्वास्थ्य जोखिम कम हुआ।
  - किंतु, सल्फेट एरोसॉल में कटौती से उनके शीतलन प्रभाव में कमी आई, जिससे वैश्विक ऊष्मीकरण की तीव्रता बढ़ गई
- **वायु गुणवत्ता-जलवायु अंत:क्रियाएँ:** जमीनी स्तर पर ओजोन जैसे कुछ प्रदूषक वार्मिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।
  - जलवायु परिवर्तन, बदले में, परिवर्तित रासायनिक प्रतिक्रियाओं, प्राकृतिक उत्सर्जन और मानव गतिविधि में परिवर्तन के माध्यम से वायु प्रदूषण को प्रभावित करता है।
- **एरोसोल:** ब्लैक कार्बन और अन्य गहरे एरोसोल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।
  - सल्फेट्स और अन्य परावर्तक एरोसोल सौर विकिरण को विक्षेपित करते हैं, जिससे अस्थायी शीतलन प्रभाव पैदा होता है।

उत्तर भारत (सिंधु-गंगा के मैदान) में शीतकालीन कोहरा

- **कारण:**
  - वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने से निकलने वाले PM2.5 कण कोहरा संघनन नाभिक (FCN) के रूप में कार्य करते हैं।
  - तापमान व्युत्क्रमण इन प्रदूषकों को रोक लेता है, जिससे कोहरे की अवधि लंबी होती है।
  - शहरीकरण, ईंट भट्टे और अमोनियम उत्सर्जन कोहरे की समस्या को और भी बढ़ा देते हैं।
- **नतीजे:**
  - परिवहन व्यवधान (सड़क, रेल, वायु)।
  - **स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे अस्थमा, श्वसन संबंधी बीमारियाँ, तथा दीर्घकालिक जोखिम।**
  - **कोहरे के जल में प्राय: विषैले यौगिक पाए जाते हैं, जिससे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।**

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
- स्थापना - (मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड)
- सदस्य: 193, (भारत WMO का संस्थापक सदस्य है)
- **विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस**, WMO का सर्वोच्च निकाय है।
- यह विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान, जलवायु डेटा और प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

महामारियों को रोकने में गिद्धों की भूमिका

सन्दर्भ

भारत की गिद्ध संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2016-25) के पूरा होने के करीब होने के साथ, विशेषज्ञों का तर्क है कि अगले चरण में गिद्ध संरक्षण को वन हेल्थ ढाँचे के तहत महामारी की तैयारी से जोड़ा जाना चाहिए।

महामारियों की रोकथाम में गिद्धों की भूमिका

- **प्राकृतिक अपशिष्ट प्रबंधक:** गिद्ध पशुओं के शवों को खाते हैं, तथा रोगाणुओं (एँथ्रेक्स, रेबीज, बोटुलिज्म) के फैलने से पहले ही उन्हें तेजी से साफ कर देते हैं।
  - गिद्धों के बिना, शव पड़े रहते हैं, जिससे जंगली कुत्ते और चूहे आकर्षित होते हैं, जो मनुष्यों में बीमारियाँ फैलाते हैं।
- **पशुजन्य फैलाव में बाधा:** शवों का निस्तारण करके गिद्ध जानवरों और मनुष्यों के बीच रोग प्रसार को रोकते हैं।
  - **पशुजन्य प्रकोप** (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियाँ) का खतरा कम हो जाता है।
- **निगरानी भूमिका:** शवों पर सबसे पहले पहुँचने वाले जीव होने के कारण गिद्धों को रोग-निगरानी प्रणाली में शामिल किया जा सकता है, जिससे महामारी के शुरुआती चेतावनी संकेत मिल सकते हैं।
- **क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा:** मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी गिद्ध 30 से अधिक देशों के पारिस्थितिकी तंत्रों को जोड़ते हैं।
  - उनकी सुरक्षा करने से सीमापार रोग का जोखिम कम होता है, तथा **क्षेत्रीय महामारी संबंधी तैयारियाँ मजबूत होती हैं।**
- **लागत प्रभावी रोकथाम:** गिद्ध संरक्षण (सुरक्षित पशु चिकित्सा दवाएँ, टेलीमेट्री, सामुदायिक प्रबंधन) में निवेश करना, महामारी से **निपटने की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है।**

बीएस-VII मानदंड

सन्दर्भ

भारत सरकार बीएस VII उत्सर्जन मानकों और CAFE III **(कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता) मानदंडों** को अपनाने की योजना बना रही है।

बीएस-VII उत्सर्जन मानदंड

- भारत स्टेज (बीएस) मानदंड भारत में वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों को नियंत्रित करते हैं।
- **बीएस-VII** अगला सख्त चरण होगा, जो यूरोपीय यूरो-7 मानकों के अनुरूप होगा।
- **प्रमुख अपेक्षित विशेषताएँ:**
  - NOx (नाइट्रोजन ऑक्साइड्स), PM (कणीय पदार्थ), CO (कार्बन मोनोऑक्साइड), और HC (हाइड्रोकार्बन) जैसे प्रदूषकों की सीमा और सख्त होगी।
  - (पेट्रोल और डीजल) में संभवत: एकसमान सीमाएँ।
  - ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग (OBM) और अधिक मजबूत रियल-ड्राइविंग एमिशन (RDE) परीक्षण लागू होंगे।
  - **वाष्पशील उत्सर्जन और संभवत:** गैर-टेलपाइप उत्सर्जन (टायर/ब्रेक धूल) का विनियमन।

CAFE III मानदंड (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता)

- CAFE मानदंड किसी वाहन निर्माता के समग्र बेड़े की ईंधन दक्षता और CO_2 उत्सर्जन को विनियमित करते हैं।
- बीएस मानदंडों (जो विषैले प्रदूषकों को लक्षित करते हैं) के विपरीत, CAFE मानदंडों का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।
- CAFE के अंतर्गत, किसी निर्माता द्वारा बेचे गए सभी वाहनों में प्रति किलोमीटर औसत CO_2 उत्सर्जन सीमा के भीतर रहना चाहिए।
- **प्रारंभिक चरण:**
  - **CAFE I (2017):** प्रारंभिक ईंधन दक्षता लक्ष्य।
  - **CAFE II (2022):** यात्री कारों के लिए CO_2 उत्सर्जन 113 ग्राम/किमी तक सीमित।
- CAFE III सीमाओं को और अधिक कड़ा कर देगा, जिससे निर्माताओं को अधिक कुशल इंजन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव

सन्दर्भ

पक्षियों की आवाज पर आधारित एक वैश्विक अध्ययन (बर्डवेदर नेटवर्क के माध्यम से एआई मॉडल बर्डनेट का उपयोग करके) से पता चला है कि कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण पक्षियों के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है।

पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव

- **बाधित जैविक लय:** पक्षी सर्कैडियन चक्रों को विनियमित करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश संकेतों पर निर्भर करते हैं।

- कृत्रिम प्रकाश के कारण वे सुबह जल्दी सक्रिय हो जाते हैं और शाम को देर तक सक्रिय रहते हैं, जिससे उनकी नींद और विश्राम चक्र बाधित होता है।

- **परिवर्तित प्रवास पैटर्न:** कई प्रवासी पक्षी प्राकृतिक प्रकाश (चंद्रमा, तारे) द्वारा भ्रमण करते हैं।
  - कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था से नेविगेशन में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे इमारतों से टकराव होता है और मृत्यु दर बढ़ जाती है।
- **भोजन और ऊर्जा संतुलन:** गतिविधियों के विस्तारित समय का अर्थ है कि उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है।
  - अधिक चारा ढूंढने का समय कुछ प्रजातियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अन्य के लिए यह **ऊर्जा तनाव का कारण बन सकता है।**
- **प्रजनन में व्यवधान:** विस्तारित गतिविधि से मैटिंग कॉल और प्रणय निवेदन का समय बदल सकता है, विशेषकर प्रजनन ऋतु में।
  - खुले में घोंसला बनाने वाली और प्रवासी प्रजातियाँ विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं।
- **शिकार का खतरा:** रात के समय अधिक रोशनी होने पर पक्षी शिकारियों को अधिक दिखाई देते हैं, जिससे उनके बचने की संभावना कम हो जाती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन:** पक्षी बीज प्रसार, कीट नियंत्रण और परागण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - उनकी गतिविधि चक्रों में व्यवधान खाद्य शृंखलाओं और पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करता है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार - 2025

सन्दर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कारों की घोषणा की।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत शहरों की वार्षिक रैंकिंग है।
- 2021 से आयोजित किया जा रहा है, अब तक 130 शहर शामिल।
- **उद्देश्य:**
  - शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
  - वायु गुणवत्ता सुधार हेतु त्वरित कदम उठाने के लिए प्रेरित करना।
  - जवाबदेही और जन-जागरूकता उत्पन्न करना।
- **मूल्यांकन:**
  - बहुस्तरीय एवं कठोर कार्यप्रणाली।
  - निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर:
    - » PM10 और PM2.5 स्तरों में कमी।
    - » सड़क धूल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, वाहन प्रदूषण नियंत्रण।
    - » हरितकरण, विद्युत वाहन (EV) अपनाना, निर्माण एवं ध्वंस (C&D) अपशिष्ट प्रबंधन।
    - » सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना।
- **श्रेणियाँ:**
  - **श्रेणी-1:** 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर।
  - **श्रेणी-2:** 3-10 लाख जनसंख्या वाले शहर।
  - **श्रेणी-3:** 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर।
- **नकद पुरस्कार** - रैंक और शहर के आकार से जुड़ा हुआ। (उदाहरण - इंदौर को ₹1.5 करोड़ प्राप्त हुआ)।
- **एकीकरण: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, सतत, फेम-II, नगर वन योजना** जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ संरेखित।

सर्वेक्षण पुरस्कार - 2025 की मुख्य विशेषताएँ

- वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिनव और प्रभावी उपायों के लिए **11 शहरों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।**
- इंदौर ने 200/200 के पूर्ण स्कोर के साथ प्रथम रैंक (श्रेणी-1, जनसंख्या >10 लाख) हासिल की।
- **इंदौर और उदयपुर को रामसर अभिसमय** के तहत वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता दी गई।
- स्थानीय कार्रवाई को गहन बनाने के लिए **वार्ड स्तर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण दिशा-निर्देशों का शुभारंभ।**

NCAP के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रथाओं का संकलन प्रकाशित।

- गति - 130 में से 103 शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया (PM10 में कमी)।
- 64 शहरों ने PM10 में 20% कमी और 25 शहरों ने 40% कमी (2017-2025) हासिल की।
- वित्त पोषण - ₹1.55 लाख करोड़ (केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों से मिलाकर) स्वच्छ वायु पहलों के लिए जुटाया गया।

जीवाश्म ईंधन और वैश्विक स्वास्थ्य: GCHA रिपोर्ट (2025)

सन्दर्भ

ग्लोबल क्लाइमेट एँड हेल्थ एलायंस (GCHA) द्वारा **'क्रैडल टू ग्रेव: द हेल्थ टोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एँड द इम्पेरेटिव फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन'** शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है।

जीवाश्म ईंधन के स्वास्थ्य पर प्रभाव

- कणिकीय पदार्थ (PM2.5, PM10), SO_2, NOx अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं।

- **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और सूक्ष्म कण** हृदयाघात, आघात (स्ट्रोक) और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ाते हैं।
- **बेंजीन, आर्सेनिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs)** फेफड़े, त्वचा, मूत्राशय और रक्त के कैंसर का कारण बनते हैं।
- **पारा, सीसा और मैंगनीज** मस्तिष्क को क्षति पहुँचाकर स्मृति-हानि, सीखने में कठिनाई और डिमेंशिया उत्पन्न करते हैं।
- **बेंजीन, भारी धातुएँ और विषैले रसायन बांझपन**, जन्म दोष और गर्भपात का कारण बनते हैं।
- **कैडमियम, आर्सेनिक और पारा** गुर्दे और यकृत को नुकसान पहुँचाते हैं।
- **विषाक्त पदार्थ और भारी धातुएँ** प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं तथा चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।

कमियाँ

- 2022 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (IMF) तक पहुँच गई, जिससे कोयला, तेल और गैस कृत्रिम रूप से सस्ते बने हुए हैं।
- **जलवायु वार्ताएँ मुख्यतः** CO_2 और मीथेन पर केंद्रित रहती हैं, जबकि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पारा, आर्सेनिक और बेंजीन जैसे विषैले प्रदूषक नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।
- भारत में 2020 में 3.3 लाख मौतें जीवाश्म ईंधन दहन से उत्पन्न कणिकीय पदार्थ के कारण हुईं (लैंसेट)।
- दुनिया भर में हजारों परित्यक्त खदानें और कुएँ विषाक्त पदार्थों का रिसाव करते रहते हैं, परंतु उनके शोधन हेतु धन की कमी है।
- उपेक्षित समूह (आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब परिवार) "बलिदान क्षेत्र" बन जाते हैं, जहाँ रोग-भार अधिक होता है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित रहती है।
- विश्वभर में लगभग 3.2 करोड़ लोग जीवाश्म ईंधन उद्योगों में कार्यरत हैं (ILO), जिससे रोजगार हानि का भय न्यायसंगत संक्रमण में बाधा बनता है।
- अनेक विकासशील देशों में स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों की कमी है क्योंकि उद्योगों का नियंत्रण और निगरानी का अभाव है।
- जीवाश्म ईंधन कंपनियाँ लॉबिंग और विज्ञापन पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं (उदाहरण: अमेरिकी तेल एवं गैस उद्योग ने 2022 में लॉबिंग पर 124 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए) ताकि स्वच्छ ऊर्जा नीतियों में देरी हो सके।

भारत का संदर्भ

- 2020 में भारत में 3.3 लाख मौतें जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कणिकीय पदार्थों से जुड़ी थीं (लैंसेट)।
- पूर्वी तट पर कोयला आधारित संयंत्रों और बार-बार आने वाले चक्रवातों से जोखिम कई गुना बढ़ गया है।
- वायु एवं जल प्रदूषण के कारण कैंसर एवं दीर्घकालिक श्वसन रोगों के मामले बढ़ रहे हैं।

समाधान

- **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:** नए अन्वेषण को रोकना, प्रदूषण नियंत्रण लागू करना, विषाक्त स्थलों की सफाई करना।
- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:** जीवाश्म ईंधन कंपनियों को स्वास्थ्य देखभाल और सफाई की लागत वहन करनी चाहिए।
- **समानता पर ध्यान:** संक्रमण काल में श्रमिकों और कमजोर समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका के विकल्प और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- **नीतिगत उपाय:**
  - जीवाश्म ईंधन सब्सिडी समाप्त की जाए।
  - नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किया जाए।
  - जीवाश्म ईंधन विज्ञापन/प्रायोजन पर प्रतिबंध (तंबाकू की तरह)।
  - जलवायु मंचों (जैसे COP) से जीवाश्म ईंधन लॉबियों को बाहर रखा जाए।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका:** जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना; स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF)

सन्दर्भ

ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) में निवेश की घोषणा करने वाला पहला देश होगा।

TFFF के बारे में

- यह एक प्रस्तावित विश्व भर में उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए **125 बिलियन डॉलर का बहुपक्षीय अक्षय निधि है।**
- **प्रस्तावित:** ब्राजील, COP30 (2025, बेलेम, अमेजन) में इसके प्रमुख प्रदेय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
- **कार्यशील मॉडल:** जिन देशों में उष्णकटिबंधीय वन हैं, उन्हें इस आधार पर वार्षिक वृत्ति मिलेगा कि उन्होंने कितना वन संरक्षित किया है।
  - वनों की कटाई के स्थान पर संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।
- **वित्तपोषण योजना:** सरकारों और परोपकारी संस्थाओं से **25 बिलियन डॉलर का प्रारंभिक योगदान।**
  - निजी निवेशकों से **100 बिलियन डॉलर अधिक प्राप्त** होने की उम्मीद है।
- समर्थक: **चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात** आदि देशों ने इसमें रुचि दिखाई।
- **महत्व:**
  - यह विकासशील और विकसित देशों को वन संरक्षण में सह-निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- जलवायु वित्त को प्रतिज्ञाओं से हटाकर प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण की ओर स्थानांतरित किया गया।
- **इससे ब्राजील, इंडोनेशिया, कांगो जैसे बड़े वन क्षेत्रों वाले देशों को विशेष लाभ मिलेगा।**

सड़कों पर धूमकुहा (SMOG) की परत

सन्दर्भ

दिल्ली सरकार सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर धूमकुहा-शोषक फोटोकैटलिटिक कोटिंग्स की व्यवहार्यता जाँचने हेतु एक अध्ययन करेगी।

धूमकुहा-शोषक टेक्नोलॉजी के बारे में

- **टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO_2) का उपयोग करके फोटोकैटलिसिस** पर आधारित एक तकनीक है।
  - फोटोकैटलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ (फोटोकैटलिस्ट) प्रकाश, प्राय: सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी (UV) प्रकाश के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है, परंतु स्वयं इस प्रक्रिया में उपभोगित नहीं होता।
- सूर्य के प्रकाश में, TiO_2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) जैसे प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों (जैसे, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी) में तोड़ देता है।
- **लाभ:**
  - NO_2 और हाइड्रोकार्बन सहित हानिकारक प्रदूषकों को कम करता है।
  - विषाक्त वायु जोखिम को कम करके बेहतर **सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान देता है।**
  - **कम रखरखाव वाली, निष्क्रिय प्रणाली** के रूप में कार्य करती है जो सूर्य के प्रकाश के उपलब्ध होने पर भी काम करती है।
  - बड़े पैमाने पर व्यवधान के बिना **मौजूदा शहरी बुनियादी ढाँचे में एकीकृत किया** जा सकता है।

न्यूज इन शॉर्ट्स

विषय	विवरण
जारोसाइट	**समाचार:** 2016 में, वैज्ञानिकों को कच्छ के मतनोमध गांव में जारोसाइट मिला, जिससे पता चला कि लाखों साल पहले पृथ्वी और मंगल ग्रह का भूविज्ञान समान था। **जारोसाइट के बारे में** • **स्वरूप:** पीले-भूरे रंग का खनिज • **सामान्यत:** अम्लीय, सल्फेट युक्त वातावरण में पाया जाता है। • इसमें पोटेशियम, आयरन और सल्फेट होता है **मंगल ग्रह की समयरेखा का अवलोकन करने के लिए जारोसाइट नमूनों का उपयोग क्यों किया जाता है?** • **जल का प्रमाण:** जारोसाइट बनने के लिए जल और अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अत: मंगल पर जारोसाइट का मिलना इस बात का ठोस प्रमाण है कि वहाँ अतीत में जल मौजूद था। • **भूतपूर्व जीवन की खोज:** यह ग्लाइसिन जैसे कार्बनिक अणुओं को अपनी संरचना में पाशित कर सकता है, इसलिए मंगल पर भूतपूर्व जीवन की खोज के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सेना स्पेक्टेबिलिस	**समाचार:** केरल (वायनाड) में भारत का पहला विज्ञान-आधारित, समुदाय-चालित उन्मूलन कार्यक्रम सेन्ना स्पेक्टाबिलिस के विरुद्ध चलाया गया। **सेना स्पेक्टेबिलिस के बारे में** • **प्रकार:** आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियाँ। • **मूल अवस्थिति:** अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। • **विशेषताएँ:** – **स्वरूप:** मध्यम आकार का वृक्ष (7-18 मीटर ऊँचा) घने फैले हुए किरीट/शिखर के साथ; कैसिया फिस्टुला (केरल का राजकीय पुष्प, कनिक्कोन्ना) जैसा दिखता है। – **आक्रामकता:** % घने, बंजर झाड़ियों का निर्माण करता है। % देशज वनस्पतियों वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है और मृदा रसायनिकी को बदल देता है। % शाकाहारी जीवों के लिए भोजन की उपलब्धता कम कर देता है। **आक्रामक प्रजातियों के बारे में** • ये ऐसी गैर-देशज (विदेशी) वनस्पतियाँ होती हैं जिन्हें किसी नए क्षेत्र में (जानबूझकर अथवा दुर्घटनावश) पहुँचाया जाता है। • ये तेजी से फैलती हैं और पारिस्थितिकीय, आर्थिक अथवा सामाजिक हानि पहुँचाती हैं।

विषय	विवरण
पिस्मिस - 24	**समाचार:** नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने पिस्मिस-24 का अद्भुत अवरक्त चित्र लिया। **पिस्मिस के बारे में - 24** • यह युवा तारक समूह है, जो लॉब्स्टर नेब्युला में स्थित है। यह स्कॉर्पियस तारामंडल में पृथ्वी से लगभग 5,500 प्रकाश-वर्ष दूर है। • यह क्षेत्र तारों के निर्माण का सक्रिय स्थल है, जहाँ नवजात तारों से निकलने वाले विकिरण और तारकीय पवन आसपास की गैस व धूल की संरचनाओं को आकार देते हैं तथा आगे और तारों के जन्म को प्रेरित करते हैं। • यह विशाल तारों के जन्म और विकास का अध्ययन करने हेतु एक प्राकृतिक प्रयोगशाला का कार्य करेगा।
तारकीय लंबन	**समाचार:** खगोलविदों ने दिखाया है कि अंतरिक्ष यान तारकीय लंबन नामक विधि के माध्यम से केवल दो तारों को संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करके गहरे अंतरिक्ष में जा सकता है। **तारकीय लंबन के बारे में** • जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तब हम किसी तारे को पृथ्वी की कक्षा के दो विपरीत बिंदुओं (जैसे जनवरी और जुलाई) से देखते हैं। • यह तारा अधिक दूर स्थित तारों की पृष्ठभूमि के विपरीत थोड़ा सा गति करता हुआ प्रतीत होता है। • इस स्पष्ट बदलाव को तारकीय लंबन कहा जाता है। • लंबन कोण (तारे का दृश्यमान विस्थापन) को मापकर, खगोलविद त्रिकोणमिति का उपयोग करके तारे की दूरी की गणना कर सकते हैं। – एक छोटा लंबन → तारा बहुत दूर है। – बड़ा लंबन → तारा निकट है। • **उपयोग: अंतरिक्ष नेविगेशन,** जिससे अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निरंतर संकेतों के बिना स्वायत्त रूप से अपना स्थान निर्धारित कर सकते हैं।
एरा मैटी डिब्बालु	**समाचार:** एरा मैटी (एर्रा मत्ती) डिब्बालु को यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। **एरा मैटी डिब्बालु के बारे में** • **ये लाल बालुका टिब्बे** हैं जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित हैं। • **ये बंगाल की खाड़ी** के तटरेखा के साथ फैले हुए हैं। • इनका निर्माण अंतिम हिम युग (Last Glacial Maximum - LGM) के दौरान, लगभग 18,500 से 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था। • इनका लाल रंग रेत में उपस्थित लौह (फेरस) खनिजों के कारण है, जो समय के साथ ऑक्सीकरण (जंग लगने) की प्रक्रिया से लाल हो गए। • इन्हें पहले ही भारत **के 34 राष्ट्रीय भू-विरासत स्थलों में से** एक घोषित किया जा चुका है।
वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2024	**समाचार:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वैश्विक जल संसाधन 2024 की स्थिति जारी की। **रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ** • वर्ष 2024 में विश्व के केवल एक-तिहाई नदी बेसिन सामान्य स्थिति में थे। • **विश्वभर के सभी हिमनद क्षेत्रों में लगातार** तीसरे वर्ष पिघलन से जल की हानि दर्ज की गई। – कई छोटे हिमनद क्षेत्र अब पीक वाटर पॉइंट तक पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। – पीक वाटर पॉइंट वह अवस्था होती है जब किसी हिमनद या हिमावरण से निकलने वाला पिघले जल का वार्षिक प्रवाह अपनी अधिकतम सीमा तक पहुँच जाता है। इसके बाद, जैसे-जैसे हिमनद सिकुड़ता है, उसका जल प्रवाह घटने लगता है।
सावलकोट जलविद्युत परियोजना	**समाचार:** पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्याँकन समिति (ईएसी) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 1,865 मेगावाट सावलकोट बांध परियोजना की समीक्षा करेगी। **सावलकोट जलविद्युत परियोजना के बारे में** • जम्मू और कश्मीर (J&K) के रामबन जिले के सिद्धू गांव में चिनाब नदी पर एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है। • **क्षमता: 1,865 मेगावाट**, दो चरणों में विकसित किया जाएगा।

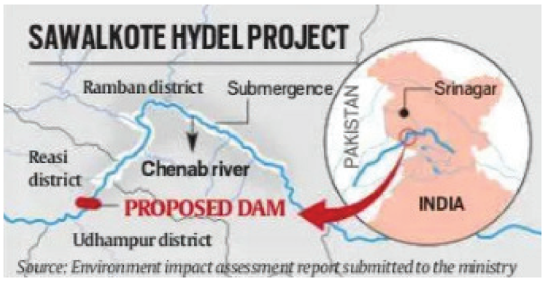

विषय	विवरण
तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन (TN-SHORE)	**समाचार:** विश्व बैंक तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन (TN-SHORE) के भाग के रूप में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए तमिलनाडु ग्राम परिषदों को वित्त पोषित करेगा। **TN SHORE मिशन के बारे में** • **वित्तपोषण:** कुल ₹1,675 करोड़ - जिसमें से लगभग ₹1,000 करोड़ विश्व बैंक द्वारा और शेष राशि तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। • **उद्देश्य:** समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्स्थापन के माध्यम से तटीय समुत्थानशीलता, जैव विविधता, तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
ओजू जलविद्युत परियोजना	**समाचार:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने 2,200 मेगावाट ओजू जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। **ओजू हाइडल परियोजना के बारे में** • अवस्थिति: सुबनसिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश। • नदी पर: सुबनसिरी नदी। • क्षमता: – स्थापित क्षमता: 2,200 मेगावाट . – कैप्टिव पावर प्लांट: 120 मेगावाट की सहायक बिजली परियोजना भी स्थापित की जाएगी। • **रणनीतिक महत्त्व: भारत-चीन सीमा के निकट** → संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की बुनियादी संरचना और ऊर्जा उपस्थिति को बढ़ावा देता है। – पूर्वोत्तर में जल विद्युत क्षमता का दोहन करके ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करता है।
टाइफून रगासा	**समाचार:** सुपर टाइफून रगासा वर्तमान में फिलीपींस के बाद दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत की ओर बढ़ रहा है। **सुपर टाइफून रगासा के बारे में** • यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनने वाला एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कैटेगरी-5 हरिकेन के समकक्ष है, और इसकी स्थायी पवन गति लगभग 230 किमी/घंटा है। – उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गति से घूमने वाली तूफानी प्रणाली होती है, जो गर्म उष्ण महासागरों पर बनती है। – इसकी विशेषताएँ हैं- निम्न दाब केंद्र (चक्षु), तीव्र पवनें, आंधी-तूफान एवं भारी वर्षा। – इन चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत गर्म महासागरीय जल (**26°C से अधिक तापमान**) होता है, जिसके कारण ये उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक बार बनते हैं।
जैवदीप्ति	**समाचार:** तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में किए गए एक अध्ययन में यह दर्शाया गया कि जुगनुओं की जैवदीप्ति किस प्रकार वन के स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करती है और उनके अस्तित्व के लिए प्राकृतिक अंधकार कितना आवश्यक है। **जैवदीप्ति के बारे में** • यह जीवित प्राणियों की वह क्षमता है, जिसके द्वारा वे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से स्वयं प्रकाश उत्पन्न एवं उत्सर्जित करते हैं। • जुगनुओं में यह प्रक्रिया उनके उदर (Abdomen) में घटित होती है। • **जुगनुओं में यह कैसे कार्य करता है::** रासायनिक अभिक्रिया में लूसिफेरिन (एक प्रकाश उत्सर्जक यौगिक), लूसिफेरेज (एक एँजाइम), एटीपी (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) (ऊर्जा अणु), ऑक्सीजन शामिल होते हैं। – जब ल्यूसिफेरिन, ल्यूसिफेरेज और एटीपी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो यह 'शीत प्रकाश' (बहुत कम गर्मी, ज्यादातर दृश्य प्रकाश) उत्पन्न करता है। – प्रकाश की चमक जुगनू के तंत्रिका तंत्र और ऑक्सीजन आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होती है। **जुगनू क्यों चमकते हैं?** • **संगमन (मैटिंग) संकेत:** विभिन्न प्रजातियों में साथी को आकर्षित करने के लिए अद्वितीय फ्लैश पैटर्न होते हैं। • **शिकारी निरोध:** चमक शिकारियों को विषाक्तता या खराब स्वाद का संकेत देती है। • **संचार:** प्रजातियों की पहचान और समूहों में समन्वय के लिए उपयोग किया जाता है।

विषय	विवरण
मरुस्थलीय मृदा-निर्माण (मृदाकरण) प्रौद्योगिकी	**समाचार:** राजस्थान के थार मरुस्थल (अजमेर जिला) की शुष्क भूमि में मरुस्थलीय 'मृदाकरण' तकनीक का उपयोग करके गेहूं सफलतापूर्वक उगाया गया है। **मरुस्थलीय मृदा-निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में** • यह एक जैव-प्रौद्योगिकीय नवाचार है जो बंजर मरुस्थलीय रेत को मिट्टी जैसी सामग्री में परिवर्तित करता है जो कृषि को समर्थन देने में सक्षम है। • राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय (CUOR) द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) और राज्य बागवानी विभाग के सहयोग से किया गया। • इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटना, शुष्क क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार करना और संपोषणीय भूमि उपयोग को बढ़ावा देना है। • प्रौद्योगिकी: सूक्ष्मजीवों के साथ जैव-निरूपण (Bioformulations) और प्राकृतिक पॉलिमर का उपयोग करता है। – ये तत्व ढीले रेत कणों को बाँधते हैं, मिट्टी की बनावट में सुधार करते हैं और जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं।
ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध (GERD)	**समाचार:** इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम (GERD) का उद्घाटन किया है। **GERD के बारे में** • **गुबा, बेनिशांगुल** -गुमुज क्षेत्र, इथियोपिया में सूडान की सीमा के पास स्थित है। • नदी की एक प्रमुख सहायक नदी ब्लू/नीली नील (nile) पर निर्मित है। **नील नदी के बारे में** • नील नदी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है जो उत्तर की ओर भूमध्य सागर में बहती है। • इसका अपवाह बेसिन ग्यारह देशों को कवर करता है: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र। • ब्लू नील नदी इथियोपिया की टाना झील से निकलती है और इथियोपिया और सूडान से होकर बहती है।

समाचार में प्रजातियाँ

प्रजातियाँ	विवरण
भारतीय रोजवुड 	**समाचार:** तमिलनाडु रोजवुड संरक्षण अधिनियम (1995-2025) की समाप्ति के बाद भारतीय रोजवुड को बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। **तथ्य** • **वितरण:** यह तमिलनाडु के नीलगिरी, अन्नामलाई और परम्बिकुलम पर्वतमाला का देशज है, तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ भागों में भी पाया जाता है। • **विशेषताएँ:** – यह एक लंबा पर्णपाती या अर्ध-सदाबहार वृक्ष है जो 40 मीटर तक ऊँचा हो सकता है। – यह उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में पनपता है और सूखा प्रतिरोधी माना जाता है। – अन्त:-काष्ठ का रंग सुनहरे भूरे से लेकर बैंगनी-भूरे रंग तक होता है, जिसमें गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, तथा लकड़ी के कार्य के समय यह गुलाब जैसी सुगंध छोड़ती है। – बारीक दाने वाला, टिकाऊ, सड़न और कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी, जिसे अक्सर 'वनों का हाथी दांत' कहा जाता है। – इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता के फर्नीचर, कैबिनेट, सजावटी वीनियर तथा वाद्य यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। • **संरक्षण स्थिति:** 2018 से IUCN द्वारा सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत और CITES परिशिष्ट II के तहत सूचीबद्ध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। • **कानूनी संरक्षण:** भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित, जो काष्ठ कर्तन, संग्रहण और परिवहन को नियंत्रित करता है। – तमिलनाडु में, 1995 के रोजवुड (संरक्षण) अधिनियम के तहत सरकार की अनुमति के बिना पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था; इसे 2010 में बढ़ा दिया गया था, लेकिन फरवरी 2025 में यह समाप्त हो गया, जिससे निजी स्वामित्व वाले रोजवुड के पेड़ों, विशेष रूप से नीलगिरि चाय बागानों में, इनके कटने का खतरा पैदा हो गया।

<table>
<tr><th>प्रजातियाँ</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>

ब्लू ड्रैगन

</td><td>

समाचार: ब्लू ड्रैगन के कारण स्पेन में कई समुद्र तट बंद कर दिए गए।

तथ्य

- 4 सेमी लंबे छोटे समुद्री स्लग समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं।
- प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है।
- इनके डंक से मनुष्यों में गंभीर दर्द, लालिमा, सूजन, मतली और उल्टी हो सकती है, लेकिन यह घातक नहीं है।

</td></tr>
<tr><td>

हिमालयी भूरा भालू

</td><td>

समाचार: नेलोंग और जादुंग घाटियों (हिमाचल प्रदेश) में हिमालयी भूरे भालू को देखा गया।

तथ्य

- **वितरण: उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिमालय** में पाया जाता है:
  - भारत: हिमाचल प्रदेश (ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क), उत्तराखंड (गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नेलांग - जादुंग घाटियाँ), लद्दाख (सुरु और जांस्कर घाटियाँ)।
  - पड़ोसी क्षेत्र: पाकिस्तान (दीओसाई राष्ट्रीय उद्यान), नेपाल, भूटान, तिब्बत (चीन)।
- **विशेषताएँ:**
  - **आकार:**
    - » **नर: 150-230 सेमी, 400 किलोग्राम** तक।
    - » **मादा: 137-183 सेमी, छोटी और हल्की।**
  - **उपस्थिति:**
    - » रेतीले-भूरे से लेकर लाल-भूरे रंग का मोटा फर।
    - » भारी शरीर, मोटे पैर, बड़ा सिर।
    - » भालू की उप-प्रजातियों में सबसे कम वृक्षारोही (शायद ही कभी पेड़ों पर चढ़ता है)।
  - **आहार:** सर्वाहारी - घास, जड़ें, कंद, कीड़े, मर्मोट, पिका, वोल, फल, जामुन, सड़ा हुआ मांस, कभी-कभी पालतू पशु भी खाता है।
  - **व्यवहार:** एकाकी (प्रजनन काल या शावकों वाली माताओं को छोड़कर)।
  - **जीवनकाल:** वन्य में 20-30 वर्ष।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN लाल सूची:** सुभेद्य।
  - **भारत का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची I (उच्चतम संरक्षण)।

</td></tr>
<tr><td>

लेसर फ्लेमिंगो (छोटा राजहंस)

</td><td>

समाचार: तंजानिया सरकार ने लेक नैट्रॉन में प्रस्तावित बड़े पैमाने के सोडा ऐश खनन परियोजना को लेसर फ्लेमिंगो पर पड़ने वाले पारिस्थितिकीय जोखिमों के कारण रोक दिया है।

तथ्य

- **विशेषताएँ:** यह **सभी फ्लेमिंगो में सबसे छोटा है** लेकिन इसकी आबादी सबसे बड़ी है।
  - इसमें **''हॉलक्स''** या पिछले पैर की अंगुली होती है जो कुछ अन्य फ्लेमिंगो में नहीं होती है।
  - नर मादाओं की तुलना में थोड़े लम्बे होते हैं।
  - फ्लेमिंगो झील के समतल भाग पर **मिट्टी के शंकुनुमा घोंसले बनाते हैं।**
  - यह क्रमिक एकसंगमनी प्रजाति (serially monogamous) है, अर्थात ये जोड़े केवल संतानों की देखभाल की अवधि तक साथ रहते हैं।
- **भौगोलिक वितरण:** अफ्रीका, एशिया महाद्वीप और उसमें विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका
  - वे मुख्यत: नीले-हरे शैवाल खाते हैं, लेकिन कभी-कभी क्रस्टेशियन और छोटे कीड़े भी खा लेते हैं।
- संरक्षण की स्थिति:
  - CMS (प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन): परिशिष्ट II में शामिल।
  - **संरक्षण स्थिति (IUCN):** संकटासन्न (एनटी)।
- **तथ्य:** कच्छ के रण को **''फ्लेमिंगो सिटी''** घोषित किया गया

</td></tr>
</table>

प्रजातियाँ	विवरण

डुगोंग

समाचारः IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी

तथ्य

- **वितरणः** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और कच्छ की खाड़ी।
- **विशेषताएँ:**
  - गर्म, उथले पानी में पाया जाता है।
  - केवल समुद्री शाकाहारी स्तनधारी ही समुद्री घास खाते हैं।
  - 70 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।
  - बहुत धीमी प्रजनन क्षमता; मादाएँ 3-7 वर्ष में एक बार बच्चा देती हैं, तथा गर्भधारण और दूध पिलाने की अवधि भी लंबी होती है।
  - इसे "समुद्र का माली" कहा जाता है क्योंकि यह समुद्री घास के मैदानों को स्वस्थ रखता है और जैव विविधता को बनाए रखता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN लाल सूची:** असुरक्षित।
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित।
  - प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (एमओयू, 2008) के अंतर्गत शामिल।

संरक्षण प्रयास

- 2021 में तमिलनाडु के पॉक खाड़ी में 500 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थापित।
- **भारत की वर्तमान जनसंख्याः** 240 डुगोंग, जिनमें से अधिकांश तमिलनाडु की पाक खाड़ी में हैं।

समाचार में स्थान

स्थान	विवरण

मॉरिटानिया

समाचारः मॉरिटानिया के तट पर एक प्रवासी नाव डूबने से 49 लोगों की मौत हो गई।

तथ्य

- **अवस्थितिः** उत्तर-पश्चिम अफ्रीका.
- **सीमाएँ:** अटलांटिक महासागर (पश्चिम), पश्चिमी सहारा (उत्तरपश्चिम), अल्जीरिया (उत्तरपूर्व), माली (पूर्व और दक्षिणपूर्व), और सेनेगल (दक्षिणपश्चिम)।
- **राजधानीः** नुआकशोत (अटलांटिक तट पर स्थित इसका सबसे बड़ा शहर भी)।

भारत-मॉरिटानिया संबंध

- 1960 के दशक में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी संघ साझेदारी और ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग।
- भारत लौह अयस्क और मत्स्य उत्पाद का आयात करता है; तथा फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, वस्त्र का निर्यात करता है।

दारफुर क्षेत्र

समाचारः सूडान के दारफुर क्षेत्र में, एक बड़े भूस्खलन ने जेबेल मार्रा रेंज में तरासिन के पहाड़ी गांव को दफन कर दिया।

तथ्य

- यह पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है,
- इसकी सीमाएँ लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) से मिलती हैं।

स्थान	विवरण
मलक्का जलडमरूमध्य 	समाचार सिंगापुर ने मलक्का जलडमरूमध्य में गश्त करने की भारत की योजना का समर्थन किया है। **तथ्य** • अवस्थिति: यह जलडमरूमध्य मलय प्रायद्वीप (मलेशिया) और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित एक संकीर्ण जलमार्ग है। • **महत्त्व:** – विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक – वैश्विक व्यापार का लगभग 25% हिस्सा वहन करता है। – यह मार्ग मध्य पूर्व से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तक तेल और गैस परिवहन का मुख्य मार्ग है।
सेशेल्स 	**समाचार:** प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दूल तथा आईसीजीएस सारथी सम्मिलित हैं, ने सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया से प्रस्थान किया। **तथ्य** • यह पश्चिमी हिंद महासागर में 115 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है। • अफ्रीका के पूर्वी तट पर, मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में स्थित है। • राजधानी शहर: विक्टोरिया (माहे द्वीप पर, सबसे बड़ा द्वीप)। • कोको डी मेर (विश्व का सबसे बड़ा काष्ठ-फल), विशाल अल्डाब्रा कच्छप वहाँ पाए जाते हैं।
अदीस अबाबा 	**समाचार:** द्वितीय अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन (ACS2) अदीस अबाबा में आयोजित किया जा रहा है। **तथ्य** • इथियोपिया की राजधानी है। • इथियोपियाई हाइलैंड्स में ~2,355 मीटर की ऊँचाई पर स्थित, यह दुनिया की सबसे ऊँची राजधानियों में से एक है। • अम्हारिक् भाषा में इस नाम का अर्थ है "नया फूल"। • अफ्रीकी संघ (एयू) और अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNECA) का मुख्यालय।
सोलोमन द्वीप 	**समाचार:** प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF) के नेता सोलोमन द्वीप समूह में अपनी बैठक आयोजित करेंगे। **तथ्य** • यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है, जो पापुआ न्यू गिनी के पूर्व तथा वानुआतु के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। • यह मेलानेशिया का भाग है (जो प्रशांत की तीन प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है)। • राजधानी: होनियारा (गुआडलकैनाल द्वीप पर)। • **अर्थव्यवस्था:** – कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन पर आधारित। – लकड़ी, मछली, सोना और बॉक्साइट से समृद्ध। – विदेशी सहायता और बाह्य निवेश पर भारी निर्भरता। **प्रशांत द्वीप मंच (PIF) के बारे में** • PIF 18 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों का एक अंतर-सरकारी संगठन है जो क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है (1971 में स्थापित)।

स्थान	विवरण
एविया द्वीप (यूबोइया) द्वीप 	**समाचारः** ग्रीक द्वीप इविया (जिसे यूबोइया भी कहते हैं) के निकट समुद्र में 5.2 तीव्रता का मध्यम भूकंप आया। **तथ्य** • यह ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है (पहला - क्रीट द्वीप)। • मध्य ग्रीस के पूर्वी तट पर स्थित है, तथा युरिपस जलडमरूमध्य द्वारा मुख्य भूमि से अलग है। • यह ग्रीस की राजधानी एथेंस के निकट स्थित है।
चोलपोन-अता (किर्गिजस्तान) 	**समाचारः** हाल ही में तियानजिन में आयोजित 25वें SCO शिखर सम्मेलन में किर्गिस्तान के चोलपोन-अता शहर को 2025-2026 के लिए "SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी'' नामित किया गया। **किर्गिजस्तान के बारे में** • **राजधानीः** बिश्केक • **अवस्थितिः** मध्य एशिया में स्थलरुद्ध देश • **सीमाएँः** कजाकिस्तान (उत्तर), उज्बेकिस्तान (पश्चिम), ताजिकिस्तान (दक्षिण), चीन (पूर्व)। • **भूभागः** पहाड़ी (90% से अधिक भूमि पहाड़ है) → तिएन शान पर्वतमाला का हिस्सा। • **प्रमुख झीलः** इस्सिक-कुल झील (विश्व की सबसे बड़ी अल्पाइन झीलों में से एक, जो कभी नहीं जमती)। • पूर्व में रूसी साम्राज्य के अधीन (1876) → सोवियत संघ (1936 किर्गिज एसएसआर के रूप में)। – **स्वतंत्रताः** 31 अगस्त 1991 (USSR के पतन के बाद)। **इस प्रथा के बारे में** • यह प्रथा 2012 में शुरू हुई जब SCO सदस्य देशों ने लोगों से लोगों के बीच संबंधों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। • यूरोपीय संघ की **''यूरोपीय संस्कृति की राजधानी''** के समान है, जहाँ प्रत्येक वर्ष एक शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करता है। • **अतीत के उदाहरणः** – 2022 → वाराणसी, भारत (यह उपाधि पाने वाला पहला भारतीय शहर)। – 2023 → चेल्याबिंस्क, रूस। – 2024 → अल्माटी, कजाकिस्तान।
दोहा 	**समाचारः** प्रधानमंत्री ने दोहा में हुए हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा की। **इसके बारे में** • कतर की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। • यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। • फीफा विश्व कप 2022, एशियाई खेल 2006 की मेजबानी की, और 2030 में फिर से मेजबानी करेगा।

<table>
<tr><th>स्थान</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>

पुगाड द्वीप

</td><td>

समाचार: फिलिपीन्स का पुगाड द्वीप गंभीर भूमि धँसाव - प्रति वर्ष लगभग 11 सेमी तक - तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि की समस्या का सामना कर रहा है।

तथ्य

- **अवस्थिति:** यह लगभग 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला छोटा द्वीप है, जो मनीला खाड़ी में अंगट-पम्पांगा नदी डेल्टा के मुहाने पर, बुलाकान, फिलिपीन्स में स्थित है।

</td></tr>
<tr><td>

स्कारबोरो शोल

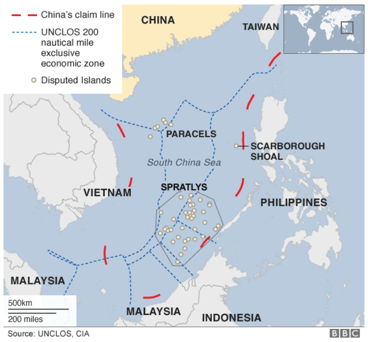

</td><td>

समाचार? फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल में राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व स्थापित करने की चीन की योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है।

स्कारबोरो शोल के बारे में

- **अन्य नाम:** हुआंगयान द्वीप (चीन), पनाटैग शोल या बाजो डी मासिनलोक (फिलीपींस)।
- एक त्रिभुजाकार एटोल जिसमें एक बड़ा लैगून और एक प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है।

विवाद

- चीन और फिलीपींस दोनों ही इस शोल पर अपना दावा करते हैं।
- स्थायी विवाचन न्यायालय (2016) ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन बीजिंग ने इस फैसले को खारिज कर दिया।

</td></tr>
<tr><td>

कार्ल्सबर्ग रिज

</td><td>

समाचार: भारत ने उत्तर-पश्चिम हिंद महासागर के कार्ल्सबर्ग रिज में बहुधात्विक सल्फाइड की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) से अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

- **भारत के पहले के ISA अनुबंध:**
  - **2002:** मध्य हिंद महासागर बेसिन में बहुधात्विक ग्रंथिकाओं की खोज (विस्तार के बाद 2027 तक वैध)।
  - **2016:** हिंद महासागर रिज में बहुधात्विक सल्फाइड की खोज (2031 तक वैध)।
- **नोट:** अन्वेषण गतिविधियों में सर्वेक्षण, मानचित्रण और खनिज भंडारों का अध्ययन शामिल है, प्रत्यक्ष वाणिज्यिक खनन आरंभ नहीं हुआ है।

कार्ल्सबर्ग रिज के बारे में

- भारतीय और अरब प्लेटों के बीच सीमा बनाने वाली एक टेक्टोनिक रिज (विवर्तनिक कटक)।
- **विस्तार:** रोड्रिग्स द्वीप के निकट से ओवेन विभंग क्षेत्र तक फैला हुआ है।
- **महत्व:** यह जलतापीय छिद्रों के लिए जाना जाता है जो खनिज-समृद्ध बहुधात्विक सल्फाइड निक्षेपित करते हैं।

</td></tr>
<tr><td>

डोंगशा द्वीप समूह

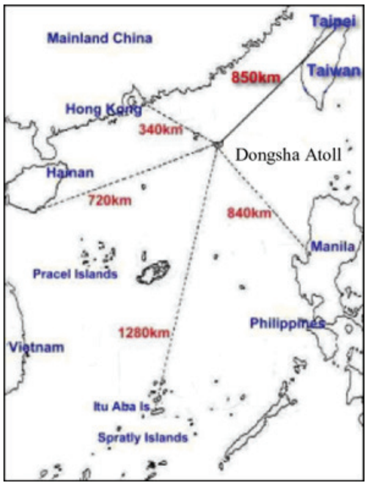

</td><td>

समाचार: ताइवान के तटरक्षक प्रशासन (सीजीए) ने डोंगशा द्वीप के पास एक चीनी तटरक्षक जहाज और एक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को पीछे हटाने के लिए जहाज भेजे।

तथ्य

- दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित है।
- **नियंत्रित:** ताइवान (चीन गणराज्य, आरओसी), काऊशुंग शहर द्वारा प्रशासित।
- **दावाकर्ता:** पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC), अपने 'नाइन-डैश लाइन' दावे के हिस्से के रूप में।
- **भूगोल:** एक प्रवाल द्वीप जिसके मध्य में एक बड़ा लैगून है।

</td></tr>
</table>

स्थान	विवरण

मोजाम्बिक

समाचार: भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS) जिसमें INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी शामिल हैं, मोजाम्बिक के मापुटो में प्रवेश कर गया।

तथ्य

- **अवस्थिति:** दक्षिणपूर्वी अफ्रीका,
- **सीमा:** हिंद महासागर (पूर्व), तंजानिया (उत्तर), मलावी और जाम्बिया (उत्तर पश्चिम), जिम्बाब्वे (पश्चिम), दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी (दक्षिण पश्चिम)।
- **राजधानी:** मापुटो
- **प्रमुख नदियाँ:** जाम्बेजी, लिम्पोपो, सेव, रोवुमा।

एस्टोनिया

समाचार: रूस द्वारा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद एस्टोनिया ने अनुच्छेद 4 के तहत तत्काल नाटो परामर्श की मांग की।

तथ्य

- **अवस्थिति:** उत्तरी यूरोप, तीन बाल्टिक राज्यों में से एक (लातविया और लिथुआनिया के साथ)।
- **सीमाएँ:**
  - उत्तर → फिनलैंड की खाड़ी
  - पश्चिम → बाल्टिक सागर
  - दक्षिण → लातविया
  - पूर्व → रूस
- राजधानी: ताल्लिन.
- प्रमुख स्थान: विंडालू द्वीप
- सदस्यता: नाटो (2004 से), यूरोपीय संघ और यूरोजोन।

मोरक्को

समाचार: भारत के रक्षा मंत्री ने मोरक्को में टाटा समूह के युद्धक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया।

तथ्य

- **अवस्थिति:** उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा से घिरा हुआ।
- **राजधानी:** रबात। सबसे बड़ा शहर: कैसाब्लांका.
- **वैश्विक सदस्यता:** अफ्रीकी संघ, अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य।

तिराह घाटी

समाचार: तिराह घाटी में हुए विस्फोट में 20 से अधिक लोग मारे गए और कई घर नष्ट हो गए।

तथ्य

- पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में एक पहाड़ी क्षेत्र।
- यह अफगान-पाकिस्तान सीमा के पास खैबर दर्रे और खानकी घाटी के बीच स्थित है।
- इस क्षेत्र में जातीय समूह मुख्य रूप से पश्तून जनजातियाँ हैं- मुख्य रूप से अफरीदी और ओरकजई।

स्थान	विवरण
पंबा नदी 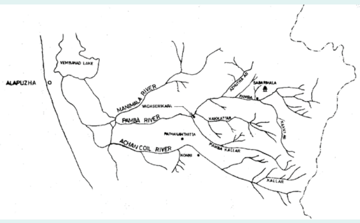	**समाचारः** पंबा नदी ने केरल के अलप्पुझा जिले में चैंपियन बोट लीग (CBL) सीजन 5 का आयोजन किया। **तथ्य** • यह पेरियार और भरतपुझा के बाद केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। • इसका उद्गम पंबा, काकी, अरुधई, कक्कड़ और कल्ल आरिन (स्रोत पीरुमेदु पठार, पश्चिमी घाट पर है) के संगम से होता है और वेम्बनाड झील (भारत की सबसे लंबी झील और 2002 में घोषित रामसर स्थल) में गिरती है। • इसे "केरल की गंगा" के रूप में पूजा जाता है। • इसका सबरीमाला तीर्थयात्रा से गहरा संबंध है, जहाँ तीर्थयात्री स्वयं को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठानिक स्नान करते हैं।
माही नदी 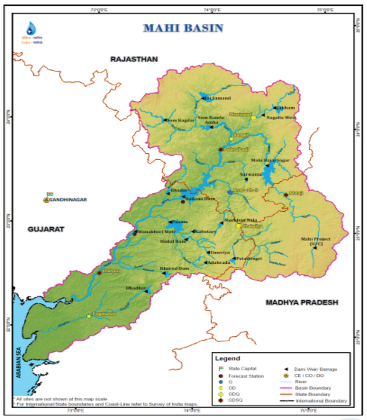	**समाचारः** गुजरात में एक जलविद्युत संयंत्र में माही नदी का पानी अचानक भर जाने से पांच श्रमिक लापता हो गए। **तथ्य** • **उद्गमः** मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वतमाला से। • **मार्गः** मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। • **लंबाईः** ~583 किमी. • **अनूठी विशेषताः** भारत की उन कुछ नदियों में से एक जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। • **माही नदी पर प्रमुख बांधः** कडाणा बांध (गुजरात), माही बजाज सागर बांध (राजस्थान)। • **सहायक नदियाँः** सोम, अनास, पनाम, हेरान।
नैट्रॉन झील 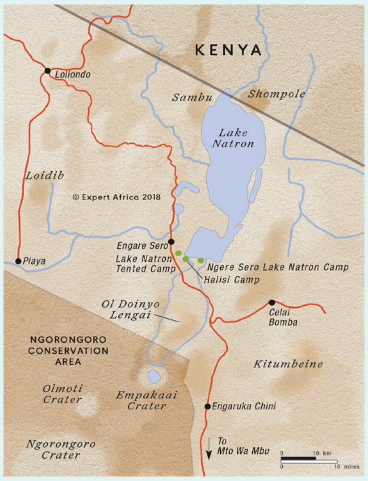	**समाचारः** तंजानिया सरकार ने लेसर फ्लेमिंगो के लिए पारिस्थितिक जोखिम का हवाला देते हुए, लेक नैट्रॉन में प्रस्तावित बड़े पैमाने पर सोडा ऐश खनन परियोजना को रोक दिया है। **तथ्य** • **अवस्थितिः** उत्तरी तंजानिया, केन्या की सीमा के पास; महान भ्रंश घाटी में स्थित है। • **प्रकारः** अत्यधिक कास्टिक, सोडा युक्त पानी वाली एक लवणीय झील (क्षारीय झील) • 2001 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल घोषित किया गया। • पूईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी ट्रांसबाउंडरी इकोसिस्टम मैनेजमेंट अधिनियम (2010) के तहत संरक्षित। • छोटे फ्लेमिंगो/राजहंस की 75% आबादी नैट्रॉन झील में प्रजनन करती है।
बैरन द्वीप 	**समाचारः** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर दो बार मामूली ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया। **तथ्य** • अंडमान सागर में स्थित, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। • यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है; इसका पहला विस्फोट वर्ष 1787 में दर्ज किया गया था, और हालिया गतिविधि वर्ष 2025 में हुई है। • बैरन द्वीप, ~8.3 वर्ग किमी क्षेत्रफल, 353 मीटर ऊँचा। • **वन्यजीव अभयारण्य घोषित;** चमगादड़, कृंतक और जंगली बकरियों जैसे सीमित जीवों का आश्रय। • इसके चारों ओर का समुद्री क्षेत्र स्कूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है, परंतु द्वीप पर उतरने की अनुमति प्रतिबंधित है।

स्थान	विवरण
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व	**समाचारः** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) से जनजातीय परिवारों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण विस्थापन की शिकायतों की जाँच के आदेश दिए हैं। **तथ्य** • **अवस्थितिः** मयूरभंज जिला, ओडिशा के सुदूर उत्तरी भाग में। • यह एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व है। • **विशेषताएँः** यहाँ काले बाघ (मेलेनिस्टिक बाघ) पाए जाते हैं। – बाघ अभयारण्य से लगभग 12 नदियाँ गुजरती हैं, जैसे बुधबलंगा, पलपाला बंदन, सालंदी, काहैरी और देव, जो सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। • **प्रमुख जनजातियाँः** एरेंगा खड़िया, मनकीडिया, खड़िया, कोल्हा आदि। • **यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्वः** 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। – 2009 से यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का भी हिस्सा है। • STR मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल हैं।
गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य	**समाचारः** प्रोजेक्ट चीता की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर धीरा नामक मादा चीता को कुनो राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश के गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है। **तथ्यः** • **अवस्थितिः** राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले। • **नदीः** चम्बल नदी अभयारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। • **वनस्पतिजातः** खैर, सालई, तेंदू, पलाश आदि। • **प्राणिजातः**चिंकारा, नीलगाय, तथा चित्तीदार हिरण, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, और सियार आदि। – मगरमच्छों और कछुओं की भी अच्छी आबादी है। • **ऐतिहासिक स्थानः** चतुर्भुजनाथ मंदिर, भड़काजी शैल चित्र और हिंगलाजगढ़ किला
पेरियार टाइगर रिजर्व	**समाचारः** राज्य वित्त निरीक्षण विंग की रिपोर्ट में केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। **तथ्य** • **अवस्थितिः** केरल के पश्चिमी घाट। • इसे 1978 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। • **नदियाँः** पेरियार और पंबा • यह स्थान मन्नान और पालियन सहित कई जनजातीय समुदायों का निवास स्थान है। • **प्राणिजातः** – इसमें हाथी, सांभर, गौर, माउस डियर, बार्किंग डियर, भारतीय जंगली कुत्ता और बाघ शामिल हैं। – पेरियार में प्राइमेट्स की चार प्रमुख प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं- दुर्लभ शेर-पूंछ वाला मकाक, नीलगिरि लंगूर, गीज गोल्डन लंगूर, कॉमन लंगूर और बोनेट मकाक। – नीलगिरि तहर का पर्यावास है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं आंतरिक सुरक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए विषय

25वां एससीओ शिखर सम्मेलन - तियानजिन

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2 क्षेत्रीय समूहीकरण

संदर्भ

हाल ही में तियानजिन में संपन्न 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रमुख सुधारों को अपनाया गया, आतंकवाद की निंदा की गई तथा साझेदारी का विस्तार किया गया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में

- शंघाई **सहयोग संगठन (एससीओ) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001** में शंघाई में हुई थी (शंघाई फाइव समूह का उत्तराधिकारी)।
- **संस्थापक सदस्य:** कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान
- **वर्तमान एससीओ सदस्य देश (10):** भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस।
  - **भारत और पाकिस्तान 2017 अस्ताना शिखर सम्मेलन में शामिल हुए,** ईरान (2023) और बेलारूस (2024)।
  - **2 पर्यवेक्षक देश:** अफगानिस्तान और मंगोलिया।
  - **14 संवाद साझेदार:** अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्की, श्रीलंका।

- **वर्तमान में, एससीओ** विश्व की 40% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना।
  - आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना।
  - वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना।
- **एससीओ के स्थायी निकाय:**
  - **एससीओ सचिवालय (बीजिंग):** सदस्यों के बीच गतिविधियों, बैठकों और संचार का समन्वय करता है।
  - **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) (ताशकंद, उज्बेकिस्तान):** सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए समर्पित।

एससीओ-आरएटीएस: भूमिका और कार्यप्रणाली

- क्षेत्रीय **आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस)** एससीओ का **सुरक्षा स्तंभ** है।
- **कार्य:**
  - **आतंकवादी नेटवर्क, अलगाववादी समूहों और चरमपंथियों पर खुफिया जानकारी** साझा करना।
  - **संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों का** समन्वय करना।
  - **मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का** मुकाबला करना।
- **सफलताएँ: आतंकवादी समूहों और व्यक्तियों का डेटाबेस** तैयार करना और **"शांति मिशन"** जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों का आयोजन करना।
- **सीमाएं: सदस्य अक्सर आतंकवाद को परिभाषित करने पर असहमत होते हैं (उदाहरण के लिए, भारत पाकिस्तान समर्थित समूहों को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि चीन** ने बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान स्थित समूहों को आतंकवादी संस्थाएं करार देने का अक्सर विरोध किया है)।

तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष

प्रमुख पहल और घोषणाएँ

- **आतंकवाद की कड़ी निंदा:** सभी 10 सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की तथा आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों को समाप्त करने का आह्वान किया।
  - **विशिष्ट संदर्भ:** पहलगाम हमला और पाकिस्तान में 2 अन्य हमले।

महत्व:

- पहली बार एससीओ नेताओं की घोषणा में **पहलगाम हमले का स्पष्ट उल्लेख किया गया, जबकि रक्षा मंत्रियों की किंगदाओ बैठक (जून 2025) में** इसका उल्लेख नहीं किया गया था।
- यह **कूटनीतिक लाभ है,** हालांकि इसमें पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया।

- **वैश्विक शासन पहल (जीजीआई) - चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित, वैश्विक दक्षिण को** प्राथमिकता देते हु**ए अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था** के लिए विजन।
  - **मुख्य स्तंभ:**
    - » **संप्रभुता:** सभी देशों को, चाहे उनका आकार या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
    - » **कानून का शासन:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सख्त पालन; दोहरे मानदंडों का विरोध।
    - » **बहुपक्षवाद:** संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करना, एकपक्षवाद का विरोध करना।
    - » **निष्पक्षता और न्याय:** शीत युद्ध की मानसिकता, धौंस-धमकी का विरोध और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना।
- यह पश्चिमी नेतृत्व वाले बहुपक्षवाद के कथित पतन के प्रति चीन की प्रतिक्रिया को दर्शाता है और इसका उद्देश्य एक वैकल्पिक ढांचा प्रदान करना है जो देशों के लिए समावेशिता और निष्पक्षता पर जोर देता है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग रोडमैप:** तियानजिन घोषणापत्र ने एआई में संयुक्त प्रयासों की पुष्टि की:
  - **सिद्धांत:** एआई को विकसित करने और उपयोग करने, जोखिमों को न्यूनतम करने, जवाबदेही बढ़ाने के **समान अधिकार।**
  - **पहल: एआई सहयोग केंद्र** का प्रस्ताव और **ओपन-सोर्स एआई मॉडल को बढ़ावा देना।**
  - **चुनौती: ओपन-सोर्स एआई की सीमा-पार** उपयोग **और विनियमन को** विनियमित करना।
- **एससीओ विकास बैंक के लिए प्रस्ताव:**
  - **उद्देश्य:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और एक वित्तीय विकल्प तैयार करना। यह एआईआईबी (2014) से प्रेरित है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच **बुनियादी ढाँचे, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।**
  - **चीन** की प्रतिबद्धता:
    - » एससीओ सदस्यों के लिए 2 बिलियन युआन (280 मिलियन डॉलर) की नि:शुल्क सहायता।
    - » अगले तीन वर्षों में 10 बिलियन युआन (1.4 बिलियन डॉलर) का ऋण दिया जाएगा।
- **एकता और एकजुटता:** राष्ट्रपति शी ने सदस्यों से मतभेदों को दूर रखते हुए साझा आधार तलाशने और वैश्विक अशांति के बीच **एससीओ की एकजुटता को मजबूत करने का आह्वान किया।**
- **बहुपक्षीय व्यापार के लिए समर्थन:** एससीओ ने विश्व व्यापार संगठन के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त किया, एकतरफा कार्रवाई का विरोध और न्याय पर जोर दिया।
- **एससीओ सुधार और विस्तार:**
  - **पर्यवेक्षक राज्यों और संवाद साझेदारों को** एससीओ साझेदार नामक एक एकीकृत श्रेणी में विलय कर दिया गया, जिससे संगठनात्मक दक्षता में सुधार हुआ।
  - **लाओस को** भागीदार के रूप में शामिल किया गया, जिससे एससीओ के सदस्यों की संख्या 27 हो गई तथा समूह की समावेशिता और एकजुटता में वृद्धि हुई। (10 सदस्य + 17 भागीदार)

प्रमुख कार्य

- **भारत-चीन संबंध:** 7 साल में चीनी धरती पर पहली मोदी-शी मुलाकात। दोनों ने **"प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार" के रूप में कार्य करने का संकल्प लिया।**
- **शी-पुतिन-मोदी ट्रोइका:**
  - **प्रतीकात्मक संकेत:** तीन नेता एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एशियाई शक्तियों की एकता को दर्शाते हुए।
  - **रूस के लिए:** एससीओ एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन अलग-थलग नहीं हैं।
  - **भारत के लिए:** अमेरिका से परे **रणनीतिक विकल्पों** का संकेत देने का अवसर
- **भारत-रूस वार्ता:** राष्ट्रपति पुतिन ने **भारत के साथ विश्वास और मित्रता पर जोर दिया।**

तियानजिन में भारत का रणनीतिक संदेश

- **"एससीओ"** के माध्यम से क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया – जो सुरक्षा, संपर्क और अवसर का प्रतीक है।
  - **सुरक्षा** → आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सीमा स्थिरता।
  - **कनेक्टिविटी** → मध्य एशिया लिंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा।
  - **अवसर** → व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी।
- भारत का रुख **समर्थनपूर्ण लेकिन सतर्क था:**
  - एआई सहयोग और व्यापार विस्तार का समर्थन किया।
  - संप्रभुता को कमजोर करने वाली किसी भी पहल का विरोध किया (जैसे, बीआरआई परियोजनाएं)।
- भारत ने स्वयं को एक **जिम्मेदार हितधारक के रूप में प्रस्तुत किया** जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बहुपक्षवाद को कायम रखता है।
- भारत ने **तियानजिन घोषणापत्र** में ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा करने में अन्य एससीओ सदस्य देशों का **साथ दिया।**

भारत के लिए SCO का महत्व

- **आतंकवाद-रोधी मंच:** पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए RATS डेटाबेस और खुफिया जानकारी साझा करना बेहद जरूरी है। संयुक्त अभ्यास भारत की तैयारी को मजबूत करते हैं।
- **मध्य एशिया तक पहुँच:** भारत की मध्य एशिया से जुड़ने की नीति को शंघाई सहयोग संगठन में एक बहुपक्षीय मंच प्राप्त हुआ है। इससे भौगोलिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी (क्योंकि भारत के पास सीधी भूमि पहुँच का अभाव है, क्योंकि पाकिस्तान मार्ग अवरुद्ध करता है)।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य एशिया (कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान) में तेल, गैस और यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एससीओ भारत को **तापी पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।**
- **चीन और पाकिस्तान में संतुलन:** एससीओ **यह भारत को** दोनों देशों के समक्ष **सीधे तौर पर अपनी चिंताएं उठाने** के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **सामरिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता:** भारत एससीओ में रूस और चीन के साथ जुड़ता है, जबकि अमेरिका, क्वाड और आईपीईएफ के साथ संबंधों को भी गहरा कर रहा है। यह **वैश्विक भू-राजनीति में संतुलनकर्ता** के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करता है।
- **वैश्विक दक्षिण की आवाज:** भारत जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन, खाद्य सुरक्षा और समतामूलक वैश्वीकरण जैसे मुद्दों को उजागर करने के लिए एससीओ का उपयोग करता है। इससे विकासशील देशों के बीच विश्वसनीयता बढ़ती है।

एससीओ के कामकाज में चुनौतियाँ

- **सदस्यों के विविध रणनीतिक हित:** प्रत्येक एससीओ सदस्य इस मंच का उपयोग अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता है। उदाहरण के लिए
- **रूस:** यूरेशिया में हस्तक्षेप सहित अपनी विदेश नीति पहलों के लिए एससीओ का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास।
- **चीन:** बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं सहित मध्य एशिया में अपने आर्थिक और सुरक्षा प्रभाव का विस्तार करने के लिए एससीओ का लाभ उठाता है।
- **एससीओ को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय तनाव**
  - भारत-चीन सीमा तनाव (डोकलाम 2017, गलवान 2020) विश्वास को कमजोर करता है।
  - भारत-पाकिस्तान विवाद अक्सर आतंकवाद और कनेक्टिविटी पर आम सहमति को पंगु बना देते हैं।
- **आतंकवाद-रोधी विरोधाभास:** एससीओ-आरएटीएस खुफिया जानकारी साझा करने में प्रभावी है, लेकिन इसकी परिभाषाएँ अलग-अलग हैं। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की ''तीन बुराइयों'' की एक समान व्याख्या नहीं की जाती है।
  - **उदाहरण:** भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की निंदा करता है, लेकिन चीन कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान का बचाव करता है, तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रयासों को अवरुद्ध करता है (उदाहरण के लिए, मसूद अजहर को सूचीबद्ध करना)।
- **चीन का आर्थिक प्रभुत्व:** एससीओ के **चीन-केंद्रित मंच बनने का खतरा**, जिससे सदस्यों के बीच समानता खत्म हो जाएगी।
  - **उदाहरण:** चीन की पहल (बीआरआई, एससीओ बैंक प्रस्ताव) छोटे सदस्यों पर भारी पड़ रही है।
- **आर्थिक और व्यावसायिक सीमाएँ**
- **एससीओ बिजनेस काउंसिल:** यद्यपि अनेक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए हैं, परन्तु कोई भी बड़ा व्यापार या निवेश सौदा नहीं हो पाया है।
- **इंटरबैंक कंसोर्टियम:** वित्तीय एकीकरण या सीमा पार निवेश को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिए बिना मुख्य रूप से चर्चा और सेमिनार के लिए एक मंच के रूप में मौजूद है।

- **खराब कनेक्टिविटी:** भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच सीमित परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग में बाधा आती है।
- **विस्तार और सुभेद्यता:** चीन और रूस से लेकर मध्य एशियाई गणराज्यों और बेलारूस (2024 में 10वें सदस्य के रूप में शामिल) तक के सदस्यों के साथ, राजनीतिक प्रणालियों, आर्थिक प्राथमिकताओं और खतरे की धारणाओं में विविधता के कारण आम नीतियों को क्रियान्वित करना मुश्किल हो जाता है।
  - **उदाहरण:** ईरान के प्रवेश और तुर्की की सदस्यता की मांग के कारण, एससीओ के एक **भीड़भाड़ वाले, असंगत मंच बनने का खतरा है।**
- **भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण:** एससीओ को एक **पश्चिमी-विरोधी गुट के रूप में देखा जा रहा है, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा। क्वाड/अमेरिका साझेदारी** और **एससीओ प्रतिबद्धताओं** के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए मुश्किल हो रहा है।
- **संस्थागत कमजोरियां:** एससीओ में मजबूत प्रवर्तन या बाध्यकारी तंत्र का अभाव है।
  - **उदाहरण:** कोई स्थायी विवाद समाधान मंच नहीं – घोषणाओं से परे प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

आगे की राह

- **आरएटीएस और आतंकवाद-रोधी आम सहमति को मजबूत करना: आतंकवाद की सामान्य परिभाषाएँ** विकसित करना ताकि चयनात्मक अनुप्रयोग से बचा जा सके। साइबर-आतंकवाद, नार्को-आतंकवाद और कट्टरपंथी वित्तपोषण को शामिल करने के लिए आरएटीएस अधिदेश का विस्तार करना।
- **आर्थिक और सुरक्षा एजेंडे में संतुलन:** एससीओ पर चीन के बीआरआई दृष्टिकोण का प्रभुत्व न होने देना। व्यापक स्वीकृति के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
- **संस्थागत सुधार:** आतंकवाद और संपर्क जैसे क्षेत्रों में **बाध्यकारी समाधानों की** दिशा में आगे बढ़ना। बेहतर समन्वय के लिए सचिवालय को मजबूत बनाना।
- **संवाद के माध्यम से विश्वास का निर्माण: प्रतिद्वंद्वियों (भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान) के बीच विश्वास-निर्माण मंच** के रूप में एससीओ का उपयोग करना। सीमा और आतंकवाद के मुद्दों पर बैकचैनल कूटनीति को प्रोत्साहित करना।
- **नियंत्रित विस्तार:** सुनिश्चित करना कि भविष्य में विस्तार (तुर्की, अफगानिस्तान, आदि) एससीओ के फोकस को कमजोर न करे। एकजुटता बनाए रखने के लिए **सदस्यता के मानदंड अपनाना।**
- **पश्चिम-विरोधी विचारधारा से आगे बढ़ना:** एससीओ को केवल नाटो या अमेरिकी गठबंधनों के प्रतिकार के रूप में देखे जाने से बचना चाहिए। **समावेशी बहुपक्षवाद** और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

तियानजिन **एससीओ शिखर सम्मेलन 2025** तात्कालिक सफलताओं से कम और **प्रतीकात्मकता व दीर्घकालिक आख्यानों से ज्यादा जुड़ा था।** चीन ने इसका इस्तेमाल **वैश्विक शासन पहल को आगे बढ़ाने के लिए किया,** रूस ने इसका इस्तेमाल अलगाव के खिलाफ अपनी क्षमता दिखाने के लिए किया, जबकि भारत ने आतंकवाद, संप्रभुता और नैतिक तकनीक पर जोर देते हुए सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा।

नेपाल का राजनीतिक संकट और भारत के पड़ोस में अस्थिरता

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2 भारत के पड़ोस

संदर्भ

हाल ही में **नेपाल में** विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के कारण जेन जेड के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों, बड़े पैमाने पर हताहतों, आगजनी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे में बदल गए।

नेपाल के राजनीतिक संकट के कारण

- **सोशल मीडिया प्रतिबंध (सितंबर 2025):** नेपाल सरकार ने गलत सूचना और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया। हालाँकि, इससे जनता में, खासकर युवाओं में, आक्रोश भड़क उठा, जिसके कारण देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और अंततः प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं।
- **भ्रष्टाचार विरोधी भावना:** सरकारी संस्थाओं में **भ्रष्टाचार के प्रति जनता की हताशा** और राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के कथित दुरुपयोग से असंतोष के कारण ये विरोध प्रदर्शन हुए।

- **युवाओं में उच्च बेरोजगारी (20% से अधिक)**, कम आर्थिक अवसर, तथा **धन प्रेषण पर निर्भरता ने** व्यापक असंतोष को बढ़ावा दिया, जिससे युवा सरकारी नीतियों के विरुद्ध लामबंदी के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** नेपाल में 2008 से अब तक 14 सरकारें बनी हैं और उनमें से किसी ने भी पूरे पाँच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। **प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और** राष्ट्रपति द्वारा **संसद भंग करने** के कारण **सत्ता शून्यता और राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है**, जिससे जन असंतोष और बढ़ गया है। इसके कारण इस प्रकार हैं:
- प्रमुख पार्टियों (नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल, माओवादी) में मतभेद रहते हैं, जिससे अस्थिर गठबंधन बनते हैं।
- **संवैधानिक मुद्दे:** 2015 के संविधान को प्रतिनिधित्व और संघवाद को लेकर मधेसी समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा।
- **राजशाही समर्थक विरोध प्रदर्शन (2025):** काठमांडू में बड़ी रैलियों में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अधीन हिंदू राजशाही की वापसी की मांग की गई।

नेपाल में राजनीतिक व्यवस्था: 1951 से परिवर्तन

- **राणा शासन (1846-1951)** जंग बहादुर (1817-77) ने 1846 में सत्ता हथिया ली और खुद को स्थायी प्रधानमंत्री बना लिया। प्रधानमंत्री के लिए ''राणा'' नामक एक राजवंशीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई। नेपाल में, राणा राजवंश का शासन स्थापित हुआ और 1951 तक चला।
- **राणा निरंकुशता का अंत और लोकतांत्रिक प्रयोग (1951-1960):** 1951 में, राणा शासन, जिसने 1846 से नेपाल पर शासन किया था, को जनांदोलनों के माध्यम से उखाड़ फेंका गया। नेपाल ने बहुदलीय लोकतंत्र के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र अपनाया और 1959 में पहले आम चुनाव हुए, जिससे नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। हालाँकि, यह प्रयोग अल्पकालिक रहा क्योंकि राजा महेंद्र ने 1960 में अस्थिरता और अक्षमता का हवाला देते हुए संसद को भंग कर दिया, जिससे पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई।
- **पंचायत युग (1960-1990): राजा महेंद्र ने** दलविहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की, जिससे राजतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा। यह प्रणाली 30 वर्षों तक चली, जिसमें ग्राम, जिला और राष्ट्रीय परिषदों के माध्यम से स्थानीय शासन पर जोर दिया गया, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का दमन किया गया। व्यापक असंतोष के कारण लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुए, जिनकी परिणति 1990 के जन आंदोलन के रूप में हुई।
- **संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र (1990-2008): 1990 के आंदोलन** ने राजा को एक संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जिससे एक नए संविधान के तहत बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। राजनीतिक दलों, विशेष रूप से नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने शासन में केंद्रीय भूमिका निभाई। हालाँकि, यह दशक राजनीतिक अस्थिरता और **माओवादी विद्रोह (1996-2006) के उदय से चिह्नित था**, जो एक दशक तक चला गृहयुद्ध था जिसमें सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता थी।
- **गणतंत्रीय परिवर्तन और संघवाद (2008-वर्तमान):** व्यापक **शांति समझौते (2006)** ने गृहयुद्ध को समाप्त कर दिया और 2008 में, नेपाल राजशाही को समाप्त करते हुए एक संघीय लोकतांत्रिक **गणराज्य बन गया। 2015 में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसने सात प्रांतों**, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक संसदीय संरचना वाली एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की।

भारत के लिए निहितार्थ

- **व्यापार और संपर्क में व्यवधान:** इस उथल-पुथल से द्विपक्षीय व्यापार (लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष) और राजमार्गों, रेल संपर्कों और बिजली ग्रिड जैसी संपर्क परियोजनाओं को खतरा है। राजनीतिक अशांति **पारगमन मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है**, जिससे नेपाल में कार्यरत भारतीय व्यवसायों पर असर पड़ सकता है।
- **विकास और मानवीय सहयोग पर प्रभाव: सरकारी अस्थिरता** सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित **द्विपक्षीय विकास परियोजनाओं में** देरी या जटिलता पैदा कर सकती है।
- **प्रवासन और श्रम गतिशीलता:** नेपाल में राजनीतिक और आर्थिक संकटों के कारण भारत में श्रम प्रवास में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारतीय सीमावर्ती राज्यों में सीमा प्रबंधन, रोजगार और सामाजिक सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
- **सीमा सुरक्षा चिंताएँ:** भारत और नेपाल एक **खुली सीमा साझा करते हैं (1,770 किमी)**। अस्थिरता से **तस्करी, सीमा पार आतंकवाद और शरणार्थियों की आमद का खतरा रहता है।**
- **क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की भूमिका: नेपाल में संकटों का प्रबंधन भारत की ''पड़ोसी प्रथम'' नीति** के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की प्रतिक्रिया दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक स्थिरता के रक्षक के रूप में उसकी **सॉफ्ट पावर छवि को** आकार देगी।
- **चीन के साथ सामरिक संतुलन: अस्थिरता नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई)** के जरिए चीन के करीब ला सकती है। अगर भारत को एक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा गया, तो उसे अपना सामरिक प्रभाव खोने का खतरा है।
- **भारतीय प्रवासियों और पर्यटन पर प्रभाव:** नेपाल में हजारों भारतीय पर्यटकों और व्यवसायों को व्यवधानों का सामना करना पड़ा। पर्यटन, जो नेपाल के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, भारतीय टूर ऑपरेटरों और एयरलाइनों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

भारत के पड़ोस के मुद्दे और उनके निहितार्थ

- **बांग्लादेशः** व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम मुखिया का पद संभाला। यूनुस के नेतृत्व में, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अगस्त 2024 और जून 2025 के बीच 2,442 घटनाएं दर्ज की गईं।
- **भूटानः** हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता और एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, भूटान ने चीन की ओर थोड़ा झुकाव दिखाया है। यह बदलाव व्यापक क्षेत्रीय रुझानों को दर्शाता है और इसका भारत के साथ भूटान के पारंपरिक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **म्यांमारः** म्यांमार की सैन्य सरकार और क्षेत्रीय विद्रोही समूहों के बीच गृहयुद्ध जारी है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय चिंताएँ पैदा हो रही हैं। इसने म्यांमार के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित किया है, और शरणार्थियों की आमद और घुसपैठ जैसी चुनौतियाँ सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर रही हैं।
- **मालदीवः** मोहम्मद मुइज्जू का चुनाव अभियान भारतीय सैन्य उपस्थिति को हटाने पर केंद्रित था, जो भारत के प्रति जनभावना में बदलाव का संकेत था। मालदीव ने चीन के साथ बुनियादी ढाँचे के समझौते किए और BRI पहल का समर्थन किया, जिससे नई दिल्ली में रणनीतिक चिंताएँ पैदा हुईं।
  - **सार्वजनिक और राजनीतिक बयानबाजीः** मालदीव के मीडिया और राजनीतिक विमर्श के कुछ हिस्सों में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही थीं, जिससे लोगों के बीच आपसी संबंध तनावपूर्ण हो गए।
- **श्रीलंकाः** राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके का गठबंधन खुले तौर पर भारत का विरोध नहीं करता है, लेकिन भारतीय हस्तक्षेप के संबंध में उनकी ऐतिहासिक शिकायतें हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

- सुरक्षा चिंताएंः संकट के दौरान **म्यांमार (मिजोरम, मणिपुर), बांग्लादेश (रोहिंग्या)** और संभावित रूप से **नेपाल से शरणार्थियों का आगमन।**
- रणनीतिक कार्यक्रमः **पाकिस्तान (ग्वादर, सीपीईसी)** और **श्रीलंका (हंबनटोटा बंदरगाह) में चीनी सैन्य उपस्थिति** दीर्घकालिक रणनीतिक जोखिम पैदा करती है।
- **कूटनीतिक चुनौतियाँ**
  - भारत की **पड़ोसी प्रथम** और **एक्ट ईस्ट** नीतियों को तब झटका लगता है जब शासन व्यवस्था चीन की ओर झुकती है।
  - बार-बार होने वाली राजनीतिक अस्थिरता भारत को दीर्घकालिक रणनीतिक योजना बनाने के बजाय निरंतर संकट प्रबंधन के लिए बाध्य करती है।
  - भारत की छवि को चुनौती दी जा रही है, जिससे बाहरी शक्तियों (चीन, अमेरिका, खाड़ी देशों) को जगह मिल रही है।
- **आर्थिक और व्यापारिक व्यवधानः** बंदरगाह अस्थिरता (श्रीलंका, मालदीव) भारत की **ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री व्यापार मार्गों के लिए खतरा है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग** और **तापी पाइपलाइन** जैसी परियोजनाएँ इस उथल-पुथल के कारण विलंबित हो रही हैं।
- **भारत की वैश्विक आकांक्षाएँः** पड़ोस में अस्थिरता भारत के **क्षेत्रीय नेता और वैश्विक शक्ति होने के दावे को कमजोर करती है।** अगर भारत अपने पड़ोस को स्थिर नहीं कर पाता, तो **वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उसकी विश्वसनीयता** कमजोर हो सकती है।

आगे की राहः

- **सतत राजनयिक वार्ताः संवैधानिक अनुपालन और शांतिपूर्ण शासन को** प्रोत्साहित करने के लिए कार्यवाहक और अंतरिम प्रशासन सहित सभी प्रमुख नेपाली राजनीतिक गुटों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।
- **उन्नत सीमा निगरानीः तस्करी, घुसपैठ और आतंकवाद को** रोकने के लिए 1,770 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पर **खुफिया-साझाकरण तंत्र और समन्वित सुरक्षा गश्ती** तैनात करना।
- **पड़ोसी प्रथम नीतिः एक विश्वसनीय साझेदार** के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करना, **नेपाल को भारत की रणनीतिक परिधि में बनाए रखने** के लिए सॉफ्ट पावर और विकास सहायता का लाभ उठाना।
- **बहुपक्षीय सहयोगः** नेपाल में **शांति, स्थिरता और समावेशी विकास को** बढ़ावा देने के लिए **सार्क** और **बिम्सटेक** जैसे क्षेत्रीय मंचों के साथ जुड़ना।
- **प्रवासी समर्थनः** नेपाल में **भारतीय व्यवसायों, पर्यटकों और शैक्षणिक संस्थानों** के संचालन की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करना।
- **पर्यटन निरंतरताः पर्यटन गलियारों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को** बनाए रखने के लिए नेपाली अधिकारियों के साथ सहयोग करना, जो भारत के यात्रा उद्योग और सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत-जापान संबंध

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2 द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल ही में **15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा पर गए,** यहाँ **प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली बैठक** हुई।

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की जापान यात्रा से मुख्य बातें

- **निवेश:** जापान अगले दशक में भारत में **10 ट्रिलियन येन (~68 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगा, जो पहले की प्रतिबद्धता से दोगुना है।**
- **आर्थिक सुरक्षा पहल:** अर्धचालकों, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा और दूरसंचार में **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को** मजबूत करना।
- **एआई और डिजिटल सहयोग: भारत-जापान एआई पहल** और डिजिटल साझेदारी 2.0 का शुभारंभ।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** बैठक के दौरान **सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए।** पहली बार एनएसए स्तरीय वार्ता को संस्थागत रूप दिया गया।
- **अंतरिक्ष सहयोग: चंद्रयान-5 (संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन)** पर इसरो-जाक्सा समझौता।
- **हरित ऊर्जा:** सतत ईंधन पहल, बैटरी, स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया साझेदारी में सहयोग करने पर सहमति हुई।
- **मानव संसाधन विनिमय: 500,000 आदान-प्रदानों** के लिए कार्य योजना; 50,000 कुशल भारतीय जापान में काम करेंगे।
- **पूर्वोत्तर फोकस:** असम-आसियान होल्डिंग्स के साथ समझौता ज्ञापन → बुनियादी ढांचे, कृषि-उद्योग, रसद में निवेश।
- **मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड:** जापानी संयुक्त उद्यम (टोयोटा-सुजुकी, निप्पॉन स्टील, टाटा-फूजीफिल्म) अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष इस्पात और सेमीकंडक्टर के निर्यात को बढ़ावा देंगे।

पृष्ठभूमि (भारत-जापान संबंध)

- भारत-जापान संबंध स्वतंत्रता के बाद के कूटनीतिक संबंधों से विकसित होकर 21वीं सदी में **रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी में बदल गए हैं, जो वैश्विक साझेदारी ढांचे,** आबे के **भारत-प्रशांत दृष्टिकोण** और बढ़ती कॉर्पोरेट और तकनीकी भागीदारी पर आधारित है।
- **2000 में वैश्विक साझेदारी** से विकसित होकर **2006** में रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में बदल गई है। भारत और जापान एक **विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी** (2014) साझा करते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हितों के मेल को दर्शाती है।
- **सभ्यतागत सद्भावना** (बौद्ध धर्म, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समर्थन, भारत के प्रारंभिक औद्योगिकीकरण में जापान की सहायता) की छाप रही है।
- 21वीं सदी में, उनके संबंधों को **चीन कारक, हिंद-प्रशांत भू-राजनीति और आर्थिक पूरकता द्वारा पुनः परिभाषित किया गया है।**

संबंधों में प्रतीकवाद

- **बुद्ध और विवेकानंद** → आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ें
- **न्यायमूर्ति राधाबिनोद पाल** → राजनीतिक विश्वास
  - न्यायमूर्ति राधाबिनोद पाल - टोक्यो युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने जापानी नेताओं को दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध असहमति व्यक्त की।
- **मारुति-सुजुकी और बुलेट ट्रेन** → आर्थिक और तकनीकी साझेदारी
- **क्वाड एवं हिंद-प्रशांत** → साझा रणनीतिक दृष्टिकोण

सहयोग के वर्तमान चालक

- **आर्थिक एवं निवेश सहयोग:**
  - **व्यापार:** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जापान का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार कुल 22.85 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान जापान से भारत को निर्यात 17.69 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 5.15 अरब अमेरिकी डॉलर रहा; जो 21 अरब डॉलर (अप्रैल-जनवरी 2024-25) है।

- » **भारत** का **निर्यात:** रसायन, वाहन, एल्युमीनियम, समुद्री भोजन।
- » **आयात:** मशीनरी, इस्पात, तांबा, रिएक्टर।

- जापान भारत में **5वां सबसे बड़ा निवेशक है, 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एफडीआई प्रवाह** (2000–2023)।
  - **प्रमुख क्षेत्र:** बुनियादी ढांचा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, अर्धचालक, नवीकरणीय ऊर्जा और रियल एस्टेट।
- **जापानी ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) ने पूर्वोत्तर भारत में समर्पित माल गलियारों, औद्योगिक गलियारों** और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसी मेगा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई):** भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने 27 अप्रैल 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। एससीआरआई की परियोजनाएं हैं-
  - » आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना; और
  - » हितधारकों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण की संभावनाएँ तलाशने के लिए निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम और बायर-सेलर मैचिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। दूसरी त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक 15 मार्च 2022 को आयोजित की गई।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:**
  - **डिजिटल पार्टनरशिप (2018) → डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 में अपग्रेड किया गया है।**
  - एआई, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ मृदा, आईओटी, साइबर सुरक्षा और स्टार्ट-अप लिंकेज पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - फुजित्सु, टोक्यो इलेक्ट्रॉन और सुजुकी जैसी जापानी कंपनियां भारतीय एसएमई को **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत कर रही हैं।**
- **रक्षा एवं सुरक्षा:**
  - संयुक्त **सैन्य अभ्यास:** विशेष रूप से मिलन और मालाबार श्रृंखला जैसे नौसैनिक अभ्यास
  - भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना (यूनिकॉर्न) मस्तूलों का सह-विकास
  - **अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (एसीएसए): 2020 में हस्ताक्षरित**, दोनों सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान की अनुमति देता है
  - **संवाद तंत्र:** रक्षा मंत्रियों की बैठकें, सेवा प्रमुखों के दौरे, संयुक्त स्टाफ वार्ता (2024)।
- **हरित ऊर्जा एवं स्थायित्व: स्वच्छ हाइड्रोजन, अमोनिया, बायोगैस, टिकाऊ ईंधन और बैटरी आपूर्ति** पर सहयोग।
  - उदाहरण के लिए, बायोगैस परियोजनाओं में जापानी निवेश (जैसे, गुजरात में सुजुकी-एनडीडीबी)।
- **लोगों से लोगों का** संपर्क **एवं मानव संसाधन:**
  - **पर्यटन:** 2023-24 को **पर्यटन** एक्सचेंज **वर्ष** (हिमालय से माउंट फूजी) के रूप में मनाया गया।
  - **प्रवासी:** जापान में 54,000 भारतीय, जिनमें से अधिकांश आईटी पेशेवर और इंजीनियर हैं।
  - **जनसांख्यिकीय पूरकता:** जापान की वृद्ध होती जनसंख्या ↔ भारत का युवा कार्यबल।
  - **भारत-जापान टैलेंट ब्रिज: 5 वर्षों में 5 लाख एक्सचेंज** का लक्ष्य, सेमीकंडक्टर, एआई, रोबोटिक्स और आईटी पर ध्यान केंद्रित करना।
  - आईआईटी, बिट्स, आईआईएससी, डीयू में कैरियर कार्यक्रम → जापानी फर्मों द्वारा सीधी भर्ती।
- **क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग:**
  - **क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया)** के माध्यम से सहयोग।
  - **एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर** और टीआईसीएडी (अफ्रीकी विकास पर टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) में समन्वय।
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार** में भारत की भूमिका का पुरजोर समर्थन करता है।

भारत-जापान संबंधों में चुनौतियाँ

- **आर्थिक वितरण अंतराल:** विनियामक बाधाओं के कारण वास्तविक निवेश प्रवाह धीमा होता है।
- **चीन कारक:** हालांकि दोनों देशों की चिंताएं समान हैं, जापान आर्थिक रूप से चीन से बंधा हुआ है; बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन बनाने से नीतिगत सावधानी की आवश्यकता होती है।
- **व्यापार असंतुलन:** द्विपक्षीय व्यापार (~ 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2023) अपनी क्षमता से कम बना हुआ है; यह काफी हद तक जापान के पक्ष में झुका हुआ है।

- **श्रम एवं सांस्कृतिक बाधाएं:** जापान में भारतीय श्रमिकों को भाषा, सांस्कृतिक और वीजा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **परियोजना में देरी:** बुलेट ट्रेन जैसी प्रमुख परियोजनाओं को लागत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं और देरी का सामना करना पड़ता है।
- **भू-राजनीतिक भिन्नताएं:** जहां जापान अमेरिका के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, वहीं भारत ऊर्जा के क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता चाहता है (जैसे, रूस से आयात), जिसके कारण कभी-कभी नीतिगत विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं।

आगे की राह

- **आर्थिक एकीकरण:** बुनियादी ढाँचे से आगे बढ़कर **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन साझेदारी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तक विस्तार करना (जैसा कि नवीनतम शिखर सम्मेलन में सहमति हुई थी)।** द्विपक्षीय सहयोग में विश्वसनीयता का संकेत देने के लिए उच्च-स्तरीय परियोजनाओं (बुलेट ट्रेन) में तेजी लाना।
- **रणनीतिक समन्वय:**
  - इंडो पैसिफिक रणनीतियों को सरेखित करना-भारत को **एक्ट ईस्ट** को जापान के **एफओआईपी दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करना चाहिए।**
  - **संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और साइबर सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से** रक्षा सहयोग को मजबूत करना।
- **चीन कारक को संतुलित करना:** अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता के बिना, **मुद्दा-आधारित गठबंधनों (समुद्री क्षेत्र जागरूकता, दुर्लभ मृदा आपूर्ति में लचीलापन)** पर काम करना। जापान के आर्थिक प्रभाव और भारत के सामरिक प्रभाव का उपयोग **सीधे टकराव के बिना चीन को संतुलित करने के लिए करना।**
- **रूस के साथ मतभेद को** कम करना: **जापान भारत की रूस पर निर्भरता को समझ सकता है; भारत मानवीय और वैश्विक शासन के मुद्दों** पर जी7+जापान के साथ जुड़ सकता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और मानव पूंजी**
  - **शैक्षणिक आदान-प्रदान, कौशल गतिशीलता और भाषा प्रशिक्षण को** बढ़ावा देना।
  - सामाजिक संपर्क को मजबूत करने के लिए **सॉफ्ट पावर (बौद्ध धर्म, योग, एनीमे कूटनीति)** का उपयोग करना।
- **तीसरे देश का सहयोग:** बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के लिए **अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र** में भारत-जापान सहयोग का विस्तार करना।
  - **उदाहरण:** चीन के बीआरआई का मुकाबला करने के लिए **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) को पुनर्जीवित किया जा सकता है।**

भारत-ईएईयू संबंध: अवसर और चुनौतियाँ

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2 क्षेत्रीय समूहीकरण

संदर्भ

भारत और रूस के नेतृत्व वाले **यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)** के लिए वार्ता शुरू करने हेतु रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है।

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बारे में

- सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देकर एक एकीकृत आर्थिक ढांचा बनाना है।
- यूरेशियन आर्थिक संघ संधि द्वारा स्थापित, 29 मई 2014 को हस्ताक्षरित, और 1 जनवरी 2015 को प्रभावी। (संस्थापक सदस्य: रूस, कजाकिस्तान और बेलारूस)
- सदस्य: रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान।
- सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: रूस,व्यापार का 92% से अधिक हिस्सा है।
- मौजूदा एफटीए: चीन, ईरान, वियतनाम, सर्बिया।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी): 2.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक।
- औद्योगिक उत्पादन: वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का 2.2% हिस्सा।

भारत-ईएईयू व्यापार की वर्तमान स्थिति

- द्विपक्षीय व्यापार (भारत-रूस):
  - 2024-25: $68.7 बिलियन (महामारी-पूर्व की तुलना में 5.5 गुना अधिक)।
  - निर्यात: 4.88 बिलियन डॉलर .
  - आयात: 63.84 बिलियन डॉलर (मुख्यत: रियायती कच्चा तेल)।
  - रूस से भारत का तेल आयात: कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 20%।
- भारत-ईएईयू समग्र (वित्त वर्ष 25):
  - निर्यात: 5.5 बिलियन डॉलर (मुख्यत: रूस-केंद्रित)।
  - आयात: 64 बिलियन डॉलर (तेल का हिस्सा अधिक)
  - प्रमुख व्यापार साझेदार: आर्मेनिया ($264 मिलियन निर्यात), कजाकिस्तान ($263 मिलियन), किर्गिस्तान ($46 मिलियन), बेलारूस ($53 मिलियन)।
- व्यापार संरचना: तेल आयात पर अधिक निर्भरता, निर्यात विविधता कम

EAEU में भारत के लिए अवसर

- **व्यापार:** भारत और ईएईयू के बीच व्यापार कारोबार बढ़ रहा है, जो 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
  - 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ, प्रस्तावित एफटीए से भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होने, नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को समर्थन मिलने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में सख्ती (उच्च टैरिफ, प्रतिबंधों का दबाव) के कारण, EAEU नए गंतव्यों को प्रस्तुत करता है।
  - **निर्यात क्षमता वाले क्षेत्र:**
    - » फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा उपकरण
    - » कृषि एवं समुद्री उत्पाद (मछली, मसाले, चावल)
    - » इंजीनियरिंग सामान, प्लास्टिक, रबर, ऑटो घटक
    - » वस्त्र एवं परिधान

भारत के लिए महत्त्व

ऊर्जा सुरक्षा : मध्य पूर्व की आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता से भारत की रक्षा करता है।

रणनीतिक गहराई: यूरेशिया क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाता है, जो अन्यथा चीन के प्रभाव में रहता है।

आर्थिक लचीलापन: पश्चिमी प्रतिबंधों और शुल्क अवरोधों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

पड़ोसी प्रथम नीति का विस्तार: मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क को मज़बूत करता है और ईरान के साथ संबंधों को (INSTC के माध्यम से) सुदृढ़ करता है।

वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व: भारत को ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करता है जो पश्चिमी और गैर-पश्चिमी दोनों गुटों से जुड़ाव बना सकती है।

- **ऊर्जा सुरक्षा और मूल्य स्थिरता:** रूस पहले से ही **भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 20%** रियायती कीमतों पर आपूर्ति करता है।
  - एफटीए **दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को संस्थागत बना सकता है**, जिससे मध्य पूर्व की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है।
  - **गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा सहयोग** में विस्तार की संभावना।
  - उम्मीद है कि एक बार यह अंतिम रूप ले लेगा और लागू हो जाएगा तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा।
- **मध्य एशिया तक पहुंच:** EAEU के सदस्य (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया) भारत को मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करते हैं।
- **कनेक्टिविटी और व्यापार गलियारे:** अंतर्राष्ट्रीय **उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) के** चालू हो जाने पर भारत और रूस के बीच लागत में **30-40%** और समय में **20 दिन की कमी आएगी।**
  - **इसके अलावा व्लादिवोस्तोक-चेन्नई समुद्री मार्ग** भारत-प्रशांत-आर्कटिक संपर्कों को खोलता है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** ईएईयू के साथ व्यापार को गहरा करने से पश्चिम से परे भारत की साझेदारियों में विविधता आएगी।
  - यह भारत की **बहुध्रुवीय विदेश नीति को मजबूत करता है**, जिससे उसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस के साथ संबंधों को एक साथ संतुलित करने में मदद मिलती है।
  - प्रतिस्पर्धी ब्लॉकों के बीच कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करके **वैश्विक दक्षिण में** भारत की नेतृत्वकारी भूमिका भी बढ़ेगी।
- **औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग:** संभावित संयुक्त उद्यम:
  - **रक्षा विनिर्माण** (जैसे, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, स्पेयर पार्ट्स)

  - **अंतरिक्ष सहयोग** (भारत का इसरो एवं रूस का रोस्कोस्मोस)
  - **एआई, डिजिटल व्यापार और फिनटेक सहयोग** (एससीओ के एआई रोडमैप पर आधारित)
- **भारतीय एसएमई और किसानों को बढ़ावा:** परिधान, चमड़ा, हस्तशिल्प, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के एसएमई को टैरिफ में कमी के कारण नए बाजार मिल सकते हैं।

चुनौतियां

- **भू-राजनीतिक जोखिम:** रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों से बैंकिंग, रसद और भुगतान प्रक्रिया जटिल हो गई है। रूस के साथ बढ़ते व्यापार से अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पर दबाव पड़ने का खतरा है।
- **व्यापार असंतुलन:** भारत का निर्यात विशाल तेल आयात की तुलना में कम बना हुआ है।
  - रूस के साथ 2024-25 व्यापार संतुलन: **-58.9 बिलियन डॉलर**। विविधीकरण के बिना, एफटीए विषमता को और गहरा कर सकता है।
- **रसद और भुगतान बाधाएँ:** INSTC का कार्यान्वयन धीमा है और भू-राजनीतिक बाधाओं से ग्रस्त है। भुगतान तंत्र (**वॉस्ट्रो खातों** के माध्यम से रुपया- रूबल) प्रतिबंधों के कारण बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
- **नाजुक राजनीतिक संदर्भ:** EAEU अर्थव्यवस्थाएं (बेलारूस, किर्गिस्तान, आर्मेनिया) राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं, बाहरी प्रभाव के प्रति संवेदनशील हैं।
- **चीन के प्रभाव के साथ ओवरलैप:** रूस और मध्य एशिया चीन के **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से गहराई से जुड़े हुए हैं।**

आगे की राह

- **संतुलित कूटनीति:** रूस और पश्चिमी देशों के बीच **समान दूरी** बनाए रखना। भारत-अमेरिका-यूरोपीय संघ संबंधों को कमजोर किए बिना मुक्त व्यापार समझौते को आर्थिक लाभ के रूप में इस्तेमाल करना।
- **व्यापार में विविधता लाना:** तेल पर निर्भरता कम करने के लिए **फार्मा, आईटी, कपड़ा, कृषि** और **ऑटो घटकों** में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना।
- **कनेक्टिविटी निवेश:** विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स के लिए **आईएनएसटीसी**, **चाबहार बंदरगाह** और **व्लादिवोस्तोक-चेन्नई मार्ग** पर काम में तेजी लाना।
- **भुगतान प्रणालियों को मजबूत करना: प्रतिबंधों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए रुपया-आधारित निपटान** और डिजिटल व्यापार प्लेटफार्मों का विस्तार करना।
- **क्षेत्रीय आउटरीच:** रूस-केंद्रित निर्भरता को कम करने के लिए कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, बेलारूस के साथ अधिक सक्रियता से जुड़ना।

प्रस्तावित भारत-ईएईयू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) एक साहसिक दांव है। यह भारत को निर्यात में विविधता लाने, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और अपनी यूरेशियाई उपस्थिति का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन व्यापार असंतुलन और पश्चिमी प्रतिरोध का भी जोखिम है। इसकी सफलता भू-राजनीति को आर्थिक व्यावहारिकता के साथ संतुलित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर निर्भर करती है, जिससे यह भारत की बहुध्रुवीय व्यापार और ऊर्जा रणनीति का एक संभावित स्तंभ बन जाता है।

ईरान परमाणु संकट और भारत की भूमिका

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2 विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव

संदर्भ

जून 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर किए गए हमले, तथा उसके बाद E3 द्वारा 2015 जेसीपीओए (JCPOA) के स्नैपबैक क्लॉज को सक्रिय करने से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है।

स्नैपबैक तंत्र के बारे में

यह जेसीपीओए के किसी भी भागीदार को ईरान पर पहले हटाए गए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को एकतरफा रूप से फिर से लागू करने की अनुमति देता है, अगर उन्हें लगता है कि ईरान ने समझौते का उल्लंघन किया है। यह प्रक्रिया स्वचालित है, जिसमें प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से पहले सुरक्षा परिषद को कार्रवाई करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है।

- **E3 का स्नैपबैक सक्रिय करने का निर्णय:** 28 अगस्त, 2025 को, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी (जिन्हें सामूहिक रूप से E3 कहा जाता है) ने ईरान द्वारा JCPOA का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए स्नैपबैक प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने ईरान द्वारा अनुमत स्तर से अधिक उच्च संवर्धित यूरेनियम के संचय और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करने से इनकार को प्रमुख उल्लंघनों के रूप में रेखांकित किया।
- **ईरान की प्रतिक्रिया:** ईरान ने E3 के कार्यों की कड़ी निंदा की है और उन्हें अनुचित और अवैध बताया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रतिबंध फिर से लागू किए गए तो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से संभावित वापसी सहित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

वैश्विक प्रभाव

- **बहुपक्षवाद के लिए चुनौती:**
  - E3 (यूके, जर्मनी, फ्रांस) द्वारा **स्नैपबैक क्लॉज का आहवान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की विश्वसनीयता** की परीक्षा है।
  - यदि जेसीपीओए विफल हो जाता है, तो इससे हथियार नियंत्रण के लिए बातचीत का मानदंड कमजोर हो सकता है और अन्य देशों को बहुपक्षीय व्यवस्थाओं से अलग होने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में परिवर्तन:**
  - इजराइल और खाड़ी के राजतंत्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं- जहां एक राज्य की सुरक्षा की चाहत दूसरों के लिए असुरक्षा को बढ़ाती है।
  - पश्चिम एशिया में **निवारक हमलों** की संभावना बढ़ती है।
- **ऊर्जा भूराजनीति:**
  - **वैश्विक तेल व्यापार का 20% हिस्सा** होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, अत: अस्थिरता से वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल का खतरा है।
  - आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं (भारत, जापान, यूरोपीय संघ) मूल्य अस्थिरता का सामना करती हैं, जबकि निर्यातक (रूस, खाड़ी देश) लाभ उठा सकते हैं।
- **अप्रसार व्यवस्था की विश्वसनीयता:**
  - यदि ईरान, स्नैपबैक उपायों के जवाब में **एनपीटी से बाहर निकलता है** तो यह उत्तर कोरिया (2003) के बाद पहला बड़ा पलायन होगा, जिससे **वैश्विक परमाणु अप्रसार संरचना को गंभीर झटका लगेगा।**
  - इससे **डोमिनो प्रभाव उत्पन्न हो सकता है**, तथा अन्य देश अपने परमाणु विकल्पों पर पुन: विचार कर सकते हैं।
- **अमेरिका बनाम संशोधनवादी शक्तियां:**
  - अमेरिका इस संकट को **परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए एक अग्निपरीक्षा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है,** तथा अपनी प्रधानता की पुन: पुष्टि करना चाहता है।
  - हालाँकि, रूस और चीन इस स्थिति को **अमेरिकी प्रभुत्व को खत्म करने,** तेहरान के साथ संबंधों को मजबूत करने और खुद को वैकल्पिक शक्ति के रूप में पेश करने के अवसर के रूप में देखते हैं।

सत्यापित तथ्यों में अंतर

- **आईएईए निरीक्षण का अभाव:** निष्पक्ष जाँच के बिना, ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत केवल खुफिया दावों पर निर्भर करती है। इससे गलत निर्णय और यहाँ तक कि सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है।
- **तुलना:** यूक्रेन में, जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र में IAEA की उपस्थिति ने विश्वसनीय जानकारी दी, जिससे उथल पुथल कम हुई। ईरान में, ऐसी निगरानी के अभाव से तेल, व्यापार और वित्त में अनिश्चितता बढ़ रही है।
- **विश्वास का संकट:** जब वैश्विक संस्थाएं सत्यापित तथ्य उपलब्ध नहीं करा पातीं, तो देश अपने स्वयं के अनुभवों पर निर्भर हो जाते हैं, जो प्राय: रणनीतिक हितों से प्रभावित होते हैं।

ईरान की रणनीतिक चिंताएँ

- **संप्रभुता बनाम नियम:** ईरान का तर्क है कि उसकी संप्रभुता संधि प्रतिबद्धताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह निरीक्षणों को सुरक्षा जोखिम मानता है।
- **अतीत का अनुभव:** अतीत में इजरायल और अमेरिका के हमले IAEA के खुलासे के तुरंत बाद हुए थे, जिससे ईरान को निरीक्षणों पर भरोसा नहीं रहा।

- **अस्पष्टता का लाभः** विवरण अस्पष्ट रखकर, ईरान वार्ता में सौदेबाजी की शक्ति हासिल कर लेता है।
- **एनपीटी से बाहर निकलने का खतराः** यदि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलता है, तो इससे आईएईए का अधिकार और वैश्विक परमाणु मानदंड कमजोर हो जाएंगे।

भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **राजनयिक मध्यस्थताः IAEA बोर्ड के** एक दीर्घकालिक सदस्य के रूप में, भारत को सभी क्षेत्रों में विश्वसनीयता प्राप्त है। **SCO और BRICS (दोनों ईरान सहित) के भीतर, भारत IAEA तक पहुँच बहाल करने के आह्वान का समर्थन कर सकता है, जिसे ईरान की संप्रभुता के विकल्प** के रूप में देखा जा सकता है, न कि किसी बाहरी रियायत के रूप में।
- **तकनीकी योगदानः**
  - भारत की **आईएईए प्रमाणित तारापुर सुविधा** सुरक्षा उपायों के तहत परमाणु नमूना विश्लेषण कर सकती है, जिससे ईरान की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए पारदर्शिता बढ़ेगी।
  - सुरक्षा उपायों पर विशेषज्ञता साझा करने से ईरान के नागरिक दावे मजबूत हो सकते हैं।
- **वैश्विक दक्षिण की आवाजः** वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाकर, भारत **संतुलित सत्यापन के लिए तर्क दे सकता है** जो अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संप्रभुता की रक्षा करता है।
- **अपने हितों की रक्षा करनाः**
  - **ऊर्जा सुरक्षाः** होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल प्रवाह में स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - **प्रवासी सुरक्षाः** पश्चिम एशिया में 8 मिलियन भारतीयों की सुरक्षा।
  - **क्षेत्रीय स्थिरताः** भारत के विस्तारित पड़ोस में तनाव को रोकना।
- **एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में छविः** सक्रिय भागीदारी वैश्विक परमाणु मुद्दे पर एक आदर्श पक्ष होने के भारत के दावे को बढ़ाती है।

पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौताः भारत और पश्चिम एशिया पर प्रभाव

सिलेबस मैपिंगः सामान्य अध्ययन-2 द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया है।

समझौते के प्रमुख खंड

- **पारस्परिक रक्षा खण्डः** किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।
- **संयुक्त निवारणः** दोनों राष्ट्र बाहरी खतरों के विरुद्ध निवारण और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं।
- **व्यापक सहयोगः** इसमें प्रशिक्षण, परामर्श, हथियारों की खरीद और संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
- **सुरक्षा संबंधों का संस्थागतकरणः** 1982 के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौते पर आधारित, दशकों से चली आ रही तदर्थ व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देना।
- **परमाणु** शक्ति **की अस्पष्टताः** स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन सऊदी अधिकारियों ने संकेत दिया कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता संभवतः रोधन (डिटरेंस) का आधार बन सकती है।
- **द्विपक्षीयता से परेः** क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में तैयार किया गया, जो बड़ी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का संकेत देता है।

रणनीतिक संदर्भ

- **इजरायल की बढ़ती गतिविधियांः** ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन में इजरायल के व्यापक अभियानों के बीच, कतर में इजरायल के हमले के कुछ दिनों बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए।
- **अमेरिकी सुरक्षा गारंटी में कमीः** खाड़ी सुरक्षा के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता कम होने के कारण, रियाद अपने रक्षा साझेदारों में विविधता ला रहा है।
- **ईरान का परमाणु** शक्ति का विकासः यह समझौता रियाद के दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्वी ईरान के विरुद्ध सऊदी अरब की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।

- **पाकिस्तान का वित्तीय तनाव:** इस्लामाबाद ने रियाद के साथ गठबंधन करके महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और सैन्य विश्वसनीयता हासिल कर ली है।
- **ऐतिहासिक निरंतरता:** मक्का और मदीना की रक्षा करने तथा सऊदी सेनाओं को प्रशिक्षण देने में पाकिस्तान की पिछली भूमिका पर आधारित।

दोनों देशों को क्या लाभ होगा?

पाकिस्तान	सऊदी अरब
• **आर्थिक जीवनरेखा:** पाकिस्तान को गहरे वित्तीय संकट के समय सऊदी निवेश और सहायता प्राप्त हुई।	• **उन्नत** डिटरेन्स: पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार के माध्यम से सैन्य गहराई प्राप्त करना, ईरान और इजरायल को संतुलित करना।
• **सामरिक प्रासंगिकता:** दक्षिण एशिया से परे, अखिल-इस्लामिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में इस्लामाबाद के दावे को मजबूत करता है।	• **सामरिक स्वायत्तता:** अनिश्चित अमेरिकी गारंटियों पर निर्भरता कम करती है, सुरक्षा साझेदारों में विविधता लाती है।
• **हथियार खरीद:** संभवत: इससे पाकिस्तान को सऊदी फंडिंग के माध्यम से अमेरिकी हथियारों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी।	• **ईरान एवं उसके छद्म** बलों **का मुकाबला:** यमन में हूथी तथा इराक/लेबनान में शिया मिलिशिया के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत करना।
• **वैश्विक स्थिति:** पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की भूमिका को बढ़ावा, खाड़ी राजतंत्रों के साथ संबंधों को बढ़ावा।	• **क्षेत्रीय नेतृत्व:** सऊदी अरब को अखिल-इस्लामी रक्षा संरचना के नेता के रूप में स्थापित करना।
• **परमाणु सौदेबाजी:** सऊदी अरब को संरक्षण प्रदान करके तथा डिटरेन्स को मजबूत करके अपनी परमाणु स्थिति को बढ़ाता है।	• **प्रशिक्षित जनशक्ति तक पहुंच:** पाकिस्तान की अनुभवी सेना और विशेष बलों का लाभ उठाया जा सकेगा।
• **घरेलू राजनीति:** सैन्य प्रतिष्ठा हासिल करता है, जिससे पाकिस्तान की विदेश नीति पर सेना का प्रभाव मजबूत होता है।	• **प्रतीकात्मक संदेश:** किसी परमाणु देश के साथ पहला बड़ा अरब रक्षा समझौता, जो रियाद की नई सुरक्षा नीति का संकेत है।

भारत का रुख और निहितार्थ

- **आधिकारिक स्थिति:** भारत ने सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह इससे अवगत है और राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा।
- **सऊदी संतुलन अधिनियम:** रियाद **भारत के साथ घनिष्ठ संबंध** (रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा व्यापार) रखता है और इस समझौते को दिल्ली के विरुद्ध जाने से रोक सकता है।
- **सुरक्षा चिंताएं: इस समझौते का** परमाणु आयाम क्षेत्रीय हथियारों की होड़ के बारे में चिंता पैदा करता है।
- **पाकिस्तान** को **लाभ:** इस्लामाबाद इस समझौते का उपयोग कश्मीर मुद्दे पर अपनी ताकत दिखाने के लिए कर सकता है, हालांकि रियाद पारंपरिक रूप से तटस्थ रहा है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** सऊदी अरब के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भारत को बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच तेल आपूर्ति की सुरक्षा करनी होगी।
- **रणनीतिक सावधानी: भारत को कूटनीतिक संतुलन की** आवश्यकता होगी, सऊदी अरब के साथ साझेदारी को बनाए रखते हुए रियाद और इस्लामाबाद के घनिष्ठ संबंधों पर नजर रखनी होगी।

भारत-सऊदी संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन

- **व्यापार और ऊर्जा:** द्विपक्षीय व्यापार **42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24);** सऊदी अरब **भारत के कच्चे तेल के आयात का 20% आपूर्ति करता है।**
- **रणनीतिक साझेदारी: दिल्ली घोषणा (2006)** और **रियाद घोषणा (2010)** के माध्यम से विकसित।
- **राजनीतिक जुड़ाव:** प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय यात्राएं (2016, 2019, 2023); क्राउन प्रिंस ने 2019 और 2023 में भारत का दौरा किया।
- **आतंकवाद-विरोध:** रियाद ने पुलवामा (2019) की निंदा की और तटस्थता दिखाते हुए भारत के बालाकोट हमलों की आलोचना से परहेज किया।
- **रक्षा सहयोग:** संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सूचना-साझाकरण और आतंकवाद-निरोध पर संवाद।
- **सांस्कृतिक संबंध:** सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी (लगभग 2.5 मिलियन), जो प्रतिवर्ष अरबों डॉलर भारत भेजते हैं।

भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय महत्व

- **खाड़ी सुरक्षा संरचना में बदलाव:** परमाणु शक्ति संपन्न पहले अरब देश के साथ रक्षा समझौता → अमेरिकी निर्भरता में कमी।
- **नया धुरी संगठन:** ईरान और इजरायल के विरुद्ध सऊदी-पाकिस्तान गुट का संभावित उदय।
- **परमाणु मिसाल:** दक्षिण एशिया से परे परमाणु प्रसार या परमाणु छत्र व्यवस्था की आशंकाएं पैदा करता है।

- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** इस समझौते से तेहरान के साथ तनाव बढ़ सकता है, तथा शिया-सुन्नी ध्रुवीकरण गहरा सकता है।
- **इजरायल के लिए संकेत:** इजरायल के विस्तारित आक्रमणों के बीच यह एक कड़ा संदेश है, जिससे टकराव का खतरा बढ़ सकता है।
- **वैश्विक आयाम:** ऊर्जा बाजार, होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन सुरक्षा और समग्र पश्चिम एशियाई स्थिरता पर प्रभाव; भारत, चीन और यूरोपीय संघ पर प्रत्यक्ष परिणाम।

नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2 क्षेत्रीय समूहीकरण

संदर्भ

यूरोपीय संघ (ईयू) ने हाल ही में भारत के साथ एक नए रणनीतिक एजेंडे की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य संबंधों को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाना है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

- यूरोपीय संघ भारत का **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है** और निवेश एवं प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है।
  - **द्विपक्षीय व्यापार (वित्त वर्ष 2023-24):**
    - **वस्तु:** 135 बिलियन डॉलर (निर्यात: 76 बिलियन डॉलर, आयात: 59 बिलियन डॉलर)।
    - **सेवाएँ:** 53 बिलियन डॉलर (निर्यात: 30 बिलियन डॉलर, आयात: 23 बिलियन डॉलर)।
  - भारत **में यूरोपीय संघ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अप्रैल 2000 - सितम्बर 2024):** 117.4 बिलियन डॉलर (कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 16.6%)।
  - यूरोपीय **संघ में भारतीय एफडीआई:** 40.04 बिलियन डॉलर (अप्रैल 2000 - मार्च 2024)।
  - मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता
- यूरोपीय **संघ-भारत सामरिक साझेदारी को** 2004 में औपचारिक रूप दिया गया था, जिसमें व्यापार, जलवायु और सुरक्षा पर क्षेत्रीय वार्ताएं शामिल थीं।
- **पिछली पहल:** यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (2023), मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चाएं, और कनेक्टिविटी पर संयुक्त कार्य (आईएमईसी)।

एजेंडे के अंतर्गत प्रमुख कार्य

इसमें साझा हितों और पूरक शक्तियों के पांच क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो मौजूदा संबंधों को और मजबूत करेंगे तथा उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे जिनमें सहयोग बढ़ाने की संभावना है।

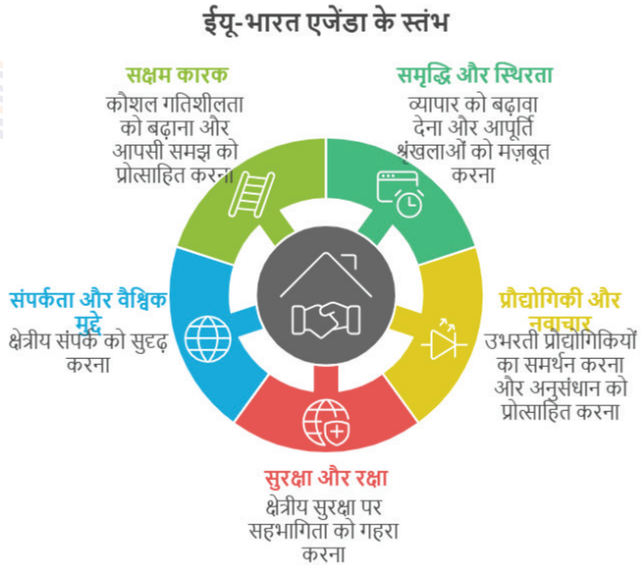

आर्थिक और व्यापार सहयोग

- **मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए):** यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2025 के अंत तक भारत के साथ दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है।
- **आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और लचीले नेटवर्क बनाने के लिए साझेदारी।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग: टीटीसी** के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और एआई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **स्टार्ट-अप और अनुसंधान एवं विकास साझेदारी:** यूरोपीय संघ ने **यूरोपीय संघ-भारत स्टार्टअप साझेदारी** और **होराइजन यूरोप अनुसंधान कार्यक्रम के साथ भारत के सहयोग का प्रस्ताव रखा है।**
- **यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार:** वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार निरंतर बढ़ रहा है, तथा यूरोपीय संघ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक स्थिर स्रोत है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- **सुरक्षा और रक्षा साझेदारी:** इसमें समुद्री सुरक्षा, संकट प्रबंधन, आतंकवाद निरोध और साइबर रक्षा के लिए एक रूपरेखा अपनाने की परिकल्पना की गई है।
- **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** यह रक्षा प्रौद्योगिकियों में **उत्पादन, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने** पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **सूचना साझाकरण:** वर्गीकृत डेटा के आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए **सूचना सुरक्षा समझौते** पर बातचीत का आह्वान।
- **हिंद-प्रशांत सहयोग:** आह्वान समुद्री सुरक्षा, संकर खतरों और अंतरिक्ष पर अधिक सरेखण।

कनेक्टिविटी और वैश्विक जुड़ाव

- **आईएमईसी कॉरिडोर:** यूरोपीय संघ **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का समर्थन करता है,** जो उसकी **ग्लोबल गेटवे पहल का पूरक है।**
- **बहुपक्षवाद:** नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, जी-20 और जलवायु मंचों में समन्वय।
- **जलवायु परिवर्तन:** स्वच्छ ऊर्जा, सतत वित्त और हरित प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त पहल।

गतिशीलता और लोगों के बीच संबंध

- **गतिशीलता ढाँचा:** अध्ययन, कार्य और अनुसंधान के अवसरों को कवर करना।
- **कौशल गतिशीलता:** श्रम गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का शुभारंभ।
- **नागरिक समाज सहभागिता:** थिंक टैंक, युवाओं और नागरिक समाज के साथ सहयोग का विस्तार करना।
- **यूरोपीय संघ-भारत व्यापार मंच:** निजी क्षेत्र के सहयोग को गहरा करना।

साझेदारी में चुनौतियाँ

- **व्यापार विवाद: बाजार पहुंच, टैरिफ और नियामक बाधाओं** पर चिंताएं।
- **विलंबित एफटीए वार्ताएं:** मतभेदों के कारण डिजिटल विनियमन, द्विपक्षीय निवेश संधियों, विवाद समाधान तंत्र और निवेशक संरक्षण पर।
- **कृषि संबंधी मुद्दे:** उच्च टैरिफ: भारत कृषि आयात पर 39 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, जिसे यूरोपीय संघ अनुचित मानता है
  - उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ भारत के डेयरी बाजार तक अधिक पहुंच की मांग करता है, विशेष रूप से यूरोपीय वस्तुओं के लिए।
- **सेवा क्षेत्र वार्ता** के **मुद्दे:**
  - भारत ने आसान व्यावसायिक वीजा की मांग की (मोड 4)
  - यूरोपीय कंपनियां भारत के बैंकिंग, कानूनी, लेखा परीक्षा और वित्तीय सेवा क्षेत्रों तक अधिक पहुंच चाहती हैं।
- **मानवाधिकार मतभेद:** भारत की घरेलू नीतियों की यूरोपीय संघ द्वारा समय-समय पर आलोचना।
- **कार्यान्वयन अंतराल:** पिछले एजेंडों के क्रियान्वयन में देरी
- **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम):** भारत उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों (जैसे इस्पात) से आयात पर यूरोपीय संघ के कार्बन कर को **व्यापार बाधा के रूप में देखता है।**
- **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर):** भारत के डेटा संरक्षण कानून यूरोपीय संघ के कड़े जीडीपीआर ढाँचे से काफी भिन्न हैं, जो सीमा पार डेटा प्रवाह को प्रभावित करते हैं। डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल संप्रभुता की भारत की माँग को लेकर यूरोपीय संघ चिंतित है।

भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मतभेद:

- **यूक्रेन संघर्ष: यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का कड़ा विरोध किया है, जबकि भारत ने** रूस के साथ अपने ऊर्जा और रक्षा संबंधों के कारण तटस्थ रुख बनाए रखा है।
- **चीन नीति मतभेद:** यद्यपि भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही चीन के उदय को सतर्कता से देखते हैं, फिर भी यूरोपीय संघ का चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की सीमाएं: यूरोपीय संघ की विकेन्द्रीकृत** रक्षा नीतियों के कारण यूरोपीय संघ-भारत रक्षा सहयोग अविकसित है।
- **समुद्री सुरक्षा अंतराल:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के बावजूद, इसमें एकीकृत रक्षा नीति का अभाव है, जिससे भारत के साथ सुरक्षा सहयोग कम प्रभावी हो गया है।

- **वीजा और गतिशीलता प्रतिबंध:** भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबंधात्मक वीजा नीतियां, विशेष रूप से ब्लू कार्ड योजना के तहत, गतिशीलता को सीमित करती हैं।
  - यद्यपि इरास्मस जैसी छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, फिर भी **नौकरशाही संबंधी बाधाएं** अक्सर भारतीय छात्रों को यूरोपीय संघ के देशों में अध्ययन करने से रोकती हैं।

आगे की राह

- **त्वरित एफटीए वार्ता: दोनों पक्षों को** आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एफटीए को अंतिम रूप देने हेतु डिजिटल विनियमन, निवेश संरक्षण और व्यापार बाधाओं पर मतभेदों को सुलझाना चाहिए।
  - विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत जारी रखते हुए एक सीमित व्यापार समझौता संपन्न करना।
  - कम विवाद वाले मुद्दों को पहले समाधान करना (जैसे, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल सहयोग, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं)।
- **सतत व्यापार परिवर्तन:** यूरोपीय संघ को एकतरफा सीबीएएम शुल्कों के बजाय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कार्बन क्रेडिट तंत्र के माध्यम से भारत के हरित परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए।
- **हरित एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना:** नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना
- **सुरक्षा एवं समुद्री सहयोग को गहन करना:** संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों और संरचित रक्षा वार्ताओं का विस्तार करने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-यूरोपीय संघ सहयोग बढ़ सकता है।
- **प्रतिभा एवं गतिशीलता आदान-प्रदान को सुगम बनाना:** यूरोपीय संघ ब्लू कार्ड योजना के अंतर्गत वीजा नियमों को सरल बनाना तथा भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए कार्य-अध्ययन के अवसरों में सुधार करना, लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है।
- **यूरोपीय संघ के भीतर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** यूरोपीय संघ के साथ एक समूह के रूप में जुड़ते हुए, भारत को व्यापार और निवेश सहयोग में तेजी लाने के लिए फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना चाहिए।
- **टीम यूरोप पहल को बढ़ावा देना,** जहां यूरोपीय संघ विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से हरित वित्त और स्मार्ट शहरों में एक टीम के रूप में कार्य करता है।

एच1बी वीजा और हालिया अमेरिकी नीतिगत बदलाव

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2 विकसित देशों, प्रवासी समुदायों की नीतियाँ

संदर्भ

अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका के बाहर नए एच-1बी वीजा आवेदकों के लिए 100,000 डॉलर का प्रवेश शुल्क लगाने संबंधी राष्ट्रपति की घोषणा की है, जिससे विशेष रूप से भारतीय तकनीकी कर्मचारियों और छात्रों में चिंता पैदा हो गई है।

H1B वीजा के बारे में

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वीजा है जो **अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट व्यवसायों में उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति देता है।**
- इसकी **स्थापना 1990** में नियोक्ताओं को कौशल की कमी को दूर करने में मदद करने के लिए की गई थी, जिसे घरेलू कार्यबल द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था।
- **विशिष्ट व्यवसाय:** यह उस नौकरी को संदर्भित करता है जिसके लिए विशिष्ट कौशल और शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है।
  - **शैक्षिक आवश्यकता:** अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री या उच्चतर।
  - **विशिष्ट ज्ञान:** किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता जैसे- आईटी विशेषज्ञ, इंजीनियर, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आदि।
- **पात्रता एवं सीमाएँ:**
  - **6 वर्षों** तक वैध (आरंभ में 3 वर्षों के लिए जारी किया जाता है तथा अगले तीन वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकता है)।
  - 6 वर्ष के बाद या तो अमेरिका छोड़ना होगा या स्थायी निवास **(ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन करना होगा।**
  - **वार्षिक सीमा: नियमित सीमा के अंतर्गत 65,000 वीजा।** अमेरिकी विश्वविद्यालयों से एडवांस डिग्री प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त **20,000 वीजा।**

- **लाभार्थी:**
  - **एच-1बी कार्यक्रम में भारतीयों का वर्चस्व है**, जो 2015 से प्रतिवर्ष सभी स्वीकृतियों में **70% से अधिक का योगदान देता है।**
  - चीनी नागरिक **दूसरे स्थान पर हैं**, जो **2018 से अब तक स्वीकृतियों का 12-13% प्रतिनिधित्व करते हैं।**

नवीनतम नीति परिवर्तन (सितंबर 2025 की घोषणा)

- अमेरिका के बाहर से प्रवेश करने वाले एच-1बी धारकों पर **100,000 डॉलर का प्रवेश शुल्क लगाया गया।**
- **प्रयोज्यता:**
  - यह उन मौजूदा वीजा धारकों पर लागू **नहीं** होता जो पहले से ही अमेरिका में हैं और विस्तार या स्थानांतरण चाहते हैं।
  - यह योजना **नए प्रवेशकों और विदेश में भावी लॉटरी विजेताओं पर लागू होती है।**
  - **अमेरिका के भीतर** एच-1बी में परिवर्तित होने वाले एफ-1 छात्रों को छूट दी गई है।
  - एफ-1 छात्रों या **अमेरिका के बाहर के** लोगों **को** भुगतान करना होगा।
- **प्रकृति: राष्ट्रपति की घोषणा** (कानून नहीं), जिसे "राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण" के तहत उचित ठहराया गया है, लेकिन अदालतों में चुनौती दिए जाने की संभावना है।

प्रभाव

भारतीय श्रमिकों और छात्रों पर

- **वित्तीय बाधा:** नए प्रवेशकों, विशेषकर युवा STEM स्नातकों के लिए 100,000 डॉलर का शुल्क एक बड़ी लागत है।
- **अवसरों में कमी:** भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में कम अवसर मिलेंगे।
- **अनिश्चितता:** बार-बार नियमों में बदलाव के डर से छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने से हतोत्साहित हो सकते हैं।

भारतीय आईटी और टेक कंपनियों पर

- **बढ़ी हुई लागत:** भारतीय आईटी कंपनियां (इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो) एच-1बी के माध्यम से प्रतिभाओं को भेजने पर बहुत अधिक निर्भर हैं। प्रति कर्मचारी 100,000 डॉलर की लागत इस मॉडल को अव्यवहारिक बनाती है।
- **भर्ती में बदलाव:** कंपनियां स्थानीय अमेरिकी भर्तियों को प्राथमिकता दे सकती हैं (वेतन के मामले में अधिक महंगी, लेकिन वीजा शुल्क से बचा जा सकता है)।
- **वैश्विक विविधीकरण:** भारतीय कंपनियां अपना परिचालन कनाडा, यूरोप में स्थानांतरित कर सकती हैं, या भारत में केंद्र स्थापित कर सकती हैं।
- **प्रतिस्पर्धा में कमी:** प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के विपरीत, छोटी भारतीय आईटी कंपनियों को अतिरिक्त लागत को वहन करने में कठिनाई हो सकती है।

अमेरिकी कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर

- **प्रतिभा की कमी:** अमेरिकी तकनीकी उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाओं पर निर्भर है। भारतीय प्रतिभाओं पर प्रतिबंध से नवाचार धीमा हो सकता है।
- **बढ़ी हुई लागत:** स्थानीय कर्मचारियों पर निर्भरता से वेतन व्यय बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।
- **अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार प्रभाव:** कुशल आप्रवासियों के कम प्रवाह से नवाचार धीमा हो सकता है तथा अमेरिका की वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है।
- **नीतिगत विरोधाभास:** अमेरिका एआई और सेमीकंडक्टर विकास को बढ़ावा देता है, कुशल आप्रवासन पर प्रतिबंध लगाने से क्षमता बाधित होती है।
- **कानूनी अनिश्चितता:** उद्घोषणा को संभवतः कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कंपनियों की कार्यबल योजना के लिए अनिश्चितता पैदा होगी।

भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए

- **कम धन प्रेषण:** H-1B कर्मचारी भारत के वार्षिक 120+ **बिलियन डॉलर के धन प्रेषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।** कम नियुक्तियों से प्रेषण में कमी आएगी।

- **प्रतिभा पलायन की गतिशीलता:** कुशल श्रमिकों के बहिर्वाह को धीमा कर सकती है, जिससे भारत में घरेलू कार्यबल की उपलब्धता को लाभ हो सकता है।
- **घरेलू दबाव:** अधिक STEM स्नातक यहीं रुक सकते हैं, जिससे भारत का पहले से ही प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार और अधिक दबाव में आ सकता है।
- **आईटी क्षेत्र में घाटा:** भारत का 245 बिलियन डॉलर का आईटी सेवा उद्योग, जो अमेरिका को प्रमुख निर्यातक है, को प्रतिस्पर्धा में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- **भू-राजनीतिक तनाव: व्यापक रणनीतिक सहयोग (क्वाड, I2U2,** रक्षा संबंध) के बावजूद, यह भारत-अमेरिका संबंधों में टकराव का बिंदु बन सकता है।

आगे की राह

- **राजनयिक संलग्नता:** भारत को द्विपक्षीय मंचों (जैसे, भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता, व्यापार नीति मंच) के माध्यम से अपनी चिंताओं को उठाना चाहिए।
- **बाजारों में विविधता:** यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया में आईटी निर्यात और कुशल कार्यबल गतिशीलता का विस्तार करना।
- **घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना:** भारत में उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।
- **कानूनी चुनौती की निगरानी:** संभावित राहत के लिए अमेरिकी अदालती कार्यवाही पर नजर रखना, क्योंकि इसी तरह की घोषणाओं (जैसे, 2017 यात्रा प्रतिबंध) को न्यायिक समीक्षा का सामना करना पड़ा था।
- **छात्रों एवं श्रमिकों को सहायता:** अमेरिका में भारतीय प्रभावित समुदायों को परामर्श एवं कानूनी सहायता प्रदान करना चाहिए।

भारतीय सशस्त्र बलों का थियेटराइजेशन

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-3, सशस्त्र बल

संदर्भ

हाल ही में आर्मी वॉर कॉलेज, महू में संपन्न **त्रि-सेवा सेमिनार (रण संवाद 2025) ने** थिएटर कमान पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

थियेटराइजेशन क्या है?

- **थियेटराइजेशन** एक प्रमुख रक्षा सुधार है, जिसका उद्देश्य भूगोल या शत्रुओं के आधार पर **थलसेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत कमान के अंतर्गत लाना है।**
- अलग-अलग, सेवा-विशिष्ट कमान के तहत काम करने के बजाय, किसी विशेष थिएटर (संचालन का क्षेत्र) में सभी बलों और परिसंपत्तियों की कमान एक ही थिएटर कमान **के पास होगी,** जिससे **संयुक्त योजना, संयुक्त संचालन और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा।**
- वर्तमान में:
  - सेना → **7 कमान**
  - भारतीय वायुसेना → **7 कमान**
  - नौसेना → **3 कमान**
  - दो त्रि-सेवा कमान पहले से ही मौजूद हैं**: अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) और सामरिक बल कमान (एसएफसी)**। एएनसी एक थिएटर कमान है, जबकि एसएफसी एक कार्यात्मक या विशिष्ट लड़ाकू कमान है।

थियेटराइजेशन की आवश्यकता क्यों है?

- **युद्ध की बदलती प्रकृति: भविष्य के युद्ध बहु-क्षेत्रीय** होंगे: भूमि, समुद्र, आकाश, साइबर और अंतरिक्ष।
  - **उदाहरण:** संघर्ष में ड्रोन, **उच्च परिशुद्धता वाली मिसाइलें, साइबर हमले, अंतरिक्ष आधारित निगरानी** जिसके लिए निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है।
- **बेहतर एकीकरण और दक्षता:** वर्तमान में, सेनाएँ अक्सर **अलग-अलग काम करती हैं**, जिससे संसाधनों का दोहराव होता है और प्रतिक्रिया धीमी होती है। थिएटराइजेशन, एकीकृत कमान के तहत **संसाधनों के एकत्रीकरण** और त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है।

- **अतीत से सीखना: कारगिल युद्ध (1999) ने** संयुक्त योजना और समन्वय में अंतराल को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप **मुख्यालय आईडीएस का निर्माण हुआ।**
- **सीमित संपत्तियों का इष्टतम उपयोग:** भारत के पास **महत्वपूर्ण संपत्तियों** (जैसे, लड़ाकू विमान, अवाक्स, ड्रोन) की कमी है। इन्हें विभिन्न कमानों में बाँटने से समग्र क्षमता कमजोर होती है; थिएटर कमानों के अंतर्गत एकीकरण से **केंद्रीकृत आवंटन संभव होता है।**
- **सामरिक महत्वाकांक्षाएं: चूंकि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति** बनने और बड़े रणनीतिक आयोजनों (जैसे राष्ट्रमंडल या ओलंपिक) की मेजबानी करने की आकांक्षा रखता है, इसलिए **विश्वसनीय रक्षा एकीकरण से** डिटरेन्स और वैश्विक छवि में वृद्धि होती है।

भारत में विकास

1947-1999
सेनाएँ अपने-अपने प्रमुखों के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं; कोई एकीकृत ढाँचा नहीं था

कारगिल युद्ध के बाद (1999)
कारगिल समीक्षा समिति और मंत्रियों के समूह (2001) ने अधिक संयुक्तता और एकीकृत थिएटर कमान की सिफारिश की

2019 (पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण)
सहयोग सुनिश्चित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद के सृजन की घोषणा की

दिसंबर 2019
कैबिनेट ने संयुक्तता को बढ़ावा देने और कमान के पुनर्गठन के लिए सीडीएस पद और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के गठन को मंजूरी दी

जनरल रावत की मृत्यु के बाद (दिसंबर 2021)
जनरल बिपिन रावत (प्रथम सीडीएस): 4 थिएटर कमान का प्रस्ताव - वायु रक्षा, समुद्री, और दो स्थल कमान (पूर्वी और पश्चिमी)
उनके उत्तराधिकारी जनरल अनिल चौहान ने चर्चा फिर से शुरू की; वायु सेना की चिंताओं के कारण विरोधी-विशिष्ट थिएटर कमान के नए प्रस्ताव सामने आए:
- **उत्तरी/पूर्वी थिएटर** → चीन
- **पश्चिमी थिएटर** → पाकिस्तान
- **समुद्री थिएटर** → हिंद महासागर

थियेटराइजेशन को लागू करने में चुनौतियाँ

- **संस्थागत प्रतिरोध: 70 से ज्यादा वर्षों से चली आ रही सेना-विशिष्ट कमान संरचनाओं को** खत्म करना मुश्किल है। हर सेना को अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण और संचालनात्मक स्वायत्तता खोने का डर है।
- **भारतीय वायुसेना की चिंताएं:**
  - **दुर्लभ परिसंपत्तियों** (लड़ाकू विमान, AWACS, टैंकर) के कई थिएटरों में विभाजित होने का खतरा है।
  - भारतीय वायुसेना का कहना है कि वायु शक्ति एक **रणनीतिक, स्वतंत्र शाखा है**, न कि केवल सहायक।
  - पूर्व वायुसेना प्रमुखों (आर.के.एस. भदौरिया, वी.आर. चौधरी और वर्तमान ए.सी.एम. ए.पी. सिंह) ने सैद्धांतिक कमजोरी से बचने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- **सैद्धांतिक और परिचालन संबंधी मुद्दे:** यदि कमान संरचनाएँ अत्यधिक केंद्रीकृत हैं, तो **निर्णय लेने की लंबी श्रृंखला** का जोखिम। विभिन्न थिएटरों के लिए **उत्तरदायित्व पर स्पष्टता का अभाव।**
- **राजनीतिक और कानूनी जटिलताएं:** अंतिम अनुमोदन सरकार के पास है, जिसे **नागरिक-सैन्य नियंत्रण, बजट बाधाओं और अंतर-सेवा असहमति को संतुलित करना होगा।**
- **संक्रमण और प्रशिक्षण लागत:** मुख्यालयों का स्थानांतरण, कमान श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, कार्मिकों का पुन: प्रशिक्षण → भारी वित्तीय और संगठनात्मक बोझ।

सरकार के प्रयास

- **सीडीएस और डीएमए का निर्माण (2019):** सुधारों के लिए संस्थागत आधार।
- **संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड्स:** मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में स्थापित।
- संयुक्त संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं के बीच **क्रॉस-पोस्टिंग।**
- मुख्यालय आईडीएस के अंतर्गत **संयुक्त खरीद एवं प्रशिक्षण पहल।**
- **दो मौजूदा त्रि-सेवा कमान:** एएनसी (2001) और एसएफसी (2003)।
- थिएटर कमान **के प्रस्तावों** पर सक्रिय विचार-विमर्श किया जा रहा है; संशोधित एड्वर्सरी-आधारित संरचना पर विचार किया जा रहा है।
  - सरकार ने **अभी तक थियेटर कमान संरचना को मंजूरी नहीं दी है।**

आगे की राह

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** एक या दो पायलट थिएटर कमान (जैसे, समुद्री, उत्तरी सीमा) से शुरू करके धीरे-धीरे विस्तार करना।
- **आम सहमति बनाना: विभिन्न थिएटरों में वायु संपत्तियों का लचीला आवंटन** सुनिश्चित करके भारतीय वायुसेना की चिंताओं का समाधान करना। भूमिकाओं को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट **सैद्धांतिक ढाँचा बनाना।**

- **विधायी एवं नीतिगत समर्थन:** थिएटर कमानों को वैधानिक समर्थन देने तथा राजनीतिक चक्रों से परे निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **रक्षा सुधार अधिनियम** लागू करना।
- **क्षमता निर्माण:** भारत की लड़ाकू परिसंपत्तियों (लड़ाकू विमान, यूएवी, नौसैनिक जहाज, साइबर/अंतरिक्ष इकाइयां) का विस्तार करना ताकि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव न पड़े।
- **संयुक्त प्रशिक्षण एवं संस्कृति:** संयुक्तता की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त अकादमियों की** स्थापना करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** साइबर, एआई, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और बहु-डोमेन परिचालनों पर ध्यान केंद्रित करना; सुनिश्चित करना कि थिएटर कमान **भविष्य के लिए तैयार हों।**

वैश्विक उदाहरण

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** एकीकृत लड़ाकू कमान (जैसे CENTCOM, AFRICOM, INDOPACOM) भौगोलिक क्षेत्रों में सभी सेवाओं को एकीकृत करते हैं।
- **चीन:** 2016 में अपनी पी.एल.ए. में सुधार किया तथा **पांच थिएटर कमान** (पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, मध्य) बनाए।
- **रूस:** क्षेत्रीय थिएटरों में सेना, नौसेना और वायु सेनाओं को एकीकृत करने वाली संयुक्त रणनीतिक कमान है।
- **भारत के लिए** सीख: थिएटर कमान प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें **राष्ट्रीय आवश्यकताओं, संसाधनों और भूगोल के अनुरूप बनाया जाना चाहिए**, न कि आँख बंद करके नकल की जानी चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय

वैश्विक सुरक्षा गठबंधन

संदर्भ

नेपाल के प्रधानमंत्री ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

वैश्विक सुरक्षा गठबंधन क्या है?

- **लॉन्च: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग** द्वारा अप्रैल 2022 में बोआओ फोरम फॉर एशिया में प्रस्तावित। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा 21 फरवरी, 2023 को जीएसआई पर एक 'अवधारणा पत्र' जारी किया गया।
- **उद्देश्य:** नाटो और AUKUS जैसे **अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधनों का** मुकाबला करने हेतु चीन के नेतृत्व में एक **वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा** प्रस्तुत करना।
  - बीजिंग का दावा है कि यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए चीनी समाधान प्रस्तुत करती है।
- **जीएसआई ढांचे के तहत,** चीन ने निम्नलिखित छह प्रतिबद्धताएं प्रस्तावित कीं:
  - **सामान्य, व्यापक, सहयोगात्मक और सतत सुरक्षा की अवधारणा का पालन करना**
  - सभी राष्ट्रों की **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान** करना।
  - संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करना
  - संघर्ष के दौरान **बातचीत और परामर्श के माध्यम से विवादों को सुलझाने पर जोर देना।**
  - **पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों** (आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, महामारी, जलवायु परिवर्तन) का समाधान करना।
  - **अविभाज्य सुरक्षा** – किसी भी देश को दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा का प्रयास नहीं करना चाहिए।
- **कार्यान्वयन:** चीन प्रमुख देशों से वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए प्रमुख जिम्मेदारियां उठाने का आह्वान करता है।
- **जीएसआई के लिए सहयोग मंच और तंत्र**
- **संयुक्त राष्ट्र-आधारित तंत्र**
- संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों का लाभ उठाना
- आसियान, एससीओ, ब्रिक्स, सीआईसीए और चीन + मध्य एशियाई फाइव फ्रेमवर्क जैसे क्षेत्रीय समूहों का उपयोग करना।
- **उच्च स्तरीय जीएसआई कार्यक्रम:** सुरक्षा सहयोग एजेंडा पर चर्चा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जीएसआई के तहत उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना।
- **सुरक्षा सहयोग मंच:** चीन-अफ्रीका शांति और सुरक्षा मंच, मध्य पूर्व सुरक्षा मंच, अरब लीग, बीजिंग जियांगशान मंच आदि के साथ समर्थन और समन्वय करना।

भारत के लिए चिंता

- **चीन के साथ रणनीतिक तालमेल:** नेपाल द्वारा चीन के जीएसआई का समर्थन, चीन के साथ घनिष्ठ सुरक्षा और रणनीतिक तालमेल का संकेत देता है, जिससे संभवत: उसकी विदेश नीति भारत से दूर हो जाएगी।
- **भारत-नेपाल सहयोग पर प्रभाव:** यदि नेपाल चीन के सुरक्षा एजेंडे के साथ तेजी से जुड़ता है, तो भारत को नेपाल के साथ संयुक्त सुरक्षा पहल, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद-रोधी सहयोग को आगे बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- **क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:** जीएसआई चीन के नेतृत्व वाले सुरक्षा ढाँचे को बढ़ावा देता है। नेपाल के समर्थन से चीन को दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

कच्चाथीवु द्वीप

संदर्भ

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हाल ही में कच्चाथीवु द्वीप का दौरा किया।

द्वीप के बारे में

- कच्चाथीवु **पाक जलडमरूमध्य** में एक **निर्जन अपतटीय द्वीप है।**
- **मछुआरों द्वारा पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने के अभियानों के दौरान** इसे विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।
- इस द्वीप में ताजे पानी के स्रोतों का अभाव है, जिसके कारण यह स्थायी निवास के लिए अनुपयुक्त है।

1974 का भारत-श्रीलंका समुद्री समझौता

- इसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का निश्चित समाधान करना है।
- भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कच्चाथीवू को न्यूनतम सामरिक महत्व का मानते हुए श्रीलंका को सौंप दिया।
- इस **समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को** बिना वीजा के कच्चाथीवू में **आराम करने, जाल सुखाने तथा धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति मिल गई, हालांकि मछली पकड़ने के अधिकारों से संबंधित कुछ मुद्दों का** समाधान नहीं हो पाया।
- **आगामी घटनाक्रम:**
  - **1976:** भारत के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे श्रीलंका के ऐतिहासिक जल, प्रादेशिक सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, जिससे कच्चाथीवू के पास मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर अस्पष्टता पैदा होती है।
  - **श्रीलंकाई गृहयुद्ध का प्रभाव (1983-2009):** इस संघर्ष ने सीमा विवादों को स्थगित कर दिया, भारतीय मछुआरे अक्सर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अतिक्रमण करने लगे, जिससे मछली पकड़ने की प्रथाओं और संसाधनों को लेकर तनाव पैदा हो गया।

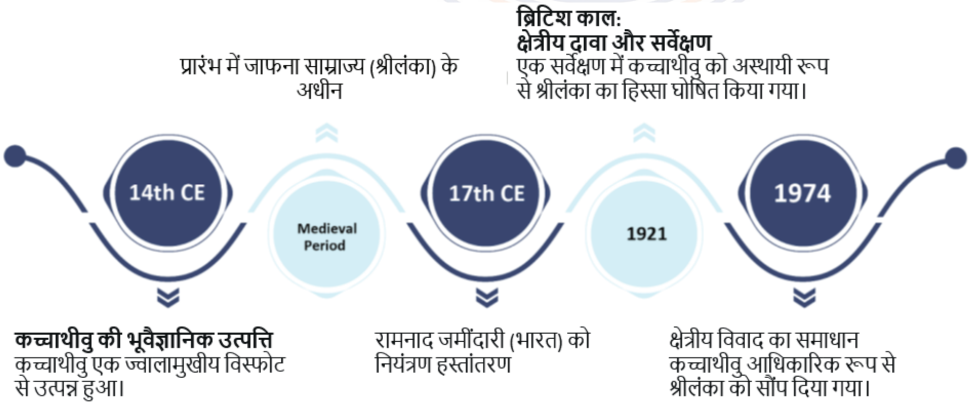

  - श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमाओं पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा कुछ मामलों में उनके साथ दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे।

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश संधि

संदर्भ

इजराइल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला ओईसीडी देश बन गया।

द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) क्या है?

- यह **दो संप्रभु देशों के बीच एक पारस्परिक समझौता है जो** एक देश के निवेशकों द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र में किए गए **निवेश के संवर्धन और संरक्षण** के लिए नियम निर्धारित करता है।
- भारत ने अपना **पहला बीआईटी 1994 में** यूके के साथ हस्ताक्षरित किया था।
- **2015** में भारत ने नया मॉडल द्विपक्षीय निवेश समझौता **(BIT)** अपनाया, जिसने **1993** के संस्करण को प्रतिस्थापित किया।

भारत के मॉडल बीआईटी (2015) की मुख्य विशेषताएं

- **निवेश की संकीर्ण परिभाषा: निवेश में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, महत्वपूर्ण जोखिम और मेजबान देश की अर्थव्यवस्था में योगदान** जैसी विशेषताएं होनी चाहिए।
  - यह सट्टा निवेशकों द्वारा "ट्रीटी शॉपिंग" को रोकता है।
- **निष्पक्ष एवं समतामूलक व्यवहार (एफईटी):** पहले बीआईटी ने व्यापक एफईटी की गारंटी दी थी, जिससे विवाद उत्पन्न हुए।
  - 2015 मॉडल इसे **विशिष्ट सुरक्षा तक सीमित कर देता है**, जैसे:
    - » कानूनी कार्यवाही में न्याय से इनकार नहीं किया जाएगा।
    - » उचित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं।
    - » राष्ट्रीयता जैसे आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
- **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस):** मध्यस्थता **स्वचालित नहीं है।**
  - निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले कम से कम **5 वर्षों तक सभी घरेलू समाधानों** (भारत में न्यायालयों) का उपयोग करना होगा।
- **अधिग्रहण:** अधिग्रहण केवल **सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से और उचित मुआवजे के विरुद्ध अनुमत है।**
  - **सार्वजनिक हित** (स्वास्थ्य, पर्यावरण, वित्तीय स्थिरता, आदि) में विनियमन करने के भारत के अधिकार का अधिक सुदृढ़ संरक्षण।
- **एमएफएन खंड का लोप:** सर्वाधिक **पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन)** खंड का लोप → निवेशकों को भारत द्वारा हस्ताक्षरित अन्य संधियों से लाभ का दावा करने से रोकता है।

भारत-इजराइल सहयोग

भारत ने 17 सितंबर, 1950 को इजरायल को मान्यता दी; 1992 में राजनयिक संबंध पूरी तरह से स्थापित हुए। वर्ष 2022-23 पूर्ण राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

- **आर्थिक संबंध:** 1992 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (मुख्यत: हीरों) के स्तर से शुरू होकर भारत का माल व्यापार विविधतापूर्ण हो गया है और 2022-23 वित्त वर्ष में (रक्षा को छोड़कर) 10.77 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। 2023-24 और 2024-25 के वित्त वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार (रक्षा को छोड़कर) क्रमश: 6.53 अरब अमेरिकी डॉलर और 3.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और व्यापार मार्गों में व्यवधान के कारण गिरावट देखी गई।
- भारत, वस्तु व्यापार के लिए एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार देश है।
- **निवेश**
  - इजराइल में भारतीय निवेश: अप्रैल 2000 से अप्रैल 2025 के दौरान भारत से संचयी ओडीआई 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - **भारत में इजराइली निवेश:** अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के दौरान, भारत में इजराइल का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 334. 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत में इजराइल के 300 से ज्यादा निवेश हैं, जिनमें मुख्यत: उच्च तकनीक, कृषि और जल क्षेत्र शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** I2U2 साझेदारी (भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका) में सक्रिय भागीदारी। 2022 में राष्ट्र प्रमुखों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित।
- **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी:** भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार निधि (I4F) के माध्यम से सहयोग।
- **रक्षा संबंध:** बराक-8 मिसाइल प्रणाली का संयुक्त विकास। हाइफा में भारतीय नौसेना के नियमित दौरे और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग।
- **लोगों से लोगों के बीच और सामुदायिक संबंध:** भारतीय प्रवासी: इजराइल में लगभग 26,000 भारतीय नागरिक (देखभालकर्ता, व्यापारी, आईटी पेशेवर, छात्र)।
- **ऑपरेशन अजय (भारतीय नागरिकों की सुरक्षा)**
  - 7 अक्टूबर (2023) के इजराइली हमलों के बाद, भारत ने 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की।
  - 12-22 अक्टूबर, 2023 के बीच विशेष उड़ानों के माध्यम से 1,300 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)

संदर्भ

भारत ने दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) - यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) एकीकरण परियोजना का शुभारंभ किया।**

इसका महत्व क्या है?

- **सीमा पार धन हस्तांतरण को तेज, सस्ता और सुरक्षित** बनाता है।
- **प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों**, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, की सहायता करता है।
- **यूपीआई की गति** के साथ **डाक नेटवर्क के विश्वास का** उपयोग करता है।
- **वित्तीय समावेशन को** बढ़ावा देता है और भारत के **डिजिटल इंडिया एवं विकसित भारत** विजन का समर्थन करता है।

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** और **यूपीयू शासन में भारत की भूमिका को** मजबूत करता है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बारे में

- **स्थापित:** 1874,
- **मुख्यालय:** बर्न, स्विट्जरलैंड।
- **स्थिति:** 1948 से **संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की** एक विशेष एजेंसी।
- **सदस्यता:** 192 सदस्य देश।
  - संयुक्त राष्ट्र का **कोई भी गैर-सदस्य देश यूपीयू का सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि उसके अनुरोध को** यूपीयू के **कम से कम दो-तिहाई सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया जाए।**
- **अधिदेश:**
  - सदस्य राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय डाक नीतियों का समन्वय करना।
  - सुचारू, सस्ती और विश्वसनीय **सीमा पार मेल और वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करना।**
  - डाक प्रणालियों (पता प्रारूप, डाक कोड, पार्सल ट्रैकिंग, आदि) का मानकीकरण करना।
  - डाक नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सहयोग को प्रोत्साहित करना।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)

संदर्भ

भारत ने **संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव** (फ्रांस द्वारा प्रस्तुत) के **पक्ष में मतदान किया, जो** फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और **द्वि-राज्य समाधान पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन करता है।**

न्यूयॉर्क घोषणापत्र क्या है?

- **फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र को** फ्रांस **और सऊदी अरब** की सह-अध्यक्षता में एक **उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (जुलाई 2025) में प्रसारित किया गया था।**
- यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है:
  - सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से **गाजा में युद्ध समाप्त करना।**
  - इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का **शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान** प्राप्त करना।
  - द्वि-राज्य समाधान (इजराइल और फिलिस्तीन शांति और सुरक्षा के साथ एक साथ रहें) को लागू करना।
  - इजरायलियों के लिए शांति और सुरक्षा की गारंटी देते हुए **फिलिस्तीनियों के लिए आत्मनिर्णय** सुनिश्चित करना।

- दो-राज्य समाधान एक अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को दो स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों की स्थापना के माध्यम से सुलझाना है।
  - **इजराइल:** मौजूदा राज्य
  - **फिलिस्तीन:** इसमें **पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और पूर्वी येरुशलम** शामिल है।

द्वि-राज्य समाधान पर भारत का रुख

- **दो-राज्य** ढांचे के लिए समर्थन: भारत दो स्वतंत्र, संप्रभु देशों- इजरायल और फिलिस्तीन - के निर्माण के माध्यम से इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है, जो शांति और सुरक्षा के साथ-साथ सह-अस्तित्व में रहेंगे।
- **राजनयिक जुड़ाव:** भारत इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इजरायल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए लगातार फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत करता है।

यूएनजीए (संयुक्त राष्ट्र महासभा)

- यह **संयुक्त राष्ट्र** का **मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है।**
  - संयुक्त राष्ट्र के सभी **193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है, प्रत्येक को एक वोट का अधिकार है।**
- **कार्य:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश** और **बजटीय मामलों** पर चर्चा और सिफारिशें करता है।
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के अस्थायी सदस्यों, अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के सदस्यों **और महासचिव (सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर) का चुनाव करता है।**
  - घोषणाओं, सम्मेलनों और प्रस्तावों को अपनाना (गैर-बाध्यकारी लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण)।
- **सत्र:**
  - **प्रतिवर्ष** बैठक होती है (सितंबर से दिसंबर तक न्यूयॉर्क में)।
  - विशेष या आपातकालीन सत्र बुलाए जा सकते हैं।
- **शक्तियाँ एवं सीमाएँ:**
  - प्रस्ताव **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विपरीत)**, लेकिन उनमें **नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक महत्व होता है।**
  - वैश्विक राय को प्रभावित कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड निर्धारित कर सकते हैं।
- **संरचना:**
  - महासभा **(पीजीए)** के अध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता है।
  - इसकी **छह मुख्य समितियाँ हैं** (निरस्त्रीकरण, आर्थिक एवं वित्तीय, मानवीय, विशेष राजनीतिक, प्रशासनिक एवं बजटीय, कानूनी)।

विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए भारत और एफएओ के मध्य समझौता

संदर्भ

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएएचडी) के तहत मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) ने भारत में ब्लू पोर्ट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के साथ एक **तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।**

एफएओ के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) समझौते के बारे में

- भारतीय मत्स्य बंदरगाहों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता, ताकि जलीय मूल्य श्रृंखला में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- **पायलट स्थल:** दो बंदरगाह - **वनकबारा (दीव)** और **जखाऊ (गुजरात)।**
- **सहायता प्रदान की गई:**
  - निवेश परियोजनाओं की पहचान और डिजाइन के लिए रणनीतिक और परिचालन उपकरण।
  - परियोजनाएं बंदरगाहों की स्थिरता, दक्षता और लचीलेपन पर केंद्रित होंगी।
  - चुनौतियों को समझने और स्थायी समाधान लागू करने के लिए **सार्वजनिक और निजी हितधारकों** को प्रशिक्षण।

ब्लू पोर्ट्स फ्रेमवर्क

- **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसएसवाई) के** अंतर्गत **मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ)** द्वारा कार्यान्वित।
- **लक्ष्य:** प्रौद्योगिकी को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ जोड़ते हुए **स्मार्ट एवं एकीकृत मत्स्य बंदरगाहों का विकास करना।**
- तीन पायलट बंदरगाहों अर्थात् **वनकबारा (दीव), कराईकल (पुडुचेरी) और जखाऊ (गुजरात) को 369.8 करोड़ रुपये के कुल निवेश** के साथ मंजूरी दी गई है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **तकनीकी विशेषताएं:** वास्तविक समय में बंदरगाह प्रबंधन के लिए IoT डिवाइस, सेंसर नेटवर्क, उपग्रह संचार और डेटा विश्लेषण।
  - **पर्यावरण अनुकूल विशेषताएं:**
    - वर्षा जल संचयन
    - ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था
    - विद्युत चालित उपकरण
    - अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज उपचार
    - समुद्री मलबा सफाई प्रणालियाँ

अमेरिका द्वारा चाबहार पर प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा

संदर्भ

अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना **में भारत की भागीदारी के लिए प्रतिबंधों पर दी गई छूट को रद्द करने की घोषणा की।**

समाचार में

- 2018 में दी गई इस छूट ने भारत को ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अपना निवेश जारी रखने की अनुमति दी थी।
- भारत **200 करोड़ रुपये** (योजनाबद्ध 400 करोड़ रुपये में से) खर्च कर चुका है।

अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध

- **अमेरिका ने ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार-रोधी अधिनियम (आईएफसीए), 2012 के** तहत देशों को **ईरान से तेल और गैस खरीदने** से रोक दिया।
- 2018 में, अमेरिका जेसीपीओए (ईरान परमाणु समझौते) से हट गया, इसके तहत
  - ईरान के बैंकों को वैश्विक लेनदेन से रोका गया (जैसे कि सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (SWIFT) प्रणाली का उपयोग करना)।
  - व्यापार, **नौवहन, जहाज निर्माण और बंदरगाह संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।**
  - विदेशी कंपनियों (यहां तक कि अमेरिका के बाहर भी) को दंडित किया गया यदि वे **ईरान के साथ व्यापार करते हैं →** जिसे **द्वितीयक या बाह्यक्षेत्रीय प्रतिबंध कहा जाता है।**

भारत को दी गई छूट (चाबहार छूट, 2018)

- ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद 2018 में अमेरिका द्वारा **विशेष छूट दी गई।**
- **चाबहार बंदरगाह** और संबंधित परियोजनाओं पर काम जारी रखने की अनुमति दी गई।
- छूट के कारण:
  - **अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी** → पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान किया गया।
  - **मानवीय आपूर्ति** → अफगानिस्तान को खाद्यान्न, दवाइयां और सहायता भेजने में सहायता की गई।
  - **क्षेत्रीय स्थिरता** → परियोजना को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए लाभकारी माना गया।
- छूट से यह सुनिश्चित हो गया कि भारत अमेरिकी दंड का सामना किए बिना **बंदरगाह, रेलवे संपर्क और संबद्ध बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकेगा।**

चाबहार बंदरगाह के बारे में

- **स्थान:** दक्षिण-पूर्वी ईरान, ओमान की खाड़ी।
  - सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत, ऊर्जा-समृद्ध दक्षिणी तट के निकट।
  - समुद्र तक सीधी पहुंच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह।
- **महत्व:**
  - **व्यापार के लिए स्वर्ण द्वार:** भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ता है।
  - **भारत का बाईपास मार्ग:** अफगानिस्तान तक माल परिवहन के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना नहीं पड़ता।
  - **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा:** रूस और अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा।
  - **चीन का मुकाबला:** अरब सागर में चीनी उपस्थिति का विकल्प प्रदान करता है।
  - **ईरानी गेटवे:** परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका।

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत जांच आयोग (सीओआई) की रिपोर्ट में इजरायली अधिकारियों पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है, तथा राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को उकसावे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन के बारे में

- **9 दिसंबर 1948** को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाया गया (**12 जनवरी 1951 को** लागू हुआ)।
- **यह युद्धकाल और शांतिकाल** दोनों पर लागू होता है।
- **अनुच्छेद II: नरसंहार को परिभाषित करता है**
  - **किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से** किए गए कार्य, जिनमें शामिल हैं:
    - » समूह के सदस्यों की हत्या करना।
    - » गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
    - » जानबूझकर जीवन की परिस्थितियों को इस प्रकार प्रभावित करना कि भौतिक विनाश हो।
    - » जन्म रोकने के लिए उपाय लागू करना।
    - » बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित करना।
- **दायित्व:**
  - **देशों के कर्तव्य:** घरेलू कानून बनाकर तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाकर नरसंहार को रोकना और दंडित करना।
  - **संयुक्त राष्ट्र की भूमिका:** हस्ताक्षरकर्ता देश **संयुक्त राष्ट्र** (**अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** और **सुरक्षा परिषद** सहित) से नरसंहार के मामलों में हस्तक्षेप करने का आह्वान कर सकते हैं।
  - **अपरिहार्य:** कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि नरसंहार एक "आंतरिक मामला" है।

नरसंहार सम्मेलन का बाद में प्रभाव

- कन्वेंशन के नियम विशेष संयुक्त राष्ट्र न्यायालयों जैसे **रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR)** और **पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTY)** हेतु **कानूनी आधार बन गए**, जिन्होंने 1990 के दशक में सामूहिक हत्याओं के लिए लोगों पर मुकदमा चलाया।
- परिभाषा **को 1998 के रोम संविधि में शामिल किया गया**, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की।

बगराम एयरबेस

संदर्भ

अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को अमेरिकी नियंत्रण में वापस करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मांग को अस्वीकार कर दिया है।

बगराम एयरबेस के बारे में

- **स्थान:** अफगानिस्तान
- **निर्माणकर्ता:** 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा।
  - **सोवियत-अफगान युद्ध (1979-89)** के दौरान इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया।
  - **9/11 के बाद अमेरिकी आक्रमण** के बाद इस बेस का विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया।
  - यह 2001-2021 तक अमेरिकी नियंत्रण में था।
  - 2012 में अपने चरम पर, 1,00,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक यहाँ रहें थे। इसका 11,800 फुट लंबा रनवे बमवर्षक विमानों और भारी मालवाहक विमानों को संभाल सकता है।
  - **2 जुलाई, 2021** को बगराम खाली कर दिया गया; तालिबान ने **15 अगस्त, 2021** को अपने नियंत्रण में ले लिया।

अमेरिकी हित:

- **चीन के लिए चुनौती:** ओरियन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बगराम, शिनजियांग में चीन के हामी मिसाइल क्षेत्र से 1,500 मील से भी कम दूरी पर है, तथा अफगान-शिनजियांग सीमा से 500 मील से भी कम दूरी पर है।
- **आतंकवाद के खिलाफ कदम:** बगराम आईएसआईएस-के, अल-कायदा और पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी अहम भूमिका निभा रहा था। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने 2025 में चेतावनी दी थी कि आईएसआईएस-के अफगानिस्तान, ईरान और रूस में सक्रिय 'सबसे खतरनाक शाखाओं में से एक' बना रहेगा।
  - उदाहरण के लिए, अल-कायदा ने तब से अफगानिस्तान में नौ प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर लिए हैं, जबकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने 2024 की दूसरी छमाही में अफगान धरती से 600 से अधिक हमले किए हैं।

चीनी K-वीजा

संदर्भ

चीन वैश्विक प्रतिभाओं के लिए K वीजा नामक एक नई वीजा श्रेणी शुरू करेगा।

चीन के-वीजा के बारे में

- **लक्ष्य समूह: STEM में स्नातक या उच्चतर डिग्री** वाले विदेशी युवा, या मान्यता प्राप्त संस्थानों में **अनुसंधान/शिक्षण में लगे हुए युवा।**
- पारंपरिक कार्य वीजा के विपरीत, इसमें **नियोक्ता के प्रायोजन की आवश्यकता नहीं होती।**
- **बहु प्रयोजनों की अनुमति: अनुसंधान, शैक्षणिक आदान-प्रदान, उद्यमशीलता, सांस्कृतिक और तकनीक से संबंधित गतिविधियों** के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **लचीलापन:** मौजूदा वीजा की तुलना में **लंबे समय तक रहने, एकाधिक प्रविष्टियों और आसान नवीनीकरण की** अनुमति मिलने की उम्मीद है।
- **रणनीतिक इरादा:** यह पहल चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) को उलटना, अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अन्य देशों में कठोर वीजा नीतियों के बीच वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना है।
- **भारत पर प्रभाव:** चीन का के-वीजा **भारत के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों है।** यह कुशल भारतीय पेशेवरों को चीन की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन भारत बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करके, अनुसंधान में निवेश करके और अपनी प्रतिभा को बनाए रखने तथा प्रौद्योगिकी में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करके इसका जवाब दे सकता है।**

हिज्बुल्लाह

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2027 तक लेबनान से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की चरणबद्ध वापसी को मंजूरी दे दी है, जिससे हिजबुल्लाह की वर्तमान कमजोरियों के बावजूद उसे निरस्त्र करने की चुनौती पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

हिज्बुल्लाह के बारे में

- हिजबुल्लाह का अनुवाद ''पार्टी ऑफ गॉड'' होता है।
- **गठन: 1982 में इजरायल के आक्रमण** के बाद लेबनान में एक सशस्त्र प्रतिरोध बल के रूप में उभरा।
- प्रकृति:
  - एक **शिया इस्लामवादी उग्रवादी और राजनीतिक संगठन** है, जिसकी लेबनान के शिया समुदाय में गहरी जड़ें हैं।
  - एक **मिलिशिया** और एक **राजनीतिक पार्टी दोनों के रूप में कार्य करता है।**
- **समर्थन:** ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा समर्थित, जिसे वित्तीय सहायता, हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
- **लेबनान में प्रभाव:**
  - **राजनीति, सुरक्षा और समाज** में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है।
  - **मिसाइलों और रॉकेटों का** विशाल भंडार रखता है।
  - यह खुद को इजरायल के खिलाफ एक **प्रतिरोध आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता है**, तथा घरेलू वैधता प्राप्त करता है।
- **पिछले संघर्ष:**
  - **2000 और 2006 में इजरायल** के साथ युद्ध लड़े।
  - **सीरिया के गृहयुद्ध में** असद शासन का समर्थन करते हुए भूमिका निभाई।

यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (UKIIFB)

संदर्भ: यूके-इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) वर्ष-1 रिपोर्ट (2025) जारी की गई।

यूके- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) क्या है?

- भारत (नीति आयोग) और यू.के. (सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन) के बीच एक **द्विपक्षीय पहल।**
- **शुभारंभ: सितंबर 2023 में 12वीं यूके-भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता** के दौरान शुरू, जिसे **सितंबर 2024** में औपचारिक रूप दिया गया
- **उद्देश्य:**
  - भारत की बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक "पूंजी" आकर्षित करना।
  - लंदन के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र और विशेषज्ञता का उपयोग करके **भारत के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण अंतर को पाटना।**
- **कार्य:**
  - **वैश्विक स्तर पर मानकीकृत परियोजना मूल्यांकन ढांचे का** विकास करना।
  - परियोजना नियोजन में **जलवायु अनुकूलन, ईएसजी और लचीलेपन को** एकीकृत करना।
  - निवेशक रिटर्न की सुरक्षा के लिए **जोखिम-साझाकरण तंत्र को** बेहतर बनाना।
  - वैश्विक निवेशकों के साथ परीक्षण करके **पारदर्शी परियोजना पाइपलाइनों का** निर्माण करना।
  - शासन और जवाबदेही के लिए डिजिटल निगरानी को प्रोत्साहित करना।
- **फोकस क्षेत्र (अब तक):**
  - राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और तीव्र परिवहन प्रणालियाँ।
  - **हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों** में विस्तार करना।

कुकी-जो विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौता

संदर्भ

कुकी-जो विद्रोही समूहों **(कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ)** और **यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ)** ने मणिपुर सरकार और गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए।

संधि के बारे में

यह **2008 के एसओओ समझौते को संशोधित करता है**, जो 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा के बाद बाधित हो गया था, जिसमें **250 लोगों की जान चली गई थी** और **60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।**

2008 एसओओ समझौते के प्रमुख प्रावधान:

- 6,000 रुपये प्रति माह का **वजीफा दिया गया।**
- विद्रोही समूहों ने केएनओ/यूपीएफ के तत्वावधान में **कई शिविर (लगभग 14) बनाए रखे।**
- इसमें बुनियादी निगरानी और समन्वय की व्यवस्था थी, लेकिन **प्रवर्तन तंत्र सीमित था।**

सीमाएँ:

- वजीफा प्रणाली और शिविर प्रबंधन में **सख्त सत्यापन का अभाव था**, जिससे खामियां पैदा हो गईं।
- समझौते में **संवेदनशील क्षेत्रों या सीमाओं के निकट शिविरों के स्थान को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया।**
- प्रवर्तन कमजोर था, और यह **मई 2023 में नए सिरे से जातीय हिंसा को रोकने में विफल रहा।**

2025 संशोधित SoO संधि

- **उद्देश्य:** निगरानी, जवाबदेही को मजबूत करना, तथा शत्रुता को स्थगित रखते हुए जातीय संघर्ष को कम करना।
- **प्रमुख संशोधन:**
  - आधार खातों से जुड़ी छात्रवृत्तियां और निरीक्षण के दौरान उपस्थिति सत्यापन।
  - **शिविरों की संख्या घटाकर प्रति समूह 6 कर दी गई, तथा स्थान के** संबंध में सख्त नियम लागू किए गए - आबादी वाले क्षेत्रों, राजमार्गों, अंतर्राज्यीय सीमाओं और म्यांमार सीमा से दूर।
  - **उन्नत निगरानी:** प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) का गठन किया जाएगा, जो कैडरों का सत्यापन करेगा, **व्यक्तिगत डेटा, फोटो एकत्र करेगा** और विदेशी नागरिकों को बाहर निकालेगा।

भविष्य का रोडमैप:

- सरकार, केएनओ और यूपीएफ के बीच त्रिपक्षीय वार्ता, **समयबद्ध तरीके** से संवैधानिक प्रावधानों के तहत बातचीत के जरिए राजनीतिक **समाधान की दिशा में काम करने के लिए।**

पिछले दशक में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ शांति समझौते

समझौता	वर्ष	विवरण
एएनवीसी समझौता (मेघालय)	2014	अचिक **राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिषद (एएनवीसी) मेघालय के गारो हिल्स** में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन था। इसने **24 सितंबर 2014** को **केंद्र और मेघालय सरकारों** के साथ एक **त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए**। एक दशक से अधिक समय तक चले युद्धविराम और बातचीत के बाद, 751 कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया।
एनएलएफटी(एसडी) समझौता (त्रिपुरा)	2019	त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ समझौता (88 कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया)।
ब्रु समझौता (त्रिपुरा)	2020	त्रिपुरा में ब्रु (रियांग) परिवारों के स्थायी निपटान के लिए 2020 में ब्रु प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
नागा फ्रेमवर्क समझौता	2015	नागा विद्रोह भारत का **सबसे लंबे समय से चल रहा विद्रोह है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से एनएससीएन-आईएम (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम-इसाक मुइवा)** कर रहा **है। भारत सरकार** और **एनएससीएन-आईएम** के बीच एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। • **नागाओं के अद्वितीय इतिहास, संस्कृति और स्थिति को** मान्यता दी गई। • भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए बिना साझा संप्रभुता का एक **''नया संबंध''** स्थापित करना था।
जेलियानग्रोंग संयुक्त मोर्चा (मणिपुर)	2022	जेलियानग्रोंग **यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) मणिपुर, असम और नागालैंड** में सक्रिय एक विद्रोही समूह है, जिसका गठन 2011 में हुआ था। इसकी मुख्य मांग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हवाला देते हुए जेलियानग्रोंग **लोगों के लिए भारत के भीतर** एक अलग राज्य का निर्माण करना था। **शांति समझौते** पर **27 दिसंबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए। इसके प्रमुख प्रावधान हैं** • **युद्ध विराम** और हिंसा का त्याग। • वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समाज में पुनः एकीकरण के साथ **कार्यकर्ताओं का पुनर्वास**।
असम-मेघालय सीमा समझौता ज्ञापन	2022	अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (12 में से 6 क्षेत्रों का समाधान किया गया)।
बोडो समझौता (असम)	2020	लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए असम के बोडो समूहों के साथ 27.1.2020 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद एनडीएफबी समूहों के 1615 कैडरों ने 30.1.2020 को आत्मसमर्पण कर दिया और 9-10 मार्च, 2020 को भंग कर दिया।
कार्बी-आंगलोंग शांति समझौता (असम)	2021	असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए कार्बी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 04.09.2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा का त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
आदिवासी शांति समझौता (असम)	2022	असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए 15.09.2022 को 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद आदिवासी समूहों के 1182 कार्यकर्ता हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (टीपीसीआर-2025)

संदर्भ

भारत ने अपने प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (टीपीसीआर-2025) का अनावरण किया है।

प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025) के बारे में

- **रक्षा मंत्रालय** द्वारा तैयार किया गया 15 वर्षीय क्षमता नियोजन दस्तावेज है।
- **उद्देश्यः**
  - भारतीय रक्षा उद्योग को भविष्य की आवश्यकताओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
  - आयात पर निर्भरता कम होगी, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - **परमाणु, साइबर, अंतरिक्ष और ड्रोन क्षेत्रों** में उभरते खतरों का समाधान।
- **प्रमुख विशेषताएँः**
  - **परमाणु डिटरेंसः** बचाव प्रणालियां, वितरण प्लेटफार्म, सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु) सुरक्षा, परमाणु कमांड और नियंत्रण अवसंरचना।

- **ड्रोन युद्ध:** स्टील्थ ड्रोन (सीमा 1,500 किमी तक, ऊंचाई 60,000 फीट), दिशा बदलने वाले हथियार, एआई-सक्षम हथियार, एनबीसी का पता लगाने और तोपखाने के मार्गदर्शन के लिए ड्रोन।
- **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध:** अनुकूली जैमिंग प्रणालियाँ, शत्रुतापूर्ण ड्रोन स्वार्म का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली।
- **सीबीआरएन रक्षा:** विकिरण संसूचन उपकरण, मोबाइल परिशोधन इकाइयाँ, टोही कार्यों के लिए मानवरहित जमीनी वाहन।

उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर नई रडार प्रणालियाँ

संदर्भ

भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी की खामियों को दूर करने के लिए उन्नत रडार खरीद रही है।

नए रडार सिस्टम के बारे में

- **उद्देश्य: कम रडार क्रॉस-सेक्शन (आरसीएस) वाली वस्तुओं का** पता लगाना और उनसे निपटना, जैसे कि छोटे ड्रोन, जिन्हें पारंपरिक प्रणालियों का उपयोग करके ट्रैक करना कठिन होता है।
  - उदाहरणार्थ, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशेष रूप से छोटे ड्रोनों के विरुद्ध वायु रक्षा कवरेज में अंतराल।
- **प्रकार:**
  - निम्न स्तरीय हल्के वजन वाले रडार (उन्नत) - एलएलएलआर-ई.
  - उन्नत एएसआर (वायु निगरानी रडार)।
  - एयर डिफेंस फायर कण्ट्रोलर रडार (ADFCR-DD) विशेष रूप से ड्रोन का पता लगाने के लिए।
- **विशेषताएँ**
  - **छोटे, तेज गति से चलने वाले और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन का** पता लगाने में सक्षम।
  - निगरानी या हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले **ड्रोन** स्वार्म **पर** नजर रख सकता है।
  - यह क्षेत्र में कमांडरों के लिए **अधिक स्पष्ट दृश्यता** और **त्वरित खतरे की प्रतिक्रिया** प्रदान करता है।
- **खरीद:** सेना ने **30-45 किमी** रेंज वाली रडार प्रणालियों के लिए विक्रेताओं को **आरएफआई जारी किया है।**
  - ये प्रणालियाँ भारत की ड्रोन-रोधी संरचना का एक प्रमुख घटक बन जाएंगी।
- **सेना के साथ एकीकरण:** इन प्रणालियों को सेना के आकाशतीर वायु रक्षा नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा, जिससे युद्धक्षेत्र कमांडरों को त्वरित और अधिक विश्वसनीय स्थितिजन्य जानकारी प्राप्त होगी।
- **परिचालन:** ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मौजूदा विमान-रोधी तोपों **(एल/70, जेडयू-23-2, शिल्का) ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें आधुनिक** फायर कण्ट्रोल **रडारों** के साथ जोड़ने से **ड्रोन-रोधी क्षमताओं में तेजी से सुधार** होगा।

IDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार)

संदर्भ

iDEX-DIO (रक्षा नवाचार संगठन) ने दोहरे उपयोग वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए EdCIL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नए ASPIRE (अनुसंधान और शिक्षा में रणनीतिक प्रगति में तेजी) कार्यक्रम द्वारा संचालित, उभरते एड-टेक समाधानों के साथ रक्षा विशेषज्ञता को जोड़ता है।

iDex पहल के बारे में

- 2018 **में लॉन्च**
- **कार्यान्वयन निकाय:** रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत के अंतर्गत रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ)।
- **उद्देश्य**
  - **तीव्र विकास:** रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के त्वरित विकास को सुगम बनाना।
  - **स्टार्टअप्स के साथ जुड़ाव:** रक्षा क्षेत्र में नवीन स्टार्टअप्स के साथ सहयोग और सह-निर्माण को प्रोत्साहित करना।
  - **प्रौद्योगिकी सह-निर्माण को सशक्त बनाना:** रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में सह-नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- **वित्तपोषण और समर्थन**
  - **उपलब्ध अनुदान:**
    - » परियोजनाओं के लिए ₹1.50 करोड़ तक।
    - » iDEX प्राइम पहल के तहत ₹10 करोड़ तक।
  - **समर्थन फ्रेमवर्क:** इसमें अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोटोटाइप और अनुसंधान किकस्टार्ट (SPARK) फ्रेमवर्क के लिए समर्थन शामिल है।

IDEX योजना की संबंधित पहल

रक्षा भारत स्टार्टअप चुनौतियां (DISC)

- **उद्देश्य:** सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) और आयुध कारखानों (ओएफबी) के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए इसे शुरू किया गया।
- **संरचना:** रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न समस्या के समाधान प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को आमंत्रित किया जाता है।
- **वित्तपोषण:** विजेताओं को स्पार्क फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रोटोटाइप विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्राप्त होगा।

ADITI चैलेन्ज

- इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।
- **ADITI 2.0:** हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसमें सशस्त्र बलों और संबद्ध एजेंसियों की 19 चुनौतियाँ शामिल हैं, जो निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)
- क्वांटम प्रौद्योगिकी
- सैन्य संचार
- ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ
- अनुकूली छलावरण

- **वित्तपोषण:** महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को लक्षित करते हुए ₹25 करोड़ तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

चिकित्सा नवाचार और अनुसंधान उन्नति (MIRA) पहल

- DISC का एक भाग, MIRA सशस्त्र बलों के लिए अनुकूलित चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सैन्य वातावरण में विशिष्ट चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित चुनौतियां प्रस्तुत की गईं।

ऑपरेशन पोलो

संदर्भ

13 सितम्बर 2025 को ऑपरेशन पोलो के 77 वर्ष पूरे हो जायेंगे।

ऑपरेशन पोलो के बारे में

- स्वतंत्रता (1947) के बाद, **हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने विलय पत्र** पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र रहने की मांग की, जबकि हैदराबाद भारत के मध्य में एक **हिंदू बहुल राज्य था।**
- अपने शासन की रक्षा के लिए निजाम ने **कासिम रजवी** के नेतृत्व वाली **रजाकार मिलिशिया पर भरोसा किया,** जिसने लोगों को आतंकित किया, भारत समर्थक आंदोलनों को दबाया और सांप्रदायिक तनाव पैदा किया।
- एक रणनीतिक डर यह भी था कि हैदराबाद **पाकिस्तान के साथ मिल सकता है,** जिससे भारत की एकता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- इसीलिए भारत ने 13 सितम्बर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया और 17 सितम्बर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया।
- **परिणाम:**
  - हैदराबाद को **भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया।**
  - निजाम को 1956 तक **राजप्रमुख** (गवर्नर) **के पद पर बनाये रखा गया।**

आईएनएस एंड्रोथ

संदर्भ

आईएनएस एंड्रोथ को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

इसके बारे में

- **प्रकार:** पनडुब्बी रोधी सबमरीन क्राफ्ट (ASW-SWC)।
- **'एंड्रोथ'** नाम लक्षद्वीप द्वीपसमूह के एंड्रोथ द्वीप से लिया गया है, जो भारत के अपने विशाल समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
- जहाज की जलजेट प्रणोदन प्रणाली इसे उथले पानी में भी कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम बनाती है।
- **निर्माता:** गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता।
- ये जहाज लगभग 77 मीटर लंबा है और डीजल इंजन-वॉटरजेट संयोजन द्वारा संचालित सबसे बड़े भारतीय नौसेना युद्धपोतों में से है।
- **वर्ग:** नौसेना के लिए निर्माणाधीन **8 ऐसे जहाजों में से दूसरा (पहला आईएनएस अर्नाला था)**
- तीसरे पोत **अंजादीप और** श्रृंखला के चौथे पोत **अमिनी को** क्रमश: **जून और नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया।**
- पांचवां, **आग्रे,** और छठा, **अक्षय**, मार्च 2024 में लॉन्च किया गया।

रक्षा खरीद मैनुअल 2025

संदर्भ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025 (जो डीपीएम, 2009 का स्थान लेगा) को मंजूरी दे दी है।

डीपीएम 2025 क्या है?

- सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य संगठनों द्वारा रिवेन्यु प्रोक्यूरमेंट **(संचालन, भरण-पोषण, मरम्मत और सेवाएं)** के लिए मार्गदर्शक नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।
- **वार्षिक मूल्य:** ~₹1 लाख करोड़।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - डीपीएसयू, निजी उद्योग, एमएसएमई, स्टार्ट-अप, आईआईटी, आईआईएससी, शिक्षा जगत के साथ सहयोग।
  - **5-10 वर्षों** तक के आर्डर का आश्वासन।

- क्षेत्र स्तर पर **सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) को सशक्त बनाया गया।**
- खुली बोली के लिए डीपीएसयू से **अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।**
- स्वामित्व वस्तु प्रमाणपत्र (पीएसी) की अनुमति दी गई, साथ ही विकल्प खोजने का प्रयास किया गया।
- **मरम्मत/रीफिट/रखरखाव** में 15% वृद्धि का प्रावधान → उपकरणों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- उच्च मूल्य की खरीद के लिए सरकार-से-सरकार समझौतों हेतु विशेष प्रावधान।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) वार्षिक रिपोर्ट 2024

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की वार्षिक रिपोर्ट-2024 जारी की और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का शुभारंभ किया।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी

- सुभेद्य **भू-रणनीतिक स्थान:** दो प्रमुख वैश्विक ड्रग बेल्टों के बीच स्थित:
  - **डेथ क्रिसेंट** - अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान (प्रमुख अफीम/हेरोइन उत्पादक)।
  - **स्वर्ण त्रिकोण** - म्यांमार, थाईलैंड, लाओस (सिंथेटिक ड्रग्स और अफीम)।
  - इससे भारत मादक पदार्थों के लिए एक पारगमन तथा गंतव्य देश बन जाता है।
- **सीमा संबंधी** सुभेद्यता:
  - **पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर →** पाकिस्तान से हेरोइन की आपूर्ति।
  - **पूर्वोत्तर राज्य →** म्यांमार से आपूर्ति।
  - **तटीय राज्य** (मुंबई, गुजरात, केरल, तमिलनाडु) → सिंथेटिक दवाओं और अन्य पदार्थों की तस्करी।
- **उभरते रुझान:**
  - **सिंथेटिक्स की ओर बदलाव: मेथैम्फेटामाइन, एलएसडी, मेफेड्रोन** का बढ़ता उपयोग।
  - **गुप्त प्रयोगशालाएं: महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर-पूर्व** जैसे हॉटस्पॉट में।
  - **डार्कनेट और क्रिप्टो:** ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्रिप्टोकरेंसी **गुमनाम वैश्विक लेनदेन को सक्षम करते हैं।**
  - **समुद्री मार्ग: चाबहार, ग्वादर, कराची** बंदरगाहों के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है।
  - **नई तकनीकें:** सीमा पार मादक पदार्थों की डिलीवरी के लिए **ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है (भारत-पाकिस्तान सीमा)।**

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए भारत की पहल

- **कानूनी:** स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (PITNDPS)
- **समन्वय:** एनसीओआरडी (राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल)।
- **डेटा:** निदान (गिरफ्तार नार्को अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस)।
- **हेल्पलाइन:** मानस - राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन।
- **जागरूकता:** नशा मुक्त भारत अभियान।

अमोघ फ्यूरी अभ्यास

संदर्भ

भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ फ्यूरी एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन किया।

अमोघ फ्यूरी अभ्यास के बारे में

- **उद्देश्य: युद्ध परिदृश्यों** में **युद्ध शक्ति, समन्वय** और **परिचालन तत्परता का** परीक्षण करना।
  - **बहु-डोमेन परिचालनों** (भूमि, वायु और साइबर तथा अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों का एकीकरण) के लिए तैयारी को प्रतिबिंबित करना।
- **विशेषताएं:** युद्धक टैंक, पैदल सेना लड़ाकू वाहन (आईसीवी), हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी की तोपखाने प्रणाली, यूएवी से जुड़े एकीकृत युद्धाभ्यास।
- **लाभ:** अभ्यास से यथार्थवादी युद्ध स्थितियों के तहत सभी रैंकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, साथ ही उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रक्रियाओं को परिष्कृत किया गया।

वन इन वन आउट स्कीम

संदर्भ

एक भारतीय नागरिक को नई शुरू की गई 'वन-इन, वन-आउट' योजना के तहत ब्रिटेन से निर्वासित किया गया है।

योजना के बारे में

- **यूनाइटेड किंगडम (यूके)** और फ्रांस के बीच एक **द्विपक्षीय प्रवासन और निर्वासन व्यवस्था।**
- **अगस्त 2025** में लागू होने वाला यह विधेयक ब्रिटेन को **इंग्लिश चैनल पार कर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रवासियों को वापस भेजने की अनुमति देता है।**
- फ्रांस द्वारा स्वीकार किए जाने वाले प्रत्येक अवैध प्रवासी के लिए, ब्रिटेन फ्रांस से कानूनी रूप से एक वास्तविक शरणार्थी को लेने के लिए सहमत होता है- इसलिए इसका नाम वन-इन, वन-आउट है।

3 पश्चिम अफ्रीकी देशों द्वारा ICC की सदस्यता का त्याग

संदर्भ

बुर्किना फासो, माली और नाइजर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) से हट गये।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के बारे में

- आईसीसी एक स्थायी न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना **1998 के रोम संविधि** के तहत **2002 में की गई थी।**
  - इसका मुख्यालय **हेग, नीदरलैंड में है।**
- **अधिदेश:** नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के आरोपी व्यक्तियों की जांच करना, उन पर मुकदमा चलाना और न्यायनिर्णय करना।
- **सदस्य:** 125 **(महत्वपूर्ण गैर-सदस्य देश: भारत, अमेरिका, चीन और रूस)**
- **संरचना:** न्यायालय में **18** न्यायाधीश होते हैं, प्रत्येक न्यायाधीश अलग-अलग सदस्य देश से होते हैं, तथा **नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।**
- **क्षेत्राधिकार:**
  - **रोम संविधि पर हस्ताक्षर करने वाले** देशों में किए गए अपराध
  - **हस्ताक्षरकर्ता** देशों **के नागरिकों** द्वारा किए गए अपराध
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा संदर्भित मामले
- गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद आईसीसी गिरफ्तारी करने और संदिग्धों को आईसीसी को सौंपने के लिए देशों पर निर्भर करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के विपरीत यह **संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है।**
- **प्रवर्तन में चुनौतियाँ:**
  - **अपना कोई पुलिस बल नहीं है।**
  - संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए सदस्य देशों पर निर्भर करता है।
  - प्रवर्तन, संपत्ति जब्त करने और प्रत्यर्पण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

आईसीसी और आईसीजे के बीच अंतर

आयाम	आईसीसी (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय)	आईसीजे (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय)
स्थापना और मुख्यालय	2002, हेग (नीदरलैंड)	1946, हेग (नीदरलैंड)
संयुक्त राष्ट्र से संबंध	स्वतंत्र - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मामले के **संदर्भ** प्राप्त हो सकते हैं	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय के नाम से जाना जाता है
केस के प्रकार	व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाना	पार्टियों के बीच विवाद और सलाहकारी
विषय - वस्तु	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध	समुद्री विवाद, संप्रभुता, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार, संधि उल्लंघन और संधि व्याख्या, मानवाधिकार आदि।
अनुदान	रोम संविधि के पक्षकारों से प्राप्त अंशदान, संयुक्त राष्ट्र, सरकारों, निगमों, संगठनों आदि से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान।	संयुक्त राष्ट्र

कोल्ड स्टार्ट - मेगा ड्रोन ड्रिल

संदर्भ

कोल्ड स्टार्ट 1 अभ्यास 1 से 6 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया।

कोल्ड स्टार्ट 1 के बारे में

- त्रि -**सेवा अभ्यास** (थल सेना, नौसेना, वायु सेना)।
- इस अभ्यास का नाम **कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत के नाम पर रखा गया है**, जिसे मूल रूप से **पाकिस्तान की परमाणु क्षमता की सीमा से नीचे त्वरित, उच्च-तीव्रता वाले हमलों के लिए डिजाइन किया गया था।** ड्रोन अब एक **प्राथमिक आक्रामक उपकरण के रूप में काम करेंगे,** जो पैदल सेना, तोपखाने और वायु शक्ति के पूरक होंगे।
- **स्थान:** मध्य प्रदेश।

- **उद्देश्य: ड्रोन और काउंटर-ड्रोन प्रणालियों का** परीक्षण करना तथा **वायु रक्षा तत्परता का आकलन करना।**
- **प्रतिभागी:** सशस्त्र बल, **उद्योग भागीदार, अनुसंधान एवं विकास एजेंसियां, शिक्षा जगत।**
- **फोकस:** ड्रोन, यूएवी और हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए **एकीकृत रक्षा प्रणाली** विकसित करना।
- **वैश्विक संघर्षों का प्रभाव: यूक्रेन युद्ध** से मिले सबक ने भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है, जिसमें रियल टाइम **खुफिया जानकारी, सटीक हमले और कम मानवीय जोखिम पर जोर दिया गया है।**

रणनीतिक बढ़त:

- इससे वर्तमान वायु रक्षा क्षमताओं की प्रभावशीलता और कमियों का आकलन करने में मदद मिलेगी। यह ड्रोन प्रौद्योगिकियों के विकास और परिशोधन में योगदान देगा।
- ड्रोन-रोधी प्रणालियों में निवेश से रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ड्रोन-रोधी तकनीकें न केवल वर्तमान, बल्कि भविष्य की ड्रोन क्षमताओं को भी संबोधित करेंगी।
- **पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संदेश:** पाकिस्तान के लिए संदेश स्पष्ट है। वर्षों से, इस्लामाबाद ने कोल्ड स्टार्ट को अपनी रणनीतिक स्थिरता के लिए एक खतरा माना है और इसके जवाब में सामरिक परमाणु हथियार (कम और सीमित प्रभाव वाले छोटे हथियार) विकसित किए हैं। लेकिन भारत का ड्रोन-आधारित, सटीक युद्ध की ओर **रुख** इस डिटरेन्स क्षमता को कमजोर कर सकता है।

अग्नि प्राइम मिसाइल

संदर्भ

भारत ने रेल आधारित लांचर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में

- यह स्वदेशी रूप से विकसित, **मध्यम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।**
- **विकसितकर्ता:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **रेंज: ~ 1,200-2,000 किमी** (मध्यम दूरी - आईसीबीएम नहीं)।
  - **प्रणोदन: दो-चरणीय ठोस प्रणोदक** मोटर
  - **पारंपरिक या परमाणु** हथियार ले जाने के लिए डिजाइन।
  - **कैनिस्टरीकरण से** तीव्र प्रतिक्रिया, लंबी भंडारण अवधि और आसान सड़क/रेल गतिशीलता संभव हो जाती है।
  - **गतिशीलता:** सड़क-मोबाइल लांचर अनुकूलता (बचे रहने और सेकंड स्ट्राइक क्षमता में सुधार)।
  - **सामग्री एवं डिजाइन:** हल्के, सघन ढांचे के लिए **मिश्र सामग्रियों का** उपयोग किया गया है- जो अग्नि-III से **लगभग 50% हल्का है।**
  - **मार्गदर्शन एवं सटीकता:** उन्नत नेविगेशन, सेंसर और मार्गदर्शन प्रणालियां (उपग्रह-सहायता प्राप्त अद्यतन/अतिरेकता के साथ जड़त्वीय नेविगेशन) ताकि हमले की सटीकता में सुधार हो सके।
  - **हैंडलिंग:** ठोस ईंधन और कनस्तर भंडारण से प्रक्षेपण-पूर्व तैयारियां और रखरखाव की जरूरतें कम हो जाती हैं।

युद्ध अभ्यास - 2025

- युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण अलास्का, अमेरिका में।

युद्ध अभ्यास के बारे में

- भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास।
- भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट बटालियन शामिल।

उद्देश्य और गतिविधियाँ

- **अंतरसंचालनीयता:** भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त तत्परता और सहयोग में सुधार करना।
- **परिचालन प्रशिक्षण:** उप-आर्कटिक परिस्थितियों में पर्वतीय और उच्च ऊंचाई वाले परिचालनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तथा वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का अनुकरण किया जाता है।

- **आधुनिक युद्धः** इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, निगरानी, ड्रोन-रोधी रणनीति और मानवरहित हवाई प्रणालियों के उपयोग पर प्रशिक्षण शामिल किया गया।
- **रसद और चिकित्साः** इसमें रसद, चिकित्सा निकासी और क्षेत्रीय परिस्थितियों में युद्ध हताहतों की देखभाल पर प्रशिक्षण शामिल है।
- **सामरिक अभ्यासः** निर्बाध अंतर-संचालनीयता का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए लाइव-फायर अभ्यास और जटिल सामरिक युद्धाभ्यास

अन्य भारत-अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यास

- **सेनाः** वज्र प्रहार
- **नौसेनाः** मालाबार (बहुपक्षीय)
- **वायु सेनाः** कोप इंडिया, रेड फ्लैग (बहुपक्षीय)

मैत्री-XIV

- मैत्री-XIV का आयोजन उमरोई, मेघालय में किया गया।

अभ्यास के बारे में

- **प्रकारः भारत और थाईलैंड** के बीच द्विपक्षीय **सैन्य अभ्यास।**
- **प्रारंभः** दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के भाग के रूप में **2006** में पहली बार आयोजित किया गया।
- **प्रकृतिः** भारत और थाईलैंड में प्रतिवर्ष एवं बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- **उद्देश्यः**
  - **अंतरसंचालनीयता** और **आपसी समझ को** बढ़ाना।
  - **आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त प्रशिक्षण** आयोजित करना, विशेष रूप से **अर्ध-शहरी और जंगली इलाकों में।**
  - भारत-थाईलैंड रक्षा साझेदारी के तहत **सैन्य-से-सैन्य सहयोग को** मजबूत करना।

वैश्विक शांति सूचकांक

- **वैश्विक शांति सूचकांक (जीपीआई) 2025** में भारत को 115वें स्थान पर रखा गया है (2024 में 116वें स्थान से ऊपर)।
- रैंकिंग में भारत की बढ़त शांति में मामूली लेकिन उल्लेखनीय सुधार का संकेत देती है। भारत का जीपीआई स्कोर 2.229 दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में शांति के स्तर में 0.58% की वृद्धि दर्शाता है।

जीपीआई के बारे में

- यह रिपोर्ट इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस **(आईईपी) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।**
- यह सैन्यीकरण, बाह्य संघर्ष, हत्या दर और आतंकवाद जैसे 23 संकेतकों का उपयोग करके 163 देशों (विश्व की 99.7% जनसंख्या को कवर करता है) की रैंकिंग करता है।
- **2025 रैंकिंगः**
  - **शीर्ष स्थान वाले देशः** आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड।
  - **सबसे कम शांतिपूर्ण देशः** रूस, यूक्रेन, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और यमन।
  - **एशियाः सिंगापुर** अपने उच्च सैन्य व्यय के बावजूद **शीर्ष 10** में एकमात्र एशियाई देश है।
    - » पाकिस्तान 144वें स्थान पर है।

संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) 2025 का उद्घाटन किया।

संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 (सीसीसी) क्या है?

- यह **सशस्त्र बलों की सर्वोच्च स्तरीय वार्षिक बैठक है।**
- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), सेवा प्रमुखों (थलसेना, नौसेना, वायुसेना) और शीर्ष कमांडरों के** साथ-साथ रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।
- **विषयः ''सुधारों का वर्ष - भविष्य के लिए परिवर्तन'', उभरती चुनौतियों** और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **उद्देश्यः**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा** करना।
  - भारत की रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप **सैन्य रणनीति तैयार करना।**
  - सशस्त्र बलों के **सुधार और आधुनिकीकरण पर चर्चा करना।**
  - सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच **संयुक्तता और तालमेल को बढ़ावा देना।**

- **परिणाम एवं रोडमैप:**
- **भविष्य की क्षमताओं, सुधारों और बहु-डोमेन परिचालन तत्परता** के लिए कार्यान्वयन योग्य योजनाएं परिभाषित की गईं।
- **संस्थागत सुधारों** की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सशस्त्र सेनाएं **चुस्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रहें।**

संबंधित तथ्य

- **2014** तक यह पारंपरिक रूप से **नई दिल्ली में आयोजित किया जाता था।** लेकिन हाल के वर्षों में इसे **विभिन्न स्थानों** (जैसे, आईएनएस विक्रमादित्य (दिल्ली के बाहर पहली बार), राजस्थान में जोधपुर, आदि) पर आयोजित किया गया है।

अभ्यास ZAPAD 2025

संदर्भ: भारत रूस में बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ZAPAD 2025 में भाग ले रहा है।

अभ्यास के बारे में

- **प्रकार:** रूस द्वारा आयोजित बहुपक्षीय रणनीतिक/सैन्य अभ्यास।
- **प्रतिभागी:** रूस, भारत और कई अन्य देश (प्रत्येक संस्करण में भिन्नता होती है)।
- **उद्देश्य:**
  - **सैन्य सहयोग को** मजबूत करना
  - पारंपरिक और आतंकवाद-रोधी अभियानों में **अंतर-संचालनशीलता** में सुधार करना।
  - विनिमय **रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं** (टीटीपी)।

संबंधित तथ्य

- भारत ने 2021 और 2025 में इस अभ्यास में भाग लिया।

समुद्र प्रदक्षिणा

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखाई।

समुद्र प्रदक्षिणा क्या है?

- यह एक **महिला त्रि-सेवा दल** द्वारा किया **गया वैश्विक जलयात्रा नौकायन अभियान है**, जो विश्व में अपनी तरह का पहला अभियान है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **अवधि:** 9 महीने (सितंबर 2025 - मई 2026)।
  - **मार्ग: पूर्वी दिशा में जलयात्रा, भूमध्य रेखा को दो बार पार करना** और **तीन ग्रेट अन्तरीपों** - ल्यूविन (ऑस्ट्रेलिया), हॉर्न (चिली), गुड होप (दक्षिण अफ्रीका) का चक्कर लगाना।
  - **दूरी:** केवल पाल शक्ति के तहत **~ 26,000 समुद्री मील।**
  - **अनुपालन:** वर्ल्ड सेलिंग स्पीड **रिकॉर्ड** काउंसिल **के नियमों का** पालन करना होगा।

भारत में जलयात्रा की पृष्ठभूमि

- **वैश्विक** अग्रणी पहल:
  - 1969: सर रॉबिन नॉक्स-जॉनस्टन (यूके) - पहली एकल बिना रुके जलयात्रा।
- **भारतीय उपलब्धियां:**
  - 2009-10: कैप्टन दिलीप डोंडे (सेवानिवृत्त) - किसी भारतीय द्वारा पहली एकल जलयात्रा।
  - 2012-13: कमांडर अभिलाष टॉमी (सेवानिवृत्त) - प्रथम भारतीय बिना रुके एकल जलयात्रा।
  - 2017-18: नाविक सागर परिक्रमा (आईएनएसवी तारिणी) - भारतीय नौसेना की पहली महिला चालक दल परिक्रमा।
  - 2024-25: नाविक सागर परिक्रमा-II (आईएनएसवी तारिणी) - दो भारतीय महिला नौसेना अधिकारियों ने परिक्रमा पूरी की।

अभ्यास सियोम प्रहार

- भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक अभ्यास सियोम प्रहार का आयोजन किया।

यह क्या है?

- आधुनिक सामरिक अभियानों में **ड्रोन प्रौद्योगिकी** के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए भारतीय सेना का एक **प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास।**
- मुख्य बिंदु:
  - सतत **निगरानी और टोही**
  - **लक्ष्य प्राप्ति एवं सटीक हमले**
  - ड्रोनों को पारंपरिक मारक क्षमता के साथ एकीकृत करने के लिए नई **रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं (टीटीपी) विकसित करना।**

लक्ष्य और उद्देश्य

- **ड्रोन सत्यापन:** वास्तविक युद्धक्षेत्र स्थितियों में ड्रोन और मानवरहित हवाई प्रणालियों (यूएएस) की तैनाती को प्रमाणित करना।
- **टीटीपी विकास:** ड्रोन आधारित निगरानी, लक्ष्यीकरण और सटीक हमले के एकीकरण के लिए नई रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं (टीटीपी) का विकास और परीक्षण करना।
- **उन्नत निर्णय-निर्माण:** उच्च गति वाले युद्ध परिदृश्यों में निर्णय-निर्माण की गति और सटीकता में सुधार करना।
- **तालमेल:** पारंपरिक लड़ाकू हथियारों और ड्रोन जैसे नए तकनीकी उपकरणों के बीच सहयोग और तालमेल को मजबूत करना।#

STUDY IQ PUBLICATIONS

राजव्यवस्था एवं शासन

मुख्य परीक्षा के लिए विषय

लद्दाख की राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के अंतर्गत दर्जा पाने की मांग

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2: संघवाद, शक्ति का हस्तांतरण

संदर्भ

हाल ही में लद्दाख में राज्य की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 30 घायल हो गए।

भारत के लिए लद्दाख का सामरिक और सांस्कृतिक महत्व

- **भू-राजनीतिक महत्व:** लद्दाख, जिसे अक्सर "दर्रों की भूमि" (ला = दर्रे, दाख = भूमि) कहा जाता है, की दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के संगम पर एक रणनीतिक अवस्थिति है। इसकी अवस्थिति इसे क्षेत्रीय संपर्क और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है।
- **सामरिक महत्व:** लद्दाख, भारत और उसके पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक बफर जोन के रूप में कार्य करता है।
  - चीन के साथ डोकलाम गतिरोध (2017), गलवान घाटी संघर्ष (2020), पैंगोंग त्सो गतिरोध और पाकिस्तान के साथ सियाचिन ग्लेशियर तनाव जैसे चल रहे सीमा विवाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।
  - इस क्षेत्र में सैन्य अवसंरचना मौजूद है, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चौकियों का विस्तार और सियाचिन बेस कैंप शामिल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाते हैं।
- **पर्यटन संभावना:** लामा भूमि या "छोटा तिब्बत" के रूप में जाना जाने वाला लद्दाख 9,000 से 25,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो एक अद्वितीय रूप से अत्यधिक-ऊंचाई पर पर्यटन अनुभव प्रदान करता है।
  - हानले डार्क स्काई रिजर्व जैसे आकर्षण, जो कि तारों को देखने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे और स्पष्ट स्थलों में से एक है, खगोलविदों और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को आकर्षित करते हैं।

– मार्खा घाटी में ट्रैकिंग, काराकोरम रेंज में पर्वतारोहण और हेमिस और थिक्से जैसे प्राचीन मठों के सांस्कृतिक पर्यटन के साथ साहसिक पर्यटन फल-फूल रहा है।
– पैंगोंग और त्सो मोरीरी जैसी प्रतिष्ठित झीलें छुट्टियों में पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए इसके महत्व को बढ़ाती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के पीछे के कारण

- **विधायिका का अभाव:** 2019 से विधान सभा की अनुपस्थिति ने लोकतांत्रिक भागीदारी को कम कर दिया है, तथा शक्ति केंद्रीय प्रशासकों के हाथों में केंद्रित हो गई है।
- **संवैधानिक सुरक्षा:** शासन, अनुच्छेद 240 के तहत प्रतिसंहरणीय कार्यकारी शक्तियों पर आधारित है, यह छठी अनुसूची के विपरीत है, जो जनजातीय स्वायत्तता और विधायी अधिकारों के लिए स्थायी सुरक्षा प्रदान करती है।
- **भू-स्वामित्व संबंधी चिंताएं:** बाहरी लोगों के भू-स्वामित्व पर प्रतिबंधों का अभाव लद्दाख के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को वाणिज्यिक पर्यटन और संसाधन दोहन के जोखिम के प्रति उजागर करता है।
- **बेरोजगारी:** उच्च स्नातक बेरोजगारी दर (26.5%), तथा लोक सेवा आयोग की अनुपस्थिति, 85% अधिवासियों के लिए आरक्षण के बावजूद असंतोष को बढ़ावा देती है।
- **सांस्कृतिक पहचान: भोटी और पुर्गी** भाषाओं की मान्यता प्रतीकात्मक बनी हुई है, क्योंकि शिक्षा और प्रशासन में उनका सीमित उपयोग लद्दाख की जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में बाधा डालता है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला के शब्दों में, संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची को ''संविधान के अंदर संविधान, या भारत के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लघु संविधान'' कहा जाता है।

छठी अनुसूची

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची, **स्वायत्त जिला परिषदों** (ADCs) के गठन का प्रावधान करती है, जिन्हें राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें चार पूर्वोत्तर राज्यों – **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** – के आदिवासी क्षेत्रों के शासन के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs):

- इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में नामित किया जाता है।
- राज्यपाल को इन जिलों को बनाने या पुनर्गठित करने का अधिकार है।
- प्रत्येक जिला परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं: जिसमें 26 वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं और 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं।

परिषदों की शक्तियाँ:

- भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, तथा सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे विषयों पर विधायी शक्तियों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रशासन करना। हालाँकि, सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।
- जनजातियों के बीच मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों की स्थापना करना, जिनका अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के संबंध में राज्यपाल के निर्देशों के अधीन होगा।
- प्राथमिक विद्यालय, बाजार, औषधालय, मत्स्य पालन, घाट और सड़कें स्थापित करना और उनका प्रबंधन करना।
- अपने क्षेत्रों के भीतर भू-राजस्व और निर्दिष्ट कर अधिरोपित करना और एकत्र करना।

MEGHALAYA
- Khasi Hills Autonomous District Council
- Jaintia Hills Autonomous District Council
- Garo Hills Autonomous District Council

MIZORAM
- Chakma Autonomous District Council
- Lai Autonomous District Council
- Mara Autonomous District Council

TRIPURA
- Tripura Tribal Areas Autnomous District Council

ASSAM
- Dima Hasao Autonomous Council
- Karbi Anglong Autonomous Council
- Bodoland Territorial Council

लद्दाख की राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के अंतर्गत दर्जा देने की मांग के पक्ष में तर्क

राजनीतिक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

- 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद से, लद्दाख बिना विधायिका वाला एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है, जिससे उसके पास निर्वाचित प्रतिनिधि या विधि निर्माण की शक्तियाँ नहीं रहीं।
- इससे पहले, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDCs) के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे, लेकिन केंद्रीकृत शासन ने उनकी भूमिका को कम कर दिया है, जिससे राजनीतिक बेदखली की भावना को बढ़ावा मिला है।
- राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के समान निर्वाचित शासन व्यवस्था बहाल हो जाएगी, जबकि छठी अनुसूची में शामिल किए जाने से विकेंद्रीकृत शासन के लिए विधायी और कार्यकारी शक्तियों के साथ जिला परिषदों को मजबूती मिलेगी।

जनजातीय पहचान और संस्कृति का संरक्षण

- लद्दाख की 97% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, तथा इसका सामाजिक ताना-बाना जनजातीय रीति-रिवाजों और भूमि अधिकारों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
- अनुच्छेद 370 और 35**A** (निरस्त होने से पहले) के तहत लद्दाख को जनसांख्यिकीय बदलावों के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त थी।
- छठी अनुसूची जनसांख्यिकीय क्षरण की बढ़ती चिंताओं के बीच आदिवासी विरासत, सांस्कृतिक पहचान और भू-स्वामित्व को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है।

भूमि और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण

- लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल, हिमनद और जैव विविधता से समृद्ध आवास अनियमित खनन और औद्योगिकीकरण के कारण पारिस्थितिक खतरों का सामना कर रहे हैं।
- स्थानीय लोगों को डर है कि बाहरी लोगों के बड़े पैमाने पर आने से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है।
- छठी अनुसूची के प्रावधान परिषदों को भूमि संबंधी उपयोग, वनों और प्राकृतिक संसाधनों को विनियमित करने का अधिकार देते हैं- जो विकास और पारिस्थितिकी संधारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक विकास

- लोक सेवा आयोग की अनुपस्थिति स्थानीय भर्ती में बाधा डालती है, जिससे लद्दाख में बेरोजगारी का संकट और गहराता है (स्नातक बेरोजगारी 26.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है)।
- छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों के साथ राज्य का दर्जा मिलने से स्थानीय आधार पर नौकरी में आरक्षण, विशिष्ट विकास योजनाएं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचा सुनिश्चित होगा।
- संवैधानिक मान्यता से संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों में लगाया जा सकेगा, जो सीधे तौर पर लद्दाख की प्राथमिकताओं से जुड़े होंगे।

सुरक्षा और सामरिक विचार

- चीन और पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सीमाओं पर लद्दाख की अवस्थिति के कारण ऐसे शासन मॉडल की आवश्यकता है जो स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों की रक्षा कर सके।
- राज्य का दर्जा केंद्रित शासन और विकास को सक्षम करेगा, जबकि छठी अनुसूची परिषदें रक्षा और रणनीतिक अनिवार्यताओं में हस्तक्षेप किए बिना स्थानीय मामलों का प्रबंधन कर सकेंगी।

STUDY IQ PUBLICATIONS

लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने के विरुद्ध तर्क

- **राज्य के दर्जे पर चिंताएँ:** हालाँकि राज्य का दर्जा लद्दाख को पूर्ण विधायी शक्तियाँ और अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा, आलोचकों का तर्क है कि यह इस संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता और सुरक्षा समन्वय को जटिल बना सकता है। ऐसी चिंताएँ हैं कि स्वायत्तता में वृद्धि भारत के सामरिक नियंत्रण को कमजोर कर सकती है और चीन व पाकिस्तान के साथ चल रहे विवादों में उसकी कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है।
- **विधिक और संवैधानिक चुनौतियाँ:** छठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी, जबकि अन्य आदिवासी क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। छठी अनुसूची के प्रावधानों को लद्दाख तक विस्तारित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक विधिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं से युक्त प्रक्रिया है।
- **प्रशासनिक जटिलता:** छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए जाने से अतिरिक्त नौकरशाही स्तर निर्मित हो सकती हैं, जिससे उस क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, जहां सुरक्षा और विकास दोनों के लिए त्वरित शासन महत्वपूर्ण है।
  - वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश का ढाँचा उपराज्यपाल के अधीन एक सुव्यवस्थित कमान श्रृंखला सुनिश्चित करता है, जिसे प्रभावी सुरक्षा संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **मौजूदा विकासात्मक सहायता:** लद्दाख को पहले से ही केंद्र से महत्वपूर्ण वित्तीय और नीतिगत सहायता प्राप्त है। 2025 में, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने **लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई के उपायों का और विस्तार किया है:**
  - कुल आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 85% कर दी गई।
  - अनुसूचित जनजाति (**ST**) आरक्षण को तेजी से बढ़ाकर 80% कर दिया गया।
- **आर्थिक पहलू:** छठी अनुसूची के प्रावधान अक्सर भूमि संबंधी उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे निजी निवेश में बाधा आ सकती है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी हो सकती है। लद्दाख की रणनीतिक स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को देखते हुए, ऐसी सीमाएँ इसके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती हैं।
- **शासन के वैकल्पिक विकल्प:** जहाँ कुछ समूह छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग जारी रखे हुए हैं, वहीं अन्य लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) जैसी मौजूदा संस्थाओं को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि इन निकायों को सशक्त बनाना, छठी अनुसूची के तहत शासन के पुनर्गठन की तुलना में अधिक व्यावहारिक और कम विघटनकारी होगा।
- **एक उदाहरण के रूप में स्थापित होने का जोखिम:** छठी अनुसूची के प्रावधानों को लद्दाख तक विस्तारित करने से भारत के अन्य जनजातीय या सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों से भी ऐसी ही माँगें उठ सकती हैं। इससे संघीय संतुलन बिगड़ सकता है और व्यापक संवैधानिक ढाँचा जटिल हो सकता है।

लद्दाख की शासन और स्वायत्तता संबंधी चुनौतियों से निपटने के उपाय

- **लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDCs) को मजबूत करना:** स्थानीय शासन, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे विषयों को शामिल करने के लिए लेह और कारगिल में **LAHDCs** की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का विस्तार करना।
  - यह दृष्टिकोण संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता के बिना मौजूदा संस्थाओं पर आधारित है।
- **विशेष विधायी दर्जा:** अनुच्छेद 240 के तहत संसद द्वारा एक समर्पित अधिनियम पारित करना, जिससे लद्दाख के प्रतिनिधियों को संस्कृति, भूमि संबंधी उपयोग और सामाजिक कल्याण जैसे स्थानीय मामलों पर विधि निर्माण का अधिकार मिलेगा, जबकि रक्षा और सुरक्षा पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा।
  - यह हाइब्रिड मॉडल लद्दाख की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ संतुलन स्थापित करता है।
- **अनुकूलित संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** पूर्वोत्तर भारत की स्वायत्त परिषदों (जैसे: मेघालय में खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद) से प्रेरित, लेकिन लद्दाख की जातीय संरचना, भूगोल और रणनीतिक संदर्भ के अनुकूल, छठी अनुसूची के संशोधित ढाँचे का अन्वेषण करना।
  - स्थानीय नेताओं और केंद्रीय प्राधिकारियों की एक संयुक्त प्रारूप समिति यह सुनिश्चित कर सकती है कि शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।
- **वित्तीय एवं विकास सहायता में वृद्धि:** बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण और लक्षित विकास अनुदान में वृद्धि।
  - लद्दाख, **हरित जलवायु कोष** जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त तंत्रों का भी लाभ उठा सकता है।

- **लद्दाख लोक सेवा आयोग (LPSC) की स्थापना:** सरकारी सेवाओं में अधिवास-आधारित भर्ती और आरक्षण की निगरानी के लिए एक अलग आयोग का गठन। 26.5% (राष्ट्रीय औसत से दोगुना) युवा बेरोजगारी के साथ, यह उपाय समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा, आर्थिक हाशिए की स्थिति में जाने से रोकेगा और शासन में युवाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
- **संस्थागत संवाद मंच:** लेह एपेक्स बॉडी **(LAB)**, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (**KDA**), केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों सहित एक स्थायी परामर्श मंच स्थापित करना।
  - नियमित संवाद से अविश्वास कम हो सकता है, संघर्षों का समाधान हो सकता है और समावेशी नीति-निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** स्थानीय सद्भावना बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (**NSA**) जैसे कानूनों को पारदर्शी और निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रियाओं के साथ विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए, 2025 में राज्य के दर्जे के विरोध के दौरान NSA के अधीन कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत** ने जनता के अलगाव से बचने के लिए असहमति से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण की सुरक्षा:** लद्दाख की भाषाओं, परंपराओं और संवेदनशील पारिस्थितिकी को अति-व्यावसायीकरण और शोषणकारी उद्योगों से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय अपनाना।
  - **उदाहरण: भूटान के सकल राष्ट्रीय खुशहाली और नेपाल के सामुदायिक वानिकी कार्यक्रमों की सर्वोत्तम पद्धतियों से सीखते हुए,** लद्दाख एक ऐसे विकास मॉडल को अपना सकता है जो सांस्कृतिक संरक्षण के साथ-साथ पारिस्थितिक लचीलापन भी सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त, **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)** ने अपनी 119वीं बैठक में छठी अनुसूची के प्रावधानों को लद्दाख तक विस्तारित करने की सिफारिश की, क्योंकि इसकी 97% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है और कृषि और सांस्कृतिक अधिकारों पर निर्भर है।

निष्कर्ष

लद्दाख की राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और अधिक स्वायत्तता की माँगें, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समावेशी शासन, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास की तात्कालिकता को उजागर करती हैं। एक चरणबद्ध और परामर्शी दृष्टिकोण, LAHDCs को सशक्त बनाना, स्थानीय नियोजन के अवसर सुनिश्चित करना और संवेदनशील पारिस्थितिकी की रक्षा करना, आदि भविष्योन्मुखी संतुलित उपाय प्रदान करते हैं।

न्यायिक आधार पर लैंगिक अंतर: भारत के न्यायालयों को अधिक महिलाओं की आवश्यकता क्यों है?

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2: न्यायपालिका

संदर्भ

अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के सेवानिवृत्त होने के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से केवल एक महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ही कार्यरत रहेंगी।

संबंधित आंकड़े

- 1950 से अब तक सर्वोच्च न्यायालय में **287 न्यायाधीशों में से केवल 11 महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं**- जो मुश्किल से **3.8% है।**
- वर्तमान में, **न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना** 34 कार्यरत न्यायाधीशों में एकमात्र महिला हैं।
- **ऐतिहासिक उपलब्धियां:**
  - न्यायमूर्ति फातिमा बीबी (1989) सर्वोच्च न्यायालय की **पहली महिला न्यायाधीश** थीं।
  - न्यायमूर्ति नागरत्ना **भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI)** होंगी, लेकिन वह **2027 में केवल 36 दिनों के लिए** यह पद ग्रहण करेंगी।
- **उच्च न्यायालयों में प्रतिनिधित्व: 800 से अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों** में से केवल **~13% महिलाएं हैं** (2024 तक)।
- **महिला अधिवक्ता:** भारत में 17 लाख पंजीकृत अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएँ हैं। (संसद से प्राप्त आंकड़े, 2022)

न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण

संस्थागत मुद्दे

- **पात्रता मानदंड:** वकीलों के लिए सात साल तक लगातार वकालत का अनुभव होना जरूरी है और उनकी उम्र 35-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अक्सर यह आयुआवश्यक विवाह या पारिवारिक जिम्मेदारियों की होती है, जिससे करियर में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है।

- **उदाहरण: अखिल भारतीय बार एसोसिएशन सर्वेक्षण (2022) में** पाया गया कि कई महिलाएं पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण 5-7 साल की प्रैक्टिस के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं।

- **कार्य का लंबा समय:** विधि क्षेत्र में लंबे और अनम्य कार्य का समय, घरेलू और देखभाल की जिम्मेदारियों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए दोहरा उत्तरदायित्व पैदा करते हैं।
  - **उदाहरण: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन में** पाया गया कि महिला वकील प्रतिदिन औसतन 10-12 घंटे काम करती हैं, जिससे उनके कार्य-जीवन का संतुलन सीमित हो जाता है।
- **ऐतिहासिक रूप से बहिष्कार:** न्यायपालिका पर ऐतिहासिक रूप से पुरुषों का प्रभुत्व रहा है, जिससे पुरुष वैधता की धारणा को बल मिला है और महिलाओं की अवहेलना की गई है।
  - **उदाहरण:** 1950 से अब तक केवल 11 महिलाओं को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
- **पदोन्नति में पक्षपात:** अधीनस्थ न्यायालयों में मजबूत प्रतिनिधित्व के बावजूद महिलाओं को पदोन्नति में एक अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ता है।
  - **उदाहरण: गोवा की अधीनस्थ न्यायपालिका में 72% महिलाएं हैं**, लेकिन उच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम होकर 13% रह गया है।
- **नियुक्तियों में अनिच्छा:** निर्णय लेने वाली संस्थाएं अक्सर कुछ मामलों के प्रति संवेदनशीलता या राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में संकोच करती हैं।
  - **उदाहरण: 2021 में, पूर्व CJI एसए बोबडे ने** न्यायिक नियुक्तियों में "महिलाओं की कम संख्या" को एक गंभीर चिंता के रूप में स्वीकार किया।
- **कॉलेजियम में महिलाओं की कमी:** उच्च न्यायिक नियुक्तियों का निर्णय करने वाले कॉलेजियम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे शीर्ष पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।
  - **उदाहरण: 2023-24 के बीच कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का हिस्सा नहीं थी।**

सामाजिक मुद्दे

- **रूढ़िवादी सामाजिक मानसिकता:** महिलाओं को अक्सर स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ माना जाता है, जिससे अधिकार के पदों पर उनकी स्वीकृति को हतोत्साहित किया जाता है।
  - **उदाहरण:** महिला न्यायाधीश अक्सर अदालत में अपने अधिकार को कमतर आंकने की शिकायत करती हैं।
- **लैंगिक-आधारित संवेदनशील बुनियादी ढांचे की अपर्याप्त स्थिति:** कई न्यायालयों में बुनियादी ढांचे, जैसे-स्वच्छ शौचालय, क्रेच और नर्सिंग स्थानों का अभाव है, जिससे कार्यस्थल महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं है।
  - **उदाहरण: 2018 की एक संसदीय समिति ने** पाया कि भारत में कई जिला न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों के लिए अलग से शौचालयों का अभाव है।
- **सामंतवादी पितृसत्ता:** महिला न्यायाधीशों को अक्सर लैंगिक भेदभावपूर्ण टिप्पणियों और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हैं।
  - **उदाहरण: न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा (सेवानिवृत्त) ने** लैंगिक आधार पर अपने प्रारंभिक करियर के दौरान संदेह का सामना करने की बात स्वीकार की है।
- **महिलाओं के मुद्दों का सामान्यीकरण:** महिलाओं के मुद्दों को सामान्य सामाजिक मुद्दों के रूप में महत्वहीन बना दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप असंवेदनशील न्यायिक आदेश जारी होते हैं।
  - **उदाहरण: 2020 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने** यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह पीड़िता से राखी बंधवाएगा, जो लैंगिक संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है।

मूल्य संवर्धन

- **विश्व बैंक की महिला, व्यवसाय और विधि रिपोर्ट (2022) के अनुसार**, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित संकेतकों पर भारत का स्कोर कम है।
- कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में उच्च न्यायपालिका में 30% से अधिक महिला न्यायाधीश हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा लगभग 12% है।

न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की आवश्यकता

- **प्रतिनिधित्व:** महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से उच्च एवं सामाजिक रूप से निर्णायक पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायपालिका समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करती है।
  - **उदाहरण: न्यायमूर्ति लीला सेठ की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति** (हिमाचल प्रदेश, 1991) लैंगिक प्रतिनिधित्व में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
- **सशक्तिकरण:** महिला न्यायाधीशों ने महत्वाकांक्षा और उपलब्धि के लिए एक मिसाल कायम की है, तथा महिलाओं की युवा पीढ़ी को कानून का अध्ययन करने तथा उपेक्षा और बहिष्कार के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया है।
  - **उदाहरण: न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति ने** कई महत्वाकांक्षी महिला विधि स्नातकों को प्रोत्साहित किया।
- **वास्तविक समानता:** महिला न्यायाधीश विभेदित समानता सुनिश्चित कर सकती हैं जहाँ निष्पक्षता औपचारिक समानता से आगे बढ़कर महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले वास्तविक सामाजिक नुकसानों को ध्यान में रखती है।
  - **उदाहरण: न्यायमूर्ति आर. भानुमति के निर्णयों में अक्सर कमजोर समूहों की सुरक्षा** तथा ठोस न्याय को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।
- **बार-बार फैसले पलटने से रोकना: महिलाओं के** पक्ष में दिए गए कई प्रगतिशील फैसले लैंगिक संवेदनशीलता के अभाव में पलट दिए जाते हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक उपस्थिति ऐसे परिणामों को रोक सकती है।
  - **उदाहरण: लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) में, महिलाओं के अपनी इच्छा से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखा गया था,** लेकिन इसी तरह के मामलों में अक्सर निचली अदालतों में निर्णयों को परिवर्तन करने जैसी स्थिति देखी जाती है।
- **बेहतर पहुंच:** महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति लैंगिक आधार पर अपराधों के पीड़ितों को बिना किसी डर के अदालतों में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे रिपोर्टिंग और न्याय तक पहुंच बढ़ जाती है।
  - **उदाहरण: निर्भया मामले में** संवेदनशील न्यायिक कार्यवाही के कारण जनता का विश्वास बढ़ा।
- **कलंक हटाना:** एक विविधतापूर्ण न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि पुरानी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की महत्ता कम हो।
- **सामाजिक विविधता:** सामाजिक रूप से विविध न्यायपालिका निर्णयों की प्रभावशीलता और वैधता में सुधार करती है।
  - 1997 में, न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर, **विशाखा दिशानिर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो लैंगिक न्याय में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था।**

न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

संस्थागत चुनौतियाँ

- **नियुक्ति प्रक्रिया में अपारदर्शिता:** कॉलेजियम प्रणाली गोपनीयता से संचालित होती है, और पात्रता एवं चयन के मानदंड अस्पष्ट रहते हैं। पारदर्शिता की इस कमी के कारण लैंगिक विविधता को प्राथमिकता देने की संभावना कम हो जाती है।
  - **उदाहरण:** उच्च न्यायालयों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए स्थान को सीमित करता है।
- **न्यायिक बहिष्करण:** न्यायपालिका के पास लैंगिक मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत कम संस्थागत तंत्र हैं, जिसके कारण महिलाओं की चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाता है।
- **महिला न्यायाधीशों की कम उपस्थिति:** महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण उनकी चिंताओं को अक्सर कम महत्व दिया जाता है।
  - **उदाहरण: 2025 तक, भारत में कभी भी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) नहीं रही है, जो** प्रणालीगत बहिष्करण को दर्शाता है।

- **बाध्यकारी दिशा-निर्देशों का अभाव:** लैंगिक समावेशन पर मौजूदा दिशा-निर्देश परामर्शात्मक प्रकृति के हैं, जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य प्रावधान नहीं हैं।
    - **उदाहरण: महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल)** ने उच्च न्यायपालिका में अधिक महिलाओं की नियुक्ति की सिफारिश की है, लेकिन कोई अनिवार्य कोटा या नियम लागू नहीं किया गया है।

सामाजिक चुनौतियाँ

- **कलंक और रूढ़िवादिता:** महिलाओं को प्राय: न्यायिक करियर अपनाने से हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन भूमिकाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व है।
- **मातृ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** मातृत्व अवकाश के लिए करियर में अन्तराल (ब्रेक) को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, जिससे महिला न्यायाधीशों में अविश्वसनीयता की धारणा पैदा होती है। इससे प्रसव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण करियर में अंतराल के कारण पदोन्नति में देरी होती है।
- **सामाजिक विभाजन:** न्यायपालिका में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण कायम है, जहां महिलाओं को अक्सर आपराधिक या संवैधानिक मामलों जैसे ''गंभीर'' मामलों को संभालने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।

महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) केके वेणुगोपाल की प्रमुख सिफारिशें

- **आंतरिक संवेदीकरण कार्यक्रम:** न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य संवेदीकरण प्रशिक्षण लागू करना, ताकि पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके और रोका जा सके, जो उनके निर्णयों में महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- **व्यापक डेटा संग्रह:** निचली न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की संख्या और सभी उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में महिलाओं की वार्षिक पदनाम पर व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र करना।
- **नेतृत्व में लैंगिक समानता प्राप्त करना:** सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को न्यायपालिका के भीतर सभी नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं के कम से कम 50% प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास करना चाहिए।
- **वकीलों के लिए अनिवार्य रूप से लैंगिक आधार पर संवेदीकरण प्रशिक्षण:** सभी विधिक पेशेवरों के लिए अनिवार्य लैंगिक आधार पर संवेदीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

आगे की राह

प्रगतिशील उपाय

- **लैंगिक आधार पर कोटा:** पंचायती राज संस्थाओं में सफल मॉडल के समान, न्यायिक नियुक्तियों में महिलाओं के लिए निश्चित कोटा लागू करने पर विचार करना, जैसा कि 2015 में विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति द्वारा सुझाया गया था।
- **उच्च न्यायालयों की कार्य-प्रणाली को सुदृढ़ बनाना:** लक्षित मार्गदर्शन और समान अवसर नीतियों के माध्यम से उच्च न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
- **महिलाओं की नियुक्तियों को प्रोत्साहित करना:** उच्च न्यायपालिका और सरकार को महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- **शिक्षा के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना:** विधि विद्यालयों और न्यायिक कार्यालयों में लैंगिक आधार पर संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ाना, ताकि अधिक समावेशी वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य में महिलाओं की नियुक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **सार्वजनिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना:** न्यायपालिका में लैंगिक-आधार पर कदाचार के बारे में चुप्पी की संस्कृति को चुनौती देने के लिए जनता को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **नैतिक संहिता सुधार:** न्यायिक आचरण के लिए मौजूदा नैतिक संहिताओं में स्पष्ट, व्यापक और लैंगिक-आधार पर संवेदनशील दिशानिर्देशों को एकीकृत करना।
- **सहायता प्रणाली:** बच्चों की देखभाल की सुविधाएं, लचीले कार्य मॉडल, तथा बार एसोसिएशनों में उत्पीड़न से निपटना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं लंबे समय तक अपना करियर बना सकें।

दंडात्मक उपाय

- **न्यायिक आचरण मानक:** न्यायिक आचरण के लिए, विशेष रूप से अस्पष्ट क्षेत्रों को संबोधित करते हुए सटीक दिशानिर्देश स्थापित करना।
- **स्वतंत्र अनुशासनात्मक प्रणाली:** शिकायतों से निपटने और कदाचार के आरोपों की जांच के लिए एक मजबूत, स्वतंत्र तंत्र लागू करना।

- **लैंगिक-आधार पर कदाचार निरीक्षण:** लैंगिक-आधार पर कदाचार की व्यापकता और प्रकृति की निरंतर निगरानी और आलोचनात्मक विश्लेषण करना।
- **लैंगिक-आधार पर संवेदनशीलता मूल्यांकन:** न्यायिक पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते समय लैंगिक संवेदनशीलता को एक प्रमुख मानदंड के रूप में एकीकृत करना।

निष्कर्ष

पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व एक अधिकार है, दान का विषय नहीं। अदालतों में बुनियादी ढाँचे की कमी सहित मौजूदा माहौल महिला वकीलों के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए, भारतीय न्यायालयों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व और लैंगिक संवेदनशीलता एक समावेशी न्यायपालिका सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित हो सकती है, जो जन कल्याण और न्यायपूर्ण व्यवस्था पर केंद्रित हो।

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2: भारतीय संविधान, अधिकार

संदर्भ

दिल्ली **उच्च न्यायालय ने हाल ही में** बॉलीवुड अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर के **व्यक्तित्व अधिकारों की** रक्षा की, जब उन्होंने **एआई-जनरेटेड सामग्री के माध्यम से अपनी छवियों और आवाजों के दुरुपयोग को चिह्नित किया।**

परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेजी से बढ़ते चलन ने मशहूर हस्तियों और आम नागरिकों, दोनों के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं। भारतीय अदालतों ने लोगों की छवि, आवाज और व्यक्तित्व के अनधिकृत व्यावसायिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करके इस दिशा में कदम उठाया है। ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और अरिजीत सिंह के पक्ष में दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालयों द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय, व्यक्तित्व अधिकारों को संहिताबद्ध करने की तात्कालिकता को दर्शाते हैं। ये फैसले व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा में प्रगति को दर्शाते हैं और साथ ही डिजिटल युग में भारत के कानूनी ढाँचे की कमियों को भी उजागर करते हैं।

व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं?

- **परिभाषा:** व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के नाम, छवि, सदृशता, आवाज, हस्ताक्षर और अन्य पहचान योग्य लक्षणों को अनधिकृत उपयोग से बचाते हैं।
- **उद्देश्य:** दूसरों को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बिना सहमति के व्यावसायिक शोषण करने से रोकना, विशेष रूप से उन मशहूर हस्तियों को, जो अपनी पहचान के आधार पर ब्रांड मूल्य का निर्माण करते हैं।
- **दायरा:** यह सेलिब्रिटी से आगे बढ़कर, विशेष रूप से निजी छवियों के दुरुपयोग, बदला लेने वाली पोर्नोग्राफी या डीपफेक के मामलों में, **आम नागरिकों तक भी विस्तारित है।**

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों का विधिक आधार

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (गोपनीयता, सम्मान और स्वायत्तता का अधिकार) में निहित

वैधानिक सुरक्षा:

- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:**
  - **धारा 38A:** कलाकारों के अनन्य अधिकार।
  - **धारा 38B:** कलाकारों के नैतिक अधिकार (विकृति या दुरुपयोग को रोकना)।
- **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999:** मशहूर हस्तियों को नाम, हस्ताक्षर, कैचफ्रेज (जैसे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान) को ट्रेडमार्क करने की अनुमति देता है।
- **धारा 27:** ''पासिंग ऑफ'' का सामान्य कानूनी अपकृत्य गलत बयानी और झूठे समर्थन को रोकता है।

व्यक्तित्व अधिकारों की आवश्यकता

- **मानव गरिमा की रक्षा:** किसी व्यक्ति की तस्वीर को बिना अनुमति के विज्ञापन में उपयोग करने जैसी स्थितियों को रोकता है, जिससे अपमान या गलत प्रस्तुति हो सकती है।
  - **उदाहरण: ICC डेवलपमेंट बनाम आर्वी एंटरप्राइजेज (2003) मामले में**, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना सहमति के किसी अन्य के व्यक्तित्व का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यह गरिमा और स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।
- **आर्थिक मूल्य का संरक्षण:** विराट कोहली या आलिया भट्ट जैसी हस्तियां, जो विज्ञापनों के माध्यम से अत्यधिक कमाई करती हैं, यदि ब्रांड बिना अनुबंध के उनकी पहचान का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।
  - **अमिताभ बच्चन** ने लॉटरी विज्ञापनों और व्यापारिक वस्तुओं में अपने नाम, आवाज और समानता के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हुए **दिल्ली उच्च न्यायालय (2022) का दरवाजा खटखटाया।**
- **एआई और डिजिटल दुरुपयोग को रोकना:** राजनेताओं या सीईओ की आवाज की क्लोनिंग से जनता को गुमराह किया जा सकता है या बाजारों में हेरफेर किया जा सकता है।
  - **रश्मिका मंदाना जैसी अभिनेत्रियों के एआई-संचालित डीपफेक के** उदय ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की चिंता पैदा कर दी है। है।
- **सार्वजनिक धोखाधड़ी को रोकना:** यह सुनिश्चित करके कि केवल अधिकृत विज्ञापनों पर ही भरोसा किया जाए, उपभोक्ताओं को घोटालों का शिकार होने से बचाता है।
  - **एम.एस. धोनी** को एक सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन करते हुए दिखाने वाले एक फर्जी सोशल मीडिया अभियान ने प्रशंसकों को तब तक गुमराह किया **जब तक कि इसे कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी गई।**
- **मशहूर हस्तियों से परे सुरक्षा का विस्तार: केरल उच्च न्यायालय (2021)** ने सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक महिला की मॉर्फ्ड छवियों को हटाने का आदेश दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि व्यक्तित्व अधिकार केवल मशहूर हस्तियों तक ही सीमित नहीं हैं।

संबंधित मामले

- **राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994):** गोपनीयता के अधिकार के भाग के रूप में पहचान नियंत्रण की स्थापना की गई।
- **रजनीकांत मामला (2014):** यह माना गया कि यदि कोई सेलिब्रिटी आसानी से पहचाना जा सकता है, चाहे वह विकृत ही क्यों न हो, तो उल्लंघन होता है।
- **डीएम एंटरटेनमेंट बनाम बेबी गिफ्ट हाउस (2010):** दलेर मेहंदी के व्यक्तित्व की रक्षा की गई, लेकिन पैरोडी या व्यंग्य को दबाने वाले अतिक्रमण के प्रति आगाह किया गया।
- **अनिल कपूर (2023), जैकी श्रॉफ (2024), अरिजीत सिंह (2024):** प्रतिरूपण, एआई डीपफेक और ऑनलाइन दुरुपयोग के खिलाफ आधुनिक मिसाल कायम की।
- **डिजिटल कलेक्टिबल्स बनाम गैलेक्टस फनवेयर (2023):** पुष्टि की गई कि व्यंग्य, हास्यानुकृति (पैरोडी) और शैक्षणिक उपयोग अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वैध बने रहेंगे।

संबंधित चुनौतियाँ

- **व्यापक कानून का अभाव:** भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर एकीकृत कानून का अभाव है; कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गोपनीयता का अधिकार और अपकृत्य कानून के तहत सुरक्षा मौजूद है।
  - **उदाहरण: बाविशी बनाम भारत संघ (2019) में**, अदालतों को किसी व्यक्ति की छवि के अनधिकृत उपयोग की समस्या का समाधान करने के लिए आईपी और गोपनीयता कानूनों के एक खंड पर निर्भर रहना पड़ा, जो खंडित कानूनी ढांचे को दर्शाता है।
- **अतिक्रमण बनाम स्वतंत्र अभिव्यक्ति:** व्यंग्यात्मक सामग्री जैसे पैरोडी वीडियो या राजनीतिक कार्टून (जैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य राजनेताओं के व्यंग्यचित्र) को चुनौती दी जा सकती है यदि व्यक्तित्व अधिकारों की व्याख्या बहुत व्यापक रूप से की जाती है।
  - न्यायालय को वैध आलोचना को दबाने से बचने के लिए **अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।**
- **प्रवर्तन संबंधी कठिनाइयाँ:** इंस्टाग्राम पर अनधिकृत सेलिब्रिटी विज्ञापन जैसे मामले, सामग्री को तुरंत हटाने की कठिनाई को दर्शाते हैं।
  - **उदाहरण:** कानूनी नोटिस जारी होने से पहले ही बॉलीवुड अभिनेताओं के डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो जाते हैं।

- **कार्यक्षेत्र में अस्पष्टता:** हालाँकि, न्यायालय मशहूर हस्तियों को दृढ़ता से संरक्षण प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए, अमिताभ बच्चन की अनधिकृत विज्ञापनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई), ऑनलाइन उत्पीड़न के शिकार आम नागरिकों को प्रायः न्यायिक राहत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
  - **उदाहरण: XYZ बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (2022)** में, एक गैर-सेलिब्रिटी की मॉर्फ्ड छवियों के बारे में शिकायत को संसाधित करने में महीनों लग गए, जो जनता के लिए कमजोर सुरक्षा की स्थिति को दर्शाता है।
- **वैश्विक आयाम:** अलग-अलग कानूनों और व्यक्तित्व अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की कमी के कारण सीमा पार प्रवर्तन जटिल बना हुआ है।
  - **उदाहरण:** विदेशी प्लेटफार्मों (जैसे: टिकटॉक, रेडिट) पर होस्ट किए गए डीपफेक वीडियो भारतीय अधिकार क्षेत्र को अप्रभावी बनाते हैं।
- **प्रौद्योगिकी अंतराल:** कानूनी प्रतिक्रियाएं तीव्र एआई प्रगति से पीछे हैं, जिससे कानून या न्यायिक मार्गदर्शन के आने से पहले ही व्यक्तियों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।
  - **चौटजीपीटी और मिडजर्नी जैसे एआई उपकरण**, बिना सहमति के व्यक्तियों की जीवंत छवियां या आवाजें उत्पन्न कर सकते हैं।

आगे की राह

- **व्यापक कानून:** एक समर्पित भारतीय व्यक्तित्व अधिकार अधिनियम, वर्तमान में बौद्धिक संपदा, गोपनीयता और अपकृत्य कानून में बिखरे संरक्षणों को समेकित कर सकता है।
  - **उदाहरण: भारत, अमेरिका के प्रचार अधिकार कानून (कैलिफोर्निया सिविल कोड) या जर्मनी के BGB के तहत व्यक्तित्व अधिकार कानून का अनुकरण कर सकता है,** जो स्पष्ट रूप से दायरे, संरक्षित विशेषताओं और उपायों को परिभाषित करता है।
- **स्पष्ट अपवाद:** यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित रखा जाए और साथ ही दुर्भावनापूर्ण दुरुपयोग को रोका जाए।
  - **उदाहरण के लिए: व्यंग्यात्मक समाचार कार्यक्रम या राजनीतिक कार्टून, जैसे कि द वायरल फीवर** स्केच, जिसमें मशहूर हस्तियों या राजनेताओं की पैरोडी की गई हो, को स्पष्ट रूप से संरक्षित किया जाएगा।
- **मजबूत प्रवर्तन तंत्र:** प्लेटफार्मों के साथ सहयोग से अनधिकृत विज्ञापनों या अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों के एआई-जनरेटेड डीपफेक के प्रसार को रोका जा सकता है।
  - उदाहरण: **YouTube** के कंटेंट आईडी या **TikTok** के कॉपीराइट/डीपफेक रिपोर्टिंग टूल जैसे त्वरित निष्कासन ढाँचों को भारत में कानूनी रूप से अनिवार्य किया जा सकता है है।
- **जागरूकता: साइबर सुरक्षित भारत** जैसे अभियानों में आम नागरिकों को ऑनलाइन उत्पीड़न, बदले की भावना से प्रेरित पोर्नोग्राफी और डीपफेक जोखिमों के बारे में शिक्षित करने वाले मॉड्यूल शामिल किए जा सकते हैं। महिलाओं और कमजोर समूहों को उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के तरीके की बेहतर समझ होगी।
- **क्षमता निर्माण:** राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जैसे न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल अधिकार, एआई-जनित सामग्री और साइबर कानून अपडेट शामिल किए जा सकते हैं।
  - कानून प्रवर्तन अधिकारी ऑनलाइन दुरुपयोग पर प्रभावी ढंग से नजर रखने में सक्षम होंगे।
- **आम नागरिकों तक विस्तार:** केरल उच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया से एक महिला की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को हटाने (2021) जैसे मामले मशहूर हस्तियों से परे सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
  - कानून में गैर-सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए लैंगिक-आधार पर लक्ष्यीकरण और डीपफेक उत्पीड़न का स्पष्ट रूप से समाधान किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग:** साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या ट्विटर/एक्स या मेटा जैसे प्लेटफार्मों के साथ द्विपक्षीय समझौते सीमा पार प्रवर्तन को सक्षम कर सकते हैं।
  - इससे विदेशी सर्वरों से होने वाले दुरुपयोग से निपटने में मदद मिलेगी, जैसे कि डीपफेक पोर्नोग्राफी या विदेश में अनधिकृत सेलिब्रिटी समर्थन।

निष्कर्ष

भारत व्यक्तित्व अधिकारों को परिभाषित करने के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हालाँकि न्यायिक हस्तक्षेपों ने महत्वपूर्ण मिसालें कायम की हैं, फिर भी गरिमा, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए एक व्यापक वैधानिक ढाँचा आवश्यक है। मशहूर हस्तियों और आम नागरिकों, दोनों के लिए सुरक्षा को संहिताबद्ध करके, व्यंग्य और अकादमिक उपयोग के लिए स्पष्ट अपवाद बनाकर, और दुर्भावनापूर्ण एआई-संचालित

दुरुपयोग को अपराध घोषित करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार बने और प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा को सुरक्षित रखा जाए।

मानहानि को अपराधमुक्त करना

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2: संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं

संदर्भ

हाल ही में एक सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि मानहानि को अपराधमुक्त करने का समय आ गया है।

मानहानि: परिचय

सोशल मीडिया और तेजी से बढ़ती तकनीकी प्रगति के दौर में, न केवल इसके लाभों को, बल्कि इसके साथ आने वाले संभावित जोखिमों को भी समझना जरूरी है। मानहानि एक ऐसा ही जोखिम है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत पहचान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

मानहानि से तात्पर्य झूठी सूचना देने के कृत्य से है, चाहे वह मौखिक, लिखित या प्रकाशित हो, जिससे किसी व्यक्ति, समूह या उसके निकट संबंधियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।

भारतीय दंड संहिता **(IPC)** की धारा 499 और 500 के अनुसार, मानहानि को एक आपराधिक अपराध माना जाता है, जिसके लिए कारावास और/या जुर्माने का प्रावधान है। यह दो रूपों अर्थात- मानहानि (लिखित मानहानि) और बदनामी (मौखिक मानहानि) में हो सकता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत, मानहानि को **धारा 356 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।** आज की डिजिटल दुनिया में, जहाँ गुमनामी आसानी से बनी रहती है और लोग अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से (स्क्रीन के पीछे) काम करते हैं, इससे मानहानि जैसे मामलों की संभावना काफी बढ़ गई है।

मानहानि: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में

- **संवैधानिक आधार:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत स्पष्ट रूप से "उचित प्रतिबंध" की अनुमति देता है, जिसमें मानहानि भी शामिल है।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि वाक् और अभिव्यक्ति से दूसरों की प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से नुकसान न पहुंचे।
- **अधिकारों का संतुलन:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। मानहानि कानून व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, जो अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार भी है।
- **न्यायिक मान्यता:** सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने, यह मानते हुए कि प्रतिष्ठा की रक्षा करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक वैध प्रतिबंध है, आपराधिक मानहानि कानूनों को बरकरार रखा।

मानहानि से संबंधित मामले/निर्णय

संबंधित मामले/निर्णय	मुख्य बिंदु
अडानी गैग ऑर्डर और मीडिया निषेधाज्ञा (2025)	• दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत पत्रकारों को अडानी एंटरप्राइजेज के बारे में कथित रूप से अपमानजनक रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। • सर्वोच्च न्यायालय ने बोनार्ड स्टैंडर्ड की पुनः पुष्टि की तथा इस बात पर बल दिया कि मानहानि के मामलों में सुनवाई-पूर्व निषेधाज्ञा दुर्लभ होनी चाहिए और केवल तभी स्वीकार्य होनी चाहिए जब प्रतिवादी के पास कोई विश्वसनीय बचाव न हो।
सर्वोच्च न्यायालय का 2025 में गैर-अपराधीकरण के संदर्भ में अवलोकन	• सितंबर 2025 में, जेएनयू के एक प्रोफेसर और द वायर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया कि क्या आधुनिक लोकतंत्र में आपराधिक मानहानि प्रासंगिक है। • पीठ ने धारा 356 BNS (पूर्व में धारा 499 IPC) के औपनिवेशिक काल में उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए, गैर-अपराधीकरण की संभावना का संकेत दिया।
समीर वानखेड़े बनाम नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2025)	• हालिया मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच बढ़ते टकराव को उजागर किया है। • न्यायालय ने नेटफ्लिक्स श्रृंखला में मानहानि के आरोपों पर विचार किया, तथा इस बात पर पुनः ध्यान केंद्रित किया कि मीडिया चित्रण किस प्रकार व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करता है।
एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी (2021)	• दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक **#MeToo** मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को पूर्व मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले से बरी कर दिया। • फैसले में कहा गया कि गरिमा का अधिकार और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, प्रतिष्ठा के दावों से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने मानहानि के मामलों में सच्चाई और जनहित को भी वैध बचाव माना।
सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016)	• सर्वोच्च न्यायालय ने **IPC** की धारा 499 और 500 (अब भारतीय दंड संहिता **(BNS)**, 2023, की धारा 356) के तहत आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को बरकरार रखा। • न्यायालय ने फैसला दिया कि आपराधिक मानहानि अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है, साथ ही यह भी पुष्टि की कि प्रतिष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। • इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि "किसी की प्रतिष्ठा को दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

भारत में मानहानि को अपराधमुक्त करने के पक्ष में तर्क

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण:** आपराधिक मानहानि कानून एक "भय उत्पन्न करने वाला प्रभाव" पैदा करते हैं, जो पत्रकारों, मुखबिरों और नागरिकों को आलोचना या असहमति व्यक्त करने से हतोत्साहित करते हैं, जिससे व्यापक आत्म-सेंसरशिप को बढ़ावा मिलता है।
  - **उदाहरण:** सितंबर 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक अभियोजन का डर अनुच्छेद 19(1)(a) के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, जबकि प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए सिविल उपाय पर्याप्त हैं।
  - **उदाहरण: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)** में, न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A (ऑनलाइन मानहानि को अपराध बनाना) को रद्द कर दिया, क्योंकि यह अस्पष्ट थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती थी।
- **दुर्व्यवहार और उत्पीड़न को रोकना:** आपराधिक मानहानि का दुरुपयोग अक्सर शक्तिशाली व्यक्तियों - राजनेताओं, अभिनेताओं और उद्योगपतियों - द्वारा जन भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमों **(SLAPPs)** के माध्यम से किया जाता है।
  - **उदाहरण: राणा अय्यूब और विनोद दुआ जैसे पत्रकारों** पर सरकार और कॉर्पोरेट कार्रवाइयों पर खोजी रिपोर्टिंग करने के कारण कई एफआईआर की गई हैं।
  - **उदाहरण: एडिटर्स गिल्ड ने** ऐसे मामलों की आलोचना करते हुए उन्हें **"प्रक्रिया द्वारा दंड" बताया है,** जहां सम्मन का बचाव करने का बोझ ही स्वतंत्र पत्रकारिता को बाधित करता है।
- **न्यायिक लंबित मामलों में कमी लाना:** हजारों आपराधिक मानहानि के मुकदमे निचली अदालतों में लंबित रहते हैं, जिससे निजी विवादों पर संसाधनों का व्यय होता है।
  - **उदाहरण: वायर-जेएनयू मामले (2025) में**, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कार्यवाहियों में होने वाली लंबी देरी पर ध्यान दिया और कहा कि मूल्यवान न्यायिक समय को गंभीर अपराधों के लिए समर्पित किया जाना चाहिए, न कि दीर्घकालिक मानहानि मुकदमेबाजी के लिए।

- **प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षाः** आपराधिक मानहानि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करती है।
  - **उदाहरणः 2025 में, पंजाबी ट्रिब्यून और ट्रिब्यून के संपादकों के खिलाफ आपराधिक मामले** रद्द कर दिए गए, जिसमें पुष्टि की गई कि जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए आपराधिक दायित्व नहीं होना चाहिए।
  - **उदाहरणः 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की निम्न रैंकिंग - 180 में से 151** - आपराधिक प्रतिबंधों से मीडिया की स्वतंत्रता को उत्पन्न होने वाले खतरों को रेखांकित करती है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षणः** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिष्ठा को संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन यह लोकतांत्रिक बहुलवाद या आलोचनात्मक विमर्श की अवहेलना नहीं कर सकती। गैर-अपराधीकरण, गरिमा, बंधुत्व और परस्पर सम्मान के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, और यह सुनिश्चित करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा का किसी भी तरह से अनुचित रूप से हनन न हो।
  - **उदाहरणः एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी (2021) में,** अदालत ने यह मानते हुए कि महिलाओं की गरिमा और उत्पीड़न के खिलाफ बोलने का अधिकार मानहानि के दावों से अधिक महत्वपूर्ण है, रमानी को बरी कर दिया।
- **वैश्विक मानकों के अनुरूपः** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और पत्रकारों की सुरक्षा समिति सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ भारत से आपराधिक मानहानि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह करती हैं। विश्व स्तर पर, प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने को एक सिविल अपराध माना जाता है, जिसका समाधान हर्जाना, निषेधाज्ञा, क्षमा याचना जैसे उपायों के माध्यम से किया जाता है।
- **उदाहरणः ब्रिटेन ने 2009 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर दिया,** जबकि अमेरिका **न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन (1964)** में निर्धारित कठोर मानकों के तहत **पूरी तरह से सिविल उपायों पर निर्भर करता है।**

मानहानि को अपराधमुक्त करने के विरुद्ध तर्क

- **मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा की सुरक्षाः** सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि प्रतिष्ठा, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है, और आपराधिक मानहानि, अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् की स्वतंत्रता पर एक ''उचित प्रतिबंध'' लगाती है।
  - **उदाहरणः** न्यायालय ने कहा कि आपराधिक दंड के संरक्षण के बिना, व्यक्तियों की गरिमा और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है, विशेषकर तब जब सिविल उपायों की प्रक्रिया मंद होऔर ये दुर्गम हों।
- **दुर्भावनापूर्ण भाषण के विरुद्ध रोकथामः** आज के डिजिटल युग में, झूठी जानकारी तेजी से फैलती है, और अक्सर सुधारे जाने से पहले ही नुकसान पहुँचा देती है। आपराधिक दायित्व को लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण भाषण के विरुद्ध एक मजबूत निवारक के रूप में माना जाता है।
  - **उदाहरणः विधि आयोग की 285वीं रिपोर्ट (2023) ने** फर्जी खबरों और ऑनलाइन बदनाम करने वाले अभियानों में वृद्धि का हवाला देते हुए भारत के नए आपराधिक कानूनों में मानहानि को आपराध के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की।
  - **उदाहरणः SMC न्यूमेटिक्स बनाम जोगेश क्वात्रा (2004) मामले में,** दिल्ली उच्च न्यायालय ने साइबर मानहानि के लिए भारत की पहली निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें मानहानिकारक ईमेल को कार्रवाई योग्य माना गया, तथा ऑनलाइन दुरुपयोग के खतरे और प्रभावी निवारण की आवश्यकता को दर्शाया गया।
- **सामाजिक बहिष्कार से सुरक्षाः** सिविल मानहानि के मामले अक्सर महंगे, जटिल और लंबे होते हैं, जिससे आम नागरिकों को धनी वर्गों की तुलना में नुकसान उठाना पड़ता है।
  - आपराधिक अभियोजन संरक्षण के लिए एक त्वरित, लागत प्रभावी और सुलभ रास्ता प्रदान करता है।
- **कमजोर समूहों की सुरक्षाः** महिलाएं, दलित और अल्पसंख्यक जैसे हाशिए पर स्थित समूह विशेष रूप से अपमानजनक हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो सामाजिक कलंक और उत्पीड़न को बढ़ा सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए: MeToo** आंदोलन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को बदनाम करने वाले अपमानजनक बयानों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला प्रणालीगत भेदभाव को और मजबूत कर सकता है। आपराधिक प्रावधान ऐसे समूहों को प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को दूर करने में सहायता करते हैं जिसके व्यापक सामाजिक परिणाम होते हैं।

भारत में मानहानि कानून में सुधार आवश्यक

- **निजी मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, आपराधिक मानहानि को बरकरार रखनाः** एक संतुलित ढांचा आपराधिक मानहानि को राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरे या सरकारी पद के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक हस्तियों पर दुर्भावनापूर्ण हमलों जैसे असाधारण मामलों तक सीमित कर देगा, जबकि विशुद्ध रूप से निजी विवादों को सिविल क्षेत्र में स्थानांतरित कर देगा।

- **उदाहरण:** विश्व स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देश मानहानि को एक सिविल अपराध मानते हैं और कारावास के बजाय आर्थिक क्षतिपूर्ति और सुधारात्मक बयानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दृष्टिकोण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और साथ ही बिना कारण झूठ बोलने से भी रोकता है।

- **मानहानि के सिविल उपायों की कार्यवाही को मजबूत और तेज करना:** विलंबित उपाय, मानहानि के सिविल उपायों के कानून के मूल उद्देश्य को ही कमजोर कर देते हैं। भारत ऐसे विवादों के लिए त्वरित अदालतें या विशेष पीठें स्थापित कर सकता है, मामलों के निपटारे के लिए सख्त समय-सीमाएँ निर्धारित कर सकता है, और अनुपातहीन मुआवजों को रोकने के लिए क्षतिपूर्ति की सीमा तय कर सकता है।
  - **उदाहरण के लिए: यूके मानहानि अधिनियम, 2013 ने** प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, ''गंभीर क्षति'' परीक्षण शुरू किया, और तुच्छ दावों को कम किया, जिससे प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन सुनिश्चित हुआ। भारत न्याय को त्वरित और समानुपातिक बनाने के लिए इसी तरह की व्यवस्था अपना सकता है।
- **SLAPP- रोधी (जन भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमा) कानून लागू करना:** शक्तिशाली निगमों या राजनेताओं द्वारा अक्सर लंबी और महंगी मुकदमेबाजी के माध्यम से आलोचना को दबाने के लिए **SLAPP** मुकदमों का दुरुपयोग किया जाता है। **SLAPP- रोधी** कानून ऐसे मामलों को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त कर सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए: कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में, SLAPP- रोधी कानून अदालतों को** धमकी भरे मुकदमों को जल्दी खारिज करने का अधिकार देते हैं, जिससे खोजी पत्रकारों और मुखबिरों को सुरक्षा मिलती है और साथ ही असली दावों को भी अनुमति मिलती है। अगर भारत में भी इसे अपनाया जाता है, तो यह भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करने वाले कार्यकर्ताओं या मीडिया घरानों को मुकदमेबाजी की धमकियों से चुप रहने से बचाएगा।
- **विशिष्ट न्यायिक दिशानिर्देश प्रदान करना:** निष्पक्ष टिप्पणी, व्यंग्य, कलात्मक अभिव्यक्ति और जनहित आलोचना को दुर्भावनापूर्ण मानहानि से अलग करने वाले सिद्धांतों को संहिताबद्ध करने से न्यायालयों को अधिक स्पष्टता मिलेगी।
  - **उदाहरण: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने** आपराधिक मानहानि को बरकरार रखा, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रतिष्ठा के संतुलन के महत्व पर जोर दिया। इस तरह के न्यायशास्त्र के आधार पर, भारत **न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन मामले में अमेरिकी ''वास्तविक द्वेष'' मानक के समान दिशानिर्देश जारी कर सकता है,** जो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध वाक् अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, जब तक कि वह जानबूझकर झूठा न हो या सच्चाई की अनदेखी करते हुए न दिया गया हो।
- **जिम्मेदार वाक् अभिव्यक्ति पर जन जागरूकता को बढ़ावा देना:** कानूनी सुधार के साथ-साथ सामाजिक सुधार भी आवश्यक है। विद्यालयों, नागरिक समाज और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान नागरिकों को आलोचना और मानहानि के बीच अंतर करने के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और जिम्मेदार ऑनलाइन वाक् अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** नॉर्डिक देशों में, नागरिक शिक्षा कार्यक्रम डिजिटल जिम्मेदारी पर जोर देते हैं, जिससे मानहानि के तुच्छ मुकदमों में कमी आती है। भारत भी अदालती बोझ कम करने और सार्वजनिक संवाद में आपसी सम्मान बढ़ाने के लिए ऐसी ही पहल कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत के मानहानि कानूनों में सुधार के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के संरक्षण के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता पर कहा था, विचारों को दबाना समाज से ''गलती को सत्य से प्रतिस्थापित करने'' का अवसर छीन लेता है, जिससे आलोचनात्मक बहस और लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर हो जाती है। इसी भावना से, निजी मानहानि को अपराधमुक्त करना, सिविल उपायों को मजबूत करना और **SLAPP**-विरोधी सुरक्षा लागू करना पत्रकारों और नागरिकों को सशक्त बना सकता है, जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को प्रोत्साहित कर सकता है, और संवैधानिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, दोनों को कायम रख सकता है।

भारत का खेल प्रशासन पारिस्थितिकी तंत्र

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और समर्थन

संदर्भ

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है और हाल ही में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई है। इसका उद्देश्य खेल प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना और भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

भारत में खेल प्रशासन

- **संवैधानिक स्थिति:** खेल विनियमन राज्य सूची, सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत राज्य का विषय है।

- **नीतिगत ढांचा:**
  - **राष्ट्रीय खेल नीति (NSP):** 1984 में लायी गई, 2001 में संशोधित की गई।
  - **खेल प्रसारण सिग्नल अधिनियम, 2007:** प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण सुनिश्चित करता है।
- **हालिया विकास:**
  - कैबिनेट ने 2001 की नीति के स्थान पर **NSP** 2025 को मंजूरी दे दी है।
  - मुख्य स्तंभों पर निर्मित, निम्नलिखित पर बल दिया गया है:
    - » वैश्विक खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना।
    - » खेलों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
    - » खेलों को जन आंदोलन बनाना।
    - » शिक्षा प्रणाली के साथ खेल को एकीकृत करना।

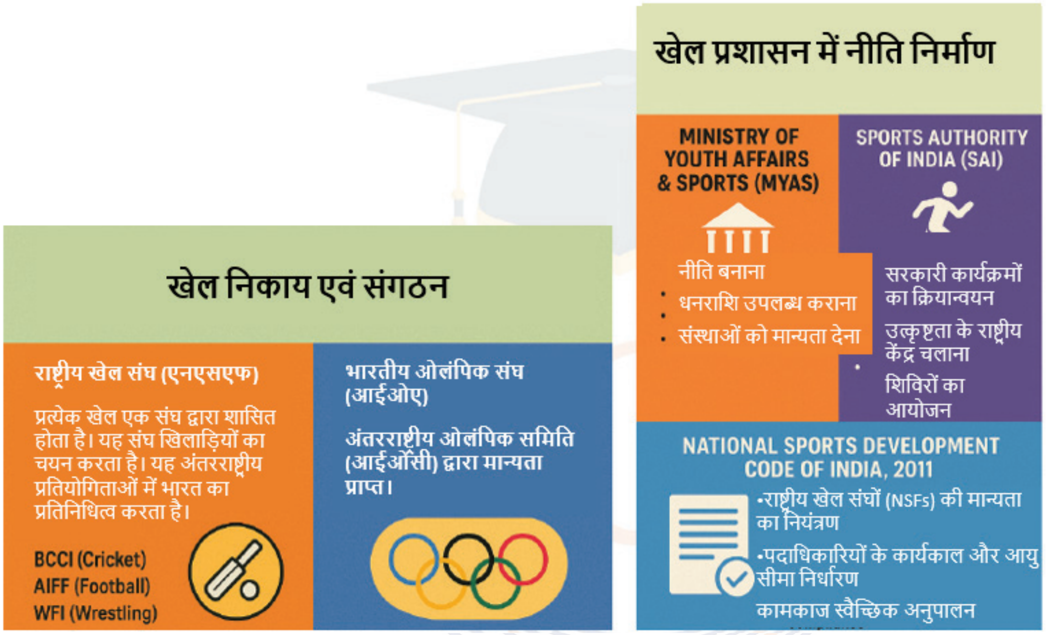

भारत की खेल प्रशासन प्रणाली में चुनौतियाँ

संरचनात्मक समस्याएं

- **राजनीतिक प्रभुत्व और संरक्षण:** कई राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs) निजी जागीर की तरह काम करते हैं।
  - आयु और कार्यकाल संबंधी सीमाओं का अक्सर उल्लंघन किया जाता है; स्थापित नेतृत्व और पारिवारिक प्रभुत्व सामान्य रूप से पाया जाता है।
  - संरक्षण नेटवर्क, पेशेवरों और एथलीटों को निर्णय लेने से वंचित कर देते हैं।
- **लोकतांत्रिक भागीदारी का अभाव:** खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व नाममात्र का है, तथा निर्णय लेने की शक्ति बहुत कम है।
  - नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
  - अपारदर्शी रूप से चयन से अविश्वास, पक्षपात और कानूनी विवाद को बढ़ावा मिलता है।
- **वैधता संबंधी टकराव:** प्रतिद्वंद्वी गुट अक्सर "वास्तविक" संघ होने का दावा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समानांतर संघ बनते हैं।
  - जब शासन व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय निकाय हस्तक्षेप करते हैं:
    - » AIFF निलंबन (2022): अनुचित तृतीय-पक्ष हस्तक्षेप।
    - » WFI निलंबन (2023): शासन विवाद और चुनाव प्रक्रिया का अभाव।
    - » AKFI निलंबन (2024): कुप्रबंधन और मानदंडों का अनुपालन न करना।

प्रक्रिया और अनुपालन में अंतराल

- **चुनावी कदाचार**
  - अधिकारी स्वीकृत कार्यकाल से अधिक समय तक कार्यरत रहते हैं।
  - संदिग्ध मतदाता सूची, मताधिकारों से छेड़छाड़ और फर्जी चुनाव, विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।
- **वित्तीय अस्पष्टता**
  - केंद्रीय अनुदान, प्रायोजक निधि, टिकट बिक्री और मीडिया अधिकारों में पारदर्शिता का अभाव है।
  - कमजोर लेखा-परीक्षण से लीकेज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **मुकदमेबाजी का चक्र**
  - विभिन्न अदालतों में खेल महासंघों के विरुद्ध 350 से अधिक कानूनी मामले लंबित हैं।
  - लगातार मुकदमेबाजी से प्रशासनिक निर्णय अटक जाते हैं और एथलीटों की भागीदारी पर सीधा असर पड़ता है।

एथलीट-केंद्रित मुद्दे

- **चयन और परीक्षण**
  - अंतिम क्षण में दी गई सूचनाएं, मनमाना मापदंड और सीमित अपीलें निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं।
  - एथलीटों को अक्सर ट्रायल के बारे में कई दिन पहले ही पता चल जाता है, जिससे उनकी तैयारी बाधित होती है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ**
  - यौन उत्पीड़न, बदमाशी और प्रतिशोध के विरुद्ध कमजोर तंत्र।
  - स्वतंत्र ''सुरक्षित खेल'' इकाइयों का अभाव; मौजूदा तंत्र में विश्वसनीयता का अभाव।
- **सहायता प्रणालियों का अभाव**
  - खेल विज्ञान, फिजियोथेरेपी, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं तक असमान पहुंच।
  - दिव्यांगता वाले खेलों को संरचनात्मक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है- साथ ही अपर्याप्त वित्त पोषण, अपर्याप्त सुविधाएं और दृश्यता का अभाव जैसी समस्याएं भी पाई जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन जोखिम

- **स्वायत्तता बनाम निगरानी संघर्ष**
  - **IOC** और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वायत्तता पर जोर देते हैं।
  - भारतीय न्यायालय और सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर देते हैं।
  - उदाहरण: **IOC** ने 2012 में सरकारी हस्तक्षेप का हवाला देते हुए **IOA** को निलंबित कर दिया था।
- **डोपिंग जोखिम**
  - शासन संबंधी संकट डोपिंग रोधी उपायों से ध्यान हटाते हैं।
  - वाडा **(WADA)** के मानदंडों को लागू करने में विफलता से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का खतरा है और भारत की वैश्विक खेल छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

भारत में एक व्यापक खेल कानून की आवश्यकता

- **खंडित ढांचा:** एक समान खेल कानून का अभाव → पुराने और असंगत नियम।
- **अधूरे सुधार:** राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 कभी अधिनियमित नहीं किया गया।
- **राजनीतिज्ञों का वर्चस्व:** NSFs में प्रमुख पदों पर अक्सर ऐसे राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व होता है, जिनके पास खेल विशेषज्ञता का अभाव होता है।
  - **उदाहरण: फीफा (FIFA) ने तीसरे पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप के कारण AIFF को निलंबित कर दिया।**
- **अतिव्यापी भूमिकाएं:** SAI, IOA और NSF के अधिदेश अस्पष्ट हैं → जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और परिणामस्वरूप देरी होती है।
- **वित्त पोषण अंतराल:** 2022-23 में, एथलीट विकास के लिए आवंटित धनराशि का 40% से भी कम उपयोग किया गया।

- **कमजोर नीति कार्यान्वयन:** राष्ट्रीय खेल नीति (1984, 2001) का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है।
- **भावी परिदृश्य:** चूंकि, भारत राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक की मेजबानी करने की आकांक्षा रखता है, इसलिए शासन और अखंडता के वैश्विक मानक आवश्यक हो जाते हैं।
  - **उदाहरण:** यह कानून भारत की 2036 ओलंपिक की दावेदारी को मजबूत करने के लिए ओलंपिक चार्टर के अनुरूप है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **राष्ट्रीय खेल निकाय:** अधिनियम में निर्दिष्ट खेलों के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय खेल महासंघों **(NSFs)** की स्थापना का प्रावधान है।
  - संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्धता; उनके अधीन राज्य और जिला स्तरीय इकाइयों का प्रावधान।
  - अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और कानूनों द्वारा शासित।
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB):** यह अधिनियम खेल निकायों को मान्यता प्रदान करता है और संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करता है।
  - केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केन्द्रीय सरकार के वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।
  - नैतिक आचरण के मानकों को निर्धारित करने वाली आचार संहिता को अपनाना अनिवार्य है।
  - **आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत** मान्यता प्राप्त खेल निकाय लोक प्राधिकरण माने जाएंगे।
  - **संरचना:** केंद्र द्वारा निर्णय; सदस्यों की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर किए जाने का प्रावधान।
  - **पात्रता:** लोक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल कानून या संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति।
- **राष्ट्रीय खेल अधिकरण**
  - **क्षेत्राधिकार:** खेल-संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन।
  - **अपवाद:** अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों या राष्ट्रीय खेल निकायों के आंतरिक मामलों से संबंधित विवाद।
- **चुनाव निरीक्षण:** केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल गठित करेगी।
  - प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को संबद्धों के चुनावों के लिए अपना स्वयं का निर्वाचन पैनल बनाना होगा।
- **केन्द्र सरकार की शक्तियां:** वह किसी खेल को बढ़ावा देने के लिए लोक हित में किसी राष्ट्रीय निकाय/संबद्ध संस्था को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025

इस विधेयक को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन करता है।

मूल अधिनियम (2022) की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** खेलों में डोपिंग पर प्रतिबंध लगाना; परीक्षण, प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय संरेखण:** खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है।
- **संस्थागत तंत्र:**
  - **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):** डोपिंग रोधी नियमों को लागू करती है।
  - **खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड: NADA** का पर्यवेक्षण करता है, नीति/नियमों पर केंद्र को सलाह देता है।

प्रमुख संशोधन (2025)

- **अपील पैनल:** अपील पैनल **(AP)** गठित करने और अपील प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रीय बोर्ड से केन्द्र सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है।
- **परिचालन स्वायत्तता: NADA** के सदस्यों को **WADA** मानदंडों और यूनेस्को मानकों के अनुरूप स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया।
- **CAS (स्विट्जरलैंड) में अपील**
  - **पहले:** कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता था।
  - **अब:** केवल निर्दिष्ट निकाय ही खेल पंचाट न्यायालय में जा सकते हैं।
- **परीक्षण प्रयोगशालाएँ:** प्रयोगशालाओं के लिए **WADA** से मान्यता लेनी अनिवार्य (पहले स्वैच्छिक)।
- **नियमों का उल्लंघन:** विश्व एंटी-डोपिंग कोड की परिभाषाएँ और अनुसूचियाँ शामिल हैं → भारत में कानूनी रूप से बाध्यकारी।

भारत की खेल उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने के उपाय

- **एथलीट-केंद्रित शासन:** निर्णय-निर्माण संबंधी कार्यों में एथलीटों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, तथा साथ ही सभी खेल महासंघों में महिलाओं और खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करने की भी आवश्यकता है।
  - **उदाहरण: 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को** फीफा की निलंबन की धमकी के बाद शासन में प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को शामिल करने का निर्देश दिया।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** महासंघों की स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा, अनुपालन जांच और वित्तीय प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।
  - **बीसीसीआई वार्षिक रूप से ऑडिट किए गए खाते प्रकाशित करता है,** इसी प्रकार की प्रक्रिया **NSFs** में भी अनिवार्य की जा सकती है।
- **खेलो इंडिया → SAI प्रशिक्षण केंद्र → राष्ट्रीय शिविर → अंतर्राष्ट्रीय खेलों तक** एक निर्बाध प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है।
  - **उदाहरण: नीरज चोपड़ा (भाला फेंक) को** ओलंपिक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से पहले खेलो इंडिया के शुरुआती समर्थन से लाभ मिला।
- **खेल निकायों का व्यावसायिकीकरण:** पूर्व खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशिक्षित प्रशासकों, प्रबंधकों और कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति।
  - **उदाहरण: इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB)** सुचारू संचालन के लिए पेशेवर खेल प्रबंधकों को नियुक्त करता है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियाँ:** यूके स्पोर्ट्स के लॉटरी फंडिंग और यूएस ओलंपिक समिति के एथलीट सहायता कार्यक्रम जैसे सफल शासन मॉडल को अपनाना।
  - लंदन 2012 ओलंपिक से पहले प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण अपनाने के बाद **ब्रिटेन की पदक तालिका में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई।**
- **पैरा-स्पोर्ट मुख्यधाराकरण:** सुलभ स्थल, वर्गीकरण विशेषज्ञता, समर्पित फिजियो/पोषण/तकनीकी सहायता, और समान पुरस्कार/मीडिया कवरेज।
  - **उदाहरण: अवनि लेखरा और देवेन्द्र झाझरिया जैसे पैरालिंपियनों ने** समर्थन मिलने पर भारत की पदक क्षमता को साबित किया।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** एथलीट की सहमति से चोट की घटनाएँ, प्रशिक्षण भार और रिकवरी एनालिटिक्स को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीय खेल विज्ञान क्लाउड बनाना।
  - **उदाहरण: ऑस्ट्रेलिया का ''AIS प्रदर्शन डेटा हब''** चोट की रोकथाम में सहायता करता है और एथलीट के उत्तरदायित्व प्रबंधन को अनुकूलित करता है।
- **डोपिंग रोधी शिक्षा प्रथम:** राष्ट्रीय शिविरार्थियों के लिए अनिवार्य ई-लर्निंग, पोषण/पूरक मार्गदर्शन, तथा डोपिंग मामलों में त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना।
  - **उदाहरण: WADA का एथलीट लर्निंग गेटवे** एक वैश्विक मॉडल है जिसे भारत **NADA** के तहत अपना सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 भारत के खेल प्रशासन में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। पारदर्शिता, जवाबदेही और खिलाड़ी-केंद्रित शासन को संस्थागत रूप देकर, यह राजनीतिक संरक्षण पर अंकुश लगाता है और खिलाड़ियों को निर्णय लेने में सशक्त बनाता है। अनिवार्य निगरानी, पेशेवर प्रबंधन और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ समन्वय खेल संस्थाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करता है। निष्पक्ष खेल, समावेशिता और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर देते हुए, यह अधिनियम निरंतर खेल उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का महत्व बढ़ाने का प्रयास करता है।

विशाखापत्तनम घोषणा: भारत को ई-शासन में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करना

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-2: ई-शासन

संदर्भ

ई-शासन पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापत्तनम घोषणा को अपनाया गया, जिसमें डिजिटल दक्षताओं और त्वरित, डेटा-संचालित ढांचे के माध्यम से लोक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।

परिचय

''ई'' का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है। इस प्रकार, ई-शासन, 'सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी' (SMART) शासन बनाने के लिए **ICT** (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के उपयोग के माध्यम से शासन के कार्यों को निष्पादित करने और परिणाम प्राप्त करने से संबंधित है।

- यद्यपि ई-शासन शब्द हाल के वर्षों में प्रचलन में आया है, परन्तु इस शब्द की कोई मानक परिभाषा नहीं है।
- विभिन्न सरकारें और संगठन अपने-अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप इस शब्द को परिभाषित करते हैं।
- कभी-कभी ई-गवर्नेंस के स्थान पर ई-शासन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।

ई-गवर्नेंस को परिभाषित करना

- **विश्व बैंक के अनुसार:** ''ई-शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग) के उपयोग से है, जिसमें नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंधों को बेहतर करने की क्षमता होती है।''
- **यूनेस्को के अनुसार, (ई-शासन की परिभाषा):** ''जनता और अन्य एजेंसियों को सूचना प्रसारित करने तथा सरकारी प्रशासनिक गतिविधियों के निष्पादन के लिए एक कुशल, त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से शासन करना।''

विशाखापत्तनम घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएं

- **आयोजक:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY), और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।
- **विषय: "विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन" - "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन"** के दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित।
- **डिजिटल समावेशन:** NeSDA (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन) ढांचे के तहत अनिवार्य ई-सेवाओं का विस्तार करके, पूर्वोत्तर और लद्दाख सहित वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल शासन का विस्तार करने की प्रतिबद्धता।
- **एआई प्लेटफॉर्म:** डिजिटल इंडिया भाषिणी (बहुभाषी संचार), डिजी यात्रा (एयरपोर्ट पर निर्बाध चेक-इन) और **NADRES V2** (कृषि आपदा जोखिम न्यूनीकरण) जैसी एआई-संचालित पहलों को बढ़ावा देना, जिसमें नैतिक और पारदर्शी एआई अपनाने पर जोर दिया जाएगा।
- **क्षेत्रीय नवाचार मॉडल:** रोहिणी (महाराष्ट्र) और डिजिटल पंचायत मॉडल जैसी सफल जमीनी स्तर की डिजिटल शासन पहलों को देशव्यापी रूप से अपनाने की योजना।
- **कृषि सहायता:** जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए, किसानों को ऋण, परामर्श और बाजारों तक पहुँच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि स्टैक की शुरुआत में तेजी लाना।
- **लोक सेवा सुधार:** डिजिटल दक्षताओं, चुस्त शासन प्रणालियों और डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमता के साथ लोक सेवाओं को सशक्त बनाना, जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण के अनुरूप हो।
- **विशाखापत्तनम एक आईटी हब के रूप में:** विशाखापत्तनम को उन्नत बुनियादी ढाँचे और समर्पित आईटी क्षेत्रों के साथ एक अग्रणी आईटी और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण का समर्थन करना।

ई-शासन के मूल सिद्धांत

ई-शासन पहल की सफलता के लिए आवश्यक मूल सिद्धांत:

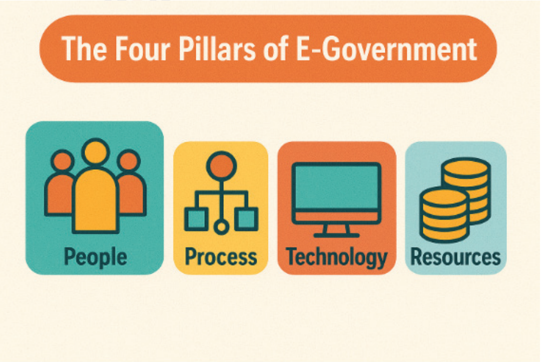

- **उद्देश्य की स्पष्टता:** ई-शासन को केवल मौजूदा तकनीक की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि मौजूदा समस्या के समाधान के लिए तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। सभी ई-शासन पहलों के केंद्र में नागरिक-केंद्रितता होनी चाहिए।
- **वातावरण निर्माण:** इसमें शामिल सभी हितधारकों, अर्थात राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज, की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए शासन व्यवस्था में विभिन्न हितधारकों में बदलाव की दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।
- **शासन में सुधार के अभिन्न अंग के रूप में ई-शासन:** ई-शासन समग्र शासन से अलग नहीं हो सकता। ई-शासन के अंतर्गत, हमेशा 'शासन' पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी उपकरणों का उपयोग नागरिकों और स्वयं संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है।
- **ई-तैयारी और चरणबद्ध दृष्टिकोण:** ई-शासन को पूरे देश में, सभी सरकारी संगठनों में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। चूँकि ई-शासन से शासन के सभी पहलुओं - आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक - को प्रभावित करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए ई-शासन परियोजनाओं की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **निगरानी और मूल्यांकन:** ई-शासन परियोजनाओं की गहन निगरानी पायलट चरण के साथ-साथ उन्नत परियोजना के वास्तविक कार्य के दौरान भी आवश्यक है।
  - समस्याओं का शीघ्र पता लगने से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संभव होती है
- **स्थायित्व:** एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि कोई विशेष पहल लोगों को सेवाएं या सूचना प्रदान करने या सरकारी कामकाज चलाने का बेहतर तरीका है, तो उसे सुविधा के आधार पर दोबारा पीछे नहीं हटने देना चाहिए।

''एक प्रभावी कनेक्टेड शासन का मतलब है 'बड़ा और बेहतर' फ्रंट-एंड और 'छोटा और स्मार्ट' बैक-एंड।''

ई-शासन का महत्व

- **नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक बेहतर पहुँच:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) शासन के विभिन्न पहलुओं पर समय पर और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगी। ई-शासन का अंतिम उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाकर नागरिकों तक पहुँचना है, अर्थात नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करना।
  - **उदाहरण: सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) के माध्यम से ऑनलाइन जन्म/मृत्यु पंजीकरण और जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र** के माध्यम से पेंशन वितरण।
- **शासन की विस्तारित पहुंच:** संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के दरवाजे तक लाने में मदद मिलेगी।
  - **उदाहरण:** टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, मोबाइल टेलीफोनी में तीव्र प्रगति, इंटरनेट का प्रसार, तथा अन्य संचार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
  - **उदाहरण: डिजिटल इंडिया पहल**, जो मोबाइल फोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को **उमंग ऐप, डिजिलॉकर और ई-श्रम पोर्टल** जैसी सेवाएँ प्रदान करती है।
- **स्थानीय शासन में परिवर्तन:** ई-शासन को सरकार के सभी स्तरों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान स्थानीय सरकारों पर होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय सरकारों का संबंध नागरिकों से सबसे निकट होता है, और कई लोगों के लिए, सरकार के साथ मुख्य इंटरफेस का निर्माण करती हैं।
  - **उदाहरण: ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना** ग्राम स्तर पर ऑनलाइन सेवा वितरण, वित्तीय लेखांकन और शिकायत निवारण को सक्षम बनाती है।

- **नौकरशाही में कमी:** ई-शासन किसी भी सरकारी सेवा का लाभ उठाने के लिए प्राधिकरण के पदानुक्रम को न्यूनतम कर देती है।
  - **उदाहरण: पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) को** ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे अनेक मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं रह गई है।
- **कागजी कार्रवाई में कमी:** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सक्षम होने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के भंडारण और पुनर्प्राप्ति के कारण कागजी कार्रवाई काफी हद तक कम हो गई है।
  - **उदाहरण: डिजिलॉकर** नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, शैक्षिक प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से पंहुच सुनिश्चित करने और साझा करने की अनुमति देता है, जिससे **''कागजी कार्यालय कम'' हो जाता है।**
- **सेवाओं की गुणवत्ता:** सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी **(ICT)** सरकारों को नागरिकों को अधिक जवाबदेही, प्रभाव्यता और संवेदनशीलता के साथ सेवाएँ प्रदान करने में मदद करती है। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि अब लोग कुशलतापूर्वक और तुरंत सेवाएँ प्राप्त कर पाते हैं।
  - **उदाहरण: टीकाकरण के लिए CoWIN प्लेटफॉर्म ने** वास्तविक समय पर बुकिंग, निगरानी और प्रमाणन को सक्षम किया, जिससे सरकारी सेवाओं में नागरिकों का विश्वास बढ़ा।

संबंधित चुनौतियाँ

- **लागत:** ई-शासन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना, प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है।
  - **उदाहरण: आधार परियोजना में** बायोमेट्रिक संग्रहण और डेटा भंडारण प्रणालियों पर अत्यधिक व्यय शामिल था।

- **क्रॉस प्लेटफॉर्म संगतता:** सरकारी कार्यालयों में पुरानी प्रणालियाँ अक्सर पुराने प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, जिससे संगतता संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं।
  - **उदाहरण: भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण (कर्नाटक में भूमि परियोजना) को** शुरू में जिलों में नए प्लेटफार्मों के साथ डेटा को एकीकृत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव:** तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए लगातार अद्यतन और उन्नयन की आवश्यकता होती है।
  - **उदाहरण: ग्रामीण भारत में सरकार द्वारा संचालित CSCs (कॉमन सर्विस सेंटर)** अक्सर पुराने हार्डवेयर और तकनीकी सहायता की कमी के कारण डाउनटाइम का सामना करते हैं।
- **अंतर-संचालनीयता:** विभिन्न विभाग अलग-अलग डेटाबेस और सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिससे एकीकरण कठिन हो जाता है।
  - **उदाहरण: पुलिस रिकॉर्ड (CCTNS) को न्यायालय प्रणाली (ई-कोर्ट) से संबद्ध करने में** समान डेटा मानकों की कमी के कारण देरी हुई।
- **बहुविधीय संपर्क:** नागरिकों को विभिन्न उपकरणों (कम्प्यूटर, मोबाइल, कियोस्क) पर सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
  - स्मार्टफोन के माध्यम से एक ही स्थान पर कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए **उमंग ऐप लॉन्च किया गया था।**
- **पिछड़े क्षेत्रों में कनेक्टिविटी:** इंटरनेट की पहुंच, विशेषकर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में, असमान है।
  - **उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में** ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कमी के कारण कल्याणकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने में बाधा आती है।
- **कम आईटी साक्षरता:** नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकारी पोर्टलों का उपयोग करने के लिए बुनियादी डिजिटल साक्षरता का अभाव है।
  - **उदाहरण:** पैन कार्ड या आयुष्मान भारत पंजीकरण जैसी सेवाओं तक पहुंच के लिए सामान्य सेवा केंद्रों **(CSCs)** में मध्यस्थों पर निर्भरता।
- **डिजिटल विभाजन:** गरीब परिवार, महिलाएं और हाशिए पर स्थित समूह, इसके कारण वंचित रह जाते हैं।
  - **उदाहरण:** COVID-19 महामारी के दौरान, DIKSHA ऐप जैसी ऑनलाइन शिक्षा पहल स्मार्टफोन या इंटरनेट के बिना कई छात्रों तक नहीं पहुंच सकी।

ई-शासन पहल

- **भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण:** यह सुनिश्चित करना कि भू-स्वामियों को मांग किए जाने पर स्वामित्व, फसल और किरायेदारी की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां और अधिकार अभिलेखों (RoRs) की अद्यतन प्रतियां प्राप्त हों।
  - **उदाहरण:** पुराने अभिलेखों के विश्वसनीय और सतत संरक्षण के माध्यम से कम लागत वाले और आसानी से पुनरुत्पादित होने वाले बुनियादी भूमि रिकॉर्ड डेटा को साकार करना।
- **कर्नाटक में भूमि परियोजना:** भूमि एक आत्मनिर्भर ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक राज्य में 177 सरकारी स्वामित्व वाले कियोस्क के माध्यम से 6.7 मिलियन किसानों को 20 मिलियन ग्रामीण भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत वितरण करना है।
  - **उदाहरण:** लगभग 20 मिलियन रिकार्ड अब कानूनी रूप से डिजिटल प्रारूप में रखे जा रहे हैं।
- **ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश):** ज्ञानदूत एक इंट्रानेट आधारित सरकार से नागरिक (G2C) सेवा वितरण पहल है।
- **ई-सेवा (आंध्र प्रदेश):** यह परियोजना सरकार से नागरिक और ई-बिजनेस से नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।
- **प्रोजेक्ट FRIENDS (केरल): FRIENDS** (सेवाओं के वितरण के लिए तेज, विश्वसनीय, त्वरित, कुशल नेटवर्क) एक एकल खिड़की सुविधा है जो नागरिकों को राज्य सरकार को करों और अन्य वित्तीय बकाया का भुगतान करने का साधन प्रदान करती है।

- **डिजिटल लॉकर प्रणाली:** यह नागरिकों को अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन तक पहुंच सकते हैं।
- **MyGov:** इसका उद्देश्य सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित करना है।
  - **MyGov** नागरिकों के साथ-साथ विदेश में रहने वाले लोगों को भी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे 'कार्य', 'चर्चा करें', 'जनमत', 'वार्ता', 'ब्लॉग'।
- **गुजरात में ई-खरीद:** इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करना, खरीद चक्र को छोटा करना, प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करना, आपूर्तिकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना और आपूर्तिकर्ताओं के लिए लचीली और किफायती बोली प्रक्रिया स्थापित करना है।
- **SWIFT पहल:** व्यापार करने में सुगमता, पहल के एक भाग के रूप में, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत में सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एकल खिड़की परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है।
  - **उदाहरण: व्यापार के लिए एकल खिड़की इंटरफेस (SWIFT) से** सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क, व्यापार में लगने वाला समय और व्यापार करने की लागत कम हो जाएगी।

ई-शासन पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

- ई-शासन पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए **एक अनुकूल वातावरण का निर्माण अनिवार्य है। इसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जाना चाहिए:**
  - शासन के भीतर परिवर्तन की इच्छाशक्ति पैदा करना और प्रदर्शित करना।
  - उच्चतम स्तर पर राजनीतिक समर्थन प्रदान करना।
  - ई-शासन को प्रोत्साहित करना और सरकार के भीतर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध पर काबू पाना।
  - परिवर्तन की मांग उत्पन्न करने के उद्देश्य से जनता में जागरूकता पैदा करना।
- **क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना:**
  - क्षमता निर्माण प्रयासों में संगठनात्मक क्षमता निर्माण के साथ-साथ ई-शासन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े व्यक्तियों के पेशेवर और कौशल उन्नयन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - पूर्व की सफल ई-शासन पहलों से ली गई सीख को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।
  - राज्यों में प्रशिक्षण संस्थानों का एक नेटवर्क बनाया जाना चाहिए, जिसमें प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान शीर्ष पर हों।
- **तकनीकी समाधान विकसित करना:**
  - राष्ट्रीय ई-शासन 'उद्यम वास्तुकला' ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है।

निष्कर्ष

अंतत:, किसी भी ई-शासन पहल की सफलता इस बात में निहित है कि इसने व्यापक ICT पहुँच के माध्यम से सरकारी कामकाज में लोगों की भागीदारी को कितनी कुशलता से बढ़ाया है, शासन और उसकी सेवाओं को नागरिकों के और करीब लाया है, सरकारी कामकाज में जवाबदेही, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया है, और यह सुनिश्चित किया है कि सरकार कम लागत पर बेहतर काम करे। उद्यमी अनुकूल वातावरण, उपयुक्त न्याय वितरण प्रणाली के निर्माण और गांधीजी के स्वराज के सिद्धांत का पालन करने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री **न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत पर उत्तरोत्तर जोर दे रहे हैं।**

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय

आदि वाणी ऐप

संदर्भ

- केंद्र सरकार द्वारा आदि वाणी ऐप जारी किया गया।
  - इस ऐप को **जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी** पहल के तहत संचालित किया जाएगा।

आदि वाणी ऐप के बारे में

- **आदिवासी भाषाओं के लिए** एआई-आधारित अनुवाद ऐप है।
- **विकासकर्ता:** जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी और IIITs के सहयोग से विकसित किया गया।
- **शामिल भाषाएँ (प्रारंभ में):** भील, मुंडारी, गोंडी, संथाली, कुई और गारो।

आदि कर्मयोगी पहल के बारे में

- जनजातीय सशक्तिकरण पर केन्द्रित **उत्तरदायी शासन के लिए राष्ट्रीय मिशन।**
- **20 लाख जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं** और **ग्राम स्तर के परिवर्तनकर्ता नेताओं का** एक कैडर तैयार करना है।

- इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में **अंतिम बिंदु तक सेवा वितरण को मजबूत करना** तथा **समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।**
- **PM JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान)** और **दजगुआ (धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान)** से जोड़ा गया।
- **विभागों के अभिसरण, सामुदायिक भागीदारी और क्षमता वृद्धि** पर जोर दिया गया।
- **उद्देश्य:**
  - **स्थानीय नेतृत्व विकसित करना:** राज्य मास्टर प्रशिक्षकों (SMTs), जिला मास्टर प्रशिक्षकों **(DMTs)** और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
  - **सेवा वितरण में सुधार:** दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
  - **समुदाय-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना:** जनजातीय समुदायों को **सम्मान, सहानुभूति और उद्देश्य के साथ सशक्त बनाना।**

अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE के अंतर्गत छूट

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले** में अपने 2014 के फैसले पर संदेह जताया है।

अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE के अंतर्गत छूट

- 2010 में लागू शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। - धारा 12(1)(c)।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 30(1)** :सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी रूचि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है।
- **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014):** यह माना गया कि अल्पसंख्यक संस्थान (सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) RTE अधिनियम के 25% आरक्षण अधिदेश से बाध्य नहीं हैं।
  - इसके अलावा धारा 23 अल्पसंख्यक संस्थानों पर **लागू नहीं होती थी - अर्थात, शिक्षक योग्यता मानदंडों (शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सहित) को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।**
- **अनुच्छेद 15(5): यह राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs), अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की उन्नति के लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है,** जो निम्नलिखित विषयों में प्रवेश के मामले में हैं:
  - शैक्षणिक संस्थान, जिनमें **निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं**, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों,
  - अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर।**

उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति

संदर्भ

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमति के बावजूद, न्यायमूर्ति पंचोली ने **29 अगस्त 2025** को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

भारत में न्यायाधीश की पदोन्नति की प्रक्रिया

- **उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति: संविधान के अनुच्छेद 124(2)** द्वारा शासित।
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाला सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है।
- **कॉलेजियम प्रक्रिया:**
  - कॉलेजियम विचार करता है:
    - **योग्यता और न्यायिक प्रदर्शन** (निर्णयों की गुणवत्ता, सत्यनिष्ठा)।
    - उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वरिष्ठता।
    - **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व** (यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्यों/ उच्च न्यायालयों को उचित हिस्सा मिले)।
    - **विविधता के कारक** - लिंग, जाति, समुदाय, हाशिए पर स्थित समूह।
  - कॉलेजियम संबंधित उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों से परामर्श करता है।
- **कार्यपालिका की भूमिका: केंद्र सरकार (विधि मंत्रालय)** कॉलेजियम की सिफारिशें प्राप्त करती है और निम्न कार्य कर सकती है:
  - उन्हें स्वीकार करना, या पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर देना।
  - यदि कॉलेजियम **सिफारिश को दोहराता है** तो सरकार नियुक्ति करने के लिए बाध्य है।
- **औपचारिक नियुक्ति:** भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर अंतिम रूप से नियुक्ति करते हैं।

आप्रवास और विदेशियों के विषयक (छूट) आदेश, 2025

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय **(MHA)** द्वारा आप्रवास और विदेशियों के विषयक (छूट) आदेश, 2025 अधिसूचित किया गया।

आदेश की मुख्य विशेषताएं

पासपोर्ट/वीजा आवश्यकताओं से छूट

- **भारतीय सशस्त्र बल कार्मिक** → जब ड्यूटी पर हों।
- **भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक** → निर्दिष्ट सीमा चौकियों पर।
- **तिब्बती नागरिक** → वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र और विशेष परमिट के साथ।
- **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक** (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) → यदि **वे 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए हों**, भले ही उनके पास **अमान्य/समाप्त हो चुके दस्तावेज हों।**
- **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी → जिन्होंने 9 जनवरी 2015 को या उससे पहले** भारत में पंजीकरण कराया और शरण ली।

वीजा छूट

- **राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट वाले विदेशी** → यदि द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत आते हैं।
- विद्यमान प्रावधानों के अनुसार **आगमन पर वीजा के लिए पात्र विदेशी।**
- **विदेशी सैन्य कार्मिक** → जब **नौसेना के युद्धपोतों पर जाते हैं।**

आरक्षण और 50% की सीमा

संदर्भ

- बिहार में विपक्ष के नेता ने घोषणा की है कि यदि उनका गठबंधन सत्ता में आया तो वे आरक्षण कोटा बढ़ाकर **85% कर देंगे।**
  - इस बीच, **सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs)** के लिए आरक्षण में **'क्रीमी लेयर'** जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15(1):** राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है।
- **अनुच्छेद 15(4):** राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs), SCs और STs की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 15(5):** निजी संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) सहित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 15(6):** 103वें संवैधानिक संशोधन (2019) द्वारा प्रस्तुत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों **(EWS)** के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 16(1):** लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 16(4):** राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों/पदों में आरक्षण की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 16(4A):** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है (77वें संशोधन, 1995 द्वारा सम्मिलित)।
- **अनुच्छेद 16(6):** सरकारी नौकरियों में 10% EWS आरक्षण प्रदान करता है।

प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ

- **बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962)**
  - आरक्षण उचित सीमा के भीतर होना चाहिए।
  - आरक्षण की सीमा **50% कर दी गई।**
  - आरक्षण को समानता के **अपवाद के रूप में माना गया।**
- **केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस (1975)**
  - **मौलिक समानता** का विचार प्रस्तुत किया।
  - उन्होंने कहा कि आरक्षण अपवाद नहीं बल्कि अवसर की समानता का हिस्सा है।
  - 50% की अधिकतम सीमा पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं दिया गया।
- **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)**
  - **ओबीसी के लिए 27% आरक्षण** को बरकरार रखा।
  - इस बात पर जोर दिया गया कि पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति एक मानदंड हो सकती है।
  - **50% की अधिकतम सीमा** की पुनः पुष्टि की गई (दुर्लभ अपवादों को छोड़कर)।
  - OBCs के लिए **'क्रीमी लेयर' बहिष्करण** की अवधारणा शुरू की गई।
  - OBCs के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी गई।
- **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006): SC/ST** पदोन्नति कोटा को बरकरार रखा (77वां, 81वां, 82वां, 85वां संशोधन)।
  - लगाई गई शर्तें:
    - » पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा,
    - » अपर्याप्त प्रतिनिधित्व,

» प्रशासनिक दक्षता (अनुच्छेद 335) को बनाए रखा जाना चाहिए।

- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)**
  - **103वें संशोधन (10% EWS आरक्षण)** को बरकरार रखा गया।
  - आरक्षण के लिए **आर्थिक मानदंड वैध आधार।**
  - **50% की सीमा अनम्य नहीं है;** यह मुख्यत: जाति-आधारित कोटा पर लागू होती है।

भारत और अमेरिका में जमानत प्रणाली की कार्यप्रणाली

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका में **कैशलेस जमानत** को लक्षित करते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तर्क दिया गया कि इससे अपराध में वृद्धि होती है। इसने इस बात पर बहस फिर से शुरू कर दी है कि भारत सहित **विभिन्न देशों में जमानत प्रणालियाँ अलग-अलग तरीके से किस प्रकार काम करती हैं।**

जमानत प्रणाली क्या है?

- यह **किसी अभियुक्त को हिरासत से रिहा करने** की कानूनी प्रक्रिया है, आमतौर पर इस शर्त पर कि वे मुकदमे के लिए अदालत में उपस्थित होंगे।
- **उद्देश्य:**
  - **मुकदमे के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति** सुनिश्चित करना।
  - **व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को न्याय और जन सुरक्षा के हित** के साथ संतुलित करना।
- कानूनी व्यवस्था के आधार पर जमानत में **नकद जमा, जमानत या व्यक्तिगत वचन शामिल हो सकते हैं।**

भारत में जमानत

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023** (पहले CrPC, 1973) के अध्याय 35 द्वारा शासित।
- **जमानत के प्रकार:**
  - **बांड:** अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होने के वादे पर हस्ताक्षर करता है।
  - **जमानत बांड:** एक जमानतदार (परिवार/मित्र/नियोक्ता) अभियुक्त की उपस्थिति की गारंटी देता है, कभी-कभी भुगतान के साथ।
  - **व्यक्तिगत पहचान (PR) बांड:** बिना मौद्रिक भुगतान के रिहाई, केवल एक लिखित वादा, आमतौर पर जब अभियुक्त जमानत का खर्च वहन नहीं कर सकता।
- **मुद्दा:** कई विचाराधीन कैदी जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहते हैं, क्योंकि वे छोटी जमानत राशि (5,000 रुपये जितनी कम) भी नहीं दे सकते।
- **सुधार:**
  - सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने विधिक सेवा प्राधिकरणों को गरीब विचाराधीन कैदियों की सहायता करने का निर्देश दिया।
  - विधि आयोग (268वीं रिपोर्ट, 2017) ने मौद्रिक जमानत को भेदभावपूर्ण और संवैधानिक लोकाचार के विरुद्ध बताया।

भारत बनाम अमेरिका मामले में जमानत

पहलू	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
शासी कानून	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023	राज्य-विशिष्ट कानून; न्यायिक उदाहरणों द्वारा निर्देशित
जमानत के प्रकार	बांड, जमानत बांड (जमानती के साथ), PR बांड	नकद जमानत, नकद रहित जमानत (कुछ राज्यों में), जमानत बांड
उद्देश्य	मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना; स्वतंत्रता और न्याय में संतुलन बनाना	सुनिश्चित करना कि आरोपी फरार न हो या गवाहों के साथ छेड़छाड़ न करे
मौद्रिक तत्व	अक्सर जमानत या बांड की आवश्यकता होती है; PR बांड के माध्यम से माफ किया जा सकता है	**नकद जमानत जमा** पर मजबूत निर्भरता
मुख्य चिंता	कई विचाराधीन कैदी छोटी सी रकम भी चुकाने में असमर्थ होने के कारण जेल में बंद होते हैं	नकद जमानत से गरीब लोग जेल में रहते हैं; अमीर लोग भुगतान करके रिहा हो सकते हैं
सुधार प्रयास	विचाराधीन कैदियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश; विधि आयोग ने कम वित्तीय ध्यान देने का सुझाव दिया	कुछ राज्य **कैशलेस जमानत का प्रयोग कर रहे हैं;** ट्रम्प का आदेश इसे सीमित करने का प्रयास करता है

विधान सभा के मंत्रिमंडल का आकार

संदर्भ

छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने **राज्य मंत्रिमंडल के विस्तारित आकार को** चुनौती देते हुए **छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।**

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 164(1 A):** इसमें प्रावधान है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों **की कुल संख्या** उस राज्य की **विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।**

– हालाँकि, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या **12 से कम नहीं होगी।**

- यह प्रावधान **91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था।**
- **उद्देश्य:** बड़े आकार के मंत्रालयों को रोकना तथा राजनीतिक कारणों से विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की प्रथा पर अंकुश लगाना (जिसे लाभ का पद या राजनीतिक संरक्षण कहा जाता है)।

केंद्र में समान प्रावधान

- **अनुच्छेद 75(1 A):** प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या **लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।**

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPS)

संदर्भ

भारत के निर्वाचन आयोग **(ECI)** ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों **(RUPPs)** के पंजीकरण के समय उनके संस्थापक सदस्यों की **पृष्ठभूमि का सत्यापन करने का निर्णय लिया है।**

कारण:

क्योंकि कई **RUPPs निष्क्रिय या अप्रचलित हो गए हैं, लेकिन अभी भी पंजीकृत हैं,** जिससे राजनीतिक स्थान में भीड़ बढ़ रही है और दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं (उदाहरण के लिए, धन शोधन, कर चोरी, या नकली संगठन बनाने के लिए)।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPS) के बारे में

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 A** के के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्हें राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

अनुच्छेद 29A – राजनीतिक दलों का पंजीकरण: व्यक्तियों का कोई भी संघ या निकाय भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के पास एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन: यह आवेदन दल के **गठन के 30 दिनों के भीतर** निर्वाचन आयोग में किया जाना चाहिए।

आवश्यक विवरण:

- दल का नाम।
- इसके ज्ञापन, नियमों और विनियमों की एक प्रति।
- पदाधिकारियों के नाम और विवरण।
- एक घोषणा कि दल के सदस्य **भारत के संविधान** और **समाजवाद, पंथनिरपेक्षता** और **लोकतंत्र** के सिद्धांतों में सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे, तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे।

सदस्यता आवश्यकताएँ: दल के कम से कम **100 सदस्यों** को :

- **शपथ पत्र** दाखिल करने होंगे।
- मतदाता सूची के **प्रमाणित अंश** प्रस्तुत करने होंगे जो उन्हें मतदाता के रूप में दर्शाते हों।
- अपने **निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC)** की प्रतियाँ जमा करनी होंगी।
- यह पुष्टि करनी होगी कि वे **किसी अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं।**

- **विशेषाधिकार:**
  – **आयकर छूट** के लिए पात्र।
  – चुनाव लड़े बिना भी कानूनी तौर पर **राजनीतिक दान प्राप्त किया जा सकता है।**
- **सामान्य प्रतीक आवंटन:** यदि वे किसी राज्य के प्रासंगिक विधान सभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के कम से कम 5% उम्मीदवार खड़े करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वे सामान्य प्रतीकों के लिए पात्र होते हैं।
- **पैमाना:**
  – 2025 तक भारत में **2,800 से अधिक RUPPs** हैं।
  – **ADR** के अनुसार, उनकी संख्या **2010 में 1,112 से बढ़कर 2019 में 2,301** हो गई – जो एक दशक में दोगुनी से भी अधिक है।
- **स्थिति:**
  – भारत में पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों में से लगभग **97% गैर-मान्यता प्राप्त हैं।**
  – अधिकांश अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट और प्रकटीकरण दाखिल करने में विफल रहते हैं।

राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के मानदंड

- **राज्य पार्टी मान्यता के लिए (किसी एक को पूरा करना अनिवार्य):**
  – **6% वोट + 2 विधानसभा सीटें**
  – **6% वोट + 1 लोकसभा सीट (उस राज्य से)**
  – **विधानसभा सीटों का न्यूनतम 3% या 3 सीटें**, जो भी अधिक हो
  – राज्य को आवंटित **प्रत्येक 25 सीटों के लिए 1 लोकसभा सीट**
  – राज्य (लोकसभा या विधानसभा) में **कुल वैध मतों का 8%, भले ही कोई सीट जीती न हो**
- **राष्ट्रीय पार्टी मान्यता के लिए (किसी एक को पूरा करना अनिवार्य):**
  – **4+ राज्यों + 4 लोकसभा सीटों में 6% वैध वोट**
  – कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से **कुल लोकसभा सीटों का 2% (अर्थात 11 सीटें)**
  – **4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त**

RUPPs के साथ संरचनात्मक और कार्यात्मक मुद्दे

- **चुनावी निष्क्रियता:** कई **RUPPs** ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, जो उनकी वास्तविक राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाता है।
- **वित्तीय पारदर्शिता का अभाव:** 2013-2016 के बीच **5% से भी कम ने दान संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो खराब वित्तीय अनुपालन को दर्शाता है।**
- **कर का दुरुपयोग:** राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होने के बावजूद कर छूट का लाभ उठाने के लिए **आयकर अधिनियम की धारा 13 A का दुरुपयोग करना।**
- **सत्यापन योग्य उपस्थिति नहीं:** कई पार्टियों के पास कोई कार्यात्मक कार्यालय या कर्मचारी नहीं हैं और वे **आरपीए, 1951 की धारा 29 A के तहत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।**

- **चुनाव के समय वृद्धि:** चुनाव के वर्षों के दौरान पार्टियों पंजीकरण में तीव्र वृद्धि अक्सर **अवैध दान या प्रॉक्सी उम्मीदवारों के दुरुपयोग का संकेत देती है।**

आगामी जनगणना के दौरान भवनों की जियो-टैगिंग

संदर्भ

भारत की अगली जनगणना में पहली बार पूरे भारत में सभी भवनों को जियो-टैग किया जाएगा।

समाचार में और अधिक जानकारी

- 1931 के बाद यह **पहली डिजिटल जनगणना** होगी, जिसमें स्व-गणना और जाति-वार गणना के विकल्प होंगे।

जियो-टैगिंग क्या है?

- **जियो-टैगिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** मानचित्र पर इमारतों के **अक्षांश और देशांतर निर्देशांक को** चिह्नित करने की प्रक्रिया है।
- यह पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक इमारत/संरचना के लिए एक **डिजिटल स्थान/अवस्थिति पहचान** स्थापित करता है।
- प्रत्येक भवन को आवासीय, गैर-आवासीय, आंशिक रूप से आवासीय या ऐतिहासिक स्थल के रूप में विशिष्ट रूप से चिह्नित और वर्गीकृत करने में सहायता करता है।
- **करने की प्रक्रिया;**
  - **जनगणना के पहले चरण (अप्रैल-सितंबर 2026) - मकान सूचीकरण कार्यों (HLO)** के दौरान आयोजित किया जाएगा।
  - **गणनाकर्ता:**
    - » अपने निर्धारित **हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLBs) में स्थित भवनों का दौरा** करेंगे।
    - » **डिजिटल लेआउट मैपिंग (DLM)** टूल का उपयोग करेंगे।
    - » **मोबाइल एप्लिकेशन** के साथ इमारतों को जियो-टैग करेंगे।
  - प्रत्येक **HLB एक सुपरिभाषित इकाई है,** जिसके अंतर्गत लगभग 120-150 घरों को शामिल किया जाता है, जिससे व्यवस्थित कवरेज सुनिश्चित होता है।

इस प्रक्रिया का महत्व:

- **डेटा में सटीकता:** घरों का सटीक मानचित्रण करने और दोहराव से बचने में मदद करता है।
  - घरों, परिवारों और जनसंख्या की सटीक गणना सुनिश्चित करता है।
- **कुशल जनगणना कार्य:** गणनाकर्ताओं का कार्यभार कम हो जाता है।
  - इससे प्रगति की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी।
- **नीति एवं योजना लाभ:** आवास और बुनियादी ढांचे पर **अद्यतन जानकारी** प्रदान करता है।
  - आवास की कमी का मानचित्रण करके कल्याणकारी योजनाओं (जैसे, **पीएम आवास योजना-ग्रामीण और PMAY-शहरी) का समर्थन करता है।**
- **शासन उपयोग:** जियो-टैग किए गए घरों का अन्य सरकारी योजनाओं और सर्वेक्षणों में पुनः उपयोग किया जा सकता है।
  - सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।

भारत के उपराष्ट्रपति

संदर्भ

महाराष्ट्र के राज्यपाल **सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 17वें उपराष्ट्रपति** चुने गए हैं।

उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया

- **निर्वाचक मंडल: इसमें संसद के दोनों सदनों** (लोकसभा + राज्यसभा) के सदस्य शामिल होते हैं।
  - राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, **राज्य विधानमंडल इसमें भाग नहीं लेते हैं।**
- **मतदान प्रणाली: एकल हस्तांतरणीय मत (STV)** प्रणाली का उपयोग करके **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** के माध्यम से संचालित।
  - मतदान **गुप्त मतदान द्वारा होता है।**
- **पात्रता मापदंड:**
  - भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - **आयु** कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
  - **राज्यसभा सदस्य** के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए।
  - भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- भारतीय निर्वाचन आयोग **(ECI) द्वारा संचालित।**
  - रिटर्निंग ऑफिसर आमतौर पर **राज्य सभा का महासचिव होता है।**

भारत के उपराष्ट्रपति बनाम पश्चिमी समकक्ष (उदाहरण के लिए USA)

विशेषताएं	भारत	USA (पश्चिमी मॉडल)
चुनाव	**एकल संक्रमणीय मत (STV)** प्रणाली का उपयोग करके सांसदों (लोकसभा + राज्यसभा) द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव।	**राष्ट्रपति पद** के लिए नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है (राष्ट्रपति + उपराष्ट्रपति दोनों मिलकर)।
अवधि	5 साल।	4 वर्ष।

विशेषताएं	भारत	USA (पश्चिमी मॉडल)
विधायिका में भूमिका	**राज्य सभा के** पदेन सभापति।	**सीनेट के अध्यक्ष।**
उत्तराधिकार	रिक्त पद की स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक **भारत के राष्ट्रपति** के रूप में कार्य करता है।	प्रत्यक्ष **उत्तराधिकारी;** रिक्ति के तुरंत बाद पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है।
राजनीतिक स्थिति	राज्यसभा में भूमिका को छोड़कर अधिकतर औपचारिक; कार्यकारी शासन में कम भूमिका।	उच्च-स्तरीय राजनीतिक भूमिका; प्रायः "प्रतीक्षित राष्ट्रपति" के रूप में देखा जाता है।

डीएनए पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टावल्ली @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में आपराधिक मामलों में डीएनए नमूनों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

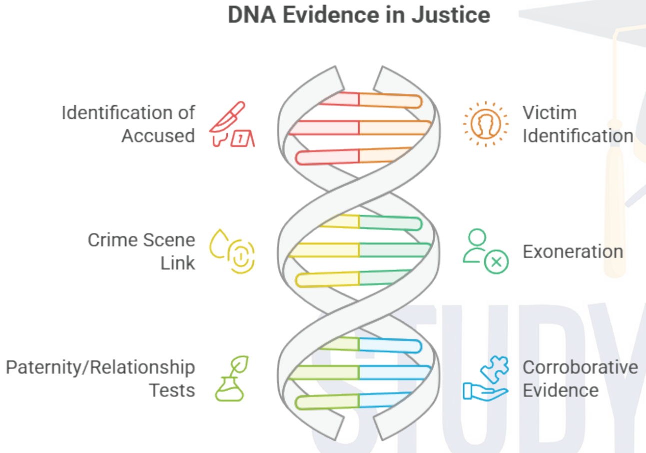

दिशानिर्देश:

- **एकसमान दस्तावेजीकरण:** राज्यों को कस्टडी रजिस्टर और संबंधित अभिलेखों के लिए मानक प्रारूप तैयार करना होगा।
- **हिरासत की श्रृंखला:** एफआईआर विवरण, अधिकारी के नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, **FSL** सीरियल नंबर आदि रिकॉर्ड करना होगा।
- **सुरक्षित परिवहन:** जांच अधिकारी, नमूनों को FSL तक सुरक्षित, सीलबंद और समय पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है।
- **उचित भंडारण:** नमूनों को बिना किसी संदूषण या देरी के संरक्षित किया जाना चाहिए।
- **FSL गुणवत्ता नियंत्रण:** प्रयोगशालाओं को उचित परीक्षण मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए और किसी भी त्रुटि को नोट करना चाहिए।

जातिगत अपराध में अग्रिम जमानत

संदर्भ

1 सितंबर, 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जाति-संबंधी अपराध के एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी।

भारत में जातिगत अपराध में अग्रिम जमानत का प्रावधान

- **अग्रिम जमानत:** यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका में, यानी किसी गैर-जमानती अपराध के लिए पुलिस द्वारा वास्तव में गिरफ्तार किए जाने से पहले, **जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।**
- **सामान्य प्रावधान (BNSS 2023 की धारा 482):** यह किसी अभियुक्त को गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी के भय से अग्रिम जमानत लेने की अनुमति देता है।
- **SC/ST अधिनियम के तहत अपवाद:**
  - **SC/ST अधिनियम, 1989 की धारा 18:** अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में धारा 482 **BNSS** (अग्रिम जमानत) के आवेदन पर रोक लगाती है।
  - **कारण: जातिगत अत्याचारों के पीड़ितों को धमकी, जबरदस्ती या प्रतिशोध** से बचाना तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना।
- **न्यायिक उदाहरण: मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम कृष्ण बालोठिया (1995), विलास पांडुरंग पवार (2012) और पृथ्वी राज चौहान (2020)** में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि:
  - SC/ST अधिनियम के तहत अपराध एक **विशेष श्रेणी के अपराध हैं, जो प्रणालीगत जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता पर आधारित हैं।**
  - इसलिए, उनके साथ अलग-अलग व्यवहार करना **संवैधानिक रूप से वैध है** और यह समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन नहीं करता है।

वक्फ अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

वक्फ क्या है?

- **वक्फ एक मुसलमानों द्वारा** धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति (चल या अचल) का स्थायी समर्पण है।

- संपत्ति अविभाज्य हो जाती है, अर्थात **इसे बेचा, उपहार में या विरासत में नहीं दिया जा सकता।**
- वक्फ बोर्ड (राज्य और केंद्र) द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अनाथालयों, **शिक्षा और कल्याणकारी कार्यों** जैसी गतिविधियों का समर्थन करता है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्रावधान

- **जिला कलेक्टरों की विस्तारित शक्तियां (धारा 3C):** जिला कलेक्टर (या नामित अधिकारी) **वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच कर सकते हैं।**
  - यदि जांच शुरू हो जाती है, तो अंतिम निर्णय आने तक भूमि को **वक्फ संपत्ति मानना तुरंत बंद कर दिया जाएगा।**
  - कलेक्टर **राजस्व और वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में** सीधे सुधार का आदेश भी दे सकते हैं।
- **वक्फ की नई परिभाषा:** वक्फ केवल उस व्यक्ति द्वारा बनाया जा सकता है जो **कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो।**
- **वक्फ प्रशासन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना: केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में** बड़ी संख्या में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति दी गई।
  - अधिनियम में कोई निश्चित सीमा नहीं है; सैद्धांतिक रूप से, गैर-मुस्लिमों की संख्या मुसलमानों से अधिक हो सकती है।
- **उपयोग द्वारा वक्फ सिद्धांत का उन्मूलन: पहले का सिद्धांत:** मुसलमानों द्वारा भूमि का दीर्घकालिक धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग स्वचालित रूप से उसे वक्फ बना सकता था।
  - संशोधन में सरकारी भूमि पर दावा करने के लिए दुरुपयोग का हवाला देते हुए इसे हटा दिया गया।
- **सीमा अधिनियम का अनुप्रयोग:**
  - **पहले:** वक्फ बिना किसी समय सीमा के अतिक्रमित संपत्ति को पुन: प्राप्त कर सकते थे।
  - **अब: सीमा अधिनियम लागू होता है,** जिसका अर्थ है कि मामलों को कानूनी रूप से निर्धारित समय (आमतौर पर अचल संपत्ति के लिए 12 वर्ष) के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
- **प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन:** वक्फ संपत्तियों के **पंजीकरण और सत्यापन** के लिए कठोर तंत्र।
  - वक्फ सम्पदा के प्रबंधन में अधिक **पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नियम।**

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (स्थगित प्रावधान)

1. **कलेक्टर की शक्तियां (धारा 3C):** इस प्रावधान पर रोक लगा दी गई।
   - जांच के दौरान संपत्ति वक्फ रहेगी।
   - कलेक्टर सीधे तौर पर भू-अभिलेखों में परिवर्तन नहीं कर सकते।
   - हितों में संतुलन के लिए → वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय तक कोई बेदखली नहीं, लेकिन किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता।
2. **वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने संबंधी सीमा निर्धारित करना →**
   - » केंद्रीय वक्फ परिषद (22 सदस्य) → अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम।
   - » राज्य वक्फ बोर्ड (11 सदस्य) → अधिकतम 3 गैर-मुस्लिम।
3. **पांच वर्षीय इस्लाम अभ्यास नियम:** इस नियम पर तब तक रोक रहेगी, जब तक सरकार इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं बना देती कि इस तरह के आचरण को किस प्रकार सत्यापित किया जाए।

वित्त आयोग

संदर्भ

केरल सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुपूरक अनुदान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.5% की अस्थायी अतिरिक्त उधार सीमा का अनुरोध किया है।

भारत का वित्त आयोग (FC)

- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- **अधिदेश:**
  - केंद्र और राज्यों के बीच **शुद्ध कर राजस्व के वितरण** की सिफारिश करना (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण)।
  - राज्यों के बीच वितरण की सिफारिश करना (क्षैतिज हस्तांतरण)।
  - केंद्र से राज्यों को **अनुदान सहायता का** सुझाव देना।
  - राजकोषीय समेकन और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन में सुधार के उपाय सुझाना।
- **कार्यकाल:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा **प्रत्येक 5 वर्ष** पर गठित।
- **वर्तमान आयोग:** 16वां वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया), कार्यकाल 2023-2028।

भारत में कर हस्तांतरण

- संविधान के **अनुच्छेद 270** में केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित **शुद्ध कर आय को केन्द्र और राज्यों के बीच वितरित करने की योजना का प्रावधान है।**
- **ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (संघ ↔ राज्य):** संघीय करों का हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है।
  - **15वें वित्त आयोग (2021-26) के अनुसार:** राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 41% प्राप्त होने की सिफारिश की गई है।

» इससे पहले 14वें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 42% कर दिया था।

- **क्षैतिज हस्तांतरण (राज्यों के बीच): मानदंड/भार के आधार पर:**

Table 1 : The criteria for horizontal devolution among States over the last five FCs

Criteria	11th FC 2000-05	12th FC 2005-10	13th FC 2010-15	14th FC 2015-20	15th FC 2021-26
Income Distance	62.5	50	47.5	50	45
Population (1971 Census)	10	25	25	17.5	-
Population (2011 Census)	-	-	-	10	15
Area	7.5	10	10	15	15
Forest cover	-	-	-	7.5	-
Forest and ecology	-	-	-	-	10
Infrastructure index	7.5	-	-	-	-
Fiscal discipline	7.5	7.5	17.5	-	-
Demographic performance	-	-	-	-	12.5
Tax effort	5	7.5	-	-	2.5
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

- **सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275):**
  - राजस्व घाटा अनुदान।
  - क्षेत्रीय अनुदान (स्वास्थ्य, शिक्षा)।
  - आपदा प्रबंधन अनुदान।

सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमेबाजी (SLAPP) मुकदमे

संदर्भ

दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकारों के खिलाफ जारी किए गए गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय की 2024 की उस चेतावनी को दर्शाता है जिसमें कहा गया था कि शक्तिशाली संस्थाएँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस को रोकने के लिए SLAPP मुकदमों और परीक्षण-पूर्व निषेधाज्ञाओं का दुरुपयोग करती हैं।

SLAPP मुकदमे क्या हैं?

- ये मुकदमे (आमतौर पर मानहानि, उपद्रव या इसी तरह के दावे) **व्यक्तियों, निगमों या संस्थाओं द्वारा आलोचकों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं या गैर सरकारी संगठनों के** खिलाफ लाए जाते हैं।
- यह अमेरिका से विकसित हुआ है।
- **दुरुपयोग के हालिया रुझान: पत्रकारों, कार्यकर्ताओं या नागरिक समाज को डराने, चुप कराने या उन पर बोझ डालने** के लिए **शक्तिशाली निगमों या व्यक्तियों** द्वारा दायर किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य आवश्यक रूप से अदालत में जीतना नहीं है, बल्कि **संसाधनों को खत्म करना, मुकदमेबाजी को लम्बा खींचना और सार्वजनिक जांच को रोकना है।**
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड 2024)
- **पत्रकारिता की स्वतंत्रता** अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत **संवैधानिक अधिदेश** का हिस्सा है।
- **मानहानि के मामलों में सुनवाई-पूर्व, एकपक्षीय निषेधाज्ञा** = सुनवाई से पहले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ''मृत्युदंड''।
- न्यायालयों को **बोनार्ड मानक (यूके मिसाल) का पालन करना चाहिए** – मानहानि के मामलों में निषेधाज्ञा **केवल असाधारण स्थितियों में दी जानी चाहिए**, जब सामग्री **दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से झूठी हो।**
- **तीन-स्तरीय परीक्षण सावधानीपूर्वक** लागू करना चाहिए:
  - प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है।
  - सुविधा का संतुलन निषेधाज्ञा का पक्षधर है।
  - निषेधाज्ञा के बिना अपूरणीय क्षति हो सकती है।
- पत्रकारिता से संबंधित मामलों में परीक्षण के **यांत्रिक अनुप्रयोग के** विरुद्ध चेतावनी।
- मौन आदेश न केवल पत्रकारों को बल्कि **नागरिकों के जानने के अधिकार को भी प्रभावित करते हैं।**

- **निषेधादेश** एक **न्यायालय आदेश** है, जो किसी को **कुछ करने या न करने का निर्देश देता है।**
  - मानहानि के मामलों में, इसका अर्थ अक्सर सामग्री के प्रकाशन या प्रसार को रोकना होता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356** मानहानि को परिभाषित करती है।

चुनाव संचालन नियम, 1961

संदर्भ

भारत निर्वाचन आयोग **(ECI)** ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49B के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

चुनाव संचालन नियम, 1961 के बारे में

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की धारा 169** के तहत तैयार किए गए **वैधानिक नियमों** का एक समूह।
- वे भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों **के चुनावों के वास्तविक संचालन को विनियमित करते हैं।**
- **ये भारत के चुनाव आयोग (ECI) के परामर्श से, केंद्र सरकार द्वारा बनाए किए जाते हैं।**
- **उद्देश्य:**
  - चुनावों की **विस्तृत प्रक्रिया** (नामांकन से लेकर परिणाम तक) निर्धारित करता है।
  - **उम्मीदवारों का नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान, मतगणना, परिणामों की घोषणा** शामिल है।

- – **EVMs, मतपत्र, डाक मतपत्र, निविदा वोट और NOTA** के लिए नियम निर्धारित करता है।
- – चुनावी प्रक्रिया में **एकरूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता** सुनिश्चित करना।

हाल के प्रमुख परिवर्तन (2025)

- **उम्मीदवारों के फोटो: अब** ईवीएम मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो **रंगीन** मुद्रित किए जाएंगे।
  - – उम्मीदवार का चेहरा **फोटो के तीन-चौथाई भाग पर दिखाई देगा** → बेहतर दृश्यता।
- **अंक: उम्मीदवारों/नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप** में मुद्रित किए जाएंगे।
  - – स्पष्टता के लिए फॉन्ट का आकार **30 निश्चित किया गया है, बोल्ड में लिखा गया है।**
- **एकसमान फॉन्ट:** सभी उम्मीदवारों/NOTA के **नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और आकार में मुद्रित किए जाएंगे,** जो आसानी से पढ़े जाने के लिए पर्याप्त आकार के होंगे।
- **कागज की गुणवत्ता और रंग:** ईवीएम मतपत्र **70 GSM कागज पर मुद्रित किए जाएंगे।**
  - – **विधानसभा चुनावों** के लिए मतपत्र **गुलाबी रंग के होंगे** (निर्दिष्ट **RGB** मान के साथ)।
- **कार्यान्वयन:** इन उन्नत मतपत्रों का उपयोग **बिहार चुनाव (2025) से शुरू किया जाएगा।**

मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी प्रक्रिया

संदर्भ

आलंद विवाद 2023 में 6,018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए संदिग्ध ऑनलाइन फॉर्म 7 आवेदनों से संबंधित है। हालांकि चुनाव आयोग ने माना है कि प्रयास किए गए थे, लेकिन उसने कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना गलत रूप से कोई नाम नहीं हटाया गया।

किसी मतदाता का नाम कैसे हटाया जा सकता है (कानूनी प्रावधान)

- **जिम्मेदार प्राधिकारी: निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO)** (आमतौर पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या समकक्ष) के पास नाम हटाने की कानूनी शक्ति है।
  - – **बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs)** के साथ काम करता है जो जमीनी स्तर पर विवरणों का सत्यापन करते हैं।
- **हटाने का आधार: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22** के तहत, नाम हटाए जा सकते हैं यदि:
  - – मतदाता की मृत्यु हो जाती **है .**
  - – मतदाता **सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र में निवास करना बंद कर चुका है** (स्थानांतरित हो चुका है)।
  - – मतदाता को **अन्यथा कोई अधिकार नहीं है** (जैसे, नाबालिग, भारतीय नागरिक नहीं)।
- **आवेदन प्रक्रिया (फॉर्म 7):** किसी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता **फॉर्म 7 के माध्यम से किसी अन्य नाम पर आपत्ति कर सकता है, या नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है।**
  - – फॉर्म 7 **ऑनलाइन (मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से)** या **ऑफलाइन भरा जा सकता है।**
  - – BLOs क्षेत्र सत्यापन (मृत्यु/स्थानांतरण) के आधार पर भी नाम हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।
- **नाम हटाने से पहले की प्रक्रिया:** ERO संबंधित मतदाता को **नोटिस जारी** करता है।
  - – मतदाता को **अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है।**
  - – BLOs /फील्ड स्तर के अधिकारी द्वारा फील्ड सत्यापन किया जाता है।
  - – जांच के बाद ही **ERO नाम हटाने का आदेश पारित कर सकता है।**
- **सुरक्षा उपाय:** नाम हटाए जाने के बाद भी मतदाता को **अपील करने का अधिकार है:**
  - » **जिला मजिस्ट्रेट** को,
  - » तत्पश्चात, **राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास।**
  - – झूठे आवेदन पर कानून के तहत **दंड (1 वर्ष तक का कारावास और/या जुर्माना) हो सकता है।**

अविश्वास प्रस्ताव

संदर्भ

ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

- अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जो विपक्ष को सरकार के **बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति देती है।**
- **अनुच्छेद 164(2):** किसी राज्य में मंत्रिपरिषद **सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।**
  - – इसका अर्थ यह है कि यदि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा।
- **प्रक्रिया:**
  - – **आरंभ:** विधान सभा का कोई भी सदस्य प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है।

- **स्वीकार्यता:** यदि प्रस्ताव प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप हो तो अध्यक्ष उसे स्वीकार कर लेता है (राज्यवार इसमें थोड़ा अंतर होता है, आमतौर पर इसके लिए न्यूनतम संख्या में समर्थक सदस्यों की आवश्यकता होती है)।
- **चर्चा एवं मतदान:** चर्चा का समय, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है।
  - » चर्चा के बाद मतदान किया जाता है।
- **परिणाम:** यदि **उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य** प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है।

संबंधित जानकारी:

- अविश्वास प्रस्ताव **केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है**, न कि व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री के विरुद्ध।
- अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कारण बताए भी जाते हैं, तो वे प्रस्ताव का हिस्सा नहीं होते।
- **यह केवल विधान सभा में** लागू होता है, विधान परिषद में नहीं, क्योंकि कार्यपालिका केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- **समर्थक सदस्यों की न्यूनतम संख्या:**
  - **लोकसभा (संसद) में:**
    - » **लोकसभा नियमावली के नियम 198(1) के तहत:** अविश्वास प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने पर **कम से कम 50 सदस्य उसके समर्थन में खड़े हों।**
    - » **राज्य विधानसभाओं में:** कोई संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक **राज्य विधानसभा के अपने कार्यविधि नियम होते हैं।**
- **उदाहरण के लिए,** ओडिशा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए विधानसभा में कम से कम 14 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र

संदर्भ

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

मध्यस्थता केंद्र क्या है?

- मध्यस्थता, **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का एक रूप है,** जहां विवाद के पक्षकार अपने मामले को एक तटस्थ तीसरे पक्ष (मध्यस्थ) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सहमत होते हैं, जो बाध्यकारी निर्णय देता है।
- पारंपरिक न्यायालय प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई है, जिसमें मध्यस्थता को प्राथमिक विधि के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **मध्यस्थता केंद्र की मुख्य विशेषताएं:**
  - **तटस्थ मंच:** विवादों को सुलझाने के लिए एक तटस्थ स्थान प्रदान करता है, जिसे अक्सर तब चुना जाता है जब पक्ष अलग-अलग क्षेत्रों या देशों से हों।
  - **मध्यस्थ पैनल:** व्यापार, निवेश, वाणिज्यिक कानून, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रखता है।
  - **दक्षता:** सामान्यतः न्यायालयों की तुलना में अधिक तीव्र और कम औपचारिक, जिसका उद्देश्य विवादों का शीघ्र समाधान करना है।
  - **गोपनीयता:** कार्यवाही निजी होती है, जबकि अदालती मामले आमतौर पर सार्वजनिक होते हैं।
  - **लचीलापन:** पक्षों को मध्यस्थ, भाषा, नियम और प्रक्रिया चुनने में लचीलापन होता है।
  - **प्रवर्तनीयता:** मध्यस्थता के निर्णय, अक्सर **न्यूयॉर्क कन्वेंशन (1958) जैसी संधियों के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर** कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होते हैं।

भारत में मध्यस्थता

- **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,** 1996 द्वारा शासित, **UNCITRAL मॉडल कानून** (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग) पर आधारित।
  - कई बार संशोधित (2015, 2019, 2021)

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

मुख्य परीक्षा के लिए विषय (अर्थव्यवस्था)

जीएसटी 2.0 सुधार

सिलेबस मैपिंग: भारतीय अर्थव्यवस्था-सरकारी बजट

सन्दर्भ

- **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)** लागू होने के आठ वर्ष बाद, भारत उस **चरण की तैयारी कर रहा है जिसे "जीएसटी 2.0" कहा जा रहा है।**
- अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में, **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की आवश्यकता** पर जोर दिया, **तथा कर राहत और सरलीकरण उपायों के माध्यम से ''दिवाली उपहार'' का** आश्वासन दिया।
- सरकार ने अनुपालन को सरल बनाने, उद्योग जगत की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करने तथा अधिक व्यापार-अनुकूल कर ढांचा बनाने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है।

पृष्ठभूमिः बुनियादी बिन्दुओं पर चर्चा

जीएसटीः आधुनिक कराधान की नींव

- **1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्वतंत्रता के बाद से भारत का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार** माना जाता है। इसने वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे केंद्रीय और राज्य करों के जटिल नेटवर्क का स्थान ले लिया।
  - जीएसटी गंतव्य-आधारित उपभोग मॉडल पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि कर उत्पादन की अपेक्षा उपभोग स्थान पर एकत्र किया जाता है।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) तंत्र** द्वारा समर्थित एक बहु-चरणीय प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाए।
  - इससे **पूर्ववर्ती व्यवस्था का सोपानी प्रभाव (cascading effect) समाप्त हो गया**, जहां पहले से कर अधिरोपित वस्तुओं पर बार-बार कर लगाया जाता था।
- जीएसटी का प्रशासन जीएसटी परिषद के माध्यम से किया जाता है, जो एक संघीय निकाय है, जिसमें **केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री शामिल हैं, जो आम सहमति से निर्णय लेती है।**
  - सुधार का उद्देश्य भारत की अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को सरल और सुसंगत बनाते हुए एकीकृत **"एक राष्ट्र, एक कर" संरचना स्थापित करना था।**

आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- **जटिल संरचनाः** पहले, जीएसटी में कई स्लैब - 0%, 5%, 12%, 18%, 28% थे - और साथ ही क्षतिपूर्ति उपकर का भी प्रावधान था। इससे भ्रम, अनुपालन का बोझ और अक्सर विवाद पैदा होते थे।
- **क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्तिः** उपकर लगाने का कानूनी प्रावधान (राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए उपयोग किया जाता है) 2025 में समाप्त हो रहा है। युक्तिकरण के बिना, तंबाकू जैसी कुछ **सिन गुड्स** अचानक सस्ती हो जातीं - जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होतीं।
- **उपभोग बढ़ानाः** अमेरिका द्वारा **भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण,** भारत को बाहरी आघातों से निपटने के लिए **घरेलू मांग को** बढ़ाने की आवश्यकता थी।
- **उपभोग को प्रोत्साहित करनाः पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 7.8%** रहने के साथ, सरकार गति को बनाए रखना चाहती है और बाद की तिमाहियों में मंदी से बचना चाहती है।
  - कम कर का मतलब है- सस्ती वस्तुएं, जिससे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अगली पीढ़ी के सुधारों को बढ़ावाः** जीएसटी को सरल बनाना उद्योगों और राज्यों की लंबे समय से मांग थी।

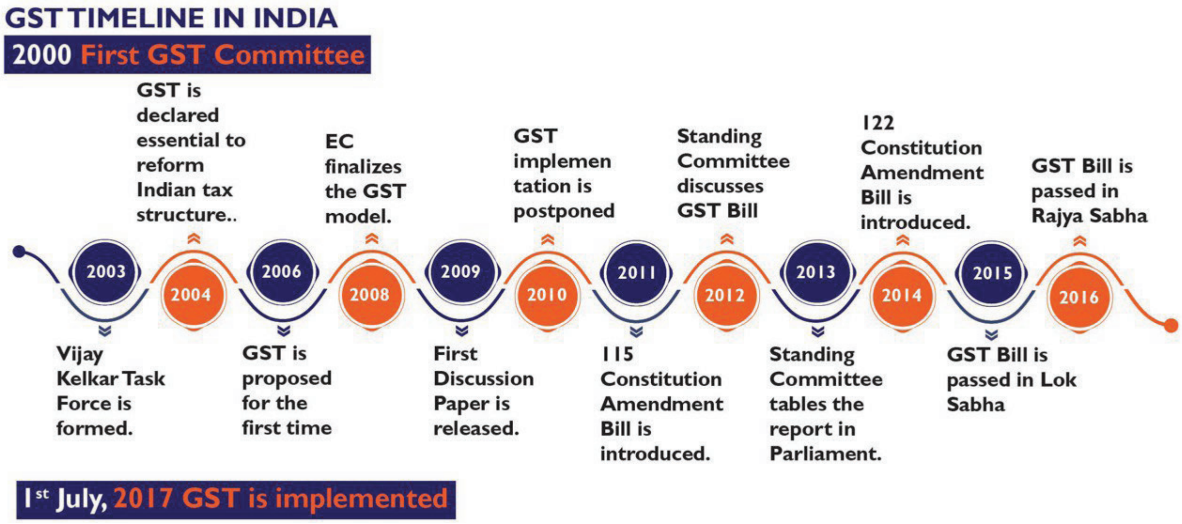

जीएसटी संरचना में व्यापक बदलाव

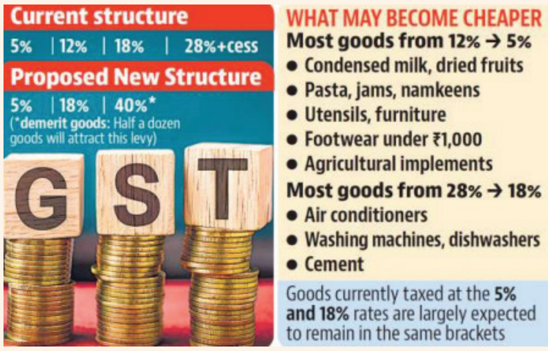

- **नये स्लैब:**
  - **5%:** आवश्यक वस्तुएं एवं उपभोक्ता वस्तुएं (खाद्य पदार्थ, साबुन, शैंपू, EVs, छोटी कारें, कृषि उपकरण)।
  - **18%:** आकांक्षी वस्तुएं (टीवी, एसी, सीमेंट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, गैर-लक्जरी कारें, दोपहिया वाहन)।
  - **40%:** सिन गुड्स (तंबाकू, लक्जरी कारें, अति-विलासिता वस्तुएं)।

लाभान्वित होने वाले क्षेत्र

- **स्वास्थ्य सेवा:** कई चिकित्सा उत्पादों पर जीएसटी **12% से घटाकर 5% किया गया → परिणामस्वरूप सस्ता उपचार।**
- **बीमा:** व्यक्तिगत **जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम को** जीएसटी से छूट दी गई।
  - लेकिन बीमा कंपनियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट समाप्त हो गया है, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर/पवन घटकों पर कर कम (12% → 5%) → स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा।
- **रियल एस्टेट और निर्माण:** सीमेंट (28% → 18%), ग्रेनाइट और टाइल्स सस्ते → आवास लागत कम होती है।

चिंता वाले क्षेत्र

- **विमानन:** गैर-इकोनॉमी सीटों पर उच्च जीएसटी की एयरलाइनों द्वारा आलोचना की गई।
- **वनस्पति तेल क्षेत्र:** व्युत्क्रम शुल्क का मुद्दा अनसुलझा।
- **MSMEs:** श्रम शुल्क पर अब **18% कर लगाया गया है** (पहले यह 12% था), जिससे परिचालन की लागत बढ़ गई है।

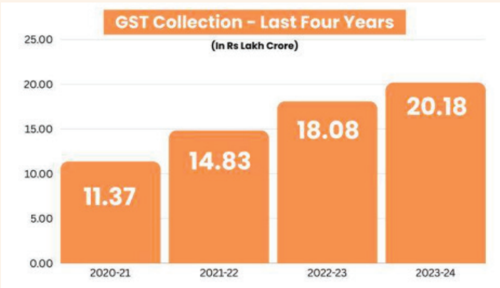

अब तक की उपलब्धियाँ

- **राजस्व वृद्धि:** 2024-25 में, मासिक जीएसटी संग्रह नियमित रूप से ₹1.7 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो मजबूत उछाल को दर्शाता है।
- **बेहतर अनुपालन:** डिजिटल सुधारों के कारण रिटर्न दाखिल करने की दर 95% तक पहुंच गई है।
- **विस्तारित कर आधार:** पंजीकरण करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.45 करोड़ हो गई है, जो जीएसटी से पहले लगभग 65 लाख थी।
- **वैश्विक मान्यता:** भारत के जीएसटी को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे उन्नत आईटी-सक्षम कर प्रणालियों में से एक माना जाता है।

जीएसटी सुधार का आर्थिक प्रभाव

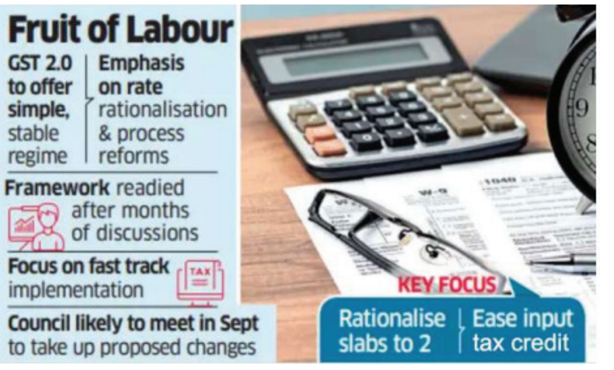

अल्पकालिक प्रभाव

- **उपभोग को बढ़ावा:** रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम जीएसटी → का मतलब है- **कम खुदरा कीमतें। अधिक प्रयोज्य आय** के साथ, परिवार अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं, जिससे **मांग पर गुणक प्रभाव पड़ता है।**
- **मुद्रास्फीति में कमी: खाद्य, चिकित्सा सामग्री और निर्माण सामग्री** जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कम जीएसटी मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकता **है।**
- **कुछ क्षेत्रों में व्यवधान:**
  - एयरलाइनों को डर है कि गैर-इकोनॉमी श्रेणी की सीटों पर अधिक जीएसटी से **किराया बढ़ जाएगा** और मांग प्रभावित होगी।
  - ऑटो डीलरों को चिंता है कि उपभोक्ता **नई दरें लागू होने तक** (22 सितंबर से) खरीदारी में देरी करेंगे।

मध्यम अवधि के प्रभाव

- **सकारात्मक निवेश चक्र:** अधिक उपभोक्ता मांग → उद्योगों में उत्पादन का विस्तार → अधिक रोजगार सृजन → उच्च घरेलू आय → पुनः अधिक मांग।
  - **उदाहरण:** सस्ता सीमेंट विनिर्माण लागत को कम करता है → आवास की मांग बढ़ती है → रियल एस्टेट और संबद्ध उद्योगों में रोजगार में वृद्धि होती है → अधिक आय और व्यय होता है।
- **बाहरी दबावों के बीच विकास को सहारा:** अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% प्रशुल्क लगाने से निर्यात प्रभावित हो सकता है। कम जीएसटी से समर्थित घरेलू खपत, वैश्विक आघातों से **भारत की जीडीपी संवृद्धि को समर्थन प्रदान कर सकती है।**
- **हरित अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास:** नवीकरणीय ऊर्जा घटकों पर कम जीएसटी से **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी आएगी**, तथा आर्थिक विकास को संधारणीयता लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाएगा।

दीर्घकालिक प्रभाव

- **अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण:** सरलीकृत जीएसटी स्लैब MSMEs के लिए अनुपालन बोझ को कम करते हैं, जिससे अधिक छोटी कंपनियां **औपचारिक रूप से कर के दायरे में आ जाती हैं।**
- **निवेश आकर्षित करना:** सरल और अधिक पूर्वानुमानित जीएसटी प्रणाली से भारत की **व्यापार सुगमता** रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- **संघ एवं राज्य सरकार के लिए राजकोषीय चुनौतियां:** क्षतिपूर्ति के बारे में राज्यों की चिंताएं **केंद्र-राज्य संबंधों पर दबाव डाल सकती हैं**, जब तक कि राजस्व-साझाकरण के लिए एक नया ढांचा विकसित नहीं किया जाता।
  - **केंद्र का अनुमान: 48,000 करोड़ रुपये** की राजस्व कमी।
  - **राज्यों की चिंता:** उन्हें 70% कमी का वहन करना पड़ सकता है; 40% स्लैब पर उपकर की मांग स्वीकार नहीं की गई।

चुनौतियाँ, जो अभी भी बनी हुई हैं:

- **वर्तमान में भी अनेक दरों का होना:** कटौती के बावजूद, व्यापक अंतर बना हुआ है (5% बनाम 18%)। इससे दरों का गलत वर्गीकरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मुकदमेबाजी हो सकती है।
- **व्युत्क्रमित शुल्क ढांचा:** कपड़ा, जूते, ट्रैक्टर आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में, इनपुट पर अंतिम उत्पाद से अधिक कर लगाया जाता है। इससे अकुशलता बढ़ती है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अंतिम कर स्लैब से मेल नहीं खाते।
- **करों का कैस्केडिंग इफेक्ट जारी रहेगा:** पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया → परिवहन लागत में वृद्धि होगी। इससे **कैस्केडिंग इफेक्ट (cascading effect)** अर्थात कर पर कर **लगेगा → उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी।**
- **मुद्रास्फीति संबंध कमजोर: CPI बास्केट का लगभग 50%** जीएसटी से बाहर है → कटौती से मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी नहीं आएगी।

आगे की राह

- **एकल दर जीएसटी की ओर कदम:** वैट वाले 81% देश एकल दर लागू करते हैं। इससे विकृतियों से बचने और प्रशासन को सरल बनाने में मदद मिलती है।
- **जीएसटी आधार का विस्तार:** पेट्रोलियम उत्पादों और कुछ छूट प्राप्त सेवाओं (जैसे, विधिक शुल्क) को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची कम की जाए।
- **राजस्व तटस्थता सुनिश्चित करना:** राज्यों के राजकोषीय स्थिति का बचाव करना। सूत्र-आधारित हस्तांतरण या अस्थायी राजस्व-साझाकरण समायोजनों पर विचार करना।
- **अनुपालन को मजबूत करना और आधार को व्यापक बनाना:** कर चोरी रोकने के लिए डिजिटल उपकरणों (एआई-संचालित ऑडिट, ई-इनवॉयसिंग, GSTN डेटा एनालिटिक्स) का उपयोग।
- **औपचारिकता का विस्तार:** MSMEs और अनौपचारिक क्षेत्रों को सरल प्रक्रियाओं के साथ जीएसटी के दायरे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **उत्कृष्ट वस्तु कर समायोजित करना:** राजस्व आवश्यकताओं और उपभोग के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए निचली स्लैब को 6-7% तक बढ़ाया जाना।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना:** वैश्विक प्रशुल्क संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए कर सुधार को व्यापक रणनीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

राजकोषीय प्रभाव पर अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण

- विशेषज्ञों का सुझाव है कि राज्य सरकारों को **7,000-9,000 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व हानि हो सकती है।**
- फिर भी, इस कमी की **भरपाई उच्च जीडीपी संवृद्धि से होने** की संभावना है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व दोनों में वृद्धि होगी।
- 2025-26 के लिए, केंद्र सरकार पर राजकोषीय घाटे का बोझ न्यूनतम, अर्थात् **सकल घरेलू उत्पाद के 0.1% से कम रहने का अनुमान है।**

भारत का **जीएसटी 2.0** सुधार एक अधिक निष्पक्ष और सरल कर प्रणाली की ओर एक **साहसिक कदम है।** यह उपभोग को बढ़ावा देगा, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक कर मानदंडों की ओर ले जाएगा। लेकिन सरकार को संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए **राजस्व घाटे और राज्य-स्तरीय राजकोषीय दबावों का** सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा।

भारतीय राज्यों पर ऋण में वृद्धि

सिलेबस मैपिंग: भारतीय अर्थव्यवस्था- सरकारी बजट

सन्दर्भ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर एक अनूठा दस-वर्षीय विश्लेषण (2013-14 से 2022-23) प्रकाशित किया है, जिसमें सार्वजनिक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि और राजकोषीय संधारणीयता बनाए रखने के लिए इससे उत्पन्न चुनौतियों का खुलासा किया गया है।

राज्य ऋण की वर्तमान स्थिति

- **कुल ऋण:** 2013-14 में ₹17.57 लाख करोड़ → 2022-23 में ₹59.6 लाख करोड़ (3.39 गुना वृद्धि)।
- **ऋण- GSDP अनुपात:**
  - 2013-14: **GSDP** का **16.66%** .
  - 2022-23: **GSDP** का **22.96%।**
  - **राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी:** राज्यों का संयुक्त ऋण = **भारत के जीडीपी का 22.17%** (2022-23 में ₹2,68,90,473 करोड़)।
- **अंतर-राज्यीय भिन्नता:**
  - **उच्चतम अनुपात:** पंजाब (40.35%), नागालैंड (37.15%), पश्चिम बंगाल (33.70%)।
  - **न्यूनतम अनुपात:** ओडिशा (8.45%), महाराष्ट्र (14.64%), गुजरात (16.37%)।
  - 8 राज्य- **GSDP** का 30% से अधिक, 14 राज्य- 20-30% के बीच, तथा 6 राज्य 20% से कम।
- **ऋण बनाम राजस्व प्राप्तियां:** पिछले दशक में, राज्य का ऋण, **वार्षिक राजस्व प्राप्तियों का औसतन 150% रहा है।**
  - 128% (2014-15) → 191% (2020-21)।

- **स्वर्णिम नियम का उल्लंघन: उधारी से पूंजीगत व्यय** (परिसंपत्तियां, बुनियादी ढांचा) का वित्तपोषण होना चाहिए, न कि **राजस्व व्यय** (वेतन, सब्सिडी) का।
  - **11 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, तमिलनाडु सहित) ने दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए उधार लिया।
  - **पंजाब और आंध्र प्रदेश: शुद्ध उधार का** केवल **26% और 17%** पूंजीगत व्यय में गया।
  - **हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश:** पूंजीगत व्यय के लिए ~50%।

राज्य के ऋण में वृद्धि क्यों हो रही है?

- **कोविड-पश्चात व्यय:** स्वास्थ्य, कल्याण और प्रोत्साहन उपायों से राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हुई।
  - 2020-21 में GSDP संकुचन से ऋण अनुपात बढ़ा।
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति पर निर्भरता:** जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति (2022) से राजस्व स्थिति खराब हो गई।
  - केंद्र ने क्षतिपूर्ति की कमी (2020-22) के लिए **लगातार ऋण प्रदान किए,** जिससे देनदारियां बढ़ गईं।
- **सब्सिडी का बोझ और निःशुल्क सुविधाएं:** बिजली सब्सिडी, कृषि ऋण माफी और सामाजिक निःशुल्क सुविधाओं पर बढ़ते व्यय से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है (पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश)।
- **ब्याज भुगतान:** ऋण चुकाने में खर्च होने वाले राजस्व का बढ़ता हिस्सा पूंजीगत व्यय को कम कर देता है।
- **चालू व्यय के लिए उधार लेना:** ''स्वर्णिम नियम'' का उल्लंघन: उधार से पूंजीगत परियोजनाओं का वित्तपोषण होना चाहिए, न कि राजस्व व्यय का।
- **स्वयं का कर राजस्व स्रोत का कमजोर होना:** केन्द्र से प्राप्त धन पर निर्भरता, गरीब राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड) में कम कर उछाल।
- **लोकलुभावन राजनीतिक दबाव:** प्रतिस्पर्धी राजनीति के कारण कई राज्यों में राजकोषीय अविवेक पैदा हो गया है।

बढ़ते कर्ज के निहितार्थ

- **राजकोषीय तनाव:** उच्च ऋण-चुकाने की लागत उत्पादक निवेश के लिए **राजकोषीय स्थान को कम कर देती है।**
- **पूंजीगत व्यय को बाहर करना:** चालू व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेने से **विकास पर गुणक प्रभाव कम हो जाता है।**
- **वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम:** लगातार राजकोषीय घाटा और बढ़ता कर्ज **बांड प्रतिफल को बढ़ा सकता है और वित्तीय प्रणाली पर दबाव डाल सकता है।**
- **केंद्र-राज्य तनाव:** केंद्रीय ऋण (जीएसटी क्षतिपूर्ति, विशेष सहायता) पर अत्यधिक निर्भरता राजकोषीय संघवाद पर प्रश्न चिह्न खड़ा करती है।
- **व्यापक आर्थिक प्रभाव:** राज्य ऋण, भारत के सामान्य सरकारी ऋण का लगभग 30% है, जो **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करता है।**
- **अंतर-पीढ़ीगत बोझ:** बढ़ती देनदारियों को बिना किसी परिसंपत्ति सृजन के **भविष्य के करदाताओं पर डाल दिया जाता है।**
- **मानव विकास पर व्यय में कमी आना:** सीमित राजकोषीय व्यवस्था के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कटौती हो सकती है।
- **शासन संबंधी जोखिम:** ऑफ-बजट वित्तपोषण और अपारदर्शी गारंटी जवाबदेही को कम करती है।

आगे की राह

- **राजकोषीय विवेक का पालन करना:** राजकोषीय घाटे की सीमा लागू करना; ऋण संधारणीयता को अपनाकर उधार लेने का मार्गदर्शन करना चाहिए।
- **स्वर्णिम नियम का अनुपालन:** उधार का उपयोग केवल **पूंजीगत व्यय और परिसंपत्ति निर्माण के लिए सुनिश्चित करना।**
- **राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देना:** जीएसटी संग्रह को मजबूत करना, संपत्ति कर आधार का विस्तार करना, राज्य कर प्रशासन की दक्षता में सुधार करना।

- **व्यय का युक्तिकरण:** सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना और लोकलुभावन योजनाओं पर नियंत्रण करना। **लीकेज को कम करने के लिए डीबीटी और आधार का उपयोग करके लक्षित कल्याणकारी व्यय करना।**
- **संस्थागत निगरानी को मजबूत करना:** एक **स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करना** केंद्र और राज्य दोनों के वित्त की निगरानी करना।
- **केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ाना:** जीएसटी, क्षतिपूर्ति तंत्र और उधार सीमा पर बेहतर सरेखण।
- **क्षमता निर्माण:** ऋण प्रबंधन, जोखिम विश्लेषण और नवीन वित्तपोषण के लिए राज्य वित्त विभागों को प्रशिक्षित करना।
- **वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना: नगरपालिका बांड, राज्य विकास ऋण, पीपीपी मॉडल और वैश्विक जलवायु निधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।**
- **राज्य ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (DMCs) की स्थापना करना:** उधार लेने की रणनीति को पेशेवर बनाना, अवधि मिलान करना और पुनर्वित्त जोखिम को न्यूनतम करना (15वें वित्त आयोग का सुझाव)।
- **स्वयं के राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना:** कर आधार को व्यापक बनाना (संपत्ति कर, उपयोगकर्ता-शुल्क, स्थानीय राजस्व में सुधार करना); कर प्रशासन को डिजिटल बनाना; परिणाम-आधारित बजट अपनाना।

सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनाने वाले राज्य

ओडिशा

- **2000 के दशक के प्रारंभ में उच्च ऋण वाले राज्य** से सर्वाधिक वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण राज्यों में से एक में परिवर्तित हो गया।
- **FRBM** अधिनियम के **मानदंडों का सख्ती से पालन** किया गया, राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% से नीचे रखा गया।
- कुशल ऋण पुनर्गठन और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना।
- बड़े पैमाने पर नकदी अधिशेष का निर्माण किया गया और लोकलुभावन निःशुल्क उपहारों से बचा गया।
- **परिणाम: 2022-23 में** ऋण- GSDP अनुपात केवल **8.45%, जो** भारतीय राज्यों में सबसे कम है।

गुजरात

- **राजकोषीय अनुशासन** और विवेकपूर्ण उधारी के लिए जाना जाता है।
- ऋण- GSDP **16.37%,** जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
- दीर्घकालिक आर्थिक लाभ के साथ **बुनियादी ढांचे में निवेश (सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे)** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मजबूत औद्योगिक आधार और **VAT/GST** संग्रह से उच्च कर उछाल बेहतर राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करता है।

भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाना

सिलेबस मैपिंग: भारतीय अर्थव्यवस्था- खाद्य सुरक्षा

प्रसंग

यद्यपि विश्व बैंक (2025) ने **2011-12 में 16.2% से 2022-23 में 2.3%** तक अत्यधिक गरीबी में तीव्र गिरावट दर्ज की है, लेकिन **क्रिसिल** द्वारा विकसित **''थाली भोजन''** सूचकांक आय-आधारित गरीबी के उपायों से परे गहरे अभाव की ओर इशारा करता है।

गरीबी मापन के पारंपरिक मापदंड

- **कैलोरी-आधारित गरीबी रेखाएँ: प्रारंभिक भारतीय गरीबी रेखाएँ (अलघ समिति, 1979) गरीबी को ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 कैलोरी** और **शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी की** खपत के लिए आवश्यक आय के रूप में परिभाषित करती थीं। इस दृष्टिकोण ने गरीबी को शारीरिक आवश्यकताओं से जोड़ा।
- **तेंदुलकर समिति (2009):** कैलोरी मानदंड से हटकर **उपभोग व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया,** जिसमें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र और आवास शामिल थे। गरीबी अब केवल भोजन की पर्याप्तता तक सीमित नहीं थी, बल्कि समग्र जीवन स्तर तक सीमित थी।
- **रंगराजन समिति (2014):** मुद्रास्फीति और बदलती जरूरतों को प्रतिबिंबित करते हुए **व्यापक उपभोग को** शामिल करने के लिए गरीबी रेखा को संशोधित किया गया।
- **विश्व बैंक का वैश्विक मीट्रिक: अत्यधिक गरीबी को 2.15 डॉलर प्रतिदिन (PPP)** पर जीवनयापन के रूप में परिभाषित करता है। इसके अनुसार, भारत की गरीबी **2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई।**

- **आय/उपभोग गरीबी मापकों की सीमाएं:** ये **पोषण गुणवत्ता, खाद्य विविधता और संतुलित आहार की वास्तविक सामर्थ्य को शामिल नहीं करते हैं,** जिसके कारण अभाव का कम आकलन होता है।
- **''थाली सूचकांक'' जैसे नए मापदंड:** जैसा कि लेख में तर्क दिया गया है, यह मापना कि क्या परिवार **प्रतिदिन दो संतुलित भोजन (थाली) का खर्च उठा सकते हैं,** भोजन की पर्याप्तता का एक **यथार्थवादी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक उपाय प्रदान करता है।**

गरीबी में कमी के बावजूद भोजन का अभाव क्यों बना हुआ है?

- **अवशिष्ट खाद्य व्यय:** परिवार सबसे पहले किराए, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। भोजन एक अवशिष्ट मद बन जाता है, क्योंकि परिणामस्वरूप गरीब परिवार अक्सर कम उपभोग करते हैं।
- **संतुलित भोजन की उच्च लागत:** 2023-24 में, 50% ग्रामीण और 20% शहरी परिवार 30 रुपये प्रति थाली की दर से प्रतिदिन दो थाली नहीं खरीद पाएंगे, जबकि आधिकारिक गरीबी दर कम है।
- **खाद्य विविधता में असमानता:** हालाँकि, अनाज की खपत सभी आय वर्गों में समान हो गई है, फिर भी **प्रोटीन युक्त दालों का** उपभोग गरीबों द्वारा कम किया जाता है- सबसे गरीब 5% लोग सबसे अमीर 5% लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली **दालों का केवल आधा ही उपभोग करते हैं।**
- **सब्सिडी का अकुशल लक्ष्यीकरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संपन्न परिवारों को भी अनाज उपलब्ध कराती है। ग्रामीण भारत में, शीर्ष 10% लोगों को प्रति व्यक्ति सब्सिडी लगभग उतनी ही मिलती है जितनी निचले 5% लोगों को।
- **खाद्य योजनाओं का अपर्याप्त विविधीकरण:** अधिकांश सरकारी योजनाएं **(PDS, NFSA, PMGKAY)** चावल/गेहूं प्रदान करती हैं, न कि संतुलित उपभोग के लिए आवश्यक व्यापक पोषण टोकरी।
- **आधिकारिक गरीबी अनुमानों और वास्तविक अभाव के बीच असंतुलन:** विश्व बैंक के आंकड़े गरीबी उन्मूलन का संकेत देते हैं, फिर भी **खाद्य अभाव व्यापक रूप से बना हुआ है,** जो केवल आय के मानकों पर निर्भर रहने की खामियों को उजागर करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

उपलब्धियां	सीमाएँ
• **मुख्य खाद्य सुरक्षा:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने सफलतापूर्वक सभी वर्गों में **अनाज की खपत को समान बना दिया है;** सबसे गरीब और सबसे अमीर दोनों ही समान मात्रा में चावल और गेहूं का उपभोग करते हैं। • **व्यापक कवरेज: 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों** के साथ, पीडीएस एक विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित करता है। • **संकट के दौरान भूमिका:** कोविड-19 के दौरान, **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** ने गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया, **जिससे व्यापक भुखमरी को रोका जा सका।** • **अत्यधिक गरीबी में कमी:** हाल के वर्षों में गरीबी दर में गिरावट के पीछे नि:शुल्क और सब्सिडी वाला भोजन एक प्रमुख कारक रहा है। • **विकेंद्रीकरण और डिजिटलीकरण:** स्मार्ट राशन कार्ड, आधार लिंकेज और **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) ने** पारदर्शिता और पोर्टेबिलिटी में सुधार किया। • **शहरी-ग्रामीण समानता:** शहरी भारत में, पीडीएस सब्सिडी अधिक **प्रगतिशील है,** जिससे कमजोर प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को मदद मिलती है।	• **अनाज पर अत्यधिक जोर:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मुख्य रूप से चावल और गेहूं का वितरण करती है, हालांकि अनाज अब घरेलू व्यय और आहार संबंधी आवश्यकताओं का केवल 10% ही है। • **असमान सब्सिडी वितरण:** ग्रामीण भारत में, **सबसे अमीर 10% लोगों को सबसे गरीब 5% लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी राशि का 88% हिस्सा मिलता है,** जबकि उन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं होती। • **रिसाव और अकुशलताएं:** छद्म लाभार्थी, अनाज के आलावा अन्य वस्तुओं की ओर ध्यान, और भंडारण संबंधी हानियाँ। • **पोषण की उपेक्षा:** दालें, तेल, सब्जियां और प्रोटीन पीडीएस से बड़े पैमाने पर नहीं दिए जाते हैं, जिससे **पोषण संबंधी अभाव की समस्या का समाधान नहीं हो पाता।** • **राजकोषीय और संभार-तंत्रीय बोझ:** 80 करोड़ लोगों तक अनाज सब्सिडी का विस्तार करने से राजकोष पर दबाव पड़ता है और संसाधन भंडारण और खरीद में फंस जाते हैं, जिससे राजकोषीय लचीलापन सीमित हो जाता है। • **कमजोर लक्ष्यीकरण:** सार्वभौमिक या लगभग सार्वभौमिक कवरेज का अर्थ है कि सब्सिडी का वितरण कम है, जिससे **गैर-गरीबों को लाभ मिलता है, जबकि वास्तव में वंचित लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।**

आगे की राह

- **सब्सिडी का ध्यान अनाज से हटाकर दालों पर केंद्रित करना:** दालें कई भारतीयों के लिए प्रोटीन का एकमात्र स्रोत हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दालों की उपलब्धता बढ़ाने से छिपी हुई भुखमरी और पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सकता है।
- **सब्सिडी लक्ष्यीकरण का पुनर्गठन:** उचित मानक (जैसे, प्रतिदिन 2 थाली से अधिक) से अधिक उपभोग करने वालों के लिए सब्सिडी समाप्त करना। केवल उन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करना, जो वास्तव में भोजन से वंचित हैं।

- **खाद्य पदार्थों में विविधता लाना:** राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों के अनुरूप आहार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पीडीएस में धीरे-धीरे बाजरा, दालें और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना।
- **निगरानी के लिए "थाली सूचकांक" का उपयोग करना:** वास्तविक खाद्य सुरक्षा प्रगति का आकलन करने के लिए संतुलित भोजन (केवल अनाज नहीं) की सामर्थ्य पर नजर रखना।
- **अधिकारों को युक्तिसंगत बनाना:** जो गरीब नहीं हैं, उनके लिए अनाज का कोटा कम करना; दालों और पोषण सहायता के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण करना। इससे एफसीआई की भंडारण सबंधी आवश्यकताओं में भी कमी आएगी।
- **पोषण कार्यक्रमों के साथ एकीकरण: समग्र पोषण-सुरक्षा जाल बनाने के लिए** पीडीएस सुधारों को **पोषण अभियान, ICDS** और मध्याह्न भोजन के साथ समन्वयित करना।

गरीबी में कमी तो आई है, लेकिन सीमित आहार विविधता और दोषपूर्ण सब्सिडी डिजाइन के कारण खाद्यान्न अभाव अभी भी बना हुआ है। विविध सार्वजनिक वितरण प्रणाली, **थाली सूचकांक के उपयोग और पोषण योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से अनाज सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ना, विकसित भारत@2047** में समान और संतुलित खाद्यान्न पहुँच सुनिश्चित करने की कुंजी है।

उभरते बाजारों के लिए तिहरा झटका

सिलेबस मैपिंग: भारतीय अर्थव्यवस्था- आर्थिक आघात

सन्दर्भ

वैश्विक उथल-पुथल केवल अमेरिका-चीन की कहानी नहीं है। उभरते बाजारों को प्रशुल्क, व्यापार विचलन और तकनीक से तिहरे आघातों का सामना करना पड़ रहा है। ये ताकतें **व्यापार-आधारित विकास और रोजगार सृजन के लिए खतरा हैं,** और ये प्रतिस्पर्धात्मकता, सुधार और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल नीतिगत विकल्पों की माँग करती हैं।

उभरते बाजारों (EMS) के लिए तिहरा आघात को समझना

- **प्रशुल्क व्यापार-आधारित विकास को बाधित कर रहे हैं:** दो दशकों से भी अधिक समय से, वैश्विक व्यापार ने उभरते बाजारों की वृद्धि को बढ़ावा दिया है, और व्यापार और आर्थिक विस्तार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि, वित्तीय संकट के बाद और कोविड-युग की व्यापार बाधाओं ने अमेरिका में प्रभावी प्रशुल्क को 2.7% से लगभग 18% तक बढ़ा दिया है, जो 1930 के दशक के स्तर की याद दिलाता है। यह उभरते बाजारों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण विशेषज्ञता और आदान-प्रदान को खतरे में डालता है।
- **व्यापार विचलन से चीन के लिए दूसरा आघात:** 2017 से, चीन पर अमेरिकी प्रशुल्क में 10% से 42% की वृद्धि के कारण, चीनी निर्यात विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर पुनर्निर्देशित हो गया है। चीन की अतिरिक्त क्षमता के कारण अपस्फीतिकारी दबाव के साथ, उभरते बाजारों को कम लागत वाले आयातों की अधिकता का सामना करना पड़ रहा है जो स्थानीय उद्योगों के लिए चुनौती बन रहे हैं।
- **आयात दबाव से घरेलू विनिर्माण को खतरा:** चीनी आयात में वृद्धि पहले से ही थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों के उद्योगों को प्रभावित कर रही है। जैसे-जैसे अमेरिकी प्रशुल्क बढ़ेंगे, ये दबाव और बढ़ेंगे, जिससे उभरते बाजारों को सीमित निर्यात अवसरों से जूझते हुए स्थानीय विनिर्माण को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- **श्रम प्रतिस्थापन की ओर बढ़ती तकनीक:** बढ़ते पूँजी- श्रम अनुपात के कारण ब्लू-कॉलर नौकरियाँ कम हो रही हैं, यहाँ तक कि भारत जैसे श्रम -प्रचुर बाजारों में भी, जहाँ विनिर्माण और निर्यात में पूँजी की गहनता बढ़ी है। एआई का तेजी से प्रसार व्हाइट-कॉलर भूमिकाओं के लिए खतरा पैदा कर रहा है, जिससे युवा अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन जटिल हो रहा है।

विकास और रोजगार पर प्रभाव

- **निर्यात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं का महत्व कम हो रहा है:** छोटी, खुली अर्थव्यवस्थाएँ समाप्त हो चुकी बाह्य माँग की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिससे व्यापार से होने वाली दक्षता वृद्धि जोखिम में पड़ रही है। जैसे-जैसे वैश्विक बाजार विखंडित होते जा रहे हैं, विकास के इंजन कमजोर होते जा रहे हैं।
- **युवा असंतोष एक चेतावनी संकेत:** दक्षिण एशिया में युवाओं का विरोध प्रदर्शन बढ़ती हताशा का संकेत है। निर्णायक नीतिगत कार्रवाई के बिना, ये आघात रोजगार की संभावनाओं को और कम कर सकते हैं।
- **आर्थिक विखंडन से जोखिम बढ़ रहे हैं:** बढ़ता संरक्षणवाद वैश्विक बाजारों को विखंडित कर रहा है, उभरते बाजारों के निर्यात को कमजोर कर रहा है, जबकि उनमें चीनी वस्तुओं की अधिकता है, जिससे कम्पनियों और श्रमिकों पर दबाव बढ़ रहा है।

अंतर्मुखी नीतियाँ क्यों गलत दिशा में जाती हैं?

- **प्रशुल्क, निर्यात कर के रूप में कार्य करते हैं:** लर्नर सममिति प्रमेय दर्शाता है कि आयात प्रशुल्क प्रभावी रूप से निर्यात पर कर लगाते हैं, तथा आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से विकास और रोजगार सृजन को कमजोर करते हैं।
- **ऐतिहासिक संवृद्धि वैश्विक सहभागिता से जुड़ी हुई है:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, केवल 13 अर्थव्यवस्थाएं 25 वर्ष या उससे अधिक समय तक 7% की वृद्धि दर बनाए रख पाईं, और ये सभी मजबूत निर्यात और वैश्विक एकीकरण से प्रेरित थीं।
- **वैश्विक बाजार व्यापक अवसर प्रदान करते हैं:** वैश्विक आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 15% से भी कम है, जिससे उभरते बाजारों के लिए नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार का लाभ उठाने और मांग में विविधता लाने की गुंजाइश बनती है।
- **भारत की बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता:** वैश्विक विनिर्माण हिस्सेदारी 2% से कम होने के कारण, भारत सीमित व्यापार वातावरण में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, क्योंकि बाह्य अभिविन्यास उत्पादकता, पैमाने और नवाचार को बढ़ावा देता है।

पूंजी और श्रम के बीच संतुलन की रणनीतियाँ

- **स्वचालन के विरुद्ध श्रमिकों को सशक्त बनाना:** स्वचालन के दौर में रोजगार सृजन को बनाए रखने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण में निवेश आवश्यक है।
- **स्मार्ट श्रम कानून सुधार:** अच्छी तरह से डिजाइन किए गए श्रम नियम श्रमिकों को नुकसान पहुंचाए बिना औपचारिक नौकरी वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **सुरक्षा जाल के साथ परिवर्तन को समर्थन:** मजबूत पुनः कौशल कार्यक्रम, निरंतर शिक्षा, और कर-वित्त पोषित सुरक्षा जाल कार्यबल परिवर्तन को आसान बना सकते हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुधार

- **आधारभूत सुधारों को प्राथमिकता देना: भूमि**, श्रम, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति वैश्विक और घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है। जीएसटी सरलीकरण और विनियमन समितियों जैसी पहल आशाजनक कदम हैं।
- **चीनी आयात और व्यापार बाधाओं का मुकाबला करना:** उच्च प्रशुल्क और आयात दबाव प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए कम लागत और अधिक दक्षता की मांग करते हैं।
- **रचनात्मक विनाश को अपनाना: अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी और** श्रम को गिरावट वाले क्षेत्रों से उभरते क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करके अनुकूलन करना चाहिए, जिससे लचीलापन को बढ़ावा मिले।
- **सुधार करना, पीछे न हटना:** उभरते बाजारों को इन आघातों का उपयोग सुधार और नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में करना चाहिए, तथा संरक्षणवाद के आकर्षक लेकिन दोषपूर्ण मार्ग से बचना चाहिए।

उभरते बाजार **प्रशुल्क, व्यापार में बदलाव और तकनीकी व्यवधानों से जूझते हुए एक चौराहे पर खड़े हैं।** फिर भी, इस तूफान में नवाचार और फलने-फूलने का अवसर छिपा है। साहसिक सुधारों को अपनाकर, अपने लोगों को कुशल बनाकर और वैश्विक बाजारों के लिए खुले रहकर, उभरते बाजार इस तिहरे आघात को लचीले विकास और जीवंत भविष्य के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड में बदल सकते हैं।

आईबीसी संशोधन विधेयक 2025

सिलेबस मैपिंग: बैंकिंग क्षेत्र

सन्दर्भ

दिवाला **और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 का** उद्देश्य भारत के दिवाला ढांचे में लगातार हो रही देरी, प्रवर्तक प्रतिरोध और न्यायिक अस्पष्टताओं को दूर करना है, साथ ही ऋणदाता-संचालित, समयबद्ध समाधानों को सुदृढ़ करना है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 – अवलोकन

- कंपनियों, साझेदारियों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए 2016 में अधिनियमित किया गया।
- **उद्देश्य:** दिवाला समाधान के लिए एक **समयबद्ध, ऋणदाता-संचालित** प्रक्रिया प्रदान करना और परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम करना।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया **(CIRP) 180 दिनों के भीतर (270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)।**
  - भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) नियामक के रूप में कार्य करता है।
  - राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण **(NCLT)** को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
  - ऋणदाताओं की समिति (CoC) को समाधान योजना तय करने का अधिकार दिया गया।
  - आय के वितरण के लिए क्रमबद्ध तंत्र।

संहिता को अपनाने के बाद भी बनी रहने वाली चुनौतियाँ

- **समाधान में देरी:** सख्त समयसीमा के बावजूद, मुकदमेबाजी और NCLT के लंबित मामलों के कारण, समाधान में औसतन **600-700 दिन लगते हैं।**
- **प्रमोटर प्रतिरोध:** निलंबित प्रमोटर अक्सर प्रक्रिया में देरी करने के लिए मुकदमेबाजी का सहारा लेते हैं, जिससे संहिता के ऋणदाता-संचालित उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है।
- **निम्न वसूली दर:** आरंभिक वसूली दर 40-45% थी, लेकिन अब यह गिरकर स्वीकृत दावों के ~30% पर आ गई है, जिससे प्रभावशीलता पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- **न्यायिक अस्पष्टता:** परस्पर विरोधी निर्णयों (जैसे, विदर्भ पावर बनाम इनोवेटिव इंडस्ट्रीज) ने स्वीकृति और ऋणदाता अधिकारों पर अनिश्चितता पैदा की।
- **परिचालन ऋणदाताओं की चिंताएं:** CoC की अध्यक्षता वाले निर्णय लेने में MSMEs और आपूर्तिकर्ताओं को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है।
- **उच्च परिसमापन दर:** स्वीकृत मामलों में से लगभग आधे का अंत परिसमापन में होता है, जो ''पहले समाधान'' सिद्धांत के विरुद्ध है।

आईबीसी संशोधन विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- **दिवालियापन मामलों का त्वरित निपटारा:**
  - **अनिवार्य स्वीकृति:** यदि डिफॉल्ट सिद्ध हो जाता है और दस्तावेज सही हैं, तो NCLT को मामले को **स्वीकार करना होगा** (अब कोई विवेकाधिकार नहीं होगा)।
  - **डिफॉल्ट का प्रमाण: वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अभिलेखों को निर्णायक साक्ष्य** माना जाएगा।
  - **समय-सीमा:** NCLT को **14 दिनों में निर्णय लेना होगा;** किसी भी देरी के लिए स्पष्टीकरण देना होगा।
- **ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIIRP) - न्यायालय के बाहर का उपाय**
  - **51% ऋण** रखने वाले लेनदार सीधे दिवालियापन शुरू कर सकते हैं।
  - कंपनी प्रबंधन जारी रहता है, लेकिन एक समाधानकर्ता पेशेवर **वीटो शक्तियों के साथ पर्यवेक्षण करता है।**
  - प्रक्रिया **150 दिनों में पूरी होनी चाहिए;** यदि यह विफल हो जाती है, तो यह सामान्य CIRP में परिवर्तित हो जाती है।
- **सामूहिक रूप से दिवालियापन ढांचा:**
  - एक ही समूह के अंतर्गत कम्पनियों के **संयुक्त समाधान की** अनुमति देता है।
  - साझा समाधान पेशेवर और ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) संभव।
  - खंडित कार्यवाही से होने वाली मूल्य हानि को रोकता है (उदाहरणार्थ, वीडियोकॉन मामला)।
- **सीमा पार दिवालियापन:**
  - विदेश में भारतीय दिवालियापन को मान्यता देने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
  - ऋणदाताओं को **विदेशी परिसंपत्तियों की वसूली में सहायता करता है।**
  - **UNCITRAL मॉडल कानून** और वैश्विक पद्धतियों के साथ संरेखित।
- **अन्य प्रमुख परिवर्तन:**
  - **प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी (PPIRP) का** विस्तार किया गया, विशेष रूप से MSMEs के लिए, ताकि पुनर्गठन के दौरान व्यवसायों को चालू रखा जा सके।
  - मामलों में तेजी लाने के लिए अधिक **NCLT बेंच और दावा समयसीमा बढ़ाई गई।**

संशोधन द्वारा पूरी तरह से हल नहीं किए गए मुद्दे

- **अन्य कानूनों के अंतर्गत वैधानिक बकाया:** PMLA **और** EPFO दावों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण दिवालियापन पेशेवरों के लिए अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
- **NCLT की क्षमता संबंधी बाधाएं: विधेयक समयसीमा को मजबूत करता है, लेकिन** अधिकरणों में **बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी को** दूर नहीं करता है।
- **सीमा-पार दिवालियापन: एक व्यापक सीमा-पार दिवालियापन ढांचे** (UNCITRAL मॉडल कानून) को अपनाने में कोई प्रगति नहीं हुई है।
- **परिचालन ऋणदाताओं के अधिकार:** CoC में MSME के आपूर्तिकर्ताओं और परिचालन ऋणदाताओं की सीमित भागीदारी के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।
- **समाधान बनाम परिसमापन संतुलन:** उच्च परिसमापन दर (स्वीकृत मामलों में से 45% से अधिक मामले परिसमापन में समाप्त होते हैं) से पर्याप्त रूप से निपटा नहीं गया।

आगे की राह

- **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना:** NCLT बेंचों का विस्तार करना, अधिक न्यायाधीशों और दिवालियापन पेशेवरों को नियुक्त करना, डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली अपनाना।
- **व्यापक स्पष्टीकरण:** PMLA, EPFO बकाया और कर अधिकारियों के दावों के बारे में लंबित अस्पष्टताओं को दूर करना।
- **सीमापार दिवालियापन कानून अपनाना:** वैश्विक व्यापार संचालन और विदेशी निवेशकों के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण।
- **परिचालन ऋणदाताओं को सशक्त बनाना:** MSME आपूर्तिकर्ताओं के साथ संतुलित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए CoC मतदान संरचनाओं में सुधार करना।
- **प्री-पैक मॉडल को प्रोत्साहित करना:** MSMEs और स्टार्टअप के लिए प्री-पैकेज्ड दिवालियेपन को सरल बनाना, ताकि तेजी से समाधान सुनिश्चित हो सके।
- **रिकवरी फ्रेमवर्क को मजबूत करना:** रियल एस्टेट, **NBFCs** और बुनियादी ढांचे के लिए उद्योग-विशिष्ट समाधान टेम्पलेट विकसित करना।

आईबीसी संशोधन विधेयक, 2025, त्वरित स्वीकृति, ऋणदाता-आधारित समाधानों और समूह दिवालियापन प्रावधानों के माध्यम से भारत की दिवालियापन व्यवस्था को मजबूत बनाता है। फिर भी, समय पर समाधान सुनिश्चित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए NCLT क्षमता, परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों और वैधानिक बकाया राशि की चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित विषय (अर्थव्यवस्था)

आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती के बावजूद भारत के बॉन्ड पर प्रतिफल में वृद्धि

सन्दर्भ

- भारत के **10-वर्षीय बेंचमार्क सरकारी बांड का प्रतिफल** पिछले महीने में **लगभग 26 आधार अंकों तक बढ़ गया** है।
  - ऐसा तब हुआ जब आरबीआई ने पिछले सात महीनों में **रेपो दर में 100 आधार अंकों (1%) की कटौती की थी।**

बॉन्ड यील्ड क्या है?

- बांड **यील्ड** वह प्रतिफल है, जो निवेशक को सरकारी या कॉर्पोरेट बांड पर मिलता है।
- **सूत्र:**
  - **बॉन्ड प्रतिफल = (कूपन भुगतान / बॉन्ड की वर्तमान कीमत) ×100**
- जब **बांड की कीमतें** बढती हैं, **प्रतिफल** कम होता है (चूंकि विभाजक बढ़ता है)।
- जब **बांड की कीमतें** कम होती हैं, **प्रतिफल** बढ़ता है (चूंकि, निवेशक कथित जोखिमों के लिए उच्च प्रतिफल की मांग करते हैं)।

बॉन्ड प्रतिफल और ब्याज दरों में कटौती के बीच संबंध

- आम तौर पर, जब **आरबीआई रेपो दर में कटौती करता है:**
  - उधार लेना सस्ता हो जाता है।
  - बांड की मांग बढ़ जाती है (क्योंकि वे अपेक्षाकृत अधिक निश्चित प्रतिफल देते हैं)।
  - इससे **बांड की कीमतें बढ़ जाती हैं और प्रतिफल कम हो जाता है।**
- इसलिए, ब्याज दरों में कटौती से आमतौर पर **बांड प्रतिफल में गिरावट आती है।**

ब्याज दरों में कटौती के बावजूद बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के कारण

- **आरबीआई का आक्रामक रुख:** "आक्रामक" का अर्थ है कि आरबीआई विकास को समर्थन देने की अपेक्षा **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बारे में अधिक चिंतित है।**
  - आरबीआई ने संकेत दिया है कि वह **दरों में और कटौती नहीं करेगा**, क्योंकि वैश्विक व्यापार तनाव, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू राजकोषीय मुद्दे जैसे जोखिम अभी भी बने हुए हैं।
  - इससे निवेशकों को यह चिंता हुई कि **भविष्य में तरलता समर्थन सीमित हो जाएगा,** इसलिए उन्होंने बांड बेचना शुरू कर दिया।
  - बॉन्ड बेचने से बॉन्ड की कीमतें कम होती हैं → प्रतिफल बढ़ता है
- **सरकार की उधारी संबंधी चिंताएं:** सरकार जीएसटी में सुधार करने तथा अधिक व्यय करने की योजना बना रही है।
  - **राजकोषीय घाटे** का बजट से या अनुमान से अधिक हो जाने (अर्थात सरकार का अपनी आय से अधिक व्यय) का भय उत्पन्न हो गया है।
  - इसे पूरा करने के लिए सरकार को **बांड जारी करके अधिक उधार लेने की आवश्यकता होगी।**
  - बाजार में बांड की अधिक आपूर्ति = बांड की कम कीमतें।
  - कम बांड कीमतें → उच्चतर प्रतिफल।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुरू की गई थी।

योजना के बारे में

- **लक्ष्य: 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियों** का सृजन।
  - प्रोत्साहन दो भागों में दिया जाएगा - **भाग A (पहली बार कर्मचारी)** और **भाग B (नियोक्ता)।**
- **भाग A - पहली बार काम करने वाले कर्मचारी**
  - **विस्तार: EPFO** के साथ पंजीकृत कर्मचारी।
  - **प्रोत्साहन: ₹15,000 तक EPF वेतन सहायता, दो किस्तों** में जारी:
    - » **6 महीने की सेवा** पूरी करने के बाद पहली किस्त।
    - » **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने** के अधीन, **12 महीने** के बाद दूसरी किस्त।
  - **पात्रता: ₹1 लाख/माह** तक कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी।
  - **बचत घटक:** प्रोत्साहन का एक हिस्सा **बचत/सावधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे बचत की आदतों को** बढ़ावा देने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के बाद निकाला जा सकेगा।
- **भाग B - नियोक्ता**
  - **कवरेज: नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ता (वेतन ₹1 लाख तक)।**
  - **प्रोत्साहन: प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000** तक, **2 वर्षों** के लिए उपलब्ध।
  - **शर्त:** नई नौकरी कम से कम **6 महीने तक होनी चाहिए।**
  - **विनिर्माण के लिए विशेष प्रावधान:** प्रोत्साहन **तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाता है।**
  - **रोजगार सृजन लक्ष्य:** भाग B के अंतर्गत लगभग **2.6 करोड़ नये रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।**
- **प्रोत्साहन भुगतान तंत्र:**
  - **कर्मचारी: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)** का उपयोग करके **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जाता है।**
  - **नियोक्ता: पैन-लिंक्ड बैंक खातों में किया गया भुगतान।**

नियामक परिसंपत्तियाँ

सन्दर्भ

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** (2025) ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों **(SERCs)** और डिस्कॉम को निर्देश दिया है कि वे सभी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्षों के भीतर और सभी नई परिसंपत्तियों को तीन वर्षों के भीतर समाधान करें।

नियामक परिसंपत्तियां क्या हैं?

- विनियामक परिसंपत्तियां **डिस्कॉम** (वितरण कंपनी) द्वारा दर्ज **अप्राप्य राजस्व अंतराल हैं।**
- वे तब उत्पन्न होते हैं जब **आपूर्ति की औसत लागत (ACS)** (बिजली की एक यूनिट प्रदान करने की लागत) **वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR)** (उपभोक्ता प्रशुल्क + सरकारी सब्सिडी के माध्यम से एकत्रित राजस्व) से अधिक होती है।
- तत्काल प्रशुल्क वृद्धि के बजाय, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERCs) डिस्कॉम को कमी को **विनियामक परिसंपत्ति के रूप में स्थगित करने की अनुमति देते हैं,** जिसे भविष्य में (ब्याज सहित) वसूल किया जा सकता है।

विमान पट्टे पर देना

सन्दर्भ

DGCA ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस से विमान और चालक दल (जिसे डैम्प लीजिंग भी कहा जाता है) पट्टे पर लेने के लिए तीसरी बार विस्तार दिया है।

लीजिंग के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

- **ड्राई लीजिंग:** एयरलाइन एक लीजिंग कंपनी से विमान (**चालक दल, रखरखाव या बीमा के बिना**) किराए पर लेती है, हालांकि विमान को संचालित करने के लिए अपने स्वयं के उड़ान और केबिन क्रू का उपयोग करती है।
  - ड्राई लीज का एक व्युत्पन्न वित्त पट्टा है (जिसे पूंजी पट्टा भी कहा जाता है)।

वित्तीय पट्टे (या पूंजी पट्टे) की शर्तें

- पट्टे की परिपक्वता पर, पट्टेदार के पास उपकरण खरीदने का विकल्प होता है।
- कुल पट्टा भुगतान साधन के कुल बाजार मूल्य का 90% से अधिक होता है।
- पट्टे की अवधि साधन के उपयोगी जीवन के कम से कम 75% तक होती है।

- **डैम्प लीज:** एयरलाइन विमान के साथ-साथ **उड़ान चालक दल और** इसके संचालन के लिए आवश्यक रखरखाव को भी किराये पर लेती है।
  - हालाँकि, **केबिन क्रू पट्टेदार द्वारा प्रदान किया जाता है।**
- **वेट लीज:** वेट लीज में, विमान का मालिक (पट्टा देने वाला) **विमान, चालक दल (पायलट और केबिन क्रू दोनों), रखरखाव और बीमा प्रदान करता है।**

डी मिनिमिस रेगुलेशन

सन्दर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 29 अगस्त, 2025 से कम मूल्य की वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त आयात छूट (जिसे डी मिनिमिस नियम के रूप में जाना जाता है) को समाप्त कर दिया है।

डी मिनिमिस विनियमन क्या है?

- यह एक व्यापार नियम है जो **छोटे मूल्य के आयातों को सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना किसी देश में ले जाने की अनुमति देता है।**
- **1930 के प्रशुल्क अधिनियम की धारा 321** के तहत स्थापित।
- **1990 के दशक** में, इसे छोटे शिपमेंट की लागत में कटौती करने के लिए **व्यापार सुविधा उपाय के रूप में पुनः तैयार किया गया।**
- **अमेरिका में यह किस प्रकार काम करता है:**
  - **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 800 डॉलर तक** मूल्य की कोई भी आयातित वस्तु **शुल्क मुक्त** प्रवेश कर सकती है।
  - इससे उपभोक्ताओं के लिए विदेशों से ऑनलाइन सस्ता सामान खरीदना आसान हो गया।
- डी मिनिमस के अंतर्गत न्यूनतम आयात **2015 में 134 मिलियन से बढ़कर 2024 में 1.36 बिलियन हो गया।**
  - **प्रतिदिन** लगभग 4 मिलियन पार्सल का शुल्क मुक्त प्रसंस्करण किया गया।

अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट

सन्दर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की।

अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट क्या है?

- **प्रकाशक:** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)।
- **प्रकृति:** यह एक **आंतरिक मूल्यांकन है**, न कि आरबीआई का आधिकारिक नीति वक्तव्य।
- **उद्देश्य:**
  - **भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा** प्रदान करना।
  - **मुद्रास्फीति, विकास, व्यापार, वित्तीय बाजारों और ऋण स्थितियों में रुझानों को** उजागर करना।
  - नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और जनता को विकसित हो रही **व्यापक आर्थिक स्थिति को समझने में सहायता प्रदान करना।**

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण**
  - 2025 में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति **4% से काफी नीचे रहने की उम्मीद है।**
  - खाद्य कीमतों पर कम दबाव और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण **वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में और गिरावट आने** की संभावना है।
  - मुद्रास्फीति **बढ़ सकती है,** लेकिन पूरे वर्ष का औसत 4% के लक्ष्य से नीचे रहेगा।
  - **जुलाई 2025** में सीपीआई मुद्रास्फीति 1.6% रही, जो **जून 2025 में 2.1% थी।**
- **खाद्य कीमतें**
  - **अनाज:** कीमतों में वृद्धि दिख रही है।
  - **दालें:** मिश्रित रुख कीमतों में बढ़ोतरी।
  - **खाद्य तेल:** सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन गुलाब; ताड़ का तेल की कीमतें स्थिर हैं।
  - **सब्जियां:** टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं; आलू और प्याज की कीमतें स्थिर हैं।
- **ईंधन की कीमतें**
  - **पेट्रोल और डीजल:** अगस्त में खुदरा कीमतें अपरिवर्तित रहीं।
  - **केरोसीन:** कीमतें बढ़ीं।
  - **एलपीजी:** कीमतें अपरिवर्तित।
- **विकास दृष्टिकोण**
  - **अनुकूल मानसून की स्थिति** खरीफ उत्पादन को समर्थन देती है।
  - **वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में** वृद्धि से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में ग्रामीण मांग मजबूत हो सकती है।

- – **भारत-अमेरिका व्यापार नीति अनिश्चितताओं** से जोखिम बना हुआ है।
- **उद्योग और सेवाएँ**
  - – जुलाई 2025 के लिए **पीएमआई (क्रय प्रबंधक सूचकांक) ने दर्शाया:**
    - » विनिर्माण और सेवा दोनों में उच्च इनपुट मूल्य विस्तार।
    - » दोनों क्षेत्रों के लिए बिक्री मूल्य में भी वृद्धि हुई।
- **ऋण वृद्धि और वित्तपोषण**
  - – जून 2025 में बैंक ऋण वृद्धि में सुधार हुआ, जिसका नेतृत्व **MSME ऋण ने किया।**
  - – वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का समग्र प्रवाह बढ़ा।
  - – बड़े निगमों ने वित्तपोषण के लिए तेजी से **बाजार साधनों** (वाणिज्यिक पत्र, कॉर्पोरेट बांड) की ओर रुख किया।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC)

सन्दर्भ

भारत के राष्ट्रपति ने इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद **(EEPC)** के प्लेटिनम जयंती समारोह में भाग लिया।

EEPC के बारे में

- यह एक गैर-लाभकारी, गैर-वाणिज्यिक संगठन है जो भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देता है। **(यह कोई वैधानिक निकाय नहीं है)**
- इसकी स्थापना **1955 में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन की गई थी।**
- यह भारत की सबसे बड़ी निर्यात संवर्धन परिषद है।
- यह MSMEs को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप अपना मानक बढ़ाने में मदद करती है तथा उन्हें अपने व्यवसाय को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

संबंधित तथ्य

- भारत का अभियांत्रिकी निर्यात बढ़कर **116.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2024-मार्च 2025) हो गया।**

आरबीआई ने अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों में अपना स्वामित्व कम किया

सन्दर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने **अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की अपना स्वामित्व जून 2024 में 242 बिलियन डॉलर से घटाकर जून 2025 में लगभग 227 बिलियन डॉलर कर दिया है।**

ट्रेजरी बिल (टी-बिल) क्या होते हैं?

- ट्रेजरी बिल **अल्पकालिक ऋण साधन होते हैं, जो** सरकार द्वारा अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाने हेतु जारी किए जाते हैं।
- **परिपक्वता अवधि** हमेशा **1 वर्ष से कम होती है।**
  - – भारत में जारी किए जाने वाले टी-बिल के प्रकार: 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन।
- टी-बिल अंकित मूल्य पर **छूट पर जारी किए जाते हैं तथा** परिपक्वता पर **सममूल्य/अंकित मूल्य** पर भुनाए जाते हैं।
  - – अंतर = **निवेशक का प्रतिफल (निहित ब्याज)।**
  - – वे **कूपन/ब्याज भुगतान नहीं करते हैं।**

केंद्रीय बैंक और सॉवरेन वेल्थ फंड अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश क्यों करते हैं?

- **सुरक्षा** → नगण्य डिफॉल्ट जोखिम; अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित।
- **तरलता** → विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बांड बाजार (~26 ट्रिलियन डॉलर का बाजार)।
- **आरक्षित मुद्रा की भूमिका** → वैश्विक भंडार का ~60% अमरीकी डॉलर में रखा जाता है (आईएमएफ, 2024)।
- **संकट बफर** → भुगतान संतुलन या मुद्रा स्थिरीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे तुरंत समाप्त किया जा सकता है।
- **बेंचमार्क भूमिका** → अमेरिकी ट्रेजरी वैश्विक वित्त के लिए जोखिम मुक्त दर के रूप में कार्य करती है।
- **अमेरिकी ट्रेजरी में प्रमुख निवेशक: (1) जापान:** $1,147 बिलियन (सबसे बड़ा धारक), (2) यूके (3) चीन।
  - – **भारत:** 227 बिलियन डॉलर (10वां सबसे बड़ा).

क्या अमेरिका आरबीआई द्वारा धारित ट्रेजरी प्रतिभूतियों तक पहुंच को फ्रीज या प्रतिबंधित कर सकता है ?

- **अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के पास** प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में अमेरिकी वित्तीय परिसंपत्तियों से जुड़े **लेनदेन को अवरुद्ध करने, स्थिर करने या प्रतिबंधित करने** की शक्ति है।
- यदि अमेरिकी सरकार निर्णय लेती है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक की इन प्रतिभूतियों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती है (जैसे, बिक्री पर रोक लगाना, कूपन भुगतान को रोकना, या लेनदेन को रोकना)।
- **उदाहरण: रूस (2022)** – यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, अमेरिका और सहयोगियों ने विदेशों में रखे रूस के ~300 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार (अमेरिकी राजकोष सहित) को फ्रीज कर दिया।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

- **कुल रिजर्व:** 694.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
- **भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक:**

– **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA):** भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड जैसी मुद्राएँ **शामिल हैं।**
– **स्वर्ण भंडार: मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव** के रूप में कार्य करता है तथा संकट के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है।
– **विशेष आहरण अधिकार (SDRs):** 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति।
  » यह कोई मुद्रा नहीं हैं, बल्कि IMF सदस्य देशों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा हैं।
– **आरक्षित अंश स्थिति (RTP):** यह यह IMF के साथ किसी देश के कोटे का वह हिस्सा है जिसे वह बिना किसी शर्त या उधार व्यवस्था के प्राप्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू हुए दो वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवधि में लगभग 30 लाख कारीगरों और शिल्पकारों को इसके अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

योजना के बारे में

- 18 चिन्हित व्यवसायों में अपने **हाथों और औजारों से काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को** समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना।
- **पात्रता: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु** होनी चाहिए,
  – 18 व्यवसायों (जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, टोकरी निर्माता, आदि) में से किसी एक में **स्व-नियोजित कारीगर/शिल्पकार** होना चाहिए।
  – **सरकारी कर्मचारी** या उसके परिवार का सदस्य नहीं हो सकता।
  – पिछले 5 वर्षों में PMEGP, MUDRA, या PM SVANidhi के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए (जब तक कि पूरी तरह से चुकाया न गया हो)।
  – **प्रति परिवार** केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है।
- **लाभ: मान्यता** → पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण/ऋण सहायता, डिजिटल सशक्तिकरण और बाजार सहायता (जैसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग)
- **कार्यान्वयन:**
  – **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC):** नीति एवं निर्णय (MSME मंत्रालय की अध्यक्षता में)।
  – **राज्य निगरानी समिति (SMC):** राज्य स्तरीय कार्यान्वयन।
  – **जिला कार्यान्वयन समिति (DIC):** क्षेत्र-स्तरीय रोल-आउट।
  – **ऋण निरीक्षण समिति:** ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करती है।
  – **शामिल मंत्रालय:** MSME, कौशल विकास, वित्तीय सेवाएं।

एकीकृत पेंशन प्रणाली

सन्दर्भ

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर, 2025 तक का समय है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में

- **अगस्त 2024** में घोषित, **1 अप्रैल 2025** से प्रभावी।
- यह योजना उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, जो **1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आये** (जो NPS के अंतर्गत थे)।
- **इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं:**
  – सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% का सुनिश्चित भुगतान (25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)।
  – यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का 60% तक मिलता है।
- **योगदान:**
  – **कर्मचारी:** मूल वेतन का 10% + महंगाई भत्ता (DA)
  – **नियोक्ता (सरकारी):** मूल वेतन का 10% + DA
- NPS के विपरीत इसमें सुनिश्चित पेंशन सुविधा है।

- **महंगाई भत्ता:** यह भारत में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला **जीवन-यापन लागत समायोजन भत्ता है।**

NPS और UPS के बीच अंतर

विशेषता	NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)	UPS (एकीकृत पेंशन योजना)
प्रकृति	1 जनवरी 2004 से कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य	वैकल्पिक (कर्मचारी चुन सकते हैं)
योगदान	10% कर्मचारी + 14% सरकार मूल वेतन + DA	10% कर्मचारी + 10% सरकार मूल वेतन + DA
भुगतान	संचित कोष के आधार पर (कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं)	सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की सेवा के बाद पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%

विशेषता	NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)	UPS (एकीकृत पेंशन योजना)
सुनिश्चित लाभ	कोई सुनिश्चित भुगतान नहीं	हाँ, आश्वस्त
मृत्यु लाभ	संचित कोष पर निर्भर करता है	जीवनसाथी को पेंशन का 60% तक मिलता है
लचीलापन	केवल कॉर्पस-आधारित वार्षिकी	अधिक लचीलापन, गारंटीकृत भुगतान
OPS से संबद्धता	NPS ने OPS का स्थान लिया	UPS को OPS और NPS के बीच एक मध्य मार्ग के रूप में देखा जाता है

भारत-अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौता ज्ञापन

सन्दर्भ

केंद्र सरकार ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण **(IRCO)** को उन्नत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन **(ILO)** के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता ज्ञापन का महत्व (भारत- ILO)

- **भारतीय श्रमिकों की वैश्विक रोजगार क्षमता:** भारत के व्यावसायिक और कौशल वर्गीकरण को **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है।**
  - **योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को** सुगम बनाता है → भारतीय श्रमिकों को विदेशों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।
- **वैश्विक स्तर पर कौशल की कमी की समस्या को दूर करना:** विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्ध होती आबादी और डिजिटल परिवर्तन → भारत इन कमियों को दूर के लिए अपने विशाल युवा कार्यबल को तैनात कर सकता है।
- **प्रवासन मार्गों का समर्थन करता है: कौशल-आधारित प्रवासन मार्गों को** बढ़ावा देने के लिए जी20 प्रतिबद्धता (2023) के साथ संबंध।
- **घरेलू स्तर पर कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा:** प्रधानमंत्री **विकसित भारत रोजगार योजना** जैसी सरकारी योजनाओं का समर्थन, 2 वर्षों में 35 मिलियन औपचारिक नौकरियों का लक्ष्य।

ILO के बारे में

- **स्थापना:** 11 अप्रैल, 1919 को वर्साय की संधि द्वारा।
- **सदस्य:** 187 सदस्य देश (186 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश + कुक द्वीप समूह)।
  - **भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।**
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- यह संयुक्त राष्ट्र की एक **विशेष एजेंसी है।**
- यह संयुक्त राष्ट्र की **एकमात्र त्रिपक्षीय** एजेंसी है। यह 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- **नोबेल शांति पुरस्कार:** श्रमिकों के लिए शांति और न्याय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए **1969 में प्रदान किया गया।**
- **रिपोर्ट:**
  - विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य (WESO)
  - वैश्विक वेतन रिपोर्ट
  - विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025

सन्दर्भ

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025 जारी किया।**

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025 – मुख्य विशेषताएं

वैश्विक रुझान

- **अनुसंधान एवं विकास वृद्धि में गिरावट:** 2024 में **यह घटकर 2.9% हो** गई तथा 2025 में **इसके और गिरकर 2.3% हो जाने का अनुमान है**, जो 2010 के वित्तीय संकट के बाद सबसे कम है।
- **तकनीकी बदलाव:** मंदी के बावजूद, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचार समूहों में तेजी से प्रगति वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है।

शीर्ष वैश्विक प्रदर्शनकर्ता (2025)

- **#1 स्विट्जरलैंड** – शीर्ष स्थान बरकरार।
- **#2 स्वीडन**
- **#3 संयुक्त राज्य अमेरिका** – उच्च तकनीक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में मजबूत।
- **#4 कोरिया गणराज्य**
- **#5 सिंगापुर** – एशिया-प्रशांत नवाचार में अग्रणी।
- **चीन (#10): शीर्ष 10 में** प्रवेश, **अनुसंधान एवं विकास व्यय में विश्व स्तर पर #2 स्थान पर** तथा **पेटेंट आवेदन दाखिल करने में विश्व में अग्रणी।**

भारत का प्रदर्शन

- **समग्र रैंक: #38** (2020 में #48 से ऊपर)।
- **क्षेत्रीय रूप से अग्रणी: मध्य एवं दक्षिणी एशिया में #1**
- **आय समूह रूप से अग्रणी: निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में #1 स्थान पर है।**

- **मजबूत बिंदु:**
  - **ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट:** #22
  - **बाजार परिष्कार:** #38
- **कमजोरियां:**
  - **व्यावसायिक परिष्कार:** #64
  - **बुनियादी ढांचा:** #61
  - **संस्थान:** #58

औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0

सन्दर्भ

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में **IPRS** 3.0 का शुभारंभ किया।

IPRS 3.0 के बारे में

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग **(DPIIT) द्वारा एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से विकसित।**
- **पृष्ठभूमि:**
  - **पायलट चरण:** 2018
  - **IPRS 2.0:** 2021
  - **IPRS 3.0:** नए फोकस क्षेत्रों के साथ एक **विस्तारित ढांचा प्रस्तुत करता है।**
- **IPRS 3.0 में नए पैरामीटर:**
  - संधारणीयता और हरित बुनियादी ढाँचा
  - रसद कनेक्टिविटी
  - डिजिटलीकरण
  - कौशल संबंध
  - प्रयोगकर्ताओं की बेहतर प्रतिक्रिया
- औद्योगिक पार्कों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:
  - अग्रणी
  - चुनौती देने वाले
  - महत्वाकांक्षी
- **उद्देश्य एवं लक्ष्य:** सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर भारत के औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन, **बेंचमार्क और वर्गीकरण करना।**
  - हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को **विश्वसनीय और पारदर्शी डेटा** उपलब्ध कराना।
  - **सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रोत्साहित करना** और **विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे** के निर्माण का समर्थन करना।
  - **मेक इन इंडिया कार्यक्रम को** मजबूत करना और **भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।**

लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) 2.0

सन्दर्भ

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दशक भर चलने वाले समारोह के अवसर पर **LDB** 2.0 का शुभारंभ किया।

LDB 2.0 के बारे में

- **विकसितकर्ता:** NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज **(NLDSL)**।
- **उद्देश्य एवं लक्ष्य:**
  - भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली की **वास्तविक समय ट्रैकिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन** प्रदान करना।
  - आपूर्ति श्रृंखलाओं में **नियोजन, दक्षता और लागत में कमी लाना।**
  - उद्योग और सरकार के लिए एक **डिजिटल उपकरण के रूप में** कार्य करना:
    - » प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार
    - » आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करना
    - » भारतीय लॉजिस्टिक्स को अधिक **कुशल और व्यापार-अनुकूल बनाना।**
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **उच्च समुद्री कंटेनर ट्रैकिंग: निर्यातकों को भारतीय बंदरगाहों से निकलने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में** कंटेनरों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।
    - » वैश्विक समन्वय में सुधार होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
  - **बहु-मॉडल दृश्यता: सड़क, रेल और समुद्री परिवहन** को शामिल करता है।
    - » **कंटेनर, ट्रक, ट्रेलर नंबर और रेलवे FNRs का** उपयोग करके ट्रैकिंग सक्षम की जाति है।
    - » **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) APIs** के साथ एकीकृत।
  - **लाइव कंटेनर हीटमैप:** पूरे भारत में कंटेनर वितरण का **अवस्थिति-आधारित दृश्य** प्रदान करता है।
    - » हितधारकों और नीति निर्माताओं को वास्तविक समय में **असंतुलन और संभावित बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है।**

नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (HSN) कोड

सन्दर्भ

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा तैयार नामकरण की समंजस्यपूर्ण प्रणाली **(HSN)** कोड के मानचित्रण पर गाइडबुक जारी की।

समाचार में और अधिक जानकारी

- गाइडबुक में विभिन्न मंत्रालयों के **12,000 से अधिक HSN कोड अंकित हैं।**
- कुल **31 मंत्रालयों को** विशिष्ट **HSN** कोड के साथ जोड़ा गया है।

HSN कोड के बारे में

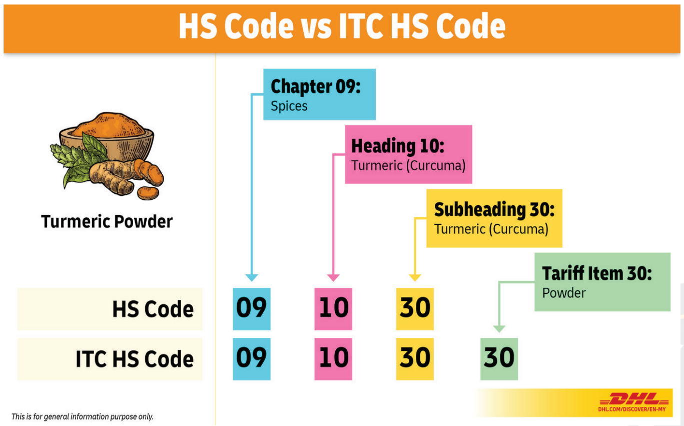

- यह विश्व स्तर पर मानकीकृत, **छह अंकों वाली संख्यात्मक प्रणाली है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)** द्वारा 1988 में **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के वर्गीकरण** के लिए बनाया गया था।
- आधार HS कोड 6 **अंकों** का होता है:
  - पहले 2 अंक → **अध्याय**
  - अगले 2 अंक → **शीर्षक**
  - अंतिम 2 अंक → **उप-शीर्षक**
- भारत 1971 से WCO का सदस्य है, तथा प्रारंभ में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए 6 अंकों वाले HSN कोड का उपयोग करता था।
  - इसके बाद, उन्होंने आयात, निर्यात और कराधान के लिए माल वर्गीकरण में अधिक सटीकता लाने के लिए HSN कोड में 2 और अंक (प्रशुल्क मद) जोड़ दिए।

तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD) योजना

सन्दर्भ

केंद्र सरकार की प्रसाद **(PRASHAD)** योजना के तहत **त्रिपुरा के सुंदरी मंदिर** का व्यापक रूप से पुनर्विकास किया जा रहा है।

समाचारों में और अधिक जानकारी

- सुंदरी मंदिर विकास का एक प्रमुख आकर्षण **मंदिर के निकट 51 शक्तिपीठ पार्क** का निर्माण है, जिसमें **सभी 51 पवित्र स्थलों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी।**

प्रसाद (PRASHAD) योजना के बारे में

- **पर्यटन मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया (2014-15)।
- एक **केन्द्रीय क्षेत्र योजना** (केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित)।
- **उद्देश्य:** महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक तीर्थ स्थलों का **पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन।**
  - स्थानीय समुदायों के लिए **पर्यटन से जुड़ी आजीविका** का सृजन।
- विकास कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सहायता, जैसे:
  - » बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुधार,
  - » तीर्थयात्री सुविधाएं,
  - » विरासत संरक्षण,
  - » सुविधाएं जो समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाती हैं।
- **परियोजना का चयन इस आधार पर किया जाएगा:**
  - सांस्कृतिक महत्व,
  - पर्यटकों की भीड़,
  - विकास क्षमता,
  - राज्यों में संतुलित प्रतिनिधित्व।

प्रसाद (PRASHAD) योजना के शुरू होने के बाद से देश भर में इसका दायरा लगातार बढ़ा है। अगस्त 2025 तक, कम से कम 54 परियोजनाओं को 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंजूरी दी जा चुकी है, जिनके लिए 1,168 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

चांदी की हॉलमार्किंग

सन्दर्भ

सरकार ने चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक रूप से हॉलमार्किंग की शुरुआत की है।

चांदी की हॉलमार्किंग के बारे में

- हॉलमार्किंग **वस्तुओं/आभूषणों में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है।**
- यह उपभोक्ताओं के लिए शुद्धता और उत्कृष्टता की गारंटी के रूप में कार्य करता है। भारत में, चांदी की हॉलमार्किंग का नियमन **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा किया जाता है।**

- **सिल्वर हॉलमार्क के घटक:**
  - सिल्वर शब्द के साथ **BIS** लोगो,
  - उत्कृष्टता ग्रेड, और
  - एक अद्वितीय छह अंकीय HUID.

नोट: हाल के नियम में जौहरी और परख केंद्र के लोगो की पूर्व आवश्यकता को हटा दिया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में

- **भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986** के तहत स्थापित, जिसे बाद **में BIS अधिनियम, 2016** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
- **मुख्यालय, नई दिल्ली** में है।
- **महत्वपूर्ण कार्य:**
  - विभिन्न क्षेत्रों (इंजीनियरिंग, रसायन, खाद्य, उपभोक्ता वस्तुएं, आदि) में भारतीय मानक तैयार करता है।
  - **ISI मार्क** योजना (उत्पाद गुणवत्ता चिह्न) का संचालन करता है।
  - सोने और चांदी के आभूषणों के लिए **हॉलमार्किंग योजना** संचालित करता है।
  - पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए **ECO मार्क** चलाता है।

BIS अधिनियम, 2016

- मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के दायरे को व्यापक बनाया गया।
- जनहित में **उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए मानक अनिवार्य करने** का अधिकार **BIS** को दिया गया।
- बहुमूल्य धातुओं के लिए **अनिवार्य हॉलमार्किंग** लागू की गई।
- **BIS** चिह्नों के दुरुपयोग के लिए दंड को और कठोर किया गया।

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT)

समाचार: अमेरिका स्थित उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप ने बाजार में हेरफेर के एक मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण **(SAT)** का दरवाजा खटखटाया है।

SAT के बारे में

- **सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15K** के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- यह निम्नलिखित द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है:
  - सेबी
  - सेबी अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी
  - PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण)
  - कुछ मामलों में IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)।
- **सदस्य:** पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य।
- इसमें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां निहित हैं।
- इसके अलावा, इसके आदेशों के विरुद्ध **केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है** (60 दिनों के भीतर)।

मुख्य परीक्षा के लिए विषय (कृषि)

कपास पर आयात शुल्क का निलंबन

सिलेबस मैपिंग: कृषि: प्रमुख फसलें- देश के विभिन्न भागों में शस्य प्रतिरूप

सन्दर्भ

सरकार ने घरेलू उत्पादन में गिरावट और वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की बढ़ती लागत को कम करने के लिए 2024-25 में कपास पर आयात शुल्क निलंबित कर दिया है।

कपास के बारे में

- कपास एक **खरीफ फसल है।** इसे मुख्य रूप से इसके **रेशे** (कपड़ों में प्रयुक्त) और **बीज** (तेल और चारे के लिए प्रयुक्त) के लिए उगाया जाता है।
- किसानों और वस्त्र उद्योग के लिए इसके आर्थिक महत्व के कारण इसे **''श्वेत स्वर्ण'' भी कहा जाता है।**

- भारत विश्व स्तर पर कपास का **सबसे बड़ा उत्पादक है**, कुल वैश्विक कपास उत्पादन में इसका योगदान **23% है।**
- **कपास की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ**
  - समान रूप से उच्च तापमान (21°C से 30°C) के साथ गर्म, शुष्क जलवायु
  - **200 दिनों** की पाला-मुक्त अवधि
  - मध्यम वर्षा **(50-100 सेमी).**
- **भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य:**(1) गुजरात (2) महाराष्ट्र (3) तेलंगाना

वर्तमान स्थिति (2024-25)

- **उत्पादन में गिरावट: 294 लाख गांठ** (15 वर्षों में सबसे कम) बनाम मांग 318 लाख गांठ।
- **आयात में वृद्धि:**
  - 40 लाख गांठ का अनुमान (अब तक का सर्वाधिक)।
  - आयात मूल्य: **1.20 बिलियन डॉलर** (पिछले वर्ष से 107% वृद्धि)।
  - प्रमुख आपूर्तिकर्ता: **ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, मिस्र।**

शुल्क हटाने के प्रभाव

- **उद्योग एवं निर्यातकों के लिए (सकारात्मक)**
  - **आयातित कपास सस्ती** हो जाएगी → कच्चे माल की लागत में कमी आएगी।
  - **वस्त्र निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ** मिलेगा।
  - **कच्चे माल की कमी के समय यह नीति लाभकारी** सिद्ध होगी।
- **किसानों के लिए (नकारात्मक)**
  - शुल्क हटाने से **कपास की खेती हतोत्साहित हो सकती है।**
  - सस्ते आयात के कारण किसानों को **घरेलू कीमतें कम होने का** डर

भारत में कपास उत्पादन में गिरावट क्यों आ रही है?

- **गुलाबी बॉलवर्म (PBW)**
  - **पीबीडब्ल्यू एक कीट है** जिसके लार्वा कपास के गोलक (बोल्स) को नुकसान पहुँचाते हैं, बीज और लिंट (कपास फाइबर) को नष्ट कर देते हैं।
  - इसने **बीटी कपास** (भारत में प्रयुक्त जीएम किस्म) **के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है।**
- **कोई नया जीएम अनुमोदन नहीं**
  - मौजूदा बीटी कपास (cry1Ac और cry2Ab जीन) अब **अप्रभावी है।**
  - भारतीय कम्पनियों द्वारा विकसित **नये जी.एम. संकर विनियामक परीक्षणों में अटके हुए हैं।**
  - विरोध और लंबी स्वीकृति प्रक्रिया के कारण 2006 के बाद से किसी भी जीएम फसल का व्यवसायीकरण नहीं किया गया है।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित वर्षा, बेमौसम बारिश और लंबे समय तक सूखा रहने से कपास की वृद्धि प्रभावित होती है।
- **कम लाभप्रदता:** बढ़ती **निवेश लागत** (बीज, उर्वरक, कीटनाशक)।
- **एकधा सस्यन और फसल चक्र का अभाव: लगातार कपास की खेती करने से मृदा पोषक तत्त्वों की कमी और कीटों की वृद्धि होती है।**

दीर्घकालिक समाधान सुझाए गए

- **स्थिर नीतिगत ढाँचा:** किसान और उद्योग हितों में संतुलन बनाए रखने के लिए गैर-पीक सीजन **(अप्रैल-सितंबर)** के दौरान शुल्क निलंबित करना।
- **मिलों को वित्तीय सहायता:** पीक सीजन के दौरान कपास खरीदने के लिए मिलों को कार्यशील पूंजी पर 5% **ब्याज सहायता।**

 – इससे सरकार का एमएसपी संचालन पर बोझ कम होगा।

- **उत्पादकता बढ़ाना:** बेहतर बीज, आधुनिक खेती पद्धतियाँ और कीट नियंत्रण से उपज बढ़ाना।
- **विविध कपास स्रोत:** आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू स्तर पर जैविक/अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास को बढ़ावा देना।
- **बीज नवाचार:** नई पीढ़ी की GM या CRISPR तकनीक आधारित कपास को **कड़े जैव-सुरक्षा मानकों के** अंतर्गत शीघ्र स्वीकृति दी जाए तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित किया जाए।
- **विविधीकरण:** कीट चक्र और मृदा क्षरण को कम करने के लिए फसल चक्र (सोयाबीन, दालें) को प्रोत्साहित करना।
- **जल-कुशल कपास:** जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई + जैविक कपास को बढ़ावा देना।

भारत की उर्वरक पर निर्भरता

सिलेबस मैपिंग: कृषि-उर्वरक क्षेत्र

सन्दर्भ

दुनिया में **उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद**, भारत प्रमुख कच्चे माल और तैयार उत्पादों के लिए **आयात पर बहुत अधिक निर्भर है**। यह निर्भरता एक आर्थिक कमजोरी और पर्यावरणीय चिंता दोनों है।

डेटा

- वित्त वर्ष 2025 में **आयात से डीएपी की मांग का 47.5%, एमओपी का 124%, सम्मिश्र उर्वरकों का 15.2% और यूरिया का 14.6% पूरा हुआ।**
- कुल उर्वरक आयात **9.7% घटा (FY25 बनाम FY24)**, किन्तु खपत **655.94 लाख टन** के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँची, जो **बढ़ती मांग** को दर्शाती है।
- भारत अपनी यूरिया की लगभग 20%, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की 50-60%, तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) की 100% आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है।
- **प्रमुख आयात साझेदार:** चीन, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान और मिस्र।

भारत उर्वरक आयात पर अत्यधिक निर्भर क्यों है?

- **भूवैज्ञानिक बाधाएँ: भारत में फॉस्फेट रॉक और पोटाश** के महत्वपूर्ण भंडार का अभाव है।
  – **उदाहरण:** म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) की सम्पूर्ण मांग और 80% फॉस्फेटिक कच्चे माल का आयात किया जाता है।
- **यूरिया के लिए ऊर्जा निर्भरता:** यूरिया उत्पादन **फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है।**
  – **उदाहरण:** भारत **यूरिया उत्पादन के लिए अपनी गैस आवश्यकता का 77% आयात करता है** (2012-13 में 24% की तुलना में)।
- **बढ़ती घरेलू मांग: 2012-13 से** उर्वरक की खपत दोगुनी से अधिक हो गई है।
  – **उदाहरण:** वित्त वर्ष 2025-कुल बिक्री रिकॉर्ड 655.94 लाख टन(एलटी) तक पहुँच गई, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 600.79 एलटी थी (+9.2%)।
- **अपर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता:** एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद, भारत की क्षमता मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
- **सब्सिडी-संचालित मांग:** भारी सब्सिडी, विशेष रूप से यूरिया पर, **अति प्रयोग और अकुशलता को बढ़ावा देती है**, जिससे आयात की जरूरत बढ़ जाती है।

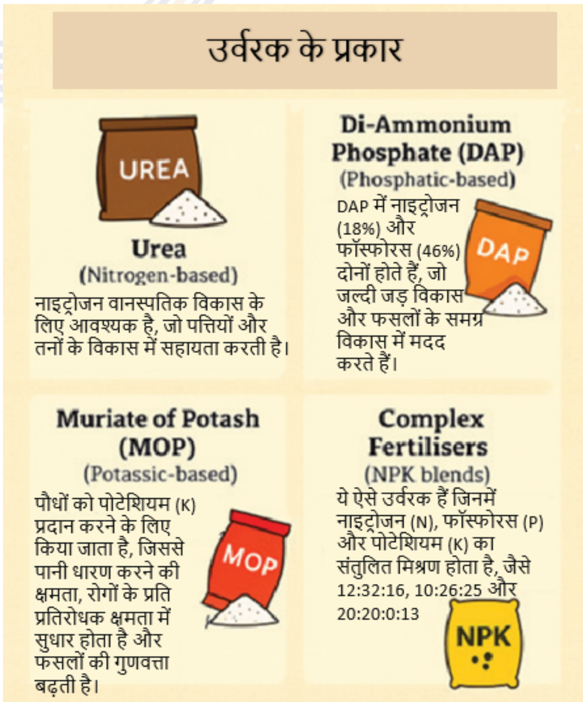

उर्वरक उत्पादन और आत्मनिर्भरता में चुनौतियाँ

संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **कच्चे माल की कमी:** पोटाश और फॉस्फेट भंडार की कमी।
- **आयात-सहबद्ध यूरिया:** अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय गैस कीमतों पर निर्भर।

- **पोषक तत्वों का अनुचित उपयोग:** भारत में किसान बहुत ज्यादा **यूरिया (नाइट्रोजन)** और बहुत कम **फॉस्फोरस (P) और पोटैशियम (K) का इस्तेमाल करते हैं।** इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का अस्वास्थ्यकर संतुलन बनता है (वर्तमान अनुपात 7:2.7:1 है, जबकि आदर्श अनुपात 4:2:1 है)।

आर्थिक चुनौतियाँ

- **बढ़ती सब्सिडी का बोझ:** उर्वरक सब्सिडी 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई, जिससे राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ गया।
  - बढ़ती उर्वरक सब्सिडी सरकार की राजकोषीय क्षमता को कम करती है, घरेलू उत्पादन को विकृत करती है, आयात पर निर्भरता बढ़ाती है और संरचनात्मक सुधारों में देरी करती है
- **मूल्य अस्थिरता:** भू-राजनीतिक तनाव (रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया) आपूर्ति को बाधित करते हैं और लागत बढ़ाते हैं।

शासन संबंधी चुनौतियाँ

- **खंडित प्रशासन:** उर्वरक एक मंत्रालय के अधीन हैं जबकि कृषि दूसरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है → **नीतिगत असंगति और प्रशासनिक अक्षमता** उत्पन्न होती है।
- **वितरण संबंधी मुद्दे:** राशनिंग, किसानों की कतारें, तथा गैर-कृषि उपयोग के लिए उपयोग।

तकनीकी चुनौतियाँ

- **संयंत्रों की कम उत्पादकता:** कई संयंत्र पुराने, ऊर्जा-गहन और वैश्विक उत्पादकों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी हैं।
- **विकल्पों को अपनाने में धीमी गति:** नैनो यूरिया में संभावनाएँ हैं (1 बोतल = 1 बोरी यूरिया), लेकिन इसे अपनाने का स्तर बढ़ाना और किसानों की स्वीकृति सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

विकल्प और छूटे हुए अवसर

- **जैविक खाद, जैव-उर्वरक और हरित अमोनिया, रासायनिक उर्वरक के उपयोग का 30%** तक प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नीतिगत प्रोत्साहन का अभाव है।
- सब्सिडी अभी भी रासायनिक उर्वरकों की ओर झुकी हुई है; जैविक विकल्प **बोए गए क्षेत्र के <8% को कवर करते हैं।**
- भारत हरित अमोनिया का उत्पादन करता है, लेकिन इसका निर्यात करता है, क्योंकि इसे अभी तक कृषि उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

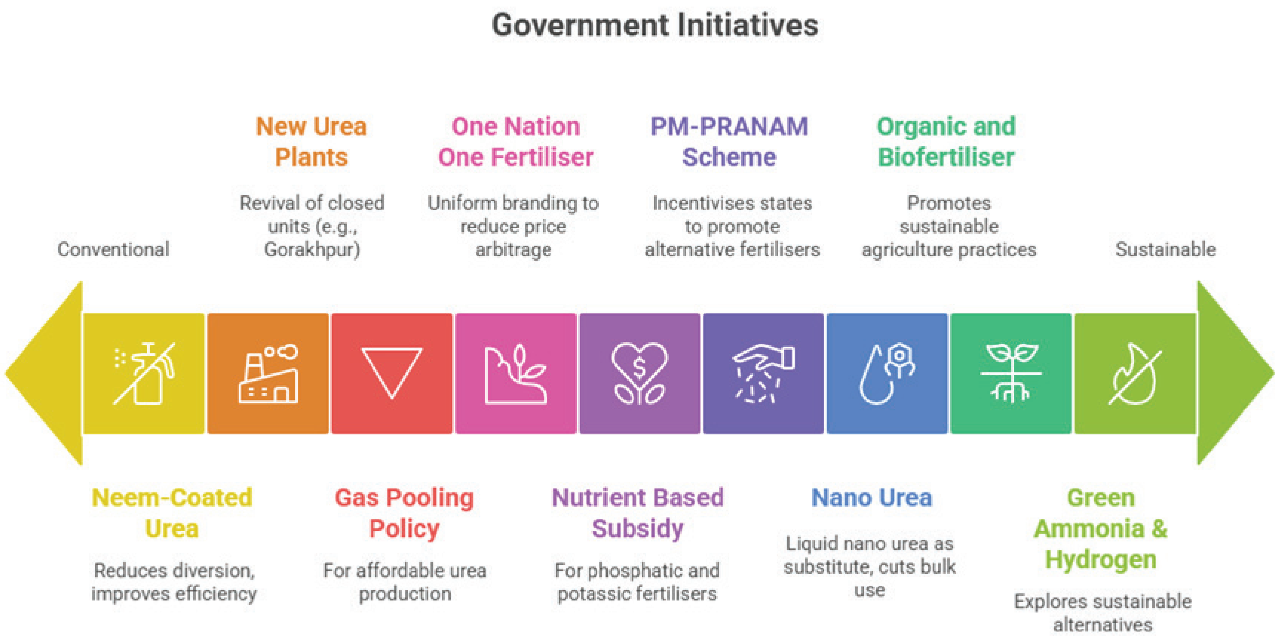

बढ़ता मृदा संकट

- **उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग:** हरित क्रांति के बाद से किसानों ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया और डी.ए.पी. (DAP) जैसे रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ा दी है।
  - पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में **मृदा क्षरण की समस्या** उत्पन्न हो गई है।
- **पोषक तत्व असंतुलन:** अत्यधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से मृदा में जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्व (जस्ता, सल्फर, बोरोन) कम हो गए हैं।
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के आंकड़ों से पता चलता है कि **40% भारतीय मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी है।**
- **घटती पैदावार:** अधिक उर्वरक उपयोग के बावजूद, **उर्वरकों की सीमांत उत्पादकता गिर रही है** (ह्रासमान प्रतिफल का नियम)।
- **मृदा अम्लीकरण एवं जल प्रदूषण:** यूरिया/डीएपी का लगातार उपयोग मृदा को अम्लीय बनाता है, सूक्ष्मजीवीय गतिविधि को कम करता है, तथा नाइट्रेट्स के साथ भूजल को प्रदूषित करता है।
- **दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा जोखिम:** यदि यह अति-उपयोग जारी रहा तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियाँ स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे **भविष्य की कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा** पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

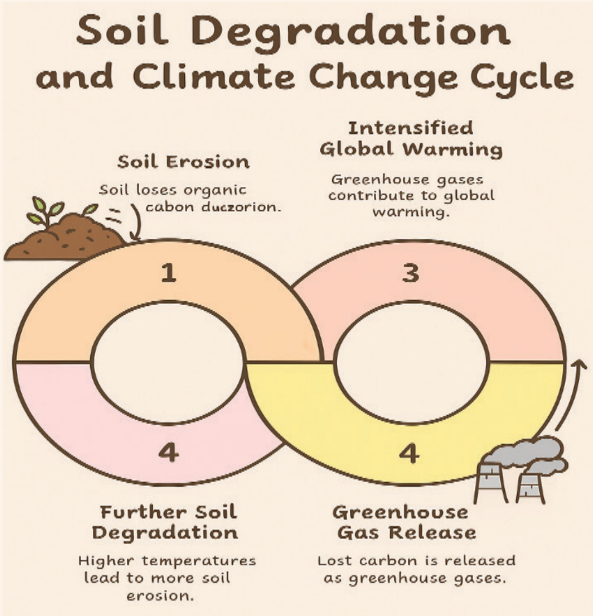

आगे की राह

- **स्रोतों में विविधता लाना और आयात को सुरक्षित करना:** कई देशों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध (उदाहरण के लिए, फॉस्फेट के लिए जॉर्डन, मोरक्को; पोटाश के लिए कनाडा, रूस)।
- **घरेलू विकल्पों को प्रोत्साहन: नैनो यूरिया, नैनो डीएपी** और **जैव उर्वरकों** का उपयोग को बढ़ावा देना।
  - **घरेलू कृषि उपयोग के लिए हरित अमोनिया को** मंजूरी दी जाए।
- **सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना:** रासायनिक और जैविक उर्वरकों के बीच सब्सिडी को संतुलित करना।
  - उत्पादकों के बजाय किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
- **पोषक असंतुलन का सुधार:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अनुकूलित उर्वरक मिश्रण को बढ़ावा देना।
- **संस्थागत सुधार: उर्वरक मंत्रालय का कृषि मंत्रालय** के साथ एकीकरण किया जाए ताकि उत्पादन, नीति और उपयोग में समन्वय स्थापित हो सके।
- **निजी क्षेत्र और नवाचार को प्रोत्साहित करना:** मूल्य निर्धारण को उदार बनाया जाए तथा निजी क्षेत्र को **जैविक, जैव-उर्वरक और नई तकनीकों** में निवेश की अनुमति दी जाए।

दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

सिलेबस मैपिंग: कृषि-भारत में खाद्य सुरक्षा और भारत में प्रमुख शस्य प्रतिरूप

सन्दर्भ

नीति आयोग ने हाल ही में **''आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियाँ और मार्ग '' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।** यह रिपोर्ट उत्पादकता अंतराल को दूर करने, आयात निर्भरता को कम करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करके दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

भारत में दालों का उत्पादन

- **वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भ**
  - भारत विश्व में **दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और कृषक है।**

- यह **वैश्विक क्षेत्रफल का 38%** तथा दालों के **वैश्विक उत्पादन का 28% योगदान देता है।**
- वैश्विक उत्पादकता (2022): **0.989 टन/हेक्टेयर**, जबकि भारत का औसत (2018-22) **0.740 टन/हेक्टेयर है**, जो उत्पादकता अंतर दर्शाता है।

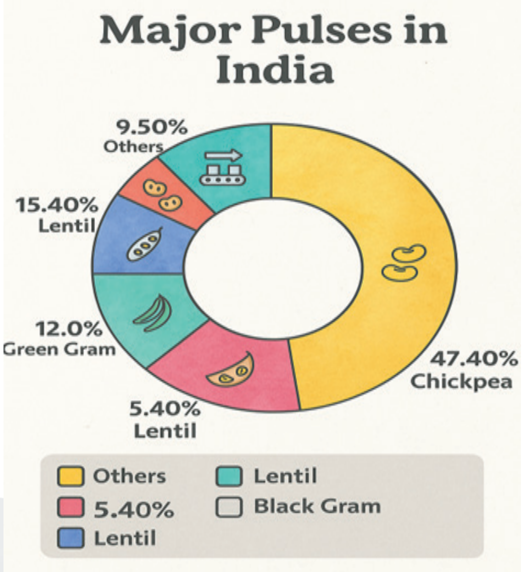

- **मौसमी योगदान:**
  - **रबी दलहन: 53% क्षेत्र** से **67% उत्पादन का** योगदान।
    - » **रबी दालों में** चना का हिस्सा लगभग 70% है।
  - **खरीफ दलहन: 47% क्षेत्र को** समाविष्ट करते हैं लेकिन उत्पादन में केवल **33% का योगदान करते हैं।**
- **राज्यवार उत्पादन:**
  - **शीर्ष तीन राज्य:** ये तीनों राज्य मिलकर उत्पादन में लगभग 55% का योगदान करते हैं।
    - » **मध्य प्रदेश** - उत्पादन का 22.1%, क्षेत्रफल का 18.7%।
    - » **महाराष्ट्र** - उत्पादन का 16.5%, क्षेत्रफल का 15.7%।
    - » **राजस्थान** - उत्पादन का 16.3%, क्षेत्रफल का 20.9% (सबसे बड़ा क्षेत्र)।
  - अन्य प्रमुख राज्य: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु।
  - **उच्चतम उत्पादकता:** गुजरात (1.333 टन/हेक्टेयर)।
  - **सबसे कम उत्पादकता:** कर्नाटक (0.623 टन/हेक्टेयर)।

भारत को दलहनों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों है

- **पोषण सुरक्षा:** दलहन प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रति व्यक्ति दलहन की उपलब्धता भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) एवं राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) द्वारा निर्धारित आहार संबंधी दिशानिर्देशों से काफी कम है।
- **खाद्य संप्रभुता:** आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारत को वैश्विक मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है। 2023-24 में, **आयात में 90% की वृद्धि से** घरेलू मूल्य में उछाल आएगा।
- **मृदा स्वास्थ्य एवं संपोषणीयता:** दालें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, मृदा उर्वरता में सुधार करती हैं, तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती हैं।
- **ग्रामीण आजीविका:** लगभग 30 मिलियन भारतीय किसान दालें उगाते हैं; स्थिर कीमतें ग्रामीण आय में सुधार करती हैं।
- **जलवायु समुत्थानशीलता:** दालों को कम पानी की आवश्यकता होती है और वे तनाव को सहन कर सकती हैं, जिससे वे वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं

भारत में दलहन उत्पादन की चुनौतियाँ

- **कम उत्पादकता: राष्ट्रीय औसत उपज (0.851 टन/हेक्टेयर) कनाडा (1.9 टन/हेक्टेयर)** जैसे वैश्विक अग्रणी देशों से काफी नीचे है।
  - **राज्य-स्तरीय उपज में व्यापक अंतर:** गुजरात में 1.33 टन/हेक्टेयर बनाम कर्नाटक में 0.62 टन/ हेक्टेयर।
- प्रौद्योगिकीगत सीमाएँ: चावल और गेहूँ के विपरीत, दालों को हरित क्रांति से व्यापक सफलता नहीं मिली है। मशीनीकरण भी सीमित है क्योंकि अधिकांश दालें छोटी और खंडित जोतों में उगाई जाती हैं।
- **पर्यावरणीय संवेदनशीलता:** 80% दालें वर्षा पर आधारित होती हैं, जिससे वे सूखे, बाढ़ और जलवायु संबंधी व्यवधानों (एल नीनो, हीट वेव, बेमौसम बारिश) के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- **जैविक प्रतिबल:** कई किसानों के पास किफायती कीट प्रबंधन समाधानों तक पहुँच नहीं है, और जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों की बढ़ती घटनाओं के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।
  - फली छेदक, एफिड्स, थ्रिप्स, पॉड फ्लाई जैसे प्रमुख कीट तथा विल्ट, येलो मोजेक वायरस और स्टेरिलिटी मोजेक जैसे रोग फसल को काफी नुकसान पहुँचाते हैं।
- **अजैविक तनाव:** दलहन फसलें उच्च तापमान, सूखा, पाला, लवणता, क्षारीयता और जलभराव जैसी चरम स्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।

- **सीमांत एवं निम्नीकृत भूमि पर खेती:** अनाज की खेती उपजाऊ, सिंचित भूमि पर की जाती है, जबकि दालों की खेती प्रायः सीमित सिंचाई सुविधाओं वाली कम उर्वरता वाली मिट्टी पर की जाती है।
- **मूल्य अस्थिरता एवं बाजार अनिश्चितता:** मौसमी कमी, आयात में बढ़ोतरी और सट्टा जमाखोरी के कारण दालों की कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव होता है। जब कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं, तो किसानों को अक्सर संकटग्रस्त बिक्री का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चावल और गेहूँ की तुलना में खरीद का दायरा बहुत सीमित होता है।
- **कमजोर विपणन और खरीद:** सीमित एमएसपी खरीद और स्थानीय मंडियों की कमी के कारण किसान व्यापारियों पर निर्भर हैं।
- **फसलोत्तर हानि:** लगभग **5-7% हानि** गिरने, खराब हैंडलिंग, कीट क्षति और भंडारण की कमी के कारण होती है।
- **उपभोग-उत्पादन अंतर:** देश में **मांग घरेलू उत्पादन से अधिक** है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 4-5 **मिलियन टन** दलहन का भारी **आयात** करना पड़ता है।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन (NFSM-दलहन, 2007 से आगे):** विस्तारित क्षेत्र, उत्पादकता, बीज केंद्र, क्लस्टर प्रदर्शन; उत्पादन में 20% से अधिक की वृद्धि।
- **चावल परती क्षेत्रों (TRFA) को लक्षित करना:** 10 राज्यों के परती खेतों में मसूर और मूँग की खेती को प्रोत्साहन; इससे 2.85 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना है।
- **आत्मनिर्भरता मिशन (बजट 2025-26):** छह साल की योजना जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा → जलवायु-अनुकूल बीज, भंडारण, खरीद सहायता।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और ऋषि विज्ञान केंद्र (KVK):** देशभर में 150 से अधिक बीज केंद्र, प्रदर्शन परियोजनाएँ तथा किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

आगे की राह - आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की रणनीतियाँ

- **क्षेत्र प्रतिधारण और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना: चावल के लिए परती भूमि** का उपयोग करना: 10 राज्यों में एक-तिहाई परती भूमि का उपयोग करने से प्रतिवर्ष **2.85 मीट्रिक** टन दालों की पैदावार बढ़ सकती है। अनाज और तिलहन के साथ अंतर-फसल को बढ़ावा देना।
- **उन्नत बीज और अनुरेखण:**
  - उपचार किटों के साथ गुणवत्तायुक्त बीजों का बड़े पैमाने पर वितरण।
  - FPOs के माध्यम से **बीज गांवों** और **ब्लॉक स्तरीय बीज केंद्रों को** बढ़ावा देना।
- **FPOs और मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना**
  - मध्यस्थों पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूत किसान उत्पादक संगठन बनाना।
  - बेहतर कीमतों के लिए **प्रत्यक्ष उपभोक्ता (D2C) मॉडल को** बढ़ावा देना।
  - स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना - उप-उत्पादों (भूसी, चोकर) का उपयोग मवेशियों के चारे के लिए करना।
- **क्रय प्रणाली एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुदृढ़ीकरण: पीएम-आशा योजना के तहत घर-घर खरीद केंद्र** स्थापित करना और एमएसपी संचालन में सुधार करना।
- **सार्वजनिक पोषण योजनाओं में समावेशन: पीडीएस, मध्याह्न भोजन योजना, आईसीडीएस, पोषण अभियान** में दालों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। इससे पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सुनिश्चित मांग पैदा होगी।
- **मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाना: दालों के लिए बहु-फसल हार्वेस्टर** और थ्रेशर को बढ़ावा देना और श्रम लागत को कम करने के लिए **मशीन से कटाई योग्य किस्मों का विकास करना।**
- **ग्रीष्मकालीन दलहनों को बढ़ावा देना:** लघु अवधि, शीघ्र पकने वाली किस्मों के साथ ग्रीष्मकालीन फसल का विस्तार करना तथा कुशल जल उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना।
- **अनुसंधान एवं विकास:** जलवायु-अनुकूल और पोषक तत्वों से भरपूर (बायोफोर्टिफाइड) दालों का विकास करना और तेजी से फसल सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों (CRISPR, आणविक मार्कर) का पता लगाना।
- **जलवायु प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:**
  - मौसम पूर्वानुमान, AI-आधारित सलाह और मोबाइल अलर्ट को मजबूत करना।

– जलवायु-अनुकूल प्रथाओं (मल्चिंग, शून्य-जुताई, सूखा-सहिष्णु बीज) को बढ़ावा देना।

- **वित्तीय एवं नीतिगत सहायता:** उर्वरकों, जैव-उर्वरकों और गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए सब्सिडी। **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना (प्रति वर्ष ₹8811 करोड़ मूल्य का नाइट्रोजन स्थिरीकरण)।**

फोर क्वाडरेंट रणनीति

यह दलहन उत्पादन में वृद्धि को गति देने के लिए एक जिला-वार क्लस्टर दृष्टिकोण है। यह दो मानदंडों - खेती का क्षेत्रफल और दलहन फसलों की उपज के स्तर - के आधार पर जिलों को चार क्लस्टरों में वर्गीकृत करता है:

- **अधिक क्षेत्र-उच्च उपज (High Area - High Yield: HA-HY):** उच्च क्षेत्रफल और उच्च उत्पादकता वाले जिले।
  – **रणनीति:** उन्नत प्रौद्योगिकियों, सटीक कृषि और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके उपज को अधिकतम करने के लिए **ऊर्ध्वाधर विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना।**
  – **उदाहरण:** झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में अरहर के क्लस्टर।
- **अधिक क्षेत्र - निम्न उपज (HA-LY):** वे जिले जहाँ खेती का क्षेत्रफल बड़ा है, परंतु उत्पादकता कम है।
  – **रणनीति: गुणवत्तायुक्त बीजों, उन्नत कृषि तकनीक, सिंचाई एवं कीट प्रबंधन** के माध्यम से **उत्पादकता वृद्धि** को प्राथमिकता देना।
- **कम क्षेत्र - उच्च उपज (LA-HY):** वे जिले जहाँ दालों की खेती का क्षेत्रफल कम है, परंतु उपज क्षमता अधिक है।
  – **रणनीति: चावल की परती भूमि में दालों की खेती को बढ़ावा देकर, अंतर-फसल और विविधीकरण द्वारा क्षैतिज रूप से क्षेत्र का विस्तार करना।**
  – उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य ऐसी क्षमता दर्शाते हैं।
- **कम क्षेत्रफल - निम्न उपज (LA-LY):** कम क्षेत्रफल और खराब उत्पादकता वाले जिले।
  – **रणनीति:** क्षेत्र विस्तार + उपज सुधार का एक संयुक्त दृष्टिकोण। इसके लिए गहन हस्तक्षेप, आदर्श खेतों और विस्तार हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत की पोषण सुरक्षा, किसानों की आय, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु एवं वैश्विक मूल्य अस्थिरताओं के प्रति लचीलेपन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र विविधीकरण, गुणवत्तापूर्ण बीज, जलवायु-अनुकूल तकनीकें, मजबूत FPOs और एक कुशल एमएसपी-खरीद प्रणाली जैसी केंद्रित रणनीतियों के साथ, भारत मांग-आपूर्ति के अंतर को पाट सकता है और **दालों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है**, जिससे खाद्य संप्रभुता और सतत ग्रामीण विकास दोनों सुनिश्चित होंगे।

किसानों के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका

सिलेबस मैपिंग: कृषि- कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी

सन्दर्भ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), ड्रोन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग तथा **जैम ट्रिनिटी** (JAM Trinity) जैसी प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार प्रक्रियाएँ भारतीय कृषि को रूपांतरित कर रही हैं। ये किसान समुदाय को सशक्त बना रही हैं तथा कृषि को अधिक **कुशल, लचीला और समावेशी** बना रही हैं।

पृष्ठभूमि

- कृषि सदियों से भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, जो लगभग आधी आबादी को आजीविका प्रदान करती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- अन्नदाता माने जाने वाले किसान इस पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में हैं। फिर भी, इस क्षेत्र को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: खंडित भूमि जोत, जलवायु परिवर्तनशीलता, घटती मिट्टी की उर्वरता, जल संकट, कीटों का हमला और बाजार की अक्षमताएँ।
- इन समस्याओं के समाधान के लिए, सरकार **''बीज से बाजार तक''** दृष्टिकोण को तेजी से अपना रही है। आधुनिक तकनीकों - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग और डिजिटल वित्तीय उपकरणों - को कृषि को कुशल, लचीला और किसान-केंद्रित बनाने के लिए एकीकृत किया जा रहा है।

कृषि में प्रौद्योगिकी एकीकरण के क्षेत्र

- **परिशुद्ध कृषि:** बीज, पानी, उर्वरक जैसे आगतों का अनुकूलन।
- **फसल स्वास्थ्य एवं कीट प्रबंधन:** AI-आधारित सलाह के माध्यम से शीघ्र पहचान।
- **जलवायु निगरानी:** मौसम से जुड़े कृषि निर्णयों के लिए सेंसर, IoT और उपग्रहों का उपयोग करना।
- **बाजार पहुँच एवं वित्त:** डिजिटल बाजार (ई-एनएएम), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), और ऑनलाइन ऋण पहुँच।
- **भूमि एवं संपत्ति अभिलेख:** स्वामित्व जैसी योजनाओं के तहत ड्रोन मैपिंग।
- **फसल-उपरांत प्रबंधन:** डिजिटल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन।

विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

- **अनुप्रयोग:**
  - AI/IoT उपकरण जलवायु निगरानी, परिशुद्ध कृषि और सिंचाई, पशुधन ट्रैकिंग, ड्रोन-सहायता प्राप्त छिड़काव, मृदा स्वास्थ्य निगरानी और स्मार्ट ग्रीनहाउस को सक्षम बनाते हैं।
  - AI-सक्षम फसल रोग का पता लगाना और उपज का पूर्वानुमान लगाना।
- **सरकारी पहल:**
  - **किसान ई-मित्र:** AI-संचालित चौटबॉट, जो पीएम-किसान, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। यह 11 भारतीय भाषाओं में काम करता है, प्रतिदिन 20,000 प्रश्नों का समाधान करता है और 95 लाख से अधिक किसानों के प्रश्नों का उत्तर दे चुका है।
  - **राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS):** 61 फसलों और 400 से अधिक कीटों को कवर करने वाली AI/ML-आधारित प्रणाली, किसान तत्काल विश्लेषण के लिए फसल की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं; मार्च 2025 तक **10,154 परामर्श जारी किए जाएँगे।**

कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

- **अनुप्रयोग:** सटीक पूर्वानुमान, फसल स्वास्थ्य निगरानी, बीमा दावा समर्थन।
- **सरकारी पहल:**
  - **फसल परियोजना (इसरो + एमएनसीएफसी):** उपग्रह डेटा का उपयोग करके गेहूं, चावल, गन्ना, जूट और दालों के उत्पादन का पूर्वानुमान।
  - **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** उपज अनुमान और दावा निपटान के लिए अंतरिक्ष-आधारित डेटा का उपयोग करती है।
  - **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi-DSS):** कृषि सलाह के लिए मिट्टी, पानी, मौसम और उपग्रह डेटा को एकीकृत करने वाला क्लाउड-आधारित भू-स्थानिक मंच।

कृषि में ड्रोन का उपयोग

- **अनुप्रयोग:** कीटनाशकों के छिड़काव, फसलों की निगरानी, परिशुद्ध कृषि और भूमि मानचित्रण के लिए उपयोग किया जाता है।
- **सरकारी पहल:**
  - **नमो ड्रोन दीदी योजना (2023-26):** 80% सब्सिडी के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन प्रदान करने के लिए ₹1261 करोड़ का परिव्यय, महिलाओं को सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त बनाना।
  - **स्वामित्व योजना:** 3.23 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया गया (जुलाई 2025 तक), संपत्ति के अधिकार प्रदान किए गए और किसानों को ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया।

कृषि में JAM ट्रिनिटी

- **अनुप्रयोग:** जन-धन - आधार - मोबाइल (JAM) **पारदर्शी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सुनिश्चित करता है।** मध्यस्थों को हटाता है, लीकेज पर अंकुश लगाता है और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।
  - **उदाहरण: 2 अगस्त 2025** को पीएम-किसान की 20वीं किस्त के तहत **9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।**

प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थिरता और जलवायु कार्रवाई

- **जल उपयोग दक्षता:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा समर्थित ड्रिप सिंचाई भूजल के अति प्रयोग को कम करती है।
- **कार्बन कृषि:** नई प्रौद्योगिकियाँ कार्बन प्रच्छादन की निगरानी करती हैं तथा किसानों **को कार्बन क्रेडिट्स** से आय अर्जित करने में सक्षम बनाती हैं।
- **जैविक और प्राकृतिक खेती:** ऐप्स और ई-प्लेटफॉर्म किसानों को **सतत कृषि उत्पादों** के लिए बाजारों से जोड़ते हैं।
- **जलवायु-स्मार्ट कृषि:** मौसम-आधारित सलाह बाढ़ या सूखे से होने वाली फसल हानि को कम करती है।

भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी एकीकरण की चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन और कनेक्टिविटी अंतराल:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की पहुँच और इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है।
- **क्षेत्रीय भाषा संबंधी बाधाएँ:** अधिकांश प्लेटफॉर्म केवल **अंग्रेजी या हिंदी** में उपलब्ध हैं, जिससे अन्य भाषाई राज्यों के किसानों की पहुँच सीमित हो जाती है।
- **प्रौद्योगिकी की सामर्थ्य और लागत:**
  - **उपकरणों की उच्च लागत:** ड्रोन की लागत 7-10 लाख रुपये है, IoT-आधारित सेंसर और AI उपकरण अभी भी छोटे किसानों के लिए महंगे हैं।
  - **खंडित भूमि जोत: भारत में 85% किसान छोटे या सीमांत (2 हेक्टेयर से कम भूमि जोत वाले) हैं, इसलिए** व्यक्तिगत रूप से उन्नत मशीनरी खरीदना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएँ:**
  - **बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याएँ:** IoT उपकरणों और सेंसरों को स्थिर बिजली की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण भारत के कुछ हिस्सों में अविश्वसनीय बनी हुई है।
  - **कोल्ड चैन और भंडारण:** भले ही किसान परिशुद्ध कृषि को अपनाते हैं और उत्पादकता बढ़ाते हैं, फिर भी **कमजोर भंडारण और लॉजिस्टिक व्यवस्था** के कारण **फसल कटाई के बाद 15-20% हानि** होती है (FAO, 2023)।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** धूल, मानसून की बाढ़ या अत्यधिक गर्मी के कारण IoT सेंसर की विफलता विश्वसनीयता को कम कर देती है। इसके अलावा, तेज हवा वाले या पहाड़ी इलाकों में **ड्रोन से छिड़काव प्रभावी नहीं हो सकता है।**
- **खंडित कार्यान्वयन:** विभिन्न मंत्रालय (कृषि, आईटी, ग्रामीण विकास) खराब समन्वय के साथ अलग-अलग योजनाएँ चलाते हैं।

वैश्विक केस स्टडीज

- **इजराइल:** अपनी शुष्क जलवायु के कारण इजराइल ने ड्रिप सिंचाई तकनीक में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुँचाती है, जिससे अपव्यय में 30-70% की कमी आती है।
- **नीदरलैंड:** अपने छोटे आकार के बावजूद, नीदरलैंड दुनिया भर में कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसकी सफलता जलवायु-नियंत्रित ग्रीनहाउस, एलईडी लाइटिंग, हाइड्रोपोनिक्स और इष्टतम उपज के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिकी किसान परिशुद्ध कृषि के लिए जीपीएस-सक्षम ट्रैक्टरों, ड्रोनों और उपग्रह चित्रों का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। **जॉन डीयर जैसी कंपनियाँ AI और बिग डेटा का प्रयोग बुवाई, सिंचाई और कटाई के मार्गदर्शन हेतु करती हैं।**

आगे की राह

- **डिजिटल साक्षरता अभियान:** कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों और FPOs के माध्यम से किसानों को AI, IoT और ड्रोन पर प्रशिक्षण देना।
- **किफायती पहुँच:** साझा उपयोग के लिए **कस्टम हायरिंग केंद्रों और FPOs-नेतृत्व वाले उपकरण बैंकों को बढ़ावा देना।**
- **ग्रामीण कनेक्टिविटी:** सभी गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए भारतनेट का विस्तार करना।
- **नीतिगत समर्थन:** ड्रोन सेवाओं और AI प्लेटफार्मों के लिए पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करना।
- **प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण:** आसानी से अपनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उपकरण विकसित करना।
- **मजबूत डेटा संरक्षण:** कृषि डेटा के स्वामित्व और उपयोग पर स्पष्ट कानून लागू करना।
- **समावेशी दृष्टिकोण:** न्यायसंगत अपनाने के लिए **छोटे, सीमांत, महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों** को लक्षित समर्थन।

निष्कर्ष

भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी अब कोई **"ऐश्वर्यपूर्ण अतिरिक्त साधन" नहीं रही, बल्कि यह किसान के हाथों में नया हल** बन चुकी है। **कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फसल परामर्श से लेकर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित ड्रोन तक, उपग्रहों द्वारा फसल मानचित्रण** से लेकर **जैम (JAM) प्रणाली के माध्यम से खेतिहर के हाथों तक धन पहुँचाने** तक — डिजिटल उपकरण भारतीय कृषि की कहानी को नए सिरे से लिख रहे हैं।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र

सिलेबस मैपिंग: भारत में कृषि-मत्स्य पालन क्षेत्र

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020-2025) के पांच वर्ष पूरे होने पर, भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र नीली अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है, जिसने उत्पादन और निर्यात के रिकॉर्ड स्तर हासिल किए हैं।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति (2025)

- **वैश्विक स्थिति:** भारत विश्व **में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है (वैश्विक उत्पादन का ~8%)।**
- **GVA में योगदान: मत्स्य पालन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में** ~ 1.24% और **कृषि GVA में ~ 7.7% का योगदान देता है।**
- **रोजगार:** लगभग 3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं।
- **निर्यात:** मत्स्य निर्यात **भारत के कृषि निर्यात में लगभग 20% का योगदान देता है।**
- **मत्स्य पालन के प्रकार:**
  - **समुद्री मत्स्य पालन** - समुद्र तट के साथ।
  - **अंतर्देशीय मत्स्य पालन** - नदियाँ, जलाशय, तालाब; भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक है।
  - **जलीय कृषि (मीठे पानी और खारे पानी):** भारत **झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक है** और विश्व स्तर पर **दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है।**
- **सबसे बड़े उत्पादक (राज्यवार):** आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

- **प्रारंभ:** सितंबर 2020 में इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य **मत्स्य क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी** बनाना है।
- **निवेश का आकार (2020-25):** ₹20,050 करोड़ (मत्स्य पालन में अब तक का सबसे बड़ा निवेश)।
- **उद्देश्य:**
  - उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
  - मूल्य श्रृंखला दक्षता और संग्रह पश्चात् बुनियादी ढाँचे में सुधार।
  - महिलाओं और मत्स्य किसानों को सशक्त बनाना।
  - निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना।
- **5 वर्षों में उपलब्धियाँ:**
  - **मछली उत्पादन:** 2024-25 में 195 लाख टन (2019-20 में 141.64 लाख टन से अधिक)।
  - **जलीय कृषि उत्पादकता: 3 टन/हेक्टेयर (2019-20) से बढ़कर 4.7 टन/हेक्टेयर (फरवरी 2025) हो गई।**
  - **रोजगार:** 58 लाख नौकरियाँ सृजित(दिसंबर 2024 तक 55 लाख का लक्ष्य पार किया गया)।
  - **महिला सशक्तिकरण: ₹4,061.96 करोड़ (2020-21 से 2024-25) की** स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से 99,018 महिलाओं को सशक्त बनाया गया।
  - **निर्यात:** ₹46,662.85 करोड़ (2019-20) से बढ़कर ₹60,524.89 करोड़ (2023-24) हो गया।

मत्स्य पालन क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **अत्यधिक मत्स्यन और संसाधनों का ह्रास:** समुद्री मत्स्य भंडार अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियों से अत्यधिक दबाव में हैं। प्रति इकाई प्रयास के अनुसार मत्स्यन में कमी से मछुआरों की लाभप्रदता घट रही है।
- **कटाई के बाद की हानियाँ:** खराब कोल्ड चैन और भंडारण बुनियादी ढाँचे के कारण **कुल मत्स्यन का** लगभग 20% नष्ट हो जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव:** समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान, बार-बार आने वाले चक्रवात और महासागरीय अम्लीकरण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा हैं। तटीय कटाव और लवणीय जल का अतिक्रमण पारंपरिक मछली पकड़ने की आजीविका को बाधित कर रहा है।
- **खंडित और अनौपचारिक क्षेत्र:** अधिकांश मछुआरे छोटे पैमाने के मछुआरे हैं जिनकी **औपचारिक ऋण, बीमा और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुँच** है। संगठित बाजारों का अभाव उन्हें संकटग्रस्त बिक्री के लिए मजबूर करता है।
- **प्रौद्योगिकी का कम उपयोग:** आधुनिक जलीय कृषि प्रौद्योगिकियाँ जैसे **आरएएस, IoT-आधारित जल गुणवत्ता निगरानी और ड्रोन** पायलट परियोजनाओं तक ही सीमित हैं।
- **निर्यात एवं गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ:** अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का अपर्याप्त अनुपालन तथा आधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग सुविधाओं का अभाव निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है।
- **संस्थागत एवं नीतिगत अंतराल:** केंद्र और राज्यों के बीच अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र विनियामक सुधारों में देरी करते हैं।

मत्स्य उत्पादन में प्रौद्योगिकी एकीकरण

- **बायोफ्लोक प्रौद्योगिकी (BFT):** पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती है, पानी के उपयोग को कम करती है, और प्राकृतिक आहार प्रदान करती है।
  - **उदाहरण: कपिल तलवार (उत्तराखंड) ने** PMMSY सब्सिडी के तहत 50 बायोफ्लोक टैंक स्थापित किए, जिससे रोजगार सृजन हुआ और जलीय कृषि को बढ़ावा मिला।
- **पुनःपरिसंचारी जलीय कृषि प्रणालियाँ (आरएएस):** जल संरक्षण, भंडारण घनत्व में वृद्धि, शहरी जलीय कृषि को सक्षम बनाती हैं।
- **समुद्री मत्स्य पालन में उपग्रह एवं जीआईएस: संभावित मत्स्य पालन क्षेत्रों (पीएफजेड)** पर उपग्रह आधारित परामर्श ईंधन के उपयोग को कम करते हैं और दक्षता में सुधार करते हैं।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म: NFDP (2024):** योजना लाभ, ऋण, बीमा, ई-व्यापार के लिए एकल-खिड़की प्रणाली।
  - मछली विपणन के लिए ई-एनएएम एकीकरण।
- **ड्रोन और IoT सेंसर:** वास्तविक समय में पानी की गुणवत्ता, भोजन और मछली के स्वास्थ्य की निगरानी।
- **कोल्ड-चेन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स:** सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज, मछली व्यापार के लिए ई-प्लेटफॉर्म बेहतर कीमतें और कम अपव्यय सुनिश्चित करते हैं।

आगे की राह

- **स्थायित्व सर्वप्रथम:** सतत मत्स्य दोहन को अपनाकर, अत्यधिक मत्स्यन को कम करके, तथा जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देकर मत्स्य पालन की वृद्धि को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
- **मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण:** संग्रहण पश्चात् के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, निर्यात को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए शीत भंडारण, प्रसंस्करण इकाइयाँ और निर्यात केंद्र विकसित करना।
- **सामाजिक सुरक्षा जाल:** मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं, बाजार में उतार-चढ़ाव और वृद्धावस्था की असुरक्षा जैसे जोखिमों से बचाने के लिए बीमा, स्वास्थ्य कवर और पेंशन योजनाओं को सार्वभौमिक बनाना।
- **महिला-केन्द्रित दृष्टिकोण:** मत्स्य पालन में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय लेने और आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को बढ़ावा देना।
- **नीली अर्थव्यवस्था रणनीति:** आजीविका में विविधता लाने और समुद्री संसाधनों का स्थायी रूप से अधिकतम उपयोग करने के लिए मत्स्य पालन को समुद्री पर्यटन, नौवहन, समुद्री शैवाल की खेती और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकृत करना।
- **अनुसंधान एवं नवाचार:** उत्पादकता बढ़ाने और बदलते पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल होने के लिए आनुवंशिकी, चयनात्मक प्रजनन और जलवायु-लचीली प्रजातियों पर अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना।

- **अंतर्राष्ट्रीय मानक:** वैश्विक समुद्री खाद्य बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन और गुणवत्ता अनुपालन में सुधार करना।

मत्स्य पालन क्षेत्र, **भारत की नीली अर्थव्यवस्था का एक चमकता हुआ रत्न है, जो** आजीविका, पोषण सुरक्षा और निर्यात उत्कृष्टता के लिए अपार संभावनाओं से युक्त है। यदि हम हर तरंग/लहर में **सततता** को पिरोएँ, मूल्य **श्रृंखलाओं का आधुनिकीकरण करें तथा प्रौद्योगिकी व समावेशी नीतियों** को साथ लेकर आगे बढ़ें, तो भारत अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर विकसित करते हुए महासागरों की रक्षा कर सकता है — और इस प्रकार विकसित भारत/2047 की एक साहसिक एवं दूरदर्शी परिकल्पना साकार कर सकता है।

नीति आयोग - आर्मचेयर (सैद्धांतिक/प्रयोगहीन) निकाय या भारतीय अर्थव्यवस्था का चालक?

सिलेबस मैपिंग: भारतीय अर्थव्यवस्था- संस्थान

सन्दर्भ

नीति आयोग का गठन दीर्घकालिक योजना, केंद्र-राज्य समन्वय और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन एक दशक बाद इसे अक्सर एक सैद्धांतिक निकाय के रूप में देखा जाता है जो वास्तविक आर्थिक परिवर्तन की तुलना में रिपोर्टों और सूचकांकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

पृष्ठभूमि

- **स्थापना** – 1 जनवरी 2015 को **योजना आयोग** को प्रतिस्थापित करते हुए की गई।
- **उद्देश्य** – सरकार का **नीतिगत थिंक टैंक** बनना, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को प्रोत्साहित करना, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और नीतिगत नवाचार को बढ़ावा देना।
- **संरचना:** अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, तथा पदेन सदस्य (केन्द्रीय मंत्री) और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)।
- इसकी एक **शासी परिषद है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हैं।**

NITI AAYOG vs. PLANNING COMMISSION (SHORT COMPARISON)

Aspect	Planning Commission (1950–2014)	NITI Aayog (2015–present)
Nature	Centralized planning body	Policy think tank
Financial Powers	Controlled fund allocation to States via plan grants	No fund allocation powers (Finance Ministry + Finance Commission handle this)
Approach	Top-down, five-year plans	Bottom-up, cooperative federalism
Role	Implementation of plans	Policy advisory, strategy formulation

नीति आयोग की "सैद्धांतिक संस्थान" के रूप में आलोचना क्यों की जाती है?

- **वित्तीय शक्तियों का अभाव:**
  - योजना आयोग के विपरीत, नीति आयोग के पास **धन आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है।**
  - राज्यों को इसमें गंभीर भागीदारी का बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वित्तीय हस्तांतरण का कार्य **वित्त मंत्रालय** और **वित्त आयोग** के अधीन है।
- **केवल सलाहकार की भूमिका:**
  - मंत्रालयों और राज्यों पर **बाध्यकारी नहीं हैं।**
  - मंत्रालय अक्सर नीति आयोग के नीतिगत सुझावों की अनदेखी करते हैं, तथा इसे एक **सिफारिशी थिंक टैंक तक सीमित कर देते हैं।**
- **संरचनात्मक सुधारों पर कमजोर प्रभाव:**
  - विनिवेश, श्रम संहिता या राजकोषीय नीति जैसे बड़े सुधारों में सीमित भूमिका।
  - कृषि सुधार, स्वास्थ्य नीति और शिक्षा वित्तपोषण पर इसके प्रस्ताव अक्सर क्रियान्वित नहीं हो पाते।
- **सूचकांकों और रिपोर्टों पर अत्यधिक जोर:**
  - **परिवर्तनकारी आर्थिक रणनीति बनाने की** अपेक्षा सूचकांक (स्वास्थ्य, सतत विकास लक्ष्य, नवाचार) प्रकाशित करने के लिए अधिक जाना जाता है।
  - **यह "आंकड़ों के प्रति आसक्ति" उसे एक सांख्यिकीय सैद्धांतिक संस्था में बदल देने का जोखिम पैदा करती है।**
- **राजनीतिकरण और सीमित स्वायत्तता:** इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, और उपाध्यक्ष तथा सदस्य राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह इसे एक स्वतंत्र नीति निकाय से कम और **सरकारी मुखपत्र ज्यादा बनाता है।**
- **केंद्रीकरण संबंधी चिंताएँ:** राज्य सरकारें अक्सर शिकायत करती हैं कि उनकी आवाज को नीतियों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया जाता।

नीति आयोग की प्रमुख पहल

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी):** 112 पिछड़े जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की निगरानी।
- **अटल नवाचार मिशन (एआईएम):** स्कूलों में स्टार्टअप, नवाचार प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देना।
- **एसडीजी सूचकांक एवं स्वास्थ्य सूचकांक:** सतत विकास और स्वास्थ्य परिणामों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग।
- **राष्ट्रीय ऊर्जा नीति / ईवी रोडमैप:** स्वच्छ ऊर्जा और गतिशीलता परिवर्तन में सलाहकार की भूमिका।
- **निर्यात तैयारी सूचकांक एवं नवाचार सूचकांक:** प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर राज्यों का मानकीकरण।
- **रणनीतिक नीति दस्तावेज:** दीर्घकालिक रणनीति दस्तावेज (जैसे, **इंडिया @75", "न्यू इंडिया @75 हेतु रणनीति**)।

आगे की राह

- **वित्तीय भूमिका प्रदान करना:** निधियों के आवंटन पर कुछ नियंत्रण देकर राज्यों को नीतिगत सलाह का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाना:** राज्यों के साथ वास्तविक परामर्श एवं साझेदारी सुनिश्चित की जाए।
- **कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना:** केवल रिपोर्ट तैयार करने से आगे बढ़कर सुधारों के क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी और सहायता की जाए।
- **स्वायत्तता को सशक्त बनाना:** राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाए तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञों की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाए।
- **वैश्विक साझेदारी:** नीति आयोग को भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक श्रेष्ठ पद्धतियों के बीच सेतु के रूप में स्थापित किया जाए।
- **परिणाम-आधारित मूल्याँकन:** आयोग की रिपोर्टों को ठोस सुधारों और मापनीय आर्थिक प्रभावों से जोड़ा जाए।

भारत की अर्थव्यवस्था को वास्तव में गति देने के लिए, नीति आयोग को रिपोर्ट से सुधारों और सलाह से क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ना होगा। अधिक वित्तीय अधिकार, स्वायत्त विशेषज्ञता, और सशक्त संघीय सहयोग के साथ यह समावेशी विकास का उत्प्रेरक बन सकता है और **"विकसित भारत@2047"** के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित विषय (कृषि)

भारती पहल

सन्दर्भ

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने "खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र हितधारकों की बैठक" के दौरान भारती नामक एक नई पहल शुरू की है।

भारती पहल क्या है?

- **पूर्ण रूप:** भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र
- **उद्देश्य:**
  - **प्रतिवर्ष 100 कृषि-खाद्य और कृषि -तकनीक स्टार्टअप्स** को इनक्यूबेट करना।
  - कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में **नवाचार, निर्यात तत्परता और स्थिरता को** बढ़ावा देना।
- **फोकस क्षेत्र:** जीआई उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, सुपरफूड, आयुष उत्पाद, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, AI-आधारित गुणवत्ता जांच, IoT कोल्ड चेन, संपोषणीय पैकेजिंग।
- **विजन: 2030 तक 50 बिलियन डॉलर का कृषि-खाद्य निर्यात प्राप्त करना**, भारत के वैश्विक कृषि -व्यापार को मजबूत करना।
- **संरचना:**
  - चयनित स्टार्टअप्स के लिए उत्पाद विकास, निर्यात तत्परता, अनुपालन और बाजार पहुँच पर 3 **महीने का गतिवर्धन कार्यक्रम।**
  - कृषि विश्वविद्यालयों, आईआईटी/एनआईटी और उद्योग निकायों के साथ सहयोगात्मक समर्थन।

एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के बारे में

- **स्थापना:** 1986, **एपीडा अधिनियम, 1985 के तहत**

- **नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**, भारत सरकार
- **अधिदेश एवं कार्य:**
  - अनुसूचित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का **संवर्धन एवं विकास।**
  - **अनुसूचित उत्पादों** में शामिल हैं: फल, सब्जियाँ, मांस, मुर्गी, डेयरी उत्पाद, शहद, गुड़, मादक और गैर-मादक पेय, अनाज, मूंगफली, पुष्पकृषि उत्पाद आदि।
  - **निर्यात सुविधा:**
    - » वित्तीय सहायता, बाजार विकास और गुणवत्ता सुधार उपाय।
    - » बुनियादी ढाँचे का विकास (जैसे पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, एकीकृत पैक हाउस)।
  - **प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन:**
    - » **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)** के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण।
    - » जीआई टैगिंग, ट्रेसिबिलिटी और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल।
  - **क्षमता निर्माण:** निर्यातकों, किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण देना।
  - **वैश्विक बाजार पहुँच:** क्रेता-विक्रेता बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय मेले और प्रचार अभियान आयोजित करता है।

नारियल विकास बोर्ड

सन्दर्भ

नारियल **विकास बोर्ड (CDB) ने** केरल के अंगमाली में **विश्व नारियल दिवस** मनाया।

नारियल विकास बोर्ड (CDB) के बारे में

- **स्थापना:** 1981 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन।
- **मुख्यालय:** कोच्चि, केरल।
- **प्रकृति: नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979** के तहत **सांविधिक निकाय।**
- **अधिदेश:**
  - भारत में नारियल की खेती और उद्योग का एकीकृत विकास।
  - उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण, विपणन और निर्यात संवर्धन के लिए समर्थन।
  - नारियल उत्पादों (तेल, पानी, खोल, भूसी, कॉयर, सक्रियित कार्बन, आदि) में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
  - पुन: रोपण, प्रौद्योगिकी सहायता, बाजार संवर्धन और किसान कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन।

अन्य समान बोर्ड

बोर्ड का नाम	मुख्यालय	स्थापना वर्ष	फोकस फसल
भारतीय कॉफी बोर्ड	बेंगलुरु, कर्नाटक	1942	कॉफी
भारतीय चाय बोर्ड	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1953 (चाय अधिनियम)	चाय
रबर बोर्ड	कोट्टायम, केरल	1947	रबड़
भारतीय मसाला बोर्ड	कोच्चि, केरल	1987 (इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय द्वारा)	मसाले (इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, आदि सहित)
तंबाकू बोर्ड	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	1976	तंबाकू
सुपारी और मसाला विकास बोर्ड	कोझिकोड, केरल	1986	सुपारी और चुनिंदा मसाले

भारत का मक्का उत्पादन

सन्दर्भ

अमेरिकी वाणिज्य सचिव **हॉवर्ड लुटनिक** ने यह प्रश्न उठाया कि भारत अमेरिका से मक्का क्यों नहीं खरीदता जबकि भारत स्वयं अमेरिका को मक्का निर्यात करता है।

भारत में मक्का उत्पादन

- दुनिया में मक्का का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक **(एफ.ए.ओ., दिसंबर 2023 के अद्यतन अनुसार)।**
  - अमेरिका **सबसे बड़ा मक्का उत्पादक** है, **जो** वैश्विक उत्पादन का लगभग 30-32% उत्पादन करता है

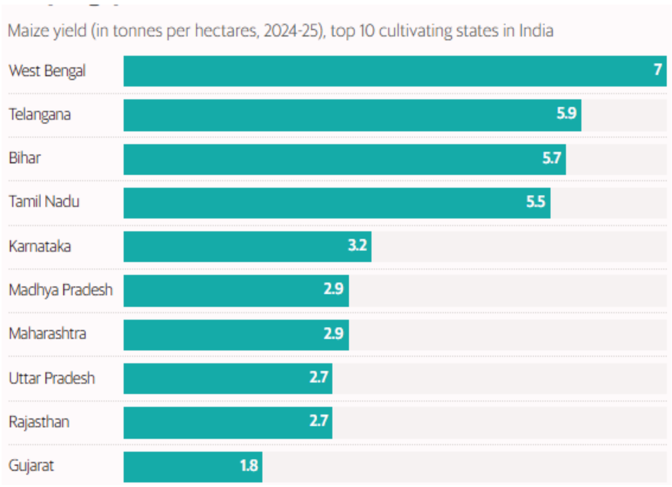

- विश्व स्तर पर मक्का का 14वां सबसे बड़ा निर्यातक **(यूएन-कॉमट्रेड, 2022)।**
- **उत्पादन:** 42 मिलियन टन मक्का - वैश्विक उत्पादन का 3%।
- **निर्यात मूल्य:** 10,107 मिलियन डॉलर.
  - **प्रमुख गंतव्य:** वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड।
- भारत में लगभग **70% मक्का खरीफ मौसम में उगाया जाता है**, जबकि 23% रबी में और शेष 7% ग्रीष्म या जायद मौसम में उगाया जाता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

सन्दर्भ

''राष्ट्रीय गोकुल मिशन'' योजना के अंतर्गत स्थापित सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया।

अद्यतन जानकारी

- **'गॉसॉर्ट' (Gausort)** नामक तकनीक, जो 2024 में प्रारम्भ की गई, **सेक्स सॉर्टिंग** के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के बारे में

- **दिसंबर 2014** में **राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम (NPBBDD)** के अंतर्गत लॉन्च किया गया था।
- यह स्वदेशी गोजातीय नस्लों के **वैज्ञानिक संरक्षण, नस्ल सुधार और उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित है।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD), मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय।
- यह स्वदेशी मवेशी प्रजनन के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास में **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है।**

तथ्य

- **1998 से सबसे बड़ा दूध उत्पादक** रहा है, जो **वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है।**
- **राज्यवार प्रवृत्तियाँ:**
  - **उत्तर प्रदेश** - सबसे बड़ा उत्पादक (16.21% हिस्सेदारी)।
  - **पश्चिम बंगाल** - सबसे तेज वृद्धि दर वाला राज्य (2023-24 में 9.76%)।
- **पशुधन आधार:**
  - **विश्व का सबसे अधिक पशुधन भारत में पाया जाता है:** 303.76 मिलियन गोजातीय, 74.26 मिलियन बकरियाँ।
  - » कुल पशुधन: 536.76 मिलियन.
- **कृषक सहभागिता**
  - **~ 50 मिलियन डेयरी किसान;** लगभग **8 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त करते हैं।**
  - मजबूत सहकारी नेटवर्क: **22 दुग्ध संघ, 240 जिला संघ, 28 विपणन डेयरियाँ, 24 उत्पादक संगठन।**
  - महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है- **48,000 महिला डेयरी समितियों** के साथ **सहकारी समितियों में 35% सदस्य हैं।**
- **आर्थिक योगदान:** डेयरी भारत की सबसे बड़ी कृषि आधारित पण्य है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 5% का योगदान करती है।

पीएम मित्र पार्क

सन्दर्भ

मध्य प्रदेश के धार जिले में **देश के पहले पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एँड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क** की आधारशिला रखी।

पीएम मित्र पार्क के बारे में

- इसे **2021 में वस्त्र मंत्रालय के** तहत लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा और वस्त्र क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।
- **विशेषताएँ:**
  - **एकीकृत मूल्य श्रृंखला:** सभी गतिविधियाँ - कताई, बुनाई, रंगाई, प्रसंस्करण और परिधान - एक ही क्षेत्र में रखी जाएँगी, जिससे परिवहन लागत और टर्नअराउंड समय कम हो जाएगा।
  - **आधुनिक अवसंरचना:** गुणवत्तापूर्ण सड़कों, विश्वसनीय बिजली और पानी की आपूर्ति, श्रमिक छात्रावासों, लॉजिस्टिक्स केंद्रों, प्लग-एँड-प्ले फैक्ट्री इकाइयों के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास, कौशल प्रशिक्षण और वाणिज्यिक सुविधाओं के लिए समर्पित स्थान से सुसज्जित होंगी।
  - **रोजगार और निवेश:** प्रत्येक पार्क से लगभग **1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार** और **2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जबकि 70,000 करोड़ रुपये से अधिक** का निवेश आकर्षित होगा।
  - **पीपीपी मॉडल:** पार्कों का प्रबंधन **विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा**, जिसे निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
  - **पूंजीगत सहायता एवं प्रोत्साहन: ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए, केंद्रीय सहायता परियोजना लागत के 30% तक (अधिकतम 500 करोड़ रुपये) को** कवर करेगी, इसके अलावा पार्कों के अंदर संचालित इकाइयों के लिए उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन भी दिए जाएँगे।
- **पीएम मित्र पार्कों का स्थान (अब तक घोषित):**
  - मध्य प्रदेश: धार जिला
  - तमिलनाडु: विरुधुनगर

- कर्नाटक: कालबुर्गी
- तेलंगाना: वारंगल
- गुजरात: नवसारी
- महाराष्ट्र: अमरावती
- उत्तर प्रदेश: लखनऊ

बनासकांठा में महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी क्रांति

सन्दर्भ

गुजरात की डेयरी सहकारी समितियाँ, खासकर **बनास डेयरी** (GCMMF-अमूल की सदस्य), ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव ला रही हैं। महिला किसान, जो कभी घरेलू कामों तक ही सीमित रहती थीं, अब उच्च आय वाले डेयरी उद्यमों का नेतृत्व कर रही हैं।

मुख्य बिंदु

- **महिलाओं की भागीदारी का स्तर: बनास डेयरी को दूध की आपूर्ति करने वाले 4.72 लाख किसानों** में से 1.68 लाख (36%) महिलाएँ हैं।
  - महिलाएँ **200-300 मवेशियों का प्रबंधन करती हैं** और **प्रतिदिन 1,000-1,500 लीटर दूध की आपूर्ति करती हैं।**
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** वित्त वर्ष 2024-25 में 14 महिला किसानों ने ₹1 करोड़ से अधिक की कमाई की।
  - **शीर्ष कमाई करने वाली महिलाएँ:** नवलबेन चौधरी - ₹2.04 करोड़, दरियानबेन राजपूत - ₹1.85 करोड़, तस्लीमबेन जवेरी - ₹1.93 करोड़।
  - **औसत मासिक आय:** ₹15-20 लाख।
  - परिवारों के पास अब **आधुनिक घर, ट्रैक्टर और वाहन हैं।**
- **सरकारी सहायता:**
  - गुजरात में 4,986 महिला-नेतृत्व वाली दुग्ध समितियाँ।
  - पशुपालन योजनाओं की महिला लाभार्थियों की संख्या **805 (2014-15) से बढ़कर 42,337 (2024-25) हो गई।**
  - कुल मिलाकर, 10 वर्षों में **2.14 लाख महिलाएँ लाभान्वित हुईं।**

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- **महिला सशक्तिकरण:** जो महिलाएँ पहले घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, वे आज सहकारी समितियों का नेतृत्व कर रही हैं और बड़े मवेशी समूहों का प्रबंधन कर रही हैं।
  - अब उन्हें परिवार में **वित्तीय निर्णयों पर अधिक नियंत्रण** प्राप्त हुआ है।
- **आर्थिक परिवर्तन:** ग्रामीण परिवार **कच्चे मकानों से आधुनिक बंगलों की ओर बढ़ रहे हैं;** दोपहिया, चार पहिया वाहनों और ट्रैक्टरों के स्वामित्व में वृद्धि हो रही है।
  - **किसानों के खातों में प्रति माह ₹1,200 करोड़ का प्रत्यक्ष जमा (Direct Deposit) हो रहा है।**
- **शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता: बच्चों की शिक्षा** में निवेश की गई घरेलू आय में वृद्धि हुई, **जिससे पहले से पिछड़े जिले में साक्षरता में सुधार हुआ।**
- **रोजगार सृजन:** प्रत्येक सफल डेयरी फार्म में मवेशियों की सफाई, भोजन और दूध निकालने के लिए कई सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं।
  - **उदाहरण:** तस्लीमबेन का फार्म उनके अपने परिवार के अलावा 22 परिवारों का भरण-पोषण करता है।
- **समावेशिता:** सभी समुदायों (हिंदू, मुस्लिम) की महिलाएँ समान रूप से भाग ले रही हैं, सामाजिक बाधाओं को तोड़ रही हैं।

जैविक उत्पादों के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया MRA

सन्दर्भ

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) पर हस्ताक्षर किए।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी

- इस व्यवस्था के तहत, **दोनों देश एक-दूसरे की जैविक प्रमाणन प्रणालियों को स्वीकार करेंगे,** जिससे अनुपालन में दोहराव कम होगा।

MRA का महत्व

- **बाजार पहुँच विस्तार .**
- **अनुपालन लागत** में कमी: दोहरे परीक्षण, कागजी कार्रवाई और विनियामक देरी में कमी।
- **किसान आजीविका:** जैविक उपज से पारंपरिक उपज की तुलना में **30-40% अधिक कीमत मिलती है।**
- **उपभोक्ता विश्वास एवं पारदर्शिता:** यह मान्यता भारत के **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) में विश्वास को दर्शाती है** तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रमाणन की विश्वसनीयता को मजबूत करती है।
- आर्थिक और कृषि -तकनीकी सहयोग के तहत **भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों को गहरा किया जाएगा।**

भारत के जैविक क्षेत्र की स्थिति

- **वैश्विक स्थिति** (स्रोत: FIBL एवं IFOAM Yearbook, 2024): जैविक कृषि भूमि के मामले में भारत **विश्व में दूसरे स्थान पर है।**
  - **जैविक उत्पादकों की संख्या में विश्व स्तर पर प्रथम** स्थान पर है।
- **उत्पादन और निर्यात:** भारत ने वित्त वर्ष 2024 में **3.6 मिलियन टन** प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया।
  - **2.61 लाख टन** निर्यात किया गया, **494.8 मिलियन डॉलर की कमाई हुई।**

- प्रमुख निर्यात गंतव्य: **अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, वियतनाम, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड।**
- **वित्त वर्ष 2025 में अकेले ऑस्ट्रेलिया** को जैविक निर्यात 8.96 मिलियन डॉलर (2,781.58 मीट्रिक टन) रहा।
- रेशेदार फसलें जैविक उत्पादन का **सबसे बड़ा हिस्सा हैं।**

- जैविक खेती के अंतर्गत **7.3 मिलियन हेक्टेयर (वित्त वर्ष 24)।**
  - **4.5 मिलियन हेक्टेयर** कृषि क्षेत्र।
  - **2.8 मिलियन हेक्टेयर** वन्य संग्रहण क्षेत्र।
- **मध्य प्रदेश** प्रमाणित क्षेत्रों में **यह देश में सबसे आगे है**, इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और अन्य स्थान हैं।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025

सन्दर्भ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 25-28 सितंबर, 2025 को वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है।

वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में

- **प्रस्तुतकर्ता:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)
  - पहला संस्करण वर्ष **2017** में आयोजित हुआ।
  - दूसरा संस्करण **2023** में और तीसरा **2024** में आयोजित किया गया।
- **उद्देश्य: भारत की खाद्य प्रसंस्करण शक्ति** का प्रदर्शन, **वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना** और भारत को **''वैश्विक खाद्य केंद्र'' के रूप में प्रस्तुत करना।**
- **प्रारूप:** प्रदर्शनियाँ, B2B/ B2G/G2G बैठकें, सम्मेलन, राज्य एवं देश सत्र, फूड स्ट्रीट और स्टार्ट-अप प्रदर्शनी।

संबंधित तथ्य

- भारत **दूध, प्याज और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, फल एवं सब्जियाँ और अंडे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।

STUDY IQ PUBLICATIONS

समाज, सामाजिक न्याय एवं योजनाएँ

मुख्य परीक्षा के लिए विषय

भारत में दहेज: एक सामाजिक बुराई जो कायम है

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन पेपर-1 और 2, महिला संबंधी विषय

संदर्भ

नोएडा (उत्तर प्रदेश) में कथित दहेज हत्या का एक हालिया मामला इस बात को रेखांकित करता है कि दहेज की सदियों पुरानी प्रथा, दशकों से कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद, महिलाओं के लिए खतरा बनी हुई है।

दहेज के बारे में -

- **दहेज, विवाह के समय दुल्हन के परिवार से धन, संपत्ति या उपहार मांगने की प्रथा, भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बुराइयों में से एक है।**
- 1961 से कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, यह प्रथा जाति, वर्ग, ग्रामीण और शहरी परिवेश में आज भी मौजूद है।
- **2022 में, एनसीआरबी ने 6,589 दहेज हत्याएँ दर्ज कीं, जिसका अर्थ है कि औसतन हर 80 मिनट में एक महिला दहेज संबंधी हिंसा के कारण मरती है।**
- यह दर्शाता है कि दहेज केवल एक निजी पारिवारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और जातिगत गतिशीलता से जुड़ी एक सामाजिक समस्या है।

दहेज की मांग के पीछे के कारण/कारक -

- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:**
  - **पितृसत्ता:** महिलाओं को आर्थिक दायित्व और पुरुषों को कमाने वाला समझना।
  - **विवाह एक लेन-देन है:** दहेज को पत्नी को घर लाने के लिए मुआवजे के रूप में देखा जाता है।
  - **जाति एवं सामुदायिक मानदंड:** जाति पंचायतें अक्सर दहेज की मांग को परंपरा के रूप में वैध ठहराती हैं।
  - **लैंगिक असमानता:** बचपन से ही लड़कियों को परिवार के सम्मान को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि लड़कों को संपत्ति समझा जाता है।
- **आर्थिक कारक:**
  - **लालच और बढ़ता उपभोक्तावाद:** परिवार नकदी, सोना, कार या संपत्ति की मांग करते हैं।
  - **महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी:** महिलाओं की सीमित आर्थिक स्वतंत्रता इस विश्वास को बनाए रखती है कि दहेज वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- **संस्थागत कमजोरियाँ:**
  - **कानूनों का अप्रभावी प्रवर्तन:** कम दोषसिद्धि दर पीड़ितों को रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है।
  - **सामाजिक कलंक:** परिवार पुलिस/कानूनी कार्रवाई से बचते हैं, न्याय के बजाय ''सम्मान'' को प्राथमिकता देते हैं।

दहेज के प्रभाव -

- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा:** महिलाओं को उत्पीड़न, मारपीट, वैवाहिक बलात्कार और चरम मामलों में मृत्यु का सामना करना पड़ता है।
- **कन्या भ्रूण हत्या और विषम लिंगानुपात:** दहेज के डर से परिवार बेटियों की अपेक्षा बेटों को प्राथमिकता देते हैं।
  - इससे भारत में जन्म के समय लिंगानुपात बिगड़ता है (एनएफएचएस-5 में SRB ~929)।
- **ऋण और गरीबी का चक्र:** गरीब परिवार अक्सर दहेज देने के लिए ऋण लेते हैं या जमीन बेचते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी पैदा होती है।
- **महिलाओं की स्वतंत्रता का नुकसान:** महिलाएं कलंक और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी के कारण दुर्व्यवहारपूर्ण विवाह से बाहर नहीं निकल पाती हैं।
- **पितृसत्ता को कायम रखना:** दहेज पुरुष वर्चस्व को मजबूत करता है और विवाह में महिलाओं की अधीनता को सामान्य बनाता है।

दहेज प्रथा से निपटने में चुनौतियाँ –

- **सांस्कृतिक वैधता:** दहेज को अक्सर उपहार या स्त्रीधन के रूप में छिपाया जाता है, जिससे इसे लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- **सामुदायिक दबाव:** परिवार अपनी जाति या समुदाय में बदनामी के डर से मामले दर्ज कराने से बचते हैं।
- **पितृसत्तात्मक संस्थाएं:** जाति पंचायतें न्याय के स्थान पर मेल-मिलाप को बढ़ावा देती हैं, तथा महिलाओं को दुर्व्यवहार वाले घरों में वापस भेज देती हैं।
- **कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन:** दहेज कानूनों के तहत दोषसिद्धि की दर कम बनी हुई है। पुलिस अक्सर दुरुपयोग की बहस के डर से शिकायतों को हतोत्साहित करती है।
- **महिलाओं के लिए कलंक:** महिलाओं को दोहरे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, विवाह विफलता के लिए सामाजिक दोष और जन्मजात पारिवारिक समर्थन की कमी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम –

कानूनी ढांचा

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961:** दहेज देना/लेना गैरकानूनी है।
- **आईपीसी धारा 498A:** पति/ससुराल वालों द्वारा क्रूरता एक आपराधिक कृत्य है।
  - **बीएनएस धारा 85 और 86** द्वारा प्रतिस्थापित।
- **आईपीसी धारा 304B:** दहेज हत्या को परिभाषित करती है; सजा: 7 वर्ष-आजीवन कारावास।
  - **बीएनएस धारा 80** द्वारा प्रतिस्थापित।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 113B:** यदि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है तो दहेज हत्या की धारणा।
- **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:** विवाह में दुर्व्यवहार के विरुद्ध व्यापक संरक्षण।

योजनाएँ और अभियान

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015):** इसका उद्देश्य बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग:** हेल्पलाइन, परामर्श, कानूनी सहायता।
- **राज्य अभियान:** केरल का दहेज को ना कहें, हरियाणा का सेल्फी विद डॉटर पहल।

संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय –

- **कंस राज बनाम पंजाब राज्य (2000):** लगातार उत्पीड़न दहेज हत्या के बराबर हो सकता है।
- **सत्य नारायण तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010):** दहेज हत्याओं में कठोर दंड की आवश्यकता दोहराई गई।
- **राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017):** आईपीसी की धारा 498। के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए (बाद में कमजोर कर दिए गए)।
- **पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह (1991):** परिस्थितिजन्य साक्ष्य दहेज मृत्यु को स्थापित कर सकते हैं।

आगे की राह –

- **सामाजिक सुधार:**
  - दहेज प्रथा को चुनौती देने के लिए युवाओं, नागरिक समाज और महिला समूहों को संगठित करना।
  - **दहेज को ना कहें** जैसे सार्वजनिक अभियानों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए।
- **महिला सशक्तिकरण:**
  - महिला शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में सुधार लाना।
  - वित्तीय साक्षरता, संपत्ति अधिकार और कौशल विकास से आर्थिक निर्भरता कम हो सकती है।
- **सामुदायिक सहभागिता:**
  - रीति-रिवाजों में सुधार के लिए जाति और धार्मिक नेताओं को शामिल करना।
  - पंचायतों को महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

- **कानूनी सुदृढ़ीकरण:**
  - दहेज मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें।
  - बेहतर पीड़ित सहायता प्रणालियाँ - आश्रय, हेल्पलाइन, परामर्श और कानूनी सहायता।
- **शिक्षा के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन:**
  - स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिकता संवेदीकरण।
  - विवाह में समान भागीदारी पर विवाह पूर्व परामर्श।
- **प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता:**
  - गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग करना।
  - दहेज मांगने वालों के खिलाफ कलंक पैदा करने के लिए सोशल मीडिया अभियान।

दहेज प्रथा आज भी कायम है क्योंकि इसे सामाजिक स्वीकृति, सांस्कृतिक वैधता और संस्थागत उपेक्षा प्राप्त है। हालाँकि भारत में कड़े कानून हैं, लेकिन गहन सामाजिक परिवर्तन के बिना ये अप्रभावी ही रहेंगे। **दहेज प्रथा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, भारत को कानूनी उपायों से आगे बढ़कर सामाजिक सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना होगा।**

भारत में शैक्षिक व्यय में लैंगिक विभाजन

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, सामाजिक न्याय, शिक्षा

संदर्भ

हाल के दिनों में, भारत में स्कूलों में महिलाओं के नामांकन में सुधार हुआ है (लड़कियाँ = स्कूली आबादी का 48%; उच्च शिक्षा में महिलाओं का जीईआर पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक है)। हालाँकि, बच्चों की शिक्षा पर पारिवारिक खर्च में एक छिपा हुआ लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है।

एनएसएस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष -

- **व्यय में लैंगिक अंतर:** स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में, परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों पर कम खर्च करते हैं।
  - **ग्रामीण भारत:** परिवारों ने फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और परिवहन के मामले में लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ₹1,373 या 18% अधिक खर्च किया।
  - **शहरी भारत:** लड़कियों पर प्रति छात्र व्यय लड़कों की तुलना में ₹2,791 कम था।
  - उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, लड़कों पर खर्च 30% अधिक है।
  - **स्कूल प्रकार की प्राथमिकताएँ:** सरकारी स्कूल - 54% लड़कों की तुलना में 58.4% लड़कियाँ नामांकित हैं।
  - **निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल (अधिक महंगे):** 34% लड़के नामांकित हैं, जबकि केवल 29.5% लड़कियाँ नामांकित हैं।

राज्यवार भिन्नताएँ

- **सरकारी बनाम निजी स्कूल नामांकन**
  - **दिल्ली:** सरकारी स्कूलों में 54% लड़के बनाम 65% लड़कियां; निजी स्कूलों में 38.8% लड़के बनाम 26.6% लड़कियां।
  - **मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब:** >10 प्रतिशत अंक का अंतर।
- **संतुलित अनुपात: तमिलनाडु, केरल:** सरकारी और निजी स्कूलों में लड़के और लड़कियां लगभग बराबर हैं।
- **विपरीत प्रवृत्ति: पूर्वोत्तर राज्य:** निजी स्कूलों में अधिक लड़कियां।
- **आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल:** उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों पर अधिक व्यय, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में (सुरक्षा से जुड़ी परिवहन लागत के कारण)।

अन्तर्विभाजक चुनौतियाँ -

- **ग्रामीण बनाम शहरी विभाजन:** निजी स्कूली शिक्षा की लागत के कारण शहरी क्षेत्रों में खर्च का अंतर अधिक है।
- **जाति-वर्ग अंतर:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियां सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण दोगुनी वंचित हैं।
- **क्षेत्रीय भिन्नताएं:** केरल जैसे दक्षिणी राज्य लगभग समानता दर्शाते हैं, जबकि उत्तर-पश्चिमी राज्य मजबूत पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण पीछे हैं।

शिक्षा व्यय में लैंगिक अंतर के कारण -

- **सामाजिक मानसिकता और पितृसत्ता:** परिवार लड़कों को 'भविष्य के कमाने वाले' के रूप में देखते हैं, जिनमें अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। लड़कियों को विवाह और देखभाल की भूमिकाओं के कारण कम आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
- **स्कूल चयन पूर्वाग्रह:** लड़कों को अक्सर निजी स्कूलों में भेजा जाता है; लड़कियों को सरकारी स्कूलों में रखा जाता है। यह लागत-बचत की प्राथमिकता को दर्शाता है।
- **ट्यूशन निवेश पूर्वाग्रह:** परिवार लड़कों के लिए अतिरिक्त ट्यूशन को प्राथमिकता देते हैं, विशेष रूप से उच्च कक्षाओं में, जहां परीक्षा प्रतिस्पर्धा अधिक होती है।
- **स्कूल छोड़ने वाली लड़कियां और कम उम्र में विवाह:** माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या अधिक है → कक्षा 10 के बाद लड़कियों पर कम खर्च।
- **सुरक्षा एवं गतिशीलता संबंधी चिंताएं:** परिवार कभी-कभी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण दूरवर्ती/निजी स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को सीमित कर देते हैं, जिससे खर्च कम हो जाता है।
- **लड़कियों के लिए सब्सिडी और योजनाएं:** छात्रवृत्ति, मुफ्त यूनिफॉर्म और फीस माफी से लड़कियों पर प्रत्यक्ष व्यय कम हो जाता है, जिससे खर्च के आंकड़े बिगड़ जाते हैं।

शैक्षिक व्यय में इस लैंगिक विभाजन के परिणाम -

- **निम्न मानव पूंजी निर्माण:** लड़कियों में कम निवेश से सीखने की गुणवत्ता और भविष्य की उत्पादकता प्रभावित होती है।
- **श्रम बल भागीदारी:** महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कम बनी हुई है (~24% एलएफपीआर), आंशिक रूप से कमजोर शैक्षिक निवेश के कारण।
- **असमानता का चिरस्थायी होना:** लैंगिकता आधारित व्यय से पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का चक्र बनता है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश की हानि:** भारत में, अपनी विशाल युवा जनसंख्या के कारण, अपनी प्रतिभा के आधे भाग का उपयोग न कर पाने का जोखिम है।
- **बढ़ता वेतन अंतर:** शैक्षिक असमानता असमान कौशल अधिग्रहण, नौकरियों और वेतन में परिवर्तित हो जाती है।

अंतर को पाटने के लिए सरकारी उपाय -

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):** लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार के लिए प्रोत्साहन।
- **छात्रवृत्ति एवं स्टाइपेंड:** केंद्रीय एवं राज्य योजनाएं ट्यूशन सहायता एवं शैक्षिक सामग्री प्रदान करती हैं।
- **नि:शुल्क मध्याह्न भोजन एवं पाठ्यपुस्तकें:** घरेलू व्यय में कमी लाना तथा नामांकन को प्रोत्साहित करना।
- **बुनियादी ढांचा एवं सुरक्षा पहल:** लड़कियों के लिए शौचालय, सुरक्षित परिवहन योजनाएं, तथा पहुंच बढ़ाने के लिए स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम।
- **आरटीई अधिनियम (2009):** नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से व्यय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।

इन योजनाओं की सीमाएँ

- योजनाएं मुख्यत: शिक्षा की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि पहुंच पर केंद्रित हैं।
- कमजोर लक्ष्यीकरण के कारण सशर्त हस्तांतरण अक्सर सबसे गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पाता।
- सुरक्षा, परिवहन और ट्यूशन संबंधी आवश्यकताओं पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

आगे की राह -

- **शिक्षा में सुधार:**
  - लैंगिक रूप से संवेदनशील पाठ्यक्रम और बदमाशी विरोधी तंत्र।
  - उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए विशेष ट्यूशन सब्सिडी।
- **स्वास्थ्य सेवा एवं सुरक्षा एकीकरण:**
  - छात्राओं के लिए नि:शुल्क या रियायती परिवहन।
  - स्कूलों और सार्वजनिक परिवहन का सुरक्षा ऑडिट।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:**
  - माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लड़कियों की उपस्थिति से जुड़ा सशर्त नकद हस्तांतरण।
  - उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए कौशल निर्माण और व्यावसायिक शिक्षा।

- **सकारात्मक कार्रवाई:**
  - प्रमुख संस्थानों और कोचिंग सेंटरों में आरक्षण।
  - महिलाओं के लिए STEM उच्च शिक्षा हेतु विशेष फेलोशिप।
- **माता-पिता की मानसिकता में बदलाव:**
  - व्यवहार परिवर्तन अभियान लड़कियों में निवेश के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ पर जोर देते हैं।
  - लड़कियों की शिक्षा के लिए आदर्श व्यक्ति और सामुदायिक नेता।
- **शिक्षा में लैंगिक बजट:** सभी केंद्रीय और राज्य शिक्षा बजटों में व्यय अंतर को दूर करने के लिए एक हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए।

भारत ने नामांकन के अंतर को पाट दिया है, लेकिन छिपी हुई वित्तीय असमानताएँ स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में लड़कियों को नुकसान पहुँचा रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए न केवल योजनाओं और सब्सिडी की आवश्यकता है, बल्कि पारिवारिक धारणाओं में बदलाव, लक्षित सरकारी हस्तक्षेप और लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट की भी आवश्यकता है।

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की पुनर्कल्पना

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

संदर्भ

प्रगतिशील कानूनी सुधारों के बावजूद, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य सेवा में प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, जो समावेशी नीतियों और सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

ट्रांस लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ –

- **सामाजिक बहिष्कार और कलंक:** परिवार अक्सर ट्रांस बच्चों को छोड़ देते हैं। उन्हें स्कूलों, बाजारों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में उपहास का सामना करना पड़ता है।
- **शिक्षा संबंधी बाधाएँ:** बुलिंग और भेदभाव के कारण कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच कम हो जाती है। समावेशी पाठ्यक्रम और सुरक्षित वातावरण अभी भी दुर्लभ हैं।
- **रोजगार और आर्थिक असुरक्षा:** कोटा कागजों पर तो है, लेकिन नौकरशाही की अड़चनों और भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक लाभ नगण्य हैं। कई लोग जीविका के लिए भीख मांगने या यौन कर्म करने को मजबूर हैं।
- **आवास भेदभाव:** किराये का मकान ढूँढ़ना बेहद मुश्किल है। मकान मालिक हिचकिचाते हैं, पड़ोसी विरोध करते हैं, और समाज उन्हें बहिष्कृत कर देता है।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:** लिंग परिवर्तन महंगा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत शायद ही कभी कवर किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अपर्याप्त हैं। लैंगिक रूप से सकारात्मक देखभाल में प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों का अभाव है।
- **सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा:** बसों, ट्रेनों और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न आम बात है, जिससे दैनिक जीवन असुरक्षित हो जाता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव:** बहुत कम ट्रांसजेंडर लोग सार्वजनिक पदों पर आसीन होते हैं। नीतियाँ अक्सर उनके लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर शायद ही कभी बनाई जाती हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 – आलोचनात्मक विश्लेषण –

सकारात्मक पक्ष

- **कानूनी मान्यता:** स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है; नालसा (2014) के अनुरूप प्रमुख क्षेत्रों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **कल्याणकारी उपाय:** शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास में योजनाओं को अधिदेशित करता है; पुनर्वास केंद्रों की स्थापना का निर्देश देता है।
- **दुर्व्यवहार का अपराधीकरण:** अधिकारों से वंचित करना, जबरन श्रम कराना और दुर्व्यवहार के लिए दण्ड (2 वर्ष तक का कारावास)।

चिंताएँ

- **स्व-पहचान कमजोर:** जिला मजिस्ट्रेट प्रमाणीकरण की आवश्यकता; पुरुष/महिला के रूप में पहचान के लिए SRS अनिवार्य, एनएएलएसए (2014) का उल्लंघन।
- **कमजोर दंड:** सिसजेंडर महिलाओं के विरुद्ध समान अपराधों के लिए अधिकतम सजा (2 वर्ष) आईपीसी प्रावधानों की तुलना में बहुत कम है।
- **आरक्षण नहीं:** इस अधिनियम में शैक्षणिक और नौकरी में कोटा को हटा दिया गया है, जो समुदाय की प्रमुख मांग है।

- **स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल:** लैंगिक रूप से सकारात्मक देखभाल (SRS, हार्मोन, परामर्श) के लिए वित्त पोषण पर मौन।
- **कार्यान्वयन में अस्पष्टता:** कल्याणकारी योजनाओं के लिए कोई स्पष्ट निगरानी तंत्र नहीं।
- **परिभाषा संबंधी मुद्दे:** अति-चिकित्सीय परिभाषा लिंग परिवर्तनशीलता को प्रतिबिंबित करने में विफल रहती है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीटीपी) - आलोचनात्मक विश्लेषण

सकारात्मक पक्ष

- **संस्थागत तंत्र:** ट्रांसजेंडर मुद्दों को संबोधित करने, सरकार को सलाह देने और नीतियों की निगरानी करने के लिए वैधानिक निकाय।
- **समावेशी सदस्यता:** इसमें 5 मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्यों और 5 ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य शामिल हैं।
- **नीति समन्वय:** मंत्रालयों और राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं के संरेखण को सुगम बनाता है।

चिंताएँ

- **सलाहकारी प्रकृति:** सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, इनका प्रभाव सीमित है।
- **सांकेतिक प्रतिनिधित्व:** नौकरशाहों के प्रभुत्व वाले निकाय में केवल 5 ट्रांस सदस्य, जो शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने को जोखिम में डालते हैं।
- **प्रवर्तन शक्तियां नहीं:** एनसीडब्ल्यू या एससी/एसटी आयोगों के विपरीत, शिकायतों की जांच नहीं कर सकते या उल्लंघनकर्ताओं को दंडित नहीं कर सकते।
- **सीमित स्वायत्तता:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य।
- **कमजोर पहुंच:** कोई अनिवार्य राज्य स्तरीय परिषद या जमीनी स्तर के ट्रांस संगठनों के साथ संरचित जुड़ाव नहीं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर चुनौतियों का प्रभाव -

- **आर्थिक हाशिए पर होना:** शिक्षा और नौकरियों से वंचित होने के कारण कई लोग भीख मांगने/यौन कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा और गतिशीलता से वंचित होना पड़ता है।
- **खराब स्वास्थ्य परिणाम:** स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच के कारण अवसाद, आत्महत्या, मादक द्रव्यों के सेवन और एचआईवी प्रसार की दर बढ़ जाती है।
- **मानव पूंजी की हानि:** शैक्षिक और कौशल बाधाएं रोजगार क्षमता को कम करती हैं, क्षमता को नष्ट करती हैं और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हैं।
- **सामाजिक अलगाव:** कलंक, उत्पीड़न और आवास संबंधी भेदभाव के कारण भय, आत्म-सम्मान में कमी और जबरन बस्ती में रहने की स्थिति पैदा होती है।
- **लोकतांत्रिक घाटा:** राजनीति में कम प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप दिखावटी नीतियां बनती हैं जिनका वास्तविक प्रभाव बहुत कम होता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत बहिष्कार:** सामाजिक अस्वीकृति के कारण कई लोग जल्दी ही परिवार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे असुरक्षा का चक्र चलता रहता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम -

- **कानूनी ढांचा:**
  - **नालसा निर्णय (2014):** आत्म-पहचान के अधिकार की पुष्टि की गई।
  - **ट्रांसजेंडर अधिनियम, 2019:** शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और आवास में भेदभाव पर रोक लगाता है।
  - नीति पर सलाह देने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (2020) बनाई गई।
- **योजनाएँ और नीतियाँ:**
  - **गरिमा गृह योजना:** ट्रांस व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह।
  - **स्माइल योजना (2022):** पुनर्वास, कौशल निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित।
  - ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- **राज्य-स्तरीय पहल**
  - **तमिलनाडु:** अरावनी कल्याण बोर्ड (2008), पेंशन।
  - **कर्नाटक:** शिक्षा/नौकरियों में 1% आरक्षण (2021)।
  - **केरल:** राज्य द्वारा वित्तपोषित लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी (gender reassignment surgeries)।
- **प्रतीकात्मक सफलताएँ:** शबनम मौसी (प्रथम ट्रांस विधायक, 1998), जोइता मंडल (प्रथम ट्रांस जज, 2017), मधु बाई किन्नर (मेयर, 2015)।

- **जागरूकता और संवेदनशीलता:**
  – पुलिस, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए जागरूकता अभियान।
  – नौकरशाही उत्पीड़न को कम करने के लिए ऑनलाइन आईडी प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय पोर्टल

आगे की राह –

- **शिक्षा में सुधार:** समावेशी पाठ्यक्रम, बदमाशी विरोधी प्रोटोकॉल और लक्षित छात्रवृत्तियाँ।
  – प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ सुरक्षित शिक्षण वातावरण।
- **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच:** सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित लैंगिक रूप से सकारात्मक स्वास्थ्य देखभाल (सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य)।
  – ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य आवश्यकताओं के संबंध में डॉक्टरों और परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण देना।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:**
  – कार्यस्थलों पर भेदभाव-विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन।
  – सार्वजनिक रोजगार और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों में आरक्षण।
  – निजी क्षेत्र में नियुक्ति को प्रोत्साहित करना।
- **आवास और सार्वजनिक सुरक्षा:**
  – किराये के आवास में भेदभाव विरोधी सुरक्षा।
  – जागरूकता अभियान और सख्त प्रवर्तन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:**
  – स्थानीय निकायों, विधानसभाओं और संसद में ट्रांस व्यक्तियों के लिए सीटें।
  – मीडिया, शिक्षा और स्वास्थ्य परिषदों जैसे बोर्डों में समावेशन।
- **नीति में सामुदायिक भागीदारी:**
  – नीतियों को ट्रांस लोगों की आवाज को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, न कि उन पर थोपा जाना चाहिए।
  – योजनाओं के डिजाइन और निगरानी में ट्रांस-नेतृत्व वाले संगठनों को शामिल करना।

भारत के कामकाजी युवाओं में अकेलापन

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन पेपर-1, समाज, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव

संदर्भ

तेजी से शहरीकरण और पलायन कर रहे कार्यबल के साथ भारत अब बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में **''अकेलेपन की महामारी''** का सामना कर रहा है।

- **अकेलापन सिर्फ सामाजिक मेलजोल का अभाव नहीं, बल्कि सार्थक सामाजिक बंधनों का अभाव है। यह वांछित रिश्तों और वास्तविक सामाजिक जुड़ाव के बीच के अंतर को दर्शाता है।**
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ, 2021) के अनुसार, अकेलेपन को अब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती माना जाता है, जो अवसाद, चिंता और खराब शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।**
- 14 कॉर्पोरेट संगठनों (2024) में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया:
  – 56% युवा कर्मचारियों ने अकेलापन महसूस करने की बात स्वीकार की।
  – 23% ने इसका अनुभव किया लेकिन खुले तौर पर इनकार किया।
  – महिलाओं (64%) ने पुरुषों (36%) की तुलना में अकेलेपन को अधिक व्यक्त किया।
  – **डेटिंग ऐप का उपयोग:** 4% महिलाएं बनाम 19% पुरुष।
- वैश्विक स्तर पर, मेटा-गैलप सर्वेक्षण (2023) ने बताया कि लगभग 24% युवा वयस्क (15-29) अक्सर अकेलेपन का अनुभव करते हैं।

कामकाजी युवाओं में अकेलेपन के कारण -

- **शहरी प्रवासन और विस्थापन:** युवा कर्मचारी अपने प्राथमिक सामाजिक समूहों (परिवार, समुदाय, गृहनगर नेटवर्क) को छोड़ देते हैं और नए, सार्थक संबंध बनाने के लिए संघर्ष करते हैं।
- **कार्य-केन्द्रित जीवनशैली:** लंबे कार्य घंटे, गिग-आधारित रोजगार और प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट संस्कृति व्यक्तिगत संबंधों को पोषित करने के अवसरों को कम कर देती है।
- **बदलते सामाजिक मानदंड:** व्यक्तिवाद में वृद्धि और रिश्तों की तुलना में करियर को प्राथमिकता देना।
- **सतही सामाजिकरण:** मित्रता प्रायः सहकर्मियों और पार्टी मंडलियों तक ही सीमित रहती है, तथा उसमें भावनात्मक गहराई का अभाव होता है।
- **प्रौद्योगिकी और आभासी रिश्ते:** दीर्घकालिक साथी के स्थान पर डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया और आकस्मिक मुलाकातों पर निर्भरता से तात्कालिक संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन संबंध सतही हो जाते हैं।
- **विवाह और परिवार का स्थगन:** विवाह और रिश्तों में देरी के कारण, कई लोग अपने मुख्य कार्य वर्षों के दौरान भावनात्मक रूप से असमर्थित रहते हैं।

अकेलेपन के प्रभाव -

व्यक्ति पर

- **मानसिक स्वास्थ्य:** चिंता, अवसाद, तनाव और "बर्नआउट सिंड्रोम"।
- **शारीरिक स्वास्थ्य:** अध्ययनों से पता चलता है कि अकेलेपन से हृदय रोग, अनिद्रा और कमजोर प्रतिरक्षा का खतरा बढ़ जाता है।
- **पहचान संकट:** अपनेपन की भावना का नुकसान और अलगाव में वृद्धि।

परिवार पर

- प्रवास के कारण संयुक्त परिवार के संबंधों का कमजोर होना।
- युवा पेशेवरों के माता-पिता से दूर रहने के कारण अंतर-पीढ़ीगत संबंध कम हो जाते हैं।
- अधिक काम और डिजिटल विकर्षण के कारण विवाह या साझेदारी में भावनात्मक दूरी।

रिश्तों पर

- लेन-देन संबंधी और अल्पकालिक संबंधों (हुकअप संस्कृति, आकस्मिक डेटिंग) का उदय।
- मानवीय संबंधों में विश्वास और पारस्परिकता में गिरावट।
- पारंपरिक सामुदायिक नेटवर्क का विखंडन।

समाज पर

- सामाजिक परमाणुकरण में वृद्धि - भौतिक निकटता के बावजूद व्यक्ति अलग-थलग रह रहे हैं।
- नागरिक सहभागिता एवं सामुदायिक भागीदारी में गिरावट का जोखिम।
- शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य संकट में वृद्धि, उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता पर प्रभाव।
- अरेंज मैरिज का पुनः प्रचलन और जीवनसाथी के चयन में अभिभावकों की भागीदारी के रूप में संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह -

- **कार्य-जीवन संतुलन नीतियाँ:** कॉर्पोरेट मानव संसाधन को मानसिक स्वास्थ्य सहायता, लचीले कार्य घंटे और तनाव कम करने के उपायों को एकीकृत करना होगा।
- **सामाजिक पूंजी को मजबूत करना:** पड़ोस में सहकर्मी नेटवर्क, सांस्कृतिक क्लब और समुदाय-आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- **जिम्मेदारी के साथ प्रौद्योगिकी:** डेटिंग ऐप्स और सोशल प्लेटफॉर्म को केवल तात्कालिक संतुष्टि ही नहीं, बल्कि सार्थक बातचीत को भी बढ़ावा देना चाहिए।
- **मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना:** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को अकेलेपन और सामाजिक अलगाव को प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के रूप में एकीकृत करना चाहिए।

- **सांस्कृतिक एंकरिंग:** अंतर-पीढ़ीगत रहने के स्थानों, शहरी सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देना, तथा युवाओं को सांस्कृतिक और पारिवारिक जड़ों से पुनः जोड़ना।
- **समाजशास्त्रीय हस्तक्षेप:** दुर्खीम के सामाजिक एकजुटता के विचार से प्रेरणा लेते हुए, नीतियों को अराजकता को रोकने के लिए सामूहिक संबद्धता का निर्माण करना चाहिए।

जलवायु-स्वास्थ्य दृष्टि: भारत से सीख

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य

संदर्भ

बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना (2025) ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है, और भारत के कल्याणकारी कार्यक्रम इस बात की मूल्यवान केस स्टडी प्रदान करते हैं कि कैसे एकीकृत नीतियाँ जलवायु लचीलापन (climate resilience) और स्वास्थ्य लाभ दोनों प्रदान कर सकती हैं।

जलवायु और स्वास्थ्य को क्यों जोड़ा जाना चाहिए?

- **साझा कमजोरियां:** जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम सीधे तौर पर बढ़ जाते हैं- वायु प्रदूषण, ताप तनाव, वेक्टर जनित रोग, कुपोषण।
- **असमानताओं में वृद्धि:** गरीब समुदायों को दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है: कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली + बाढ़, सूखे और खराब स्वच्छता का उच्च जोखिम।
- **जलवायु से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि:** मलेरिया, डेंगू और हीटवेव से संबंधित बीमारियों के बढ़ते मामलों के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- **एसडीजी तालमेल:** जलवायु और स्वास्थ्य को जोड़ने से कई एसडीजी को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है- स्वास्थ्य (एसडीजी 3), जलवायु (एसडीजी 13), जल (एसडीजी 6) और भूख (एसडीजी 2)।
- **वैश्विक दक्षिण प्राथमिकता:** विकासशील देश जलवायु संबंधी झटकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं तथा उनकी स्वास्थ्य प्रणालियां कमजोर हैं, जिससे एकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **जन समर्थन जुटाना:** स्वास्थ्य संबंधी रूपरेखा राजनीतिक तात्कालिकता पैदा करती है; उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत को सम्मान और स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करके सफलता प्राप्त की गई।
- **लागत प्रभावशीलता:** एकीकृत योजनाएं प्रयासों के दोहराव को कम करती हैं और संसाधन-कुशल शासन को सक्षम बनाती हैं।

बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना (2025) -

- ब्राजील में आयोजित वैश्विक जलवायु एवं स्वास्थ्य सम्मेलन (जुलाई 2025) में 90 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ इसे अपनाया गया।
- **नवंबर 2025 में COP30 में इसे जलवायु-स्वास्थ्य एकीकरण के लिए वैश्विक रूपरेखा** के रूप में लॉन्च किया जाएगा।
- **केंद्र बिंदु:** सभी जलवायु नीतियों में स्वास्थ्य आयामों को शामिल करना, ताकि बढ़ते जलवायु-स्वास्थ्य संकटों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके।
- **एजेंडा:** अंतर-क्षेत्रीय शासन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और स्वास्थ्य प्रभाव आकलन को प्रोत्साहित करना।
- **भारत को आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि उसके पास जलवायु-स्वास्थ्य के मजबूत सह-लाभों के साथ सिद्ध कल्याणकारी मॉडल हैं।**

भारत के कल्याणकारी कार्यक्रम: छिपे हुए जलवायु-स्वास्थ्य तालमेल -

भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं दर्शाती हैं कि किस प्रकार गैर-स्वास्थ्य हस्तक्षेप स्वास्थ्य और जलवायु दोनों के लिए सह-लाभ उत्पन्न करते हैं:

- **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना):** 11 लाख स्कूलों में 11 करोड़ बच्चों तक पहुंच।
  - मोटे अनाज और पारंपरिक अनाज को बढ़ावा देना → कुपोषण से लड़ना + जलवायु-लचीली खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना।
- **स्वच्छ भारत अभियान:** स्वच्छता में सुधार, दस्त संबंधी बीमारियों में कमी, सम्मान में वृद्धि।
  - खुले में शौच में कमी → पर्यावरणीय स्थिरता।

- **मनरेगा: पर्यावरणीय कार्य:** जलग्रहण प्रबंधन, वनरोपण, मृदा संरक्षण।
  – क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करते हुए ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दिया गया।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई):** ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने वाले ईंधन अपनाने में सक्षम बनाया गया।
  – घर के अंदर वायु प्रदूषण (श्वसन संबंधी बीमारियाँ) में कमी + कार्बन उत्सर्जन में कमी।

इन कार्यक्रमों को मूल रूप से **''जलवायु-स्वास्थ्य नीतियों''** के रूप में डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन उनके परिणाम बताते हैं कि सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता एक-दूसरे को कैसे मजबूत कर सकते हैं।

भारत के जलवायु-स्वास्थ्य एकीकरण में चुनौतियाँ -

- **एकाकी नौकरशाही:** मंत्रालय संकीर्ण अधिदेशों पर लौट जाते हैं, जिससे अंतर-क्षेत्रीय सहयोग सीमित हो जाता है।
- **वहनीयता संबंधी मुद्दे:** एलपीजी रिफिल की उच्च लागत के कारण पीएमयूवाई को अपनाना सीमित है; ग्रामीण गरीब लोग बायोमास का उपयोग कर रहे हैं।
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध:** पारंपरिक प्रथाएं (ईंधन, खुले में शौच) व्यवहार परिवर्तन में बाधा डालती हैं।
- **परिणाम बनाम आउटपुट अंतर:** निरंतर उपयोग और स्वास्थ्य परिणामों के बजाय अक्सर बुनियादी ढांचे के निर्माण (शौचालय का निर्माण, सिलेंडर वितरित) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **डेटा और निगरानी की कमी:** जलवायु नीतियों के स्वास्थ्य प्रभावों पर नजर रखने के लिए कमजोर प्रणालियाँ; मूल्यांकन खंडित बना हुआ है।
- **संरचनात्मक असमानताएं:** हाशिए पर रहने वाले समूह (ग्रामीण गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग) जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी झटकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बने हुए हैं।

वैश्विक तुलनात्मक सीख -

- **बांग्लादेश:** एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बनाए गए चक्रवात आश्रय स्थल कमजोर समुदायों की रक्षा करते हैं।
- **रवांडा:** स्वच्छ चूल्हों के राष्ट्रव्यापी वितरण से मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ तथा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई।
- **ब्राजील:** परिवार स्वास्थ्य रणनीति सामुदायिक स्वास्थ्य को पर्यावरणीय स्वच्छता के साथ जोड़ती है।
- भारत, स्वच्छ भारत और पीएमयूवाई जैसे अपने मॉडलों से सीख सकता है और उन्हें वैश्विक दक्षिण नवाचारों के रूप में प्रदर्शित भी कर सकता है।

आगे की राह -

- **स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में जलवायु को राजनीतिक रूप देना:** नेताओं को जलवायु कार्रवाई को प्रत्यक्ष स्वास्थ्य संरक्षण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए (उदाहरण के लिए, स्वच्छ हवा = अस्थमा में कमी)।
- **संस्थागत एकीकरण:** ऊर्जा, कृषि, परिवहन और शहरी परियोजनाओं, जैसे पर्यावरणीय मंजूरी, में स्वास्थ्य प्रभाव आकलन (एचआईए) को शामिल करना।
- **सामुदायिक एंकरिंग:** स्थानीय स्वास्थ्य-जलवायु संबंधों के बारे में नागरिकों को संगठित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों का उपयोग करना।
- **परिणाम-आधारित निगरानी:** सफलता को बुनियादी ढांचे से नहीं बल्कि स्वास्थ्य परिणामों (रोग में कमी, पोषण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग) से मापना।
- **वैश्विक कूटनीति:** भारत को वैश्विक दक्षिण के लिए जलवायु-स्वास्थ्य खाका के रूप में COP30, G20, BRICS में अपना कल्याण मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए।
- **वित्त एवं नवाचार:** एकीकृत परियोजनाओं के लिए जलवायु वित्त, सीएसआर और तकनीक-संचालित समाधान (एआई-आधारित रोग पूर्वानुमान, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड) का लाभ उठाना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय

नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट

संदर्भ

SRS सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय द्वारा जारी की गई।

मुख्य बिंदु –

- **अशोधित जन्म दर (CBR):** 19.1 (2022) से घटकर 18.4 (2023) (प्रति 1,000 जनसंख्या) हो गई।
  - **उच्चतम CBR:** बिहार (25.8); न्यूनतम CBR: तमिलनाडु (12)।
- **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB):** 914 (2020-22) से बढ़कर 917 (2021-23) हो गया;
  - छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (974), उत्तराखंड में सबसे कम (868)।
- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** 2023 में 25, जो 2022 में 26 और 2018 में 32 थी।
  - **उच्चतम:** छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश (37); निम्नतम: केरल (5)।
  - 40 में से 1 शिशु एक वर्ष की आयु से पहले ही मर जाता है।
- **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR):** 2022 के 30 से घटकर 2023 में 29 हो गई – यह मुख्य रूप से बालिकाओं की मृत्यु दर में कमी के कारण संभव हुआ।
- **कुल प्रजनन दर (TFR):** 2023 में घटकर 1.9 हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है।
  - दो वर्षों में पहली गिरावट (2021 और 2022 में TFR 2.0 थी)।
  - **उच्चतम TFR:** बिहार (2.8); न्यूनतम TFR: दिल्ली (1.2)।
- **क्षेत्रीय रुझान**
  - **प्रतिस्थापन से अधिक TFR:** उत्तरी/मध्य राज्यों में केंद्रित – बिहार (2.8), उत्तर प्रदेश (2.6), मध्य प्रदेश (2.4), राजस्थान (2.3), छत्तीसगढ़ (2.2)।
  - **न्यूनतम TFR राज्य:** दिल्ली (1.2), पश्चिम बंगाल (1.3), तमिलनाडु (1.3), महाराष्ट्र (1.4)।
- **बुजुर्ग जनसंख्या:** 60+ आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 9.7% हो गई (2022 में 9% से)।
  - **उच्चतम:** केरल (15%); निम्नतम: असम (7.6%), दिल्ली (7.7%), झारखंड (7.6%)।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के बारे में –

- **यह भारत की दशकीय जनगणना आयोजित करने, जनसांख्यिकीय और जनसंख्या डेटा संकलित करने और देश भर में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।**
- यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- इसने जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए सीआरएस मोबाइल ऐप विकसित किया है।

बायोकेयर (जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुनः अभिविन्यास) कार्यक्रम

संदर्भ

बायोकेयर कार्यक्रम के लिए चयनित 75 महिलाओं को स्वीकृति पत्र और वेतन में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे उनके शोध कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

बायोकेयर कार्यक्रम के बारे में –

- **उद्देश्य:** यह जैव प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में महिला शोधकर्ताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समर्पित है, तथा उन लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है, जिन्हें पहले से बाह्य अनुसंधान अनुदान नहीं मिला है।
- **पहल:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा।
- **अनुदान राशि:** 3-5 वर्ष की अवधि के लिए 40-60 लाख रुपये की अनुसंधान वित्तपोषण सहायता।
- **कवर किए गए विषय:** समर्थन कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिनमें शामिल हैं:
  - पशु और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी

- बायोइंजीनियरिंग और बायोमटेरियल्स
- चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी
- पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी और जैव ऊर्जा
- पादप और कृषि जैव प्रौद्योगिकी

- **आयु सीमा:** उम्मीदवारों को निम्न मानदंडों को पूरा करना होगा – महिलाएँ < 55 वर्ष, कोई पूर्व बाह्य अनुसंधान अनुदान (extramural PI grants) नहीं, बेरोजगार/अस्थायी भूमिकाओं में।

NIRF रैंकिंग, 2025

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 जारी की गई।

मुख्य बिंदु –

- **समग्र श्रेणी:** आईआईटी मद्रास लगातार 7वें वर्ष (2019-2025) प्रथम स्थान पर बना हुआ है।
- **विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान:** आईआईएससी बेंगलुरु: लगातार 10वें वर्ष (2016-2025) विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर।
- **प्रबंधन:** आईआईएम अहमदाबाद लगातार छठे वर्ष (2020-2025) प्रथम स्थान पर रहा।
- **चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा:** एम्स दिल्ली: लगातार 8वें वर्ष (2018-2025) चिकित्सा में प्रथम स्थान। कुल मिलाकर भी 8वां स्थान।
- **कॉलेज: हिंदू कॉलेज, दिल्ली:** लगातार दूसरे वर्ष प्रथम, मिरांडा हाउस (जो 2017-2023 तक शीर्ष पर था) को प्रतिस्थापित किया।
  - शीर्ष 10 कॉलेजों में से 6 दिल्ली से हैं।
- **वास्तुकला और योजना:** आईआईटी रुड़की: लगातार 5वें वर्ष (2021-2025) प्रथम।
- **कानून:** नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु: लगातार 8वें वर्ष (2018-2025) प्रथम।
- **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र:** आईएआरआई, नई दिल्ली: लगातार तीसरे वर्ष (2023-2025) प्रथम।
- **विशेष श्रेणियाँ**
  - **नवाचार:** आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर।
  - **सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी):** आईआईटी मद्रास इस श्रेणी में शीर्ष पर है (2025 में शुरू किया गया)।

राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के बारे में –

- **उत्पत्ति: भारतीय संस्थानों को रैंकिंग देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किया गया।**
- **मूल्यांकन मानदंड:** अलग-अलग भारांक वाली 5 व्यापक श्रेणियों का उपयोग किया जाता है
  - शिक्षण, अधिगम और संसाधन (0.30)
  - अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (0.30)
  - स्नातक परिणाम (0.20)
  - आउटरीच और समावेशिता (0.10)
  - धारणा (0.10)

हेल्थएआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क

संदर्भ

भारत हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में एआई की निगरानी को मजबूत करने के लिए हेल्थएआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क (GRN) में शामिल हो गया है।

GRN के बारे में –

- **यह देशों के बीच सहयोग, ज्ञान साझा करने और स्वास्थ्य के लिए एआई को विनियमित करने में सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है।**
- **कार्य:** सदस्यों को स्वास्थ्य के लिए एआई-संबंधित पंजीकृत समाधानों के वैश्विक सार्वजनिक भंडार तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न देशों के एआई उपकरण प्रदर्शित किए जाते हैं।
  - यह स्वास्थ्य में एआई के लिए मजबूत, मानक-आधारित नियामक तंत्र बनाने में सरकारों का समर्थन करता है।
- **सदस्यता:** प्रारंभ में भारत सहित दस अग्रणी देशों को आमंत्रित किया गया था।
- **अब तक केवल तीन देश इस पहल में शामिल हुए हैं:** ब्रिटेन (पहला), सिंगापुर और भारत।

- **अग्रणी देश को ऐसे देश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वास्थ्य दृष्टिकोण में उत्तरदायी एआई को शीघ्र अपनाने का निर्णय लेता है।**
- **हेल्थएआई** एक जेनेवा-आधारित, स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जो एआई-संचालित स्वास्थ्य नवाचारों तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC)

संदर्भ

हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड और NSTFDC ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

NSTFDC के बारे में –

- **इसकी स्थापना 2001 में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी।**

- **उद्देश्य:**
  - अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उत्थान।
  - आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
  - विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं डिजाइन और कार्यान्वित करना।
- **शासन:** इसका प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी, नाबार्ड, आईडीबीआई, ट्राइफेड, अनुसूचित जनजाति के 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।
- **कार्यान्वयन:**
  - ऋण प्रदान करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और बैंकों के माध्यम से काम करता है।
  - इसका लक्ष्य गरीब अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, जिनकी आय सीमा सामान्यत: सीमित होती है (अधिकांश योजनाओं के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष)।

NSTFDC द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाएँ –

योजना	विवरण
सावधि ऋण योजना	50 लाख रुपये तक की लागत वाली व्यवहार्य आय सृजन/स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए; परियोजना लागत का 90% तक वित्तीय सहायता।
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (AMSY)	केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए। ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजनाएँ; लागत का 90% तक ऋण; रियायती ब्याज (~4% प्रति वर्ष)
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सूक्ष्म ऋण योजना	स्वयं सहायता समूह बनाने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए। प्रति स्वयं सहायता समूह ₹ 5 लाख तक की ऋण सीमा, प्रति सदस्य अधिकतम सीमा के साथ; रियायती ब्याज (~6% या उससे कम)
आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (ASRY) (शिक्षा ऋण)	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा (पीएचडी सहित) प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता; रियायती/कम ब्याज; पाठ्यक्रम के दौरान ब्याज सब्सिडी + अधिस्थगन अवधि प्रदान की जाती है।
मार्जिन मनी सहायता योजना	विशेष रूप से स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत एसटी उद्यमियों को समर्थन देना; मार्जिन मनी (अर्थात परियोजनाएं शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी) आदि में सहायता करना।

बाल पोषण वैश्विक रिपोर्ट-2025

संदर्भ

हाल ही में यूनिसेफ द्वारा बाल पोषण रिपोर्ट 2025 जारी की गई।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **बढ़ता बचपन का मोटापा:**
  - 5% बच्चे अधिक वजन वाले हैं।
  - 20% बच्चे और किशोर (5-19 वर्ष) अधिक वजन वाले हैं- जो कि 2000 के बाद से दोगुनी दर है।
- **मोटापा बनाम अल्पपोषण (2025):**
  - मोटापे की व्यापकता: 9.4%।
  - कम वजन का प्रचलन: स्कूली बच्चों और किशोरों में 9.2%।
- **क्षेत्रीय हॉटस्पॉट:** 50% से अधिक प्रभावित बच्चे पूर्वी एशिया एवं प्रशांत, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन तथा दक्षिण एशिया में रहते हैं।

प्रवृत्ति के प्रमुख चालक –

- **सस्ते अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (UPF):** मक्का, सोया, गेहूं जैसे अवयवों पर सब्सिडी के कारण यूपीएफ ताजे खाद्य पदार्थों की तुलना में सस्ते हो जाते हैं।
  - लंबी शेल्फ लाइफ → व्यापक उपलब्धता, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के लिए।
- **आक्रामक विपणन:** डिजिटल और प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा संचालित विज्ञापन, विषय-वस्तु और विज्ञापनों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं।
- **नीतिगत कमियां:** केवल 7% देशों ने पैकेट के सामने पोषण लेबल लगाना अनिवार्य किया है।
  - केवल 8% कंपनियां स्वस्थ खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती हैं।

प्रमुख सिफारिशें

- **स्तनपान का समर्थन करना:** डिजिटल प्रतिबंधों सहित स्तन-दूध के विकल्प के विपणन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता को लागू करना।
- **स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वातावरण:** जंक फूड की उपलब्धता और विपणन को प्रतिबंधित करना। अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर कर लगाना और पैक के सामने लेबलिंग अनिवार्य करना।
- **पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना:** सब्सिडी को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की ओर पुनर्निर्देशित करना। पहुँच में सुधार के लिए स्थानीय खाद्य प्रणालियों को मजबूत बनाना।
- **सामाजिक सुरक्षा एवं जागरूकता:** निम्न-आय वाले परिवारों के लिए पौष्टिक आहार तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं का विस्तार करना। स्वस्थ भोजन की माँग बढ़ाने के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाना।

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह की शुरुआत की।

अभियान के बारे में –

- **यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान है।**
- **पहल:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **अवधि:** 17 सितम्बर – 2 अक्टूबर 2025
- **उद्देश्य:**
  - महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
  - स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार संबंधों को मजबूत करना:
    - » गैर-संचारी रोग (उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा)।
    - » एनीमिया, टीबी और सिकल सेल रोग।
    - » मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य।
  - स्वस्थ जीवनशैली प्रथाओं (पोषण, शारीरिक गतिविधि, मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता) के लिए समुदायों को संगठित करना।
  - स्वैच्छिक रक्तदान, अंगदान और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना।

जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) द्वारा जेंडर स्नैपशॉट 2025 जारी किया गया।

मुख्य बिंदु –

- **गरीबी और असमानता**
  - यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो 2030 तक 351 मिलियन महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं।
  - महिला गरीबी ~10% पर अटकी हुई है।
  - जलवायु परिवर्तन और संघर्ष से असमानताएं और अधिक बिगड़ने का खतरा है।
- **प्रगति प्राप्त**
  - 2000 के बाद से मातृ मृत्यु दर में 39% की गिरावट आई है।
  - लड़कियों के स्कूल नामांकन में सुधार हुआ है।
  - बाल विवाह में कमी आई: 2014 में 22% से 2024 में 18.6%।
- **असफलताएँ और अंतराल**
  - महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों में 2.5 गुना अधिक घंटे व्यतीत करती हैं।
  - महिलाओं के पास संसद की कुल सीटों का <1/3 हिस्सा है और प्रबंधकीय भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है → नेतृत्व में लैंगिक समानता आने में लगभग एक सदी लग सकती है।
  - डिजिटल विभाजन: 2024 में 70% पुरुषों की तुलना में केवल 65% महिलाओं ने इंटरनेट का उपयोग किया।
    - » इस अंतर को पाटने से 30 मिलियन महिलाओं को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है और 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
- **भेद्यता और हिंसा**
  - पुरुषों की तुलना में 64 मिलियन अधिक महिलाएं खाद्य असुरक्षित होंगी।
  - पिछले वर्ष 8 में से 1 महिला (15-49 वर्ष) को अपने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा।
  - 2024 में, 676 मिलियन महिलाएं और लड़कियां घातक संघर्ष के 50 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं- जो 1990 के दशक के बाद से सबसे अधिक है।
- **राजनीतिक नेतृत्व:** 102 देशों में कभी भी कोई महिला राज्य या सरकार की प्रमुख नहीं रही।
- **भविष्य के जोखिम**
  - **जलवायु परिवर्तन** (सबसे खराब स्थिति) → 2050 तक 158 मिलियन और महिलाओं को अत्यधिक गरीबी में धकेल सकता है।
  - **जनरेटिव AI का व्यवधान:** महिलाओं के रोजगार अधिक जोखिम में हैं (27.6%) बनाम पुरुषों के (21.1%)।

अवसर और सिफारिशें –

- **शिक्षा, देखभाल अर्थव्यवस्था, हरित रोजगार, सामाजिक संरक्षण में त्वरित कार्रवाई से 2050 तक महिलाओं में अत्यधिक गरीबी में 110 मिलियन की कमी आ सकती है।**
- इससे अनुमानत: 342 ट्रिलियन डॉलर का संचयी वैश्विक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- **बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा से जुड़ी → 6 तत्काल प्राथमिकताएं:** हिंसा समाप्त करना, गरीबी समाप्त करना, नेतृत्व सुनिश्चित करना, जलवायु न्याय, डिजिटल समावेशन और मजबूत निवेश।

आदि संस्कृति

संदर्भ

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आदि संस्कृति के बीटा संस्करण का अनावरण किया है।

आदि संस्कृति के बारे में –

- **यह विश्व का पहला जनजातीय डिजिटल विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य जनजातीय कलाओं और विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और प्रसारित करना है, साथ ही जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर भी सृजित करना है।**
- इसे 15 राज्यों के राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के सहयोग से बनाया गया है।
- **जरूरी भाग:**
  - **आदि विश्वविद्यालय:** 45 पाठ्यक्रमों (नृत्य, चित्रकला, शिल्प, लोकगीत, संगीत) के साथ डिजिटल आदिवासी कला अकादमी।
  - **आदि सम्पदा:** 5,000 से अधिक संग्रहित दस्तावेजों (चित्रकला, नृत्य, वस्त्र, कलाकृतियाँ, आजीविका) के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक भंडार।
  - **आदि हाट:** जनजातीय कारीगरों के लिए ऑनलाइन बाजार (ट्राइफेड से जुड़ा हुआ), जिससे उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच संभव हो सके।

पूर्ण साक्षर राज्य

संदर्भ

हिमाचल प्रदेश 5वां पूर्ण साक्षर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

मापदंड क्या है ?

- किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को **पूर्णतः साक्षर माना जाता है यदि उसकी साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो।**
- न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम के तहत उल्लास पहल (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) पूर्ण साक्षरता के लिए मानदंड और बेंचमार्क (95%) को परिभाषित करती है।
  - उल्लास के अंतर्गत कार्यात्मक साक्षरता में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और संख्यात्मकता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी शामिल हैं।
- **अन्य राज्य:** त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख

साक्षरता बनाम कार्यात्मक साक्षरता –

- **साक्षरता:** भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।
- **कार्यात्मक साक्षरता:** पढ़ने, लिखने और जानकारी को इस तरह समझने की क्षमता जो किसी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है।
  - इसमें बुनियादी निर्देशों को पढ़ना और समझना, फॉर्म भरना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आदि शामिल है।

निवेशक दीदी पहल

संदर्भ

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

पहल के बारे में –

- **यह ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए एक वित्तीय साक्षरता पहल है।**
- **इसका पहला चरण नवंबर 2022 में शुरू** किया गया था।
- आरंभकर्ता: निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से।
- **इस पहल के अंतर्गत, महिला डाक कर्मियों और सामुदायिक नेताओं को 'निवेशक दीदी' बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो स्थानीय स्तर पर वित्तीय शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं।**

IEPFA के बारे में –

- कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी।

कुर्मी और मोरन समुदाय

संदर्भ

असम में मोरन समुदाय और झारखंड में कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता के लिए अपना प्रयास तेज कर दिया है।

कुर्मी समुदाय के बारे में

- **उत्तरी और पूर्वी भारत के कई भागों में पाया जाता है-** विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड।
- वे पारंपरिक रूप से सिंधु-गंगा के मैदान में कृषि/खेत जोतने वाली जाति (यानी किसान) थे, जिन्हें भारत में प्रमुख कृषि जाति के रूप में जाना जाता था।
- **इनकों सबसे पहले आर्य प्रवासियों में से कुछ के वंशज माना जाता है।**

मोरन समुदाय के बारे में

- **वितरण: असम की स्वदेशी जनजातियाँ मुख्य रूप से ऊपरी असम – तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, शिवसागर में पाई जाती हैं।**
- **इतिहास:** अहोमों के विरुद्ध मोआमोरिया विद्रोह (1769-1805) का नेतृत्व किया।

- **भाषा एवं संस्कृति:** पहले मोरन भाषा (दिमासा से संबंधित) बोलते थे; अब बड़े पैमाने पर असमिया भाषा का प्रयोग करते हैं।
- **आजीविका:** ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ **कृषि, मछली पकड़ने** और वन संसाधनों पर निर्भर।

भारत में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की प्रक्रिया -

- **संवैधानिक आधार:**
  - **अनुच्छेद 366(25) के तहत परिभाषित** - "अनुसूचित जनजातियाँ" वे समुदाय हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है।
  - **अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल के परामर्श के बाद जनजातियों या जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करता है।
  - **अनुच्छेद 342(2):** केवल संसद ही कानून द्वारा किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।
- **मानदंड (संविधान में नहीं बल्कि सरकार/समितियों द्वारा विकसित):**
  - आदिम लक्षण / विशिष्ट संस्कृति
  - भौगोलिक अलगाव
  - व्यापक समुदाय से संपर्क करने में संकोच।
  - पिछड़ापन (सामाजिक और आर्थिक)
- **प्रक्रिया:**
  - प्रस्ताव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त होता है।
  - इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है → जहाँ इसे महापंजीयक भारत और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के साथ समीक्षा की जाती है।
  - यदि स्वीकृत हो, तो प्रस्ताव कैबिनेट समिति के पास जाता है।
  - अंततः, संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है → संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए।
  - संसद में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति समावेश की सूचना जारी करते हैं।

अपातानी जनजाति

संदर्भ

अपातानी महिलाओं के टैटू और नोज प्लग - जो कभी पहचान और सुरक्षा के प्रतीक थे, अब लुप्त हो रहे हैं।

अपातानी जनजाति के बारे में -

- **स्थान: अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की जीरो घाटी में रहने वाली स्वदेशी जनजाति।**
- **तानी नामक स्थानीय भाषा** बोलते हैं और सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं।
- **विशिष्ट पहचान:**
  - **महिलाएं पारंपरिक रूप से चेहरे पर टैटू बनाती थी और बड़ी लकड़ी की नोज प्लग पहनती थीं।**
  - नोज प्लग, जिन्हें यापिंग हुल्लो कहा जाता है, जंगल में पाई जाने वाली लकड़ी से बनाए जाते हैं।
  - टैटू (जिसे टप्पे कहा जाता है) आमतौर पर तब किया जाता था जब लड़की लगभग 10 साल की होती थी।
  - यह परंपरा अपहरण से सुरक्षा के साधन के रूप में शुरू हुई।
- **अपातानी लोग टिकाऊ गीले चावल की खेती और मछली पालन के लिए जाने जाते हैं।**

मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर WHO डेटा

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो प्रमुख रिपोर्टें जारी की हैं- वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं -

- **बढ़ता प्रचलन: 2021 में, वैश्विक आबादी का 14% हिस्सा मानसिक विकार** के साथ रहने का अनुमान था।
- **सबसे आम विकार: चिंता और अवसादग्रस्तता विकार** सभी मानसिक स्वास्थ्य मामलों के दो-तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।
- **लैंगिक असमानताएँ: महिलाएँ** चिंता, अवसाद और खाने संबंधी विकारों से असमान रूप से प्रभावित।
- **युवा संवेदनशीलता:** लगभग 50% मानसिक विकार 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू होते हैं, जो बच्चों और किशोरों के लिए जोखिम को उजागर करता है।
- **प्रणालीगत अंतराल:**
  - **कम निवेश:** मानसिक स्वास्थ्य पर औसत सरकारी खर्च = कुल स्वास्थ्य बजट का 2%।
  - **कार्यबल की कमी:** प्रशिक्षित मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भारी कमी।
  - **उपचार अंतराल:** अधिकांश देशों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले क्षेत्रों में खराब सेवा कवरेज और पहुंच।

मानसिक स्वास्थ्य पर भारत की पहल -

- **टेली-मानस:** सभी राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी टेली-परामर्श सेवा।
- **मनोदर्पण:** छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 के दौरान शुरू की गई पहल, जो महामारी के बाद भी जारी रहेगी।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):** इसका उद्देश्य बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध बनाना है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।

इसके अतिरिक्त,

- **एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण),** विशेष रूप से लक्ष्य 3.4 मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (उत्तर प्रदेश)

संदर्भ

उत्तर प्रदेश ने डेटा-आधारित जिला-स्तरीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल को ट्रैक करने और संबोधित करने के लिए भारत का पहला महिला आर्थिक सशक्तिकरण (WEE) सूचकांक लॉन्च किया।

उत्तर प्रदेश द्वारा WEE सूचकांक –

- **महिलाओं की भागीदारी पर नजर रखने वाला भारत का पहला जिला-स्तरीय उपकरण। इसमें पाँच आर्थिक पहलू शामिल हैं:** (1) रोजगार, (2) शिक्षा और कौशल विकास, (3) उद्यमिता, (4) आजीविका और गतिशीलता (5) सुरक्षा और समावेशी बुनियादी ढाँचा।
- **परिणाम/अंतर्दृष्टि:**

1. **असमानताएं स्पष्ट दिखाई देने लगीं:** कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन अधिक था, लेकिन उद्यमिता और ऋण तक पहुंच में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम था।
2. **उत्प्रेरक सुधार:** उत्तर प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में, लैंगिकता संबंधी आंकड़ों के आधार पर भर्ती की पुन: रूपरेखा बनाई गई तथा बस टर्मिनलों में महिलाओं के लिए शौचालयों का प्रावधान किया गया।
3. **भागीदारी दरों से** ध्यान हटाकर संरचनात्मक बाधाओं पर केन्द्रित किया गया।

आगे की राह –

- **प्रतिकृति एवं स्केलिंग:** आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्य WEE सूचकांक को अपना सकते हैं।
- **एमआईएस में एकीकरण:** विभागीय डेटा (एमएसएमई, आवास, परिवहन, आदि) में लैंगिक विभाजन।
- **कर्मचारियों की संख्या से परे:** महिलाओं की संख्या में वृद्धि, नेतृत्व, नौकरियों की गुणवत्ता और कार्यबल में उनकी पुन:प्रवेश पर नजर रखना।
- **सच्चा जेंडर बजट:** शिक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे में खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर लैंगिकता दृष्टिकोण लागू करना।
- **जिलावार जेंडर कार्य योजनाएँ:** सूचकांक निष्कर्षों को बजट आवंटन और कार्यक्रमगत सुधारों में परिवर्तित करना।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

संदर्भ

हाल ही में भारतीय गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स ने लड़कियों की शिक्षा में अपनी परिवर्तनकारी भूमिका के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में –

- 1958 में स्थापित, इसे अक्सर **''एशिया का नोबेल पुरस्कार''** कहा जाता है।
- इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति **रेमन मैग्सेसे** के नाम पर रखा गया है, जो अपनी **सत्यनिष्ठा, साहस और परिवर्तनकारी नेतृत्व** के लिए जाने जाते थे।
- यह पुरस्कार एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है जो महानता की भावना और लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा प्रदर्शित करते हैं।
- अब तक एशिया के 300 से अधिक प्राप्तकर्ता इसे प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें नेतृत्व, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, शिक्षा और सामुदायिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- **पिछले भारतीय प्राप्तकर्ता:** मदर टेरेसा, विनोबा भावे, एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी, सत्यजीत रे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, पी. साईनाथ।
- **2025 के अन्य पुरस्कार विजेता:** मालदीव की शाहिना अली को उनके पर्यावरणीय कार्यों के लिए और फिलीपींस के फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को गरीब और हाशिये पर पड़े लोगों के उत्थान के प्रयासों के लिए।

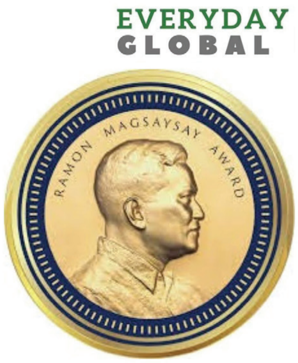

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय

अंतरिक्ष कचरा और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का भविष्य

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-3 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

संदर्भ

अंतरिक्ष क्षेत्र सबसे भीड़भाड़ वाला **''रियल एस्टेट''** बन गया है। विशेष रूप से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए उपग्रह प्रक्षेपणों में तेजी से वृद्धि, अंतरिक्ष में भीड़भाड़ और अंतरिक्ष मलबे को लेकर बढ़ती चिंताओं को जन्म दे रही है।

अंतरिक्ष उद्योग का विकास

- पिछले पांच वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार पिछले छह दशकों की तुलना में अधिक तेजी से हुआ है।
- लगभग 15,000 सक्रिय उपग्रह हैं; 2020 से 56% से अधिक लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश निम्न भू कक्षा (LEO, 500-1,000 किमी ऊंचाई) में हैं।
- LEO में ~ 60,000-100,000 उपग्रह रखे जा सकते हैं जो तेजी से भर रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) 2030 तक सेवानिवृत्त हो जाएगा → निजी स्टेशनों की नई श्रृंखला जैसे एक्सिओम स्पेस, ऑर्बिटल रीफ (ब्लू ओरिजिन), स्टारलैब आदि।
- **उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ:**
  - सैटेलाइट इंटरनेट बूम (स्पेसएक्स स्टारलिंक 7,600 से अधिक उपग्रह; 2030 तक 40,000 की योजना)।
  - पुनः प्रयोज्य रॉकेट (फाल्कन 9, फाल्कन हेवी) से लागत में 80-90% की कटौती होगी।
  - मेगा कांस्टिलेशन (100 से अधिक उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित करना)
  - निवास और अनुसंधान के लिए निजी अंतरिक्ष स्टेशन।
  - दवाओं, मिश्र धातुओं, अर्धचालकों का सूक्ष्मगुरुत्व विनिर्माण।

बढ़ते मलबे के कारण

- **उपग्रह मेगा कांस्टिलेशन:** स्पेसएक्स (स्टारलिंक), वनवेब और अमेजन (कुइपर) जैसी कंपनियां इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हजारों उपग्रह लॉन्च कर रही हैं।
  - ये कांस्टिलेशन पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में संख्या को नाटकीय रूप से बढ़ा देते हैं।
- **प्रक्षेपण लागत में कमी:** पुनः प्रयोज्य रॉकेट (फाल्कन 9, फाल्कन हेवी) ने प्रक्षेपण लागत में 80-90% की कटौती की।
- **निष्क्रिय उपग्रह:** कई उपग्रहों को उनके परिचालन जीवन (औसतन 5-10 वर्ष) की समाप्ति के बाद भी कक्षा में छोड़ दिया जाता है। वे वहां बने रहते हैं, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है।
- **विस्फोट और टक्कर:** 2009 में इरिडियम-कॉसमॉस टक्कर जैसी दुर्घटनाओं में हजारों मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए। पुराने रॉकेट चरण कभी-कभी बचे हुए ईंधन के कारण फट जाते हैं।
- **एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षण:** चीन (2007), अमेरिका (2008) और भारत (2019) द्वारा किए गए विनाशकारी परीक्षणों ने मलबे पैदा कर दिए हैं।
  - **उदाहरण:** चीन के 2007 के परीक्षण से अकेले 3,000 से अधिक ट्रैक करने योग्य टुकड़े उत्पन्न हुए।
- **वैश्विक शासन का अभाव:** अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करने के लिए कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि मौजूद नहीं है। वर्तमान दिशानिर्देश (जैसे संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देश) स्वैच्छिक है।

अंतरिक्ष कचरे के प्रभाव और जोखिम

- **टक्कर और केसलर सिंड्रोम:** 1 सेमी मलबे का टुकड़ा भी उपग्रह को निष्क्रिय कर सकता है।
  - **केसलर सिंड्रोम:** एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया जिसमें टकराव से और अधिक मलबा उत्पन्न होता है, जिससे कक्षाएँ अनुपयोगी हो जाती हैं।

- **अंतरिक्ष यात्रियों और आई.एस.एस. के लिए खतराः** अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य के मानव मिशनों को उच्च गति वाले मलबे से गंभीर खतरा है।
- **खगोल विज्ञान में व्यवधानः** मेगा कांस्टिलेशन (जैसे स्टारलिंक) से आने वाली चमक दूरबीनों के कार्य में बाधक हैं, जिससे रात्रि आकाश का स्पष्ट अवलोकन अवरुद्ध होता है।
  - उदाहरणः एएसटी स्पेसमोबाइल के ब्लूबर्ड कांस्टिलेशन जैसे उपग्रह खगोलीय प्रेक्षणों में बाधा डालते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभावः** धात्विक राख (उपग्रह पुनः प्रवेश से) एल्यूमिना कण छोड़ती है, जो ओजोन क्षरण का कारण बन सकती है और ऊपरी वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित कर सकती है।
- **भू-राजनीतिक और सुरक्षा जोखिमः** मलबे को शत्रुतापूर्ण मिसाइल हमले के रूप में देखा जा सकता है।
- **आर्थिक नुकसानः** उपग्रहों पर निर्भर महत्वपूर्ण सेवाओं को खतराः संचार, जीपीएस, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान और रक्षा।

आगे की राह

- **वैश्विक शासनः** संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक बाध्यकारी अंतरिक्ष मलबा संधि। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की भूमिका को स्पेक्ट्रम आवंटन से आगे बढ़ाकर कक्षीय यातायात प्रबंधन तक विस्तारित करना।
- **जिम्मेदार प्रक्षेपण प्रथाएंः** उपग्रहों के काम करना बंद करने के बाद उन्हें कक्षा से बाहर करना या उन्हें ग्रेवयार्ड कक्षाओं में स्थानांतरित करना तथा ऐसे जैवनिम्नीकरणीय उपग्रहों को डिजाइन करना जो पुनः प्रवेश पर पूरी तरह जल जाएं।
- **विनाशकारी ASAT परीक्षणों पर प्रतिबंधः** गैर-विनाशकारी परीक्षण (जैसे, साइबर युद्ध सिमुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग) को बढ़ावा देना।
- **मलबा हटाने के लिए प्रोत्साहनः** ''प्रदूषक द्वारा भुगतान'' सिद्धांत को प्रोत्साहित करना। मलबा शमन के अनुपालन से जुड़े बीमा प्रीमियम।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** साझा अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (एसएसए) प्रणालियां और मलबे की ट्रैकिंग पर वैश्विक डेटा-साझाकरण प्लेटफॉर्म विकसित करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारीः** सरकारों और निजी कंपनियों को संयुक्त रूप से मलबा हटाने की प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिए।

अंतरिक्ष कचरे से निपटने में इसरो की भूमिका

- **अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (एसएसए)**
  - **प्रोजेक्ट नेत्रः** मलबे और पृथ्वी के निकट स्थित वस्तुओं पर नजर रखने के लिए भारत की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
  - श्रीहरिकोटा स्थित मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (एमओटीआर) कक्षीय यातायात पर नजर रखता है।
- **जिम्मेदार उपग्रह निपटानः** RISAT-2 (2022) और मेघा-ट्रॉपिक्स-1 (2023) को नियंत्रित प्रयास द्वारा कक्षा से बाहर कर दिया गया → उन्हें मलबे में बदलने से रोका गया।
- **ASAT परीक्षण सावधानीः** मिशन शक्ति (2019) को दीर्घकालिक मलबे को कम करने के लिए कम ऊंचाई (300 किमी) पर किया गया।
- सहयोगः वैश्विक मलबे के शमन पर UNOOSA (बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) के साथ काम करता है।
- **हरित प्रौद्योगिकी में अनुसंधानः** पर्यावरण अनुकूल प्रणोदकों और प्रौद्योगिकियों की खोज करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपग्रह अपने जीवनकाल के अंत के बाद मलबे में योगदान न दें।

आइसोब्यूटेनॉल-डीजल मिश्रणः अवसर और चुनौतियाँ

सिलेबस मैपिंगः सामान्य अध्ययन-3 जैव प्रौद्योगिकी

संदर्भ

हाल ही में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ है जब डीजल में इथेनॉल मिलाने के प्रयास विफल रहे, जबकि इथेनॉल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

डीजल मिश्रण के लिए इथेनॉल का उपयोग क्यों किया गया?

- **निम्न फ्लैश प्वाइंटः** इथेनॉल कम तापमान पर प्रज्वलित हो जाता है, जिससे यह अस्थिर होता है और डीजल मिश्रण के लिए असुरक्षित हो जाता है।
- **खराब मिश्रणशीलताः** इथेनॉल, रासायनिक मिश्रण के बिना डीजल के साथ समान रूप से मिश्रित नहीं होता, जिससे लागत और परिचालन संबंधी चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

- **इंजन संगतता संबंधी समस्याएं:** डीजल के साथ इथेनॉल मिश्रण के कारण प्रज्वलन में देरी, अपूर्ण दहन और इंजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **आर्थिक बाधाएं:** इथेनॉल की कीमत स्थिर है, जबकि गन्ने की खरीद लागत बढ़ गई है, जिससे डीजल मिश्रण में इसका उपयोग हतोत्साहित हो रहा है।
- **नीतिगत प्राथमिकता:** इथेनॉल पहले से ही पेट्रोल मिश्रण (ई20 लक्ष्य) के लक्ष्य लिए आवंटित है। इसलिए इसे अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ने का औचित्य कम है।
- **वैश्विक मिसाल:** वैश्विक स्तर पर, इथेनॉल का उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोल मिश्रणों के लिए किया जाता है; डीजल मिश्रण परीक्षण असफल रहे हैं।

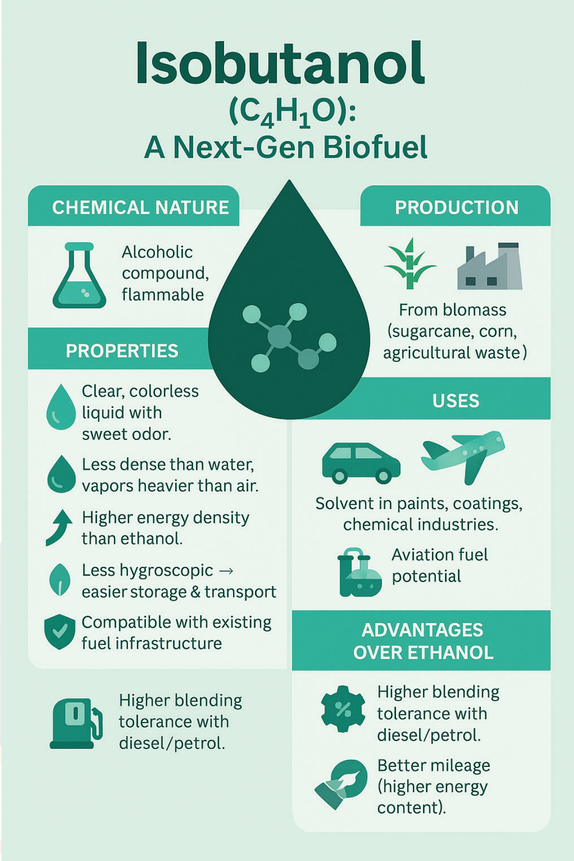

आइसोब्यूटेनॉल-डीजल मिश्रण के लाभ

- **बेहतर मिश्रण क्षमता:** इथेनॉल के विपरीत, आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ अधिक आसानी से मिश्रित हो जाता है। सह-विलायकों या योजकों की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **उच्च फ्लैश पॉइंट:** इथेनॉल की तुलना में भंडारण और परिवहन के लिए अधिक सुरक्षित। आग लगने के खतरे को कम करता है।
- **कम जल अवशोषण:** इथेनॉल की तुलना में कम आर्द्रताग्राही, जिससे लंबे समय तक भंडारण स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **आयात प्रतिस्थापन:** इससे भारत की डीजल आयात निर्भरता कम हो सकती है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- **उत्सर्जन में कमी:** स्वच्छ ईंधन का जलना, जिससे संभावित रूप से कणीय और CO_2 उत्सर्जन में कमी आएगी।
- **अधिशेष उपयोग:** अधिशेष गन्ना और अनाज का उपयोग करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है।

आइसोब्यूटेनॉल और इथेनॉल के बीच अंतर

विशेषता	इथेनॉल	आइसोब्यूटेनॉल
आणविक संरचना	C2 अल्कोहल (2 कार्बन)	C4 अल्कोहल (4 कार्बन)
फ्लैश प्वाइंट	कम (अस्थिर, डीजल के लिए असुरक्षित)	उच्चतर (डीजल मिश्रण के लिए सुरक्षित)
जल अवशोषण	अत्यधिक आर्द्रताग्राही	कम आर्द्रताग्राही, अधिक स्थिर
डीजल के साथ मिश्रणीयता	खराब सम्मिश्रण, योजकों की आवश्यकता	अधिक आसानी से मिश्रित होता है
सीटेन प्रभाव	सीटेन को मध्यम रूप से कम करता है	सीटेन को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है
भारत में उपयोग	पेट्रोल के साथ मिश्रित (E20 लक्ष्य)	डीजल के लिए पायलट परीक्षण चल रहा है

विपक्ष और तकनीकी चिंताएँ

- **कम सीटेन संख्या:** दहन की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे प्रज्वलन में देरी होती है।
  - आइसोब्यूटेनॉल की सीटेन संख्या (प्रज्वलन गुणवत्ता का माप) डीजल की तुलना में बहुत कम है।
- **डीजल नॉक का खतरा:** कम सीटेन वाले मिश्रण डीजल नॉक (असमान दहन) का कारण बन सकते हैं, जिससे इंजन को नुकसान पहुँच सकता है। परिणामस्वरूप, शक्ति और दक्षता कम हो जाती है।
- **योजक आवश्यकता:** सीटेन मान को योजकों के साथ बहाल किया जा सकता है, लेकिन अधिक लागत पर।
- **सीमित मिश्रण अनुपात:** आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण से सीटेन संख्या कम हो जाती है; इंजन के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए योजक या सीमा (~10%) की आवश्यकता होती है।
- **मिश्रणीयता संबंधी समस्याएँ:** हालाँकि यह इथेनॉल से बेहतर है, फिर भी कुछ मिश्रणीयता संबंधी समस्याएँ बनी रह सकती हैं। मिश्रण की एकरूपता में सुधार के लिए बायोडीजल मिलाना पड़ सकता है।

भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-3 प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास

संदर्भ

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ, भारत सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का एक वैश्विक केंद्र बनना चाहता है। हालाँकि निर्माण अभी भी संसाधन-प्रधान है, भारत की असली ताकत चिप डिजाइन और बौद्धिक संपदा में निहित है।

भारत के सेमीकंडक्टर तंत्र की वर्तमान स्थिति

- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम):** फैब्स, एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) इकाइयों और डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 में स्वीकृत।
  - **स्वीकृत परियोजनाएं:** गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम और ओडिशा में 10 प्रमुख सेमीकंडक्टर और एटीएमपी सुविधाएं।
- **डिजाइन क्षमता:** भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% योगदान देता है, जो इंटेल, क्वालकॉम और एनवीडिया जैसी कंपनियों में है।
- **शैक्षणिक पाइपलाइन:** 2021-22 में, 5.7 लाख छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। सरकार का चिप्स-टू-स्टार्टअप (C2S) कार्यक्रम उन्नत डिजाइन टूल्स (EDA सॉफ्टवेयर) तक पहुँच प्रदान करता है।
- **विनिर्माण प्रगति:** गुजरात में माइक्रोन की ₹22,500 करोड़ की एटीपी सुविधा निर्माणाधीन है, जो 2024 में परिचालन शुरू करेगी।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत सेमीकंडक्टर का अग्रणी उपभोक्ता है (अनुमानित 2030 तक 110 बिलियन डॉलर) लेकिन वह 100% चिप्स का आयात करता है, जो कि ज्यादातर ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन से होता है।

अर्धचालकों का सामरिक महत्व

- **डिजिटल संप्रभुता:** चिप्स रक्षा प्रणालियों, उपग्रहों, एआई, 5जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को शक्ति प्रदान करते हैं। आयात पर निर्भरता सुरक्षा कमजोरियों को जन्म देती है।
- **आर्थिक गुणक:** अर्धचालक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार हैं; वैश्विक चिप बाजार 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है।
- **आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा:** 2020 में वैश्विक चिप की कमी ने ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित कर दिया जिससे भारत की भेद्यता उजागर हुई।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** फैब और डिजाइन क्षमता वाले राष्ट्र रणनीतिक प्रभाव डालते हैं, जैसा कि अमेरिका-चीन तनाव में ताइवान पर निर्भरता में देखा गया है।
- **रोजगार सृजन:** यह क्षेत्र डिजाइन, परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण में उच्च कौशल वाली नौकरियों का सृजन करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर सेमीकंडक्टर के सकारात्मक प्रभाव

- **औद्योगिक आधार पुनरुद्धार:** स्मार्टफोन से लेकर ईवी तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
- **आत्मनिर्भर भारत:** आयातित चिप्स पर निर्भरता कम करता है और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ाता है।
- **उच्च मूल्य वाली नौकरियाँ:** डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास में इंजीनियरों के लिए अवसर पैदा करता है।
- **निर्यात को बढ़ावा:** भारत को चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनाने की क्षमता।
- **नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र:** अनुसंधान एवं विकास, पेटेंट और उत्पाद डिजाइन को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत एक सेवा अर्थव्यवस्था से उत्पादक राष्ट्र में परिवर्तित हो रहा है।
- **वैश्विक स्थिति:** वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को बढ़ाता है, अमेरिका, जापान, ताइवान और यूरोप से निवेश आकर्षित करता है।

भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **निर्माण संबंधी बाधाएं:** चिप फैब के लिए अति-शुद्ध जल, निर्बाध बिजली और भारी उपकरणों की आवश्यकता होती है जहां भारत पिछड़ा हुआ है।
- **पूंजी गहनता:** एक फैब की स्थापना में 5-10 बिलियन डॉलर की लागत आती है; सब्सिडी के बिना कम रिटर्न का जोखिम।
- **सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता:** आलोचकों (जैसे, रघुराम राजन) का तर्क है कि सब्सिडी समाप्त होने पर फैब्स कंपनियां हट जायेंगी, जिससे स्थायित्व संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी।

- **उद्योग-अकादमिक संबंध कमजोर:** भारतीय कंपनियां अनुसंधान एवं विकास में राजस्व का केवल 0.4% निवेश करती हैं, जो अमेरिका/कोरिया (~5-6%) से काफी कम है।
- **कमजोर इलेक्ट्रॉनिक्स आधार:** मामूली बुनियादी घटक भी आयात किए जाते हैं; कमजोर सहायक उद्योग।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका अग्रणी चिप नोड्स (3-7 एनएम) पर हावी हैं। भारत अभी लीगेसी नोड्स (180 एनएम) पर शुरुआत कर रहा है।
- **कौशल अंतराल:** छात्रों में उद्योग के प्रति अनुभव की कमी; कुछ ही विश्वविद्यालय चिप निर्माताओं के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला जोखिम:** फैब्स के लिए आवश्यक मशीनरी, रसायनों और गैसों के आयात पर भारी निर्भरता।

आगे की राह

- **डिजाइन और आईपी को प्राथमिकता:** चिप डिजाइन और बौद्धिक संपदा सृजन पर ध्यान केंद्रित करना, जहां भारत पहले से ही मजबूत है।
- **टिकाऊ प्रोत्साहन:** सब्सिडी को केवल पूंजीगत व्यय से नहीं, बल्कि प्रदर्शन, निर्यात और अनुसंधान एवं विकास निवेश से जोड़ना।
- **उद्योग-अकादिमक सहयोग:** फर्मों को पीएचडी के लिए धन उपलब्ध कराने तथा अग्रणी अनुसंधान समस्याओं पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना:** घटकों, परीक्षण उपकरणों और कच्चे माल के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना।
- **वैश्विक साझेदारियां:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास के लिए ताइवान, जापान और अमेरिका के साथ सहयोग करना।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** कर प्रोत्साहन के साथ उद्योग अनुसंधान एवं विकास निवेश को राजस्व के 0.4% से बढ़ाकर कम से कम 2-3% तक करना।
- **कौशल विकास:** सी2एस का विस्तार और टियर-2 शहरों में सेमीकंडक्टर कौशल केंद्र स्थापित करना।
- **उत्पादक राष्ट्र मानसिकता:** स्टार्टअप्स को संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा भारत की डिजाइन शक्ति का लाभ उठाना।

एक प्रमुख अर्धचालक शक्ति बनने के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं- प्रतिभा, मांग और नीतिगत प्रोत्साहन। हालाँकि, असली सफलता केवल सब्सिडी-संचालित परियोजनाओं के तहत चिप्स बनाने में नहीं, बल्कि ऐसे डिजाइन, पेटेंट और उत्पादों के निर्माण में निहित है जो वैश्विक मूल्य का बड़ा हिस्सा हैं।

भारत में डिजिटल संप्रभुता की आवश्यकता

सिलेबस मैपिंग: सामान्य अध्ययन-3 आईटी और कंप्यूटर

संदर्भ

विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर बढ़ती निर्भरता और हाल ही में अमेरिकी एच-1बी वीजा शुल्क वृद्धि तथा नायरा एनर्जी मामले जैसे झटके भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए डिजिटल संप्रभुता को अपनाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

डिजिटल निर्भरता: भारत एक "डिजिटल उपनिवेश" के रूप में

- भारत की डिजिटल रीढ़ अमेरिकी कंपनियों द्वारा नियंत्रित है:
  - स्मार्टफोन → एंड्रॉइड, आईओएस
  - लैपटॉप → विंडोज
  - क्लाउड → AWS, Azure, Google
  - ईमेल → आउटलुक, जीमेल
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (बैंक, हवाई अड्डे, ग्रिड, साइबर सुरक्षा) अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर चलते हैं।

केस स्टडी: नायरा एनर्जी

- माइक्रोसॉफ्ट ने गुजरात में रूस से जुड़ी नायरा एनर्जी रिफाइनरी के लिए आउटलुक और टीम्स को अचानक ब्लॉक कर दिया।
- अदालती हस्तक्षेप के बाद ही सेवाएं बहाल की गईं।
- इस घटना ने यह प्रदर्शित किया कि सॉफ्टवेयर पर विदेशी नियंत्रण किस प्रकार भारतीय उद्योगों को रातोंरात पंगु बना सकता है।

डिजिटल संप्रभुता की आवश्यकतो

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (रक्षा, ऊर्जा ग्रिड, हवाई अड्डे) विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाउड सेवाओं पर चलते हैं, जिससे बाहरी व्यवधान का खतरा पैदा होता है।
- **आर्थिक निर्भरता:**
  - भारत का 60% से अधिक आईटी निर्यात अमेरिका पर निर्भर है; तथा 85% से अधिक पश्चिमी बाजारों पर।
  - एच-1बी वीजा और अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर निर्भरता अन्य देशों को भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़त प्रदान करती है।
- **डेटा नियंत्रण और गोपनीयता:**
  - भारतीय नागरिकों और कंपनियों का भारी मात्रा में डेटा विदेशी स्वामित्व वाले सर्वरों में संग्रहीत है।
  - इससे निगरानी, दुरुपयोग और डेटा संबंधी का खतरा बढ़ जाता है।
- **तकनीकी उपनिवेशवाद:**
  - भारत की डिजिटल रीढ़ अमेरिकी कंपनियों द्वारा नियंत्रित है- फोन के लिए एंड्रॉइड/आईओएस, पीसी के लिए विंडोज, क्लाउड के लिए एडब्ल्यूएस/एज्योर, ईमेल के लिए जीमेल/आउटलुक।
  - यह अति-निर्भरता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करती है।
- **घरेलू नवाचार की हानि:**
  - भारतीय आईटी कम्पनियों ने निर्यातोन्मुखी कोडिंग सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन स्वदेशी प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम या उत्पादकता सुइट्स बनाने की उपेक्षा की।

डिजिटल संप्रभुता प्राप्त करने की चुनौतियाँ

- **विदेशी तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता:** स्मार्टफोन, पीसी, क्लाउड सेवाएं, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक सॉफ्टवेयर पर विदेशी प्रदाताओं का प्रभुत्व है।
- **स्वदेशी प्लेटफॉर्मों का अभाव:** ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, उत्पादकता सुइट्स या सोशल मीडिया के लिए मजबूत भारतीय विकल्पों का अभाव।
- **वित्त पोषण बनाम विजन गैप:** भारत में प्रतिभा तो है, लेकिन डिजिटल स्वतंत्रता के लिए दीर्घकालिक विजन-संचालित मिशन का अभाव है।
- **कमजोर साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र:** आयातित सुरक्षा उपकरणों पर भारी निर्भरता नेटवर्क सुरक्षा में अंतराल पैदा करती है।
- **उद्योग जगत का प्रतिरोध:** भारतीय आईटी दिग्गज कंपनियां स्वदेशी उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने के बजाय निर्यात बिलिंग मॉडल को प्राथमिकता देती हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता:** हार्डवेयर घटक (चिप्स, अर्धचालक) वैश्विक स्तर पर एकीकृत रहते हैं, जिससे पूर्ण स्वायत्तता मुश्किल हो जाती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **नीतिगत रूपरेखा:**
  - **डिजिटल इंडिया (2015):** डिजिटल बुनियादी ढांचे, ई-गवर्नेंस और सेवाओं को बढ़ावा देता है।
  - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (ड्राफ्ट, 2020):** नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए रूपरेखा।
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023):** डेटा संरक्षण और स्थानीयकरण प्रावधानों को प्रस्तुत करता है।
- **स्वदेशी पहल:**
  - **आधार, यूपीआई, कोविन, ओएनडीसी:** मजबूत घरेलू डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के उदाहरण।
  - एंड्रॉइड/आईओएस पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी ओएस प्रयास (BharOS) शुरू किया गया।
- **क्षमता निर्माण:** स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत स्टार्टअप और घरेलू तकनीकी अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन।
- **डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा:** आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं का भुगतान डेटा भारत में ही संग्रहीत किया जाए।
- **साइबर सुरक्षा सहयोग:** साइबर घटनाओं की निगरानी और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए CERT-In का निर्माण।

आगे की राह

- **डिजिटल स्वराज मिशन का शुभारंभ:** स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए समयबद्ध, मिशन-मोड कार्यक्रम।
- **संप्रभु क्लाउड अवसंरचना:** सख्त डेटा-स्थानीयकरण नियमों के साथ सरकार, रक्षा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय क्लाउड सिस्टम स्थापित करना।
- **स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों को बढ़ावा:** सरकारी प्रणालियों में Bhar OS या अन्य भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को धीरे-धीरे अपनाना अनिवार्य करना। खरीद नीतियों में सुधार करके मांग पैदा करना।
- **स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन:** आईपी सृजन और स्वदेशी तकनीक विकास के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** घरेलू समाधान के लिए भारतीय आईटी फर्मों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ सहयोग करना।
- **चीन से सीख:** ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और ऐप्स के लिए व्यवस्थित रूप से घरेलू प्लेटफॉर्म बनाना।

चीन का उदाहरण

- सरकारी उपयोग के लिए काइलिन ओएस (Kylin OS) और स्मार्टफोन के लिए हार्मनीओएस (Harmony OS) का निर्माण किया गया।
- घरेलू क्लाउड दिग्गज (अलीबाबा, टेनसेंट) का निर्माण किया।
- साइबर सुरक्षा, औद्योगिक सॉफ्टवेयर और डेटा स्थानीयकरण को लागू किया गया।
- यह सुनिश्चित किया गया कि विदेशी शक्तियां इसकी अर्थव्यवस्था को पंगु न बना सकें।

- **वैश्विक रणनीति:** स्वायत्तता का निर्माण करते हुए, अमेरिकी एकाधिकार को कम करने के लिए यूरोप, जापान और अन्य तटस्थ देशों के साथ डिजिटल साझेदारी में विविधता भी लानी होगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय

APK धोखाधड़ी मामला

संदर्भ

एपीके धोखाधड़ी आज देश में सबसे तेजी से बढ़ते साइबर अपराध खतरों में से एक है।

एपीके (एंड्रॉइड पैकेज किट) क्या है?

- यह एंड्रॉइड ऐप्स के लिए इंस्टॉलेशन फाइल प्रारूप है, जो विंडोज पर .exe फाइलों के समान है।
- इसमें एंड्रॉइड डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल करने और चलाने के लिए आवश्यक सभी तत्व (कोड, संसाधन, प्रमाणपत्र, अनुमतियाँ) शामिल हैं।

साइबर अपराध में APK का दुरुपयोग कैसे होता है?

- धोखेबाज लोग इन ऐप्स का निर्माण या स्रोत आधिकारिक पोर्टलों की उपस्थिति और भाषा की नकल करने के लिए करते हैं, जिनमें पीएम-किसान जैसी सरकारी सब्सिडी योजनाएं, टैक्स रिफंड प्लेटफॉर्म, बिजली बोर्ड या केवाईसी अपडेट मांगने वाले बैंक शामिल हैं।
- **वितरण:** व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस या सोशल मीडिया के माध्यम से तत्काल संदेश भेजना।
- **अनुमतियों का दुरुपयोग:** एक बार इंस्टॉल हो जाने पर, ऐप कई अनुमतियों (संपर्क, एसएमएस, सूचनाएं, स्थान, माइक्रोफोन) का अनुरोध करता है।
- **चोरी:**
  - बैंकिंग ओटीपी को इंटरसेप्ट करता है।
  - संपर्क, कॉल लॉग और अवस्थिति की जानकारी देता है
  - एन्क्रिप्टेड रूप में डेटा एकत्रित करता है और बाहरी सर्वरों को प्रेषित करता है।
- **दुरूपयोग:**
  - अनधिकृत धन हस्तांतरण
  - सावधि जमाओं को समय से पहले बंद करना।
  - धन की त्वरित लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोकरेंसी में रूपांतरण।

भारत में साइबर अपराध की वर्तमान स्थिति (2025)

- पिछले 6 महीनों में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर **12,47,393 साइबर अपराध मामले दर्ज किए गए।**
- **साइबर अपराधों में 900% की वृद्धि** (संसद के अनुसार)।

जांच संबंधी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **उन्नत तकनीकें:** धोखाधड़ी वाले APKs पहचान को दरकिनार करने के लिए एन्क्रिप्शन, छिपे हुए कोड और रीब्रांडिंग का उपयोग करते हैं।
- **सीमा पार संचालन:** सर्वर और मास्टरमाइंड अक्सर विदेश (अमेरिका, ब्रिटेन, चीन) में स्थित होते हैं, जिससे भारत का अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाता है।

- **जटिल मार्ग:** धन का लेन-देन त्वरित लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होता है, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है।
- **संगठित अपराध नेटवर्क:** डेवलपर्स, वितरक और संचालक अलग-अलग काम करते हैं, जिससे जवाबदेही कम हो जाती है।
- **विलंबित रिपोर्टिंग और कम जागरूकता:** पीड़ितों को अक्सर देर से पता चलता है, तब तक धनराशि वापस पाना संभव नहीं होता।

साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार की विभिन्न पहल

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C, 2020):** साइबर अपराध की रोकथाम और जांच में राष्ट्रव्यापी समन्वय के लिए नोडल ढांचा।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (2019):** नागरिकों के लिए साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म + हेल्पलाइन 1930।
- **नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (2020):** चोरी हुए धन को अवरुद्ध करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए रियल टाइम प्रणाली।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (2017):** मैलवेयर/बॉटनेट हटाने के लिए निःशुल्क टूल प्रदान करता है और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
- **सीईआरटी-इन (2004):** साइबर खतरे की चेतावनी जारी करने, घटनाओं से निपटने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी।

एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (AUSC) प्रौद्योगिकी

संदर्भ

सरकार एयूएससी प्रौद्योगिकी पर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने की अपनी योजना पर पुनर्विचार कर रही है, क्योंकि इसकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है।

प्रौद्योगिकी के बारे में

- यह अगली पीढ़ी के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को संदर्भित करता है जो बहुत उच्च भाप तापमान (~ 700 डिग्री सेल्सियस) और दबाव (300 बार से ऊपर) पर संचालित होते हैं।
  - यह सुपरक्रिटिकल (एससी) और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल (यूएससी) प्रौद्योगिकियों से अधिक उन्नत है।
- दक्षता: AUSC संयंत्र ~46% दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, इसकी तुलना में:
  - » सबक्रिटिकल: ~38%
  - » सुपरक्रिटिकल: ~41%
  - » अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल: ~42-43%
  - उच्च दक्षता का अर्थ है समान विद्युत उत्पादन के लिए कम कोयले की आवश्यकता।
- **पर्यावरणीय लाभ:** यूएससी इकाइयों की तुलना में CO_2 उत्सर्जन में लगभग 10-15% की कमी आती है।
  - ईंधन की खपत कम होने से अन्य प्रदूषकों में भी कमी आती है।
- **प्रौद्योगिकी विशेषताएँ:** उच्च तापमान और दबाव को झेलने के लिए विशेष मिश्रधातुओं (निकल-आधारित, क्रोमियम-आधारित) की आवश्यकता होती है।
  - उन्नत बॉयलर, टरबाइन और हीट एक्सचेंजर डिजाइन शामिल हैं।

डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN)

संदर्भ

डाक विभाग ने DIGIPIN को समर्थन देने के लिए कंपनी के मानचित्रण प्लेटफार्मों और उत्पादों का उपयोग करने हेतु मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

डिजिपिन के बारे में

- डिजिपिन एक अद्वितीय **दस-अक्षर वाला अल्फान्यूमेरिक कोड है,** जो भारतीय भूमि पर लगभग 4 गुणा 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली किसी भी संपत्ति के लिए तैयार किया जा सकता है।
- इसे डाक विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (इसरो का एक केंद्र) द्वारा विकसित किया गया है।
- **विशेषताएँ:**
  - डिजिपिन एक ओपन सोर्स, अंतर-संचालनीय और गोपनीयता-केंद्रित प्रणाली है।
  - प्रत्येक DIGIPIN को उस संपत्ति के भौगोलिक निर्देशांक के साथ एनकोड किया जाता है, इसलिए यह कोई व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत नहीं करता है।
  - यह पारंपरिक छह अंकों वाली पिन प्रणाली की जगह नहीं लेगा। बल्कि, इसका उद्देश्य मौजूदा डाक पतों के ऊपर सटीकता की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करना है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम)

संदर्भ

कर्नाटक को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के हब गवर्निंग बोर्ड (एचजीबी) में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है?

- **अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा** अनुमोदित।
- अवधि: **8 वर्ष (2023-2031).**
- परिव्यय: **₹6,003 करोड़**।
- **उद्देश्य: निम्नलिखित** में क्वांटम प्रौद्योगिकियों का विकास करना:
  - क्वांटम कम्प्यूटिंग
  - क्वांटम संचार

- – क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
- – क्वांटम सामग्री और उपकरण
- **क्वांटम प्रौद्योगिकी में** भारत को अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।
- उन्नत अनुसंधान और नवाचार के लिए स्वदेशी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

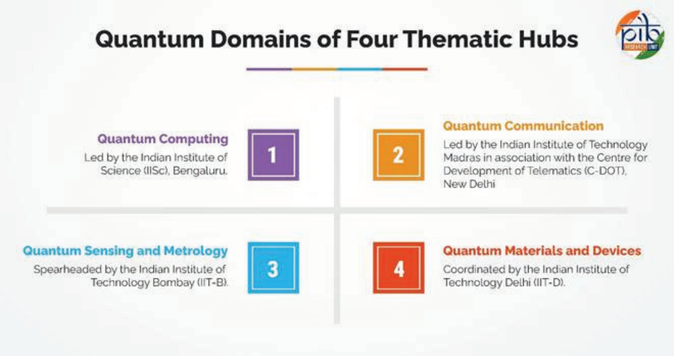

प्रमुख विशेषताएँ

- **हब-एंड-स्पोक मॉडल:** शीर्ष शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों में चार हब स्थापित किए जाएंगे।
  - – प्रत्येक केंद्र क्वांटम प्रौद्योगिकी के एक विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** 8 वर्षों में मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर (50-1000 क्यूबिट) विकसित करना।
- **क्वांटम संचार:** 2,000 किमी लंबी दूरी तक सुरक्षित क्वांटम संचार।
  - – भारत में तथा वैश्विक साझेदारों के साथ उपग्रह आधारित क्वांटम संचार का विकास करना।
- **क्वांटम सामग्री और उपकरण:** सटीक समय, नेविगेशन और इमेजिंग के लिए सेंसर विकसित करना।
  - – रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सुरक्षा में अनुप्रयोग।
- **क्षमता निर्माण:** क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कुशल कार्यबल का निर्माण करना।
  - – स्टार्टअप और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना।

पहल

- **क्वांटम-सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र ढांचा:** क्वांटम युग के खतरों से भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए रणनीतिक रोडमैप।
- **डीआरडीओ परियोजनाएं:** क्वांटम-लचीली सुरक्षा योजनाओं का डिजाइन और परीक्षण।
  - – क्वांटम-सुरक्षित सममित और असममित कुंजी एल्गोरिदम विकसित करना।
- **एसईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और सुरक्षा के लिए सोसायटी):** पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पीक्यूसी) अनुसंधान को आगे बढ़ाना।
  - – FIDO प्रमाणीकरण टोकन और IoT सुरक्षा में PQC एल्गोरिदम को कार्यान्वित किया गया।
- **सी-डॉट (टेलीमैटिक्स विकास केंद्र):** क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) विकसित किया गया।
  - – पीक्यूसी और क्वांटम-सिक्योर वीडियो आईपी फोन संबंधी विकास।

हब गवर्निंग बोर्ड (HGB)

- यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत **सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।**
- यह **हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत कार्य करता है।**

मेजराना कण

संदर्भ

व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर बनाने के वैश्विक प्रयास में, वैज्ञानिक अपरंपरागत अवधारणाओं जैसे मेजराना कणों के उपयोग की खोज कर रहे हैं।

मेजराना कण क्या है?

- **एट्टोर मेजराना (1937)** द्वारा प्रस्तावित।
- **एक फर्मिऑन जो स्वयं अपना प्रतिकण है-** इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों के विपरीत जिनके अलग प्रतिकण होते हैं।
- **उच्च ऊर्जा भौतिकी** में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन प्रकृति में इसका निर्णायक रूप से अवलोकन नहीं किया गया है।
- **संघनित पदार्थ प्रणालियों में, कुछ क्वासिपार्टिकल्स** मेजराना फर्मिऑन की तरह व्यवहार करते हैं।
- **इन्हें मेजराना शून्य मोड कहा जाता है, जो अक्सर अतिचालक नैनोवायर** के सिरों पर पाए जाते हैं।

फर्मिऑन

- कणों का एक वर्ग हैं जिनका स्पिन हमेशा हाफ इंटीजर होता है (उदाहरण के लिए, 1/2, -1/2, 3/2) और वे पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं (कोई भी दो समान फर्मिऑन एक ही समय में एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते हैं)।
- **उदाहरण:**
  - – **प्राथमिक फर्मिऑन:** इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, आदि।
  - – **संयुक्त फर्मिऑन:** प्रोटॉन और न्यूट्रॉन (क्वार्क से बने)।

E-20 ईंधन

संदर्भ

हाल ही में सरकार ने 2025-26 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए गन्ने के रस, चीनी सिरप और गुड़ से इथेनॉल उत्पादन पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं।

E 20 ईंधन के बारे में

- E20 ईंधन एक गैसोलीन मिश्रण है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है।
- इथेनॉल घटक आमतौर पर गन्ने के रस, चीनी सिरप या गुड़ से प्राप्त होता है।
- क्या E20 ईंधन पेट्रोल से बेहतर है? E20 ईंधन कम कार्बन उत्सर्जन और स्वच्छ दहन के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है।
  - यह ऊर्जा स्वतंत्रता का समर्थन करता है।
  - हालाँकि, इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, जिससे माइलेज में थोड़ी कमी होती है।
    - उदाहरण के लिए, E10 के लिए डिजाइन किए गए लेकिन E20 के लिए कैलिब्रेटेड चार पहिया वाहनों के लिए, माइलेज में कमी 1-2% है और दोपहिया वाहनों के लिए, गिरावट लगभग 3-6% है।

एडल्ट न्यूरोजेनेसिस

संदर्भ

स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा एक अध्ययन ने एडल्ट न्यूरोजेनेसिस के बारे में नए साक्ष्य प्रदान किए हैं।

न्यूरोजेनेसिस क्या है?

- यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स (तंत्रिका कोशिकाएं) बनते हैं।
- यह मुख्य रूप से हिप्पोकैम्पस (डेंटेट गाइरस) में होता है, जो स्मृति, सीखने और भावनात्मक पहलुओं के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है।

नई खोज क्या है?

- नये अध्ययन ने इस बात के पुख्ता सबूत दिये हैं कि वयस्क मानव मस्तिष्क में, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस में, न्यूरोजेनेसिस जारी रहता है।
- इससे यह पुरानी मान्यता पलट जाती है कि बचपन के बाद नए न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं।
- **महत्व:**
  - स्तनधारियों में वयस्क न्यूरोजेनेसिस को एक संरक्षित विशेषता के रूप में स्थापित करता है।
  - यह बताता है कि वयस्क मस्तिष्क सीखने और स्मृति में लचीलापन कैसे बनाए रखता है।
  - यह अल्जाइमर, पार्किंसंस और मनोभ्रंश जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के इलाज के लिए पुनर्योजी चिकित्सा की आशा प्रदान करता है।

प्रोटीन भाषा मॉडल

संदर्भ

अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल (पीएलएम) के "ब्लैक बॉक्स" के अंदर देखने के लिए एक विधि विकसित की है।

प्रोटीन भाषा मॉडल (PLM) क्या है?

- **यह एक प्रकार का लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम)** है जो मानव भाषाओं पर नहीं, बल्कि प्रोटीन अनुक्रमों पर प्रशिक्षित होता है।
- जिस प्रकार सामान्य एलएलएम वाक्य में अगले शब्द की भविष्यवाणी करते हैं, उसी प्रकार पीएलएम अनुक्रम में **अगले अमीनो एसिड की भविष्यवाणी करते हैं।**

> - अमीनो एसिड (कुल 20 प्रकार) प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, और उनका अनुक्रम प्रोटीन के 3D आकार और कार्य को निर्धारित करता है।
> - **प्रकार:**
>   - **आवश्यक अमीनो एसिड (9):** मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता → आहार से आता है (जैसे, ल्यूसीन, लाइसिन)।
>   - **गैर-आवश्यक अमीनो एसिड (11):** शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है (जैसे, एलानिन, ग्लूटामाइन)।

- **उपयोगी क्यों?**
  - पीएलएम अनुक्रम, संरचना और कार्य के बीच छिपे हुए पैटर्न का पता लगा सकते हैं।
  - वे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उत्परिवर्तन (एक अमीनो एसिड में परिवर्तन) किस प्रकार प्रोटीन के आकार या कार्य को बदल सकता है।
  - इससे प्रयोगशाला में वर्षों का काम (जैसे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी या माइक्रोस्कोपी) बच जाता है और दवा और टीका डिजाइन में तेजी आती है।

ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

संदर्भ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) हर साल 7 सितंबर को विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस मनाता है।

ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में

- यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी के कारण मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनता है।
- यह मांसपेशीय दुर्विकार का सबसे आम और गंभीर रूप है।
- **कारण:** एक्स गुणसूत्र पर डीएमडी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है।

STUDY IQ PUBLICATIONS

- यह जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन पर निर्भर है, जो मांसपेशियों की ताकत और स्थिरता के लिए आवश्यक प्रोटीन है।
- चूंकि यह एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, इसलिए यह मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करता है (आमतौर पर महिलाएं इसकी वाहक होती हैं)।

- **इलाज:** अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है।

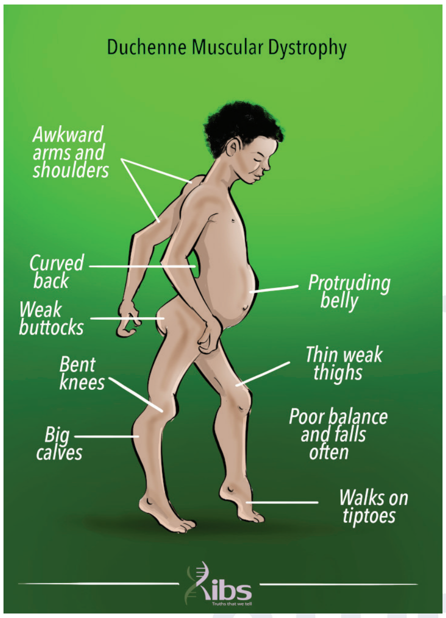

ऑप्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम

संदर्भ

टैम्पेरे विश्वविद्यालय (फिनलैंड) और यूनिवर्सिटी मैरी एट लुई पाश्चर (फ्रांस) के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के एआई हार्डवेयर के लिए ऑप्टिकल फाइबर-आधारित कंप्यूटिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया है।

प्रयोग क्या था?

- **अरैखिक प्रकाश व्यवस्था में ऑप्टिकल फाइबर छवि** पहचान जैसे एआई कार्य कर सकते हैं।
- **एक्सट्रीम लर्निंग मशीन (ईएलएम)** मॉडल का उपयोग करते हुए, उन्होंने हस्तलिखित अंकों को वर्गीकृत करने में **91-93% सटीकता हासिल की - जो लगभग इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से मेल खाती है, लेकिन उच्च गति और कम ऊर्जा उपयोग के साथ।**

ऑप्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में

- ऑप्टिकल (या फोटोनिक) कंप्यूटिंग सिस्टम ऐसे कंप्यूटर हैं जो सूचना को संसाधित करने, संचारित करने और संग्रहीत करने के लिए **इलेक्ट्रॉनों के बजाय फोटॉन (प्रकाश कण) का उपयोग करते हैं।**
- **वे कैसे काम करते हैं:**
  - **वे लेजर, लेंस, मॉड्यूलेटर, ऑप्टिकल फाइबर और फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट (पीआईसी) जैसे ऑप्टिकल घटकों पर निर्भर करते हैं।**
  - सूचना को प्रकाश के गुणों तीव्रता, तरंगदैर्ध्य या ध्रुवीकरण में एनकोड किया जाता है और गणना करने के लिए उसमें हेरफेर किया जाता है।
- **लाभ:**
  - **गति:** फोटॉन प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं।
  - **ऊर्जा दक्षता:** इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में कम ऊष्मा उत्सर्जन।
  - **उच्च बैंडविड्थ:** विभिन्न प्रकाश तरंगदैर्ध्य का उपयोग करके एक साथ विशाल मात्रा में डेटा ले जा सकता है।
- **अनुप्रयोग:**
  - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)** - प्रशिक्षण और अनुमान में तेजी लाना।
  - लार्ज डेटा और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग
  - **दूरसंचार एवं इंटरनेट** - डेटा स्थानांतरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में पहले से ही व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - **रक्षा एवं वैज्ञानिक सिमुलेशन** के लिए अति तीव्र गणना की आवश्यकता होती है।

मंगल ग्रह पर बायोसिग्नेचर की खोज

संदर्भ

नासा ने घोषणा की है कि उसके **मार्स रोवर पर्सिवरेंस** ने चेयावा फॉल्स नामक चट्टान के नमूने में संभावित **"बायोसिग्नेचर" का पता लगाया है।**

बायोसिग्नेचर क्या हैं?

- बायोसिग्नेचर **ऐसे पदार्थ, तत्व, अणु या संरचनाएँ हैं** जो भूतकाल या वर्तमान जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं।
- ये संभावित **जैविक उत्पत्ति का संकेत देते हैं**, हालाँकि गैर-जैविक प्रक्रियाएँ कभी-कभी उनकी नकल भी कर सकती हैं।

मंगल 2020 पर्सिवरेंस रोवर मिशन

- **प्रक्षेपण:** नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा
- **मिशन अवधि:** कम से कम **1 मंगल वर्ष (~687 पृथ्वी दिवस) के लिए नियोजित**, अनिश्चित काल के लिए विस्तारित
- **उद्देश्य:**
  - **प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज:** चट्टानों और मिट्टी में संभावित जैव-संकेतों का पता लगाना।
  - **नमूने एकत्र करना:** भविष्य के मंगल नमूना वापसी मिशन के लिए चट्टान और रेगोलिथ के नमूनों को सीलबंद ट्यूबों में संग्रहित करना।
  - **मंगल ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु का अध्ययन:** मंगल ग्रह पर जल और आवास के इतिहास को समझना।

– **भविष्य के मानव मिशनों के लिए परीक्षण प्रौद्योगिकियां:** जिसमें वायुमंडल में CO_2 से ऑक्सीजन उत्पादन भी शामिल है।

प्रमुख उपकरण और विशेषताएं

- SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman - Luminescence for Organics and Chemicals): कार्बनिक यौगिकों का पता लगाता है।
- PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry): चट्टानों का विस्तृत रासायनिक विश्लेषण प्रदान करता है।
- MOXIE (मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरीमेंट): मंगल ग्रह के CO_2 से ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया।
- **सुपरकैम:** लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके चट्टान संरचना का अध्ययन करता है।
- **इन्जेन्युइटी हेलीकॉप्टर:** छोटा ड्रोन जिसने **किसी अन्य ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी।**

ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज (BROADLY NEUTRALISING ANTIBODIES)

संदर्भ

जर्नल ऑफ वायरोलॉजी अध्ययन (ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद) में पाया गया कि भारतीय एचआईवी स्ट्रेन को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से वी3 ग्लाइकेन क्षेत्र को लक्षित करने वाले बीएनएबी द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है।

बीएनएबी (ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज) क्या हैं?

- एक प्रकार का एंटीबॉडी जो वायरस के कई अलग-अलग प्रकारों को बेअसर कर सकता है, विशेष रूप से एचआईवी-1
- सर्वप्रथम 1994 में पहचाना गया (एंटीबॉडी बी12)।
- **वे कैसे काम करते हैं:** वे एचआईवी स्पाइक प्रोटीन के महत्वपूर्ण भागों (जैसे V3 ग्लाइकेन या CD4 बाइंडिंग साइट) से चिपक जाते हैं, जिनकी वायरस को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है।
  – यदि एचआईवी उनमें उत्परिवर्तन कर देता है, तो वह संक्रमित करने की अपनी शक्ति खो देता है।
- **एंटीबॉडी क्या हैं?** एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित होते हैं जो शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में मदद करते हैं।

आयन क्रोमैटोग्राफी

संदर्भ

ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल आयन क्रोमैटोग्राफ (एक्वामोनिट्रिक्स) विकसित किया है।

क्रोमैटोग्राफी क्या है?

- क्रोमैटोग्राफी एक पृथक्करण तकनीक है जिसका उपयोग किसी मिश्रण के घटकों को किसी माध्यम में उनकी गति के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है।
- **यह काम किस प्रकार करता है:**
  – मिश्रण (नमूना) को "मोबाइल चरण" (तरल या गैस) में घोला जाता है।
  – एक "स्थिर चरण" (ठोस सतह या स्तंभ) के माध्यम से गुजारा जाता है।
  – विभिन्न घटक अलग-अलग गति से चलते हैं → अलग हो जाते हैं।
- **अनुप्रयोग: फोरेंसिक, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा, जल परीक्षण और रासायनिक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।**

आयन क्रोमैटोग्राफी (आईसी) क्या है?

- **विशेष प्रकार की क्रोमैटोग्राफी जिसे विलयन में आयनों (आवेशित कणों)** को अलग करने और मापने के लिए डिजाइन किया गया है।

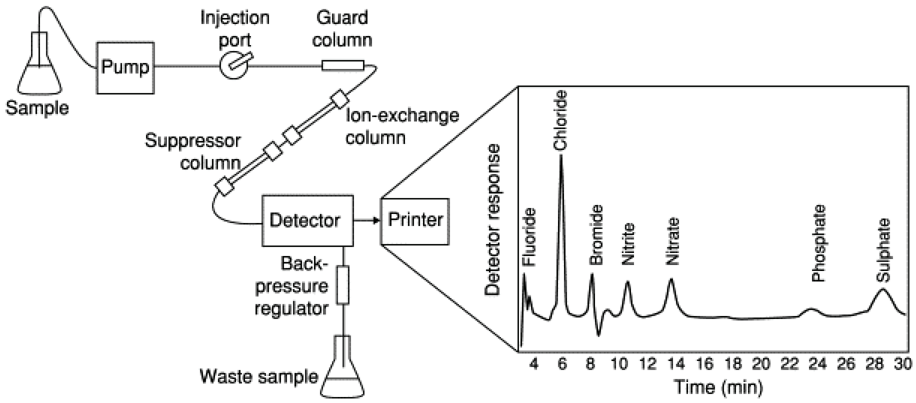

- **यह काम किस प्रकार करता है:**
  – नमूना विलयन एक ऐसे स्तंभ से होकर गुजरता है जो आयनों के साथ अंत:क्रिया करने वाले पदार्थ से भरा होता है।
  – विभिन्न आयनों (ऋणायनों या धनायनों) को इस आधार पर अलग किया जाता है कि वे स्तंभ के साथ कितनी दृढ़ता से अंत:क्रिया करते हैं।

STUDY IQ PUBLICATIONS

- एक डिटेक्टर (जैसे UV अवशोषण) उन्हें पहचानता है और मापता है।

- **आईसी प्रणाली के घटक:**
  - **पंप:** एक स्थिर प्रवाह दर पर एलुएंट (मोबाइल चरण) वितरित करता है।
  - **इंजेक्टर:** नमूने को मोबाइल चरण में प्रवाहित करता है।
  - **आयन-विनिमय स्तंभ:** इसमें रेजिन होता है जो आवेश के आधार पर आयनों को अलग करता है।
  - **सप्रेशर (वैकल्पिक):** संसूचन संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए एलुएंट की पृष्ठभूमि चालकता को कम करता है।
  - **डिटेक्टर:** सामान्यत: चालकता डिटेक्टर; यूवी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भी उपयोग किया जा सकता है।
  - **डेटा सिस्टम:** क्रोमैटोग्राम को रिकॉर्ड और विश्लेषण करता है।
- **उपयोग:**
  - **पर्यावरण विश्लेषण:** जल में प्रदूषकों का पता लगाना (जैसे, नाइट्रेट, सल्फेट, भारी धातुएं)।
  - **औद्योगिक गुणवत्ता नियंत्रण:** इलेक्ट्रोलाइट्स और खाद्य उद्योगों की निगरानी।
  - **जैविक एवं नैदानिक अनुसंधान:** रक्त, मूत्र या अन्य जैविक तरल पदार्थों में आयनों का मापन।
  - **विद्युत एवं अर्धचालक उद्योग:** संदूषण के लिए अति-शुद्ध जल का विश्लेषण।

फ्रंटियर 50 पहल

संदर्भ

नीति आयोग द्वारा अपने फ्रंटियर टेक हब के अंतर्गत फ्रंटियर 50 पहल शुरू की गई।

यह क्या है?

- यह सेवा वितरण, उत्पादकता और नागरिक कल्याण में सुधार के लिए 50 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में अग्रणी प्रौद्योगिकियों (एआई, आईओटी, ड्रोन, ब्लॉकचेन) को तैनात करने की एक पहल है।
- **उद्देश्य:** एआई क्षमता को क्षेत्र-विशिष्ट परिणामों में परिवर्तित करना।
- **उद्देश्य:**
  - फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी से सिद्ध फ्रंटियर टेक उपयोग मामलों को तेजी से अपनाना।
  - **जेनरेटिव एआई के साथ अनुसंधान एवं विकास को रूपांतरित करना →** नवाचार-संचालित विकास को बढ़ावा देना।
    - » **लक्ष्य:** उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि के माध्यम से भारत की 8% विकास दर की महत्वाकांक्षा को समर्थन प्रदान करना।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कल्याणकारी वितरण को बेहतर बनाना।
  - 2047 तक अल्प-सेवा प्राप्त क्षेत्रों में डिजिटल और विकास संबंधी अंतर को पाटना।
- **पूरक पहल: नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट पुरस्कार →** प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले 3 राज्यों को मान्यता प्रदान करना, जिससे व्यापक प्रभाव संभव हो सके।

नीति आयोग एआई और अग्रणी प्रौद्योगिकियों को **आर्थिक विकास, नवाचार और शासन के चालकों** के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसमें जिलों से राज्यों तक प्रभाव को बढ़ाने के लिए संरचित तंत्र हैं, साथ ही स्टार्टअप, सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

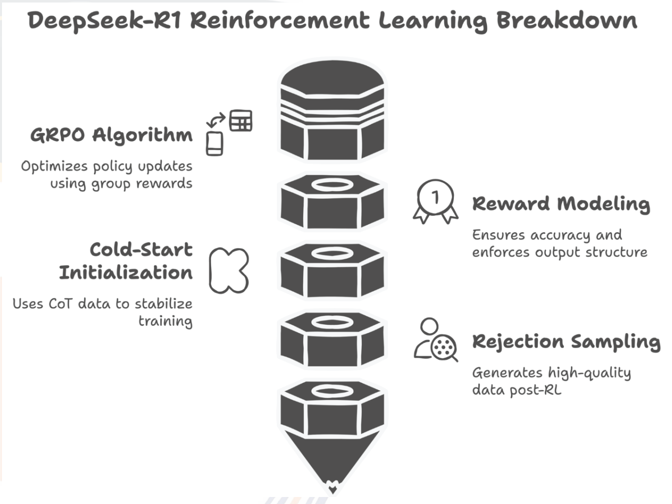

रिइन्फोर्समेंट लर्निंग

संदर्भ

डीपसीक-आर1 रिइन्फोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करके रीजनिंग के नए रूपों को विकसित कर सकता है।

रिइन्फोर्समेंट लर्निंग (आरएल) के बारे में

- मशीन लर्निंग की एक शाखा इस बात पर केंद्रित है कि गतिशील वातावरण में स्वायत्त एजेंट किस प्रकार निर्णय लेते हैं।
- प्रत्यक्ष मानवीय पर्यवेक्षण या स्पष्ट निर्देशों के बिना, परीक्षण और त्रुटि दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य करता है।
- **प्रक्रिया:** एजेंट एक कार्रवाई करता है → पुरस्कार या दंड प्राप्त करता है → भविष्य के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अपनी रणनीति को अद्यतन करता है।
- **लक्ष्य:** कार्यों का सर्वोत्तम क्रम सीखकर समय के साथ संचयी रिवार्ड को अधिकतम करना।

- **मुख्य तत्व:**
  - **एजेंट** → शिक्षार्थी/निर्णयकर्ता।
  - **वातावरण** → वह सेटिंग जिसमें एजेंट कार्य करता है।
  - **रिवार्ड संकेत** → फीडबैक तंत्र जो सीखने का मार्गदर्शन करता है।

इंडिया-एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026

संदर्भ

इंडिया-एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 19-20 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- **मार्गदर्शक सूत्र:** लोग, ग्रह, प्रगति।
- **7 विषयगत चक्र:** मानव पूंजी, समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, लचीलापन, विज्ञान, एआई का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक भलाई।
- **प्रमुख पहल:**
  - एआई पिच फेस्ट (उड़ान) - भारत के टियर 2 और 3 हब से एआई स्टार्टअप का प्रदर्शन।
  - युवाओं, महिलाओं और अन्य लोगों के लिए वैश्विक नवाचार चुनौतियां - एआई-संचालित समाधानों को बढ़ावा देना।
  - अंतर्राष्ट्रीय एआई सहयोग के लिए अनुसंधान संगोष्ठी।
  - एआई एक्सपो
- **लोगो:** अशोक चक्र

एक्सट्रीम न्यूक्लीयर ट्रांजिएंट्स (ENTS)

संदर्भ

हवाई विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान संस्थान (आईएफए) के खगोलविदों ने एक नई श्रेणी की घटना की खोज की है, जिसे एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ईएनटी) कहा जाता है।

ईएनटी क्या हैं?

- ईएनटी तब घटित होते हैं **जब बहुत बड़े तारे जो सूर्य से कम से कम तीन गुना भारी होते हैं** आकाशगंगाओं के केन्द्र में स्थित अतिविशाल ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरते हैं।
- स्पैगेटीफिकेशन नामक प्रक्रिया में तारे को अलग कर देता है, जहां तारा एक लंबे, पतले आकार में खिंच जाता है।
- नष्ट हुए तारे का मलबा ब्लैक होल में गिरता है, जिससे ऊर्जा का एक अद्‌भुत विस्फोट उत्पन्न होता है, जिसे हम ईएनटी के रूप में देखते हैं।

वे अन्य घटनाओ से किस प्रकार भिन्न हैं?

- **टाइडल विघटन घटनाएँ (टी.डी.ई.):** दोनों में ब्लैक होल द्वारा विखंडित तारे शामिल होते हैं, लेकिन ई.एन.टी. अधिक विशाल तारों और बड़े ब्लैक होल के साथ घटित होती हैं, जिससे वे कहीं अधिक दुर्लभ और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।
- **तीव्र एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (एफएक्सटी):** ईएनटी के विपरीत, एफएक्सटी अल्पकालिक एक्स-रे चमक हैं जो तब उत्पन्न होती हैं जब सुपरनोवा से निकलने वाले जेट किसी तारे की सतह को भेदने में विफल हो जाते हैं। ये कमजोर, संक्षिप्त और मूल रूप से बहुत भिन्न होते हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर

संदर्भ

चीन ने आधिकारिक तौर पर जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला (जूनो) का शुभारंभ किया है, जो अब न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली और उन्नत सुविधा है।

जूनो के बारे में

- मुख्य लक्ष्य:
  - न्यूट्रिनो के **द्रव्यमान पदानुक्रम** का निर्धारण करना (कौन सा प्रकार भारी/हल्का है)।
  - **न्यूट्रिनो दोलन आवृत्ति** को मापने के लिए (न्यूट्रिनो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में कैसे बदलते हैं)।
- जूनो विश्व के सबसे बड़े तरल सिंटिलेटर डिटेक्टरों में से एक है, जिसे विकिरण से बचाने के लिए जमीन के नीचे गहराई में स्थापित किया गया है।

न्यूट्रिनो क्या है?

- न्यूट्रिनो एक सबएटॉमिक **कण है, जिसे** अक्सर घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है।
- गुण:
  - कोई विद्युत आवेश नहीं, आकार लगभग शून्य, तथा द्रव्यमान अत्यंत कम।
  - लगभग प्रकाश की गति से यात्रा।
  - पदार्थ से लगभग बिना किसी अंत:क्रिया के गुजरना (हर सेकंड अरबों पदार्थ हमारे शरीर से गुजर जाते हैं)।
- **प्रकार:** तीन प्रकार - **इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो।**
- **प्रचुरता:** ब्रह्मांड में फोटॉन (प्रकाश कण) के बाद दूसरा सबसे प्रचुर कण।
- **पता लगाने में कठिनाई:** ये केवल **कमजोर नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया** करते हैं, जिससे इनका पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

अन्य प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाएँ

- **भारत-आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ):** डीएई और डीएसटी द्वारा वित्त पोषित; बोडी वेस्ट हिल्स, थेनी जिला, तमिलनाडु में स्थित।
- **आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला:** दक्षिणी ध्रुव पर स्थित; ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए डीप आइस का उपयोग करती है।
- **चीन का ट्राइडेंट:** एक गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो दूरबीन परियोजना।
- **अमेरिका का ड्यून:** उन्नत न्यूट्रिनो अनुसंधान के लिए डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो प्रयोग।

बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स

संदर्भ

भारत अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए **''बॉडीगार्ड उपग्रह''** विकसित करने की योजना बना रहा है, यह योजना 2024 की उस घटना के बाद बनाई जा रही है, जिसमें एक पड़ोसी देश का उपग्रह इसरो उपग्रह के 1 किमी के दायरे में आ गया था।

बॉडीगार्ड सैटेलाइट क्या है?

- बॉडीगार्ड उपग्रह एक अंतरिक्ष यान है जिसे कक्षा में अन्य **उपग्रहों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।**
- इसके **कार्यों में शामिल हैं:**
  - निकटवर्ती या शत्रुतापूर्ण उपग्रहों से **खतरों का पता लगाना और उनकी पहचान करना।**
  - जैमिंग, लेजर चकाचौंध या भौतिक टक्कर जैसे हमलों का प्रतिकार करना।
  - असामान्य दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) जैसे सेंसर के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रदान करना।
  - संरक्षित उपग्रहों को **सुरक्षित रूप से पुनः स्थापित करने में सहायता करना।**
- मूलतः, **यह अंतरिक्ष में एक ढाल या अनुरक्षक के रूप में कार्य करता है**, तथा महत्वपूर्ण संचार, नेविगेशन और निगरानी उपग्रहों की सुरक्षा करता है।

फेंटानाइल/फेंटानिल

संदर्भ

अमेरिकी कांग्रेस को भेजी गई सूची के नवीनतम संस्करण में भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान सहित 23 देशों को अवैध दवाओं, विशेष रूप से फेंटेनाइल के महत्वपूर्ण स्रोत और/या पारगमन स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

फेंटेनाइल के बारे में

- यह एक शक्तिशाली **सिंथेटिक ओपिओइड** है जिसका उपयोग एनाल्जेसिक (दर्द निवारक) और एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है।
- यह **मॉर्फिन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली और हेरोइन से 50 गुना अधिक प्रभावशाली है।**
- स्वास्थ्य जोखिम:
  - अधिक मात्रा के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं: पुतलियों के आकार में परिवर्तन, सायनोसिस (ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा का नीला पड़ना), श्वसन विफलता जिसके कारण मृत्यु हो सकती है आदि।
- **अन्य ओपिओइड:** ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन आदि। ये दर्द से राहत देते हैं, लेकिन अत्यधिक नशे की लत वाले होते हैं।
- **अत्यधिक नशे की लत प्रकृति:**
  - ओपिओइड्स तत्काल राहत प्रदान करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जल्दी ही खत्म हो जाता है, जिससे इनका बार-बार उपयोग करने की लत लग जाती है।
  - कई लोग प्रिस्क्रिप्शन ओपिओइड से शुरुआत करते हैं और बाद में फेंटेनाइल जैसी शक्तिशाली अवैध दवाओं की ओर बढ़ जाते हैं।

इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशनस स्केल (आईआरआईएस)

संदर्भ

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने हाल ही में इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशनस स्केल (आईआरआईएस) का प्रस्ताव रखा है।

आईआरआईएस क्या है?

- यह जैवचिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबद्ध अनुसंधान परियोजनाओं की प्रभावशीलता को मापने के लिए एक ढांचा है।
- **मापन की इकाई:** इसमें प्रकाशन-समतुल्य (पी.ई.) को इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - सहकर्मी-समीक्षित जर्नल में शोध पत्र → 1 PEs
  - नीति/दिशानिर्देशों में उद्धृत शोध पत्र → 10 PEs
  - पेटेंट → 5 PEs
  - बड़े पैमाने पर उपयोग में आने वाले वाणिज्यिक उपकरण → 20 PEs

आईआरआईएस के लाभ

- **प्रभाव का मानकीकरण:** विभिन्न विषयों और पैमानों पर विविध अनुसंधान आउटपुट की तुलना करने के लिए एक सामान्य मीट्रिक (PEs) प्रदान करता है।

- **उद्धरणों से परे:** यह मान्यता है कि प्रभाव केवल अकादमिक उद्धरणों के बारे में नहीं है, बल्कि नीति, पेटेंट और उत्पादों के बारे में भी है।
- **अनुसंधान विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है:** यह शोधकर्ताओं को केवल अकादमिक प्रकाशन से आगे जाकर व्यावहारिक, अनुवादात्मक और समुदाय-केंद्रित कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
- **नीति और वित्त पोषण संबंध:** यदि इसे वित्त पोषण आवंटन और परियोजना प्राथमिकता से जोड़ दिया जाए, तो यह जवाबदेही और सार्वजनिक अनुसंधान निधियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करता है।
- **पायलट परियोजना और संस्थागत कार्यान्वयन:** आईसीएमआर संस्थानों में पहले से ही इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कार्यान्वयन की गंभीरता को दर्शाता है।

आईआरआईएस की सीमाएँ

- **सैद्धांतिक तर्क का अभाव:** विशिष्ट पीई मान निर्दिष्ट करने के लिए कोई मजबूत वैचारिक औचित्य नहीं है (उदाहरण के लिए, नीति के लिए 10, डिवाइस के लिए 20 क्यों)।
- **आलोचनात्मक कार्य का बहिष्कार:** टिप्पणियां, परिप्रेक्ष्य और वैचारिक पत्रों को 0 PE मिलता है।
  - पथ-प्रदर्शक सैद्धांतिक योगदानों (जैसे, चिकित्सा का जैव-मनोसामाजिक मॉडल) को कम करके आंकने का जोखिम।
- **व्यावसायीकरण के प्रति पूर्वाग्रह:** आधारभूत विज्ञान और सामुदायिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की तुलना में व्यावसायिक आउटपुट (उपकरण, पेटेंट) के पक्ष में प्रभाव मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाता है।
- **अनुसंधान प्राथमिकताओं का विरूपण:** शोधकर्ताओं पर विज्ञान को सार्वजनिक वस्तु के रूप में अपनाने के बजाय भौतिकतावादी शिक्षा को अधिकतम करने वाले आउटपुट का पीछा करने का दबाव हो सकता है।
- **खराब अनुसंधान नैतिकता संस्कृति में दुरुपयोग का जोखिम:** भारतीय जैवचिकित्सा अनुसंधान को नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; पी.ई. के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या उसमें हेरफेर किया जा सकता है।
- **पारदर्शिता और आम सहमति का अभाव:** कठोर सत्यापन की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, विशेषज्ञों के साथ डेल्फी अध्ययन)।
  - स्वतंत्र मूल्यांकन और खुले आंकड़ों का अभाव विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए डीएसआईआर योजना

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र के तहत 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए "क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास" योजना को मंजूरी दी।

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना के बारे में

- **कार्यान्वयनकर्ता:** वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)।
- **कवरेज:**
  - भारत भर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान और विश्वविद्यालय।
  - युवा शोधकर्ताओं, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल फेलो, वैज्ञानिकों और फैकल्टी के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:**
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित (एसटीईएमएम) क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों का एक मजबूत पूल बनाना।
  - प्रति मिलियन जनसंख्या पर भारत के शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करना।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में भारत की प्रगति का समर्थन करना।
  - भारत को अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।
- **सीबीएचआरडी के अंतर्गत उप-योजनाएं:**
  - **डॉक्टरेट एवं पोस्टडॉक्टरेट फेलोशिप** - युवा शोधकर्ताओं को सहायता।
  - **एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च स्कीम, एमेरेटस साइंटिस्ट स्कीम और भटनागर फेलोशिप कार्यक्रम** - अनुसंधान उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए।
  - **पुरस्कार योजना** - वैज्ञानिक उपलब्धियों की मान्यता और प्रोत्साहन।
  - **यात्रा एवं संगोष्ठी अनुदान योजना** - ज्ञान साझा करने, सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए।

शेल संरचना

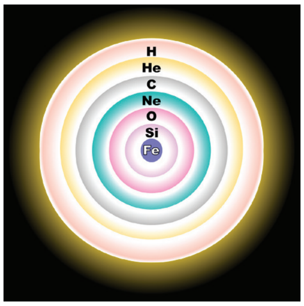

संदर्भ: नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने शेल संरचना के प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी साक्ष्य प्रदान किए हैं।

शेल संरचना से क्या तात्पर्य है?

- तारों की शेल संरचना यह बताती है कि किस प्रकार विशाल तारे अपनी आयु के अनुसार संकेन्द्रित परतों में उत्तरोत्तर भारी तत्वों का संलयन करते हैं।
- इसकी तुलना अक्सर प्याज से की जाती है, जिसमें प्रत्येक परत में एक अलग तत्व का प्रभुत्व होता है:
- बाहरी परतें: हाइड्रोजन → हीलियम → कार्बन और ऑक्सीजन → नियॉन और मैग्नीशियम → सिलिकॉन और सल्फर
  - **अंतरतम कोर:** आयरन (निष्क्रिय, आगे संलयन संभव नहीं)
- एक बार आयरन बन जाने पर, संलयन रुक जाता है, और तारा ढह जाता है, **जिससे अक्सर सुपरनोवा विस्फोट होता है।**
- **तारकीय विकास सिद्धांत** की आधारशिला है, जिसकी पुष्टि अब अवलोकन संबंधी साक्ष्यों से हो चुकी है।

सेरेबो (CEREBO)

संदर्भ: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सचिवालय (एमडीएमएस), एम्स भोपाल, NIMHANS बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च के साथ मिलकर सेरेबो विकसित किया है।

सेरेबो के बारे में

- यह एक हाथ से पकड़ने योग्य, पोर्टेबल गैर-हानिकारक मस्तिष्क चोट निदान उपकरण है।
- इसका उपयोग अभिघातजन्य मस्तिष्क चोटों (टीबीआई) के लिए किया जाता है और यह एक मिनट के भीतर अंत:कपालीय रक्तस्राव और सूजन का पता लगा सकता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **विकिरण मुक्त,** शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित।
  - पैरामेडिक्स या अकुशल कर्मियों द्वारा किया जा सकता है।
  - **रंग-कोडित, लागत प्रभावी परिणाम प्रदान** करता है।
  - एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर, ग्रामीण क्लीनिक और आपदा क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

टीबीआई (अभिघातजन्य मस्तिष्क चोट) क्या है?

- **सिर पर अचानक आघात या चोट लगने** के कारण होने वाली स्थिति है, जो सामान्य मस्तिष्क कार्य को बाधित करती है।
- भारत में टीबीआई के कारण **प्रतिवर्ष 1.5-2 मिलियन लोग घायल होते हैं** तथा लगभग 1 मिलियन लोग मर जाते हैं।
- **भारत में कारण:**
  - सड़क यातायात दुर्घटनाएँ (≈60%)
  - गिरना (20-25%)
  - हिंसा (≈10%)

प्रतुष [PRATUSH (Probing ReionizATion of the Universe using Signal from Hydrogen)]

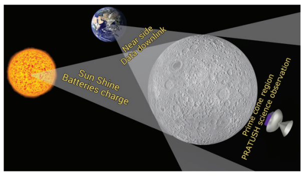

संदर्भ: प्रतुष का विकास रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) द्वारा किया जा रहा है।

यह क्या है?

- **चंद्र-कक्षा रेडियोमीटर**
- **उद्देश्य: कॉस्मिक डॉन (जब पहले तारों का निर्माण हुआ था)** से प्राप्त 21-cm के धुंधले हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाना। यह रहस्यमय काल, आज के ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। हालाँकि, सटीक अवलोकनों के अभाव में इस काल के बारे में बहुत कम जानकारी है।
- इसे चन्द्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा।
- **तकनीकी:**
  - एंटीना + एनालॉग रिसीवर + डिजिटल रिसीवर + FPGA चिप के साथ रेडियोमीटर।
  - नियंत्रण, अंशांकन और डेटा प्रसंस्करण के लिए एकल-बोर्ड कंप्यूटर (एसबीसी) (जैसे, रास्पबेरी पाई) का उपयोग करता है।

संबंधित जानकारी:

- SARAS: यह रमन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया एक भू-आधारित रेडियोमीटर प्रयोग है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय उदय और पुनर्आयनीकरण के युग से मंद 21-cm हाइड्रोजन संकेत का पता लगाना है।

भारत में निर्मित पहली सेमीकॉन चिप – विक्रम 3201

संदर्भः विक्रम 3201 का अनावरण सेमीकॉन इंडिया 2025 में किया गया और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया गया।

इसके बारे में

- **पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट** माइक्रोप्रोसेसर
  - पूर्ववर्ती 16-बिट VIKRAM1601 माइक्रोप्रोसेसर का उन्नत संस्करण।
- **डिजाइनरः** विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), इसरो
- **निर्मितः** इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), चंडीगढ़ में।
- **उद्देश्यः** प्रक्षेपण वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में कार्य करना।

सोलर एनेर्जेटिक इलेक्ट्रॉन (SEE)

संदर्भः सौर ऑर्बिटर (एसओ) ने हाल ही में सोलर एनेर्जेटिक इलेक्ट्रॉन (एसईई) की उत्पत्ति का पता लगाया है।

SEE के बारे में

- सूर्य में उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्पन्न जो लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होते हैं।
- **दो प्रकारः**
  - **सौर ज्वालाओं से संबंधित** → सूर्य की सतह के छोटे, तीव्र भागों से होने वाले विस्फोट।
  - **कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई)** से जुड़ा हुआ → सौर वायुमंडल से गर्म प्लाज्मा का विशाल विस्फोट।

संबंधित तथ्य

- सौर ऑर्बिटर (एसओ) नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) का एक संयुक्त मिशन है।

एस्रेंज स्पेस सेंटर (स्वीडन)

संदर्भः भू-राजनीतिक तनावों और अमेरिका तथा फ्रेंच गुयाना पर निर्भरता के बीच, यूरोप स्वीडन के एस्रेंज स्पेस सेंटर और नॉर्वे के एंडोया स्पेसपोर्ट जैसी नई साइटों के माध्यम से स्वतंत्र अंतरिक्ष-प्रक्षेपण क्षमताओं का विकास कर रहा है।

एस्रेंज स्पेस सेंटर (स्वीडन)

- **स्थानः** किरुना, स्वीडन – आर्कटिक सर्कल से 200 किमी उत्तर में।
- **स्थापनाः** 1966 (मूलतः साउंडिंग रॉकेट और बैलून प्रयोगों के लिए)।
- **स्वामित्वः** स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन (एसएससी) द्वारा संचालित।

स्पाइवेयर ग्रेफाइट

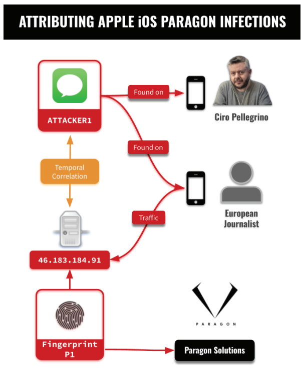

संदर्भः ट्रम्प प्रशासन ने इजरायल के पैरागॉन सॉल्यूशंस के साथ निलंबित अनुबंध को बहाल कर दिया है, जिससे अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) को उसके ग्रेफाइट स्पाइवेयर तक पहुंच मिल गई है।

ग्रेफाइट स्पाइवेयर के बारे में

- **डेवलपरः** पैरागॉन सॉल्यूशंस (पूर्व इजरायली पीएम एहुद बराक द्वारा सह-स्थापित)।
- **प्रकृतिः मोबाइल फोन तक दूरस्थ पहुंच** के लिए डिजाइन किया गया एक हैकिंग टूल।
- **क्षमताएंः**
  - फोन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना।
  - **फोटो, संपर्क और संदेशों तक** पहुँचना
  - रियल टाइम स्थान ट्रैक करना
  - **एन्क्रिप्टेड संदेशों** को इंटरसेप्ट करना (जैसे, व्हाट्सएप, सिग्नल)।
  - फोन के माइक्रोफोन को सक्रिय करके उसे सुनने वाले उपकरण में परिवर्तित करना।

सेमीकॉन इंडिया 2025

संदर्भः सेमीकॉन इंडिया 2025, नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

मुख्य अंश

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सेमीकंडक्टर **मिशन द्वारा आयोजित**
  - SEMI, वैश्विक अर्धचालक उद्योग संघ
- **परिणामः** चिप डिजाइन, कैमरा मॉड्यूल, पैकेजिंग, प्रतिभा विकास पर 20 समझौता ज्ञापनों ने स्वदेशी क्षमताओं, अनुसंधान एवं विकास, और कार्यबल विकास पर भारत के फोकस को प्रदर्शित किया।

मेथान्डिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट (एलटीएम): एक संदर्भ पदार्थ (आरएम)

संदर्भः भारत ने उन्नत एंटी-डोपिंग जांच के लिए उच्च शुद्धता वाली संदर्भ पदार्थ विकसित किया है।

मेथान्डिएनोन एलटीएम के बारे में

- राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) गुवाहाटी (औषधि विभाग) द्वारा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया।
- **प्रकृतिः** मेथान्डिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट (एलटीएम) का **एक दुर्लभ, उच्च शुद्धता संदर्भ पदार्थ (आरएम)।**
- **एंटी-डोपिंग का उद्देश्यः**
  - मेथान्डिएनोन (एक एनाबोलिक स्टेरॉयड) **के दीर्घकालिक मेटाबोलाइट्स का पता लगाता है।**
  - पदार्थ के उपयोग के महीनों/वर्षों बाद डोपिंग का पता लगाने में मदद करता है, जिससे पता लगाने की संवेदनशीलता में सुधार होता है।
  - 30 वाडा-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ साझा करके **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) पारिस्थितिकी** तंत्र में भारत के योगदान को बढ़ाया जाएगा।

संदर्भ पदार्थ (आरएम) क्या है?

- संदर्भ पदार्थ **(आरएम) एक अत्यधिक शुद्ध और वैज्ञानिक रूप से सुस्पष्ट पदार्थ है** जिसका प्रयोग प्रयोगशाला परीक्षण और अंशांकन में मानक या बेंचमार्क के रूप में किया जाता है।
- **प्रमुख विशेषताएँः**
  - विश्लेषणात्मक परिणामों में **सटीकता और विश्वसनीयता** प्रदान करता है।
  - उपकरणों को अंशांकित करने, विधियों को मान्य करने और जटिल नमूनों में पदार्थों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - **एंटी-डोपिंग में,** आरएम प्रतिबंधित दवाओं या उनके मेटाबोलाइट्स के शुद्ध रूप होते हैं जो प्रयोगशालाओं को प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं।

कोलेस्ट्रॉल

संदर्भः नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली के वैज्ञानिकों ने कोलेस्ट्रॉल आधारित नैनोमटेरियल विकसित किया है जो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को नियंत्रित कर सकता है।

कोलेस्ट्रॉल क्या है?

- **कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा पदार्थ है** जो सभी पशु कोशिकाओं में पाया जाता है।
- यह शरीर में आवश्यक भूमिकाएँ निभाता है, जैसेः
  - **कोशिका झिल्ली का निर्माण .**
  - **हार्मोन (एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल)** के लिए प्रीकर्सर के रूप में कार्य करना।
  - विटामिन D और पित्त अम्ल के उत्पादन में सहायता करना।
- कोलेस्ट्रॉल व्युत्पन्न की काइरैलिटी और लचीलापन इसे आणविक स्पिनट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करने के लिए उपयुक्त सामग्री बनाता है।

डिएलाः एआई मंत्री (Diella: AI Minister)

संदर्भः डिएला अल्बानिया द्वारा नियुक्त दुनिया की पहली एआई-संचालित मंत्री हैं।

इसके बारे में

- भ्रष्टाचार से लड़ने और सार्वजनिक व्यय, विशेषकर सरकारी निविदाओं और अनुबंधों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
- **जनवरी 2025 में ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म** पर वॉयस असिस्टेंट के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सके।

अल्बानिया के बारे में

- **स्थानः** बाल्कन प्रायद्वीप, दक्षिण-पूर्वी यूरोप।
- **सीमाएँः** मोंटेनेग्रो (उत्तरपश्चिम), कोसोवो (उत्तरपूर्व), उत्तरी मैसेडोनिया (पूर्व), ग्रीस (दक्षिण), एड्रियाटिक और आयोनियन सागर (पश्चिम)।

इतिहास, कला एवं संस्कृति

मुख्य परीक्षा के लिए विषय

आत्मसम्मान आंदोलन के 100 वर्ष

सिलेबस मैपिंग: GS1: स्वतंत्रता संग्राम और महत्वपूर्ण योगदान

संदर्भ

यह वर्ष आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना के 100 वर्ष (शताब्दी वर्ष) का है।

जाति व्यवस्था, अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो के एक उपकरण के रूप में

- **जाति-आधारित चेतना को बढ़ावा:** 1872 में, सर जॉन राइजली ने भारत में पहली जाति-आधारित जनगणना आयोजित की, जिसमें कहा गया था, **''जब तक जाति है, तब तक भारत नहीं होगा।''** इसने जाति विभाजन को संस्थागत बना दिया और सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया।
- **गोलमेज सम्मेलन:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों ने सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के नेताओं के साथ अलग-अलग बातचीत की, और जानबूझकर भारतीय समाज में विभाजन पैदा किया।
- **सांप्रदायिक पंचाट (1932):** ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इस पंचाट में दलित वर्गों को अल्पसंख्यक माना और उन्हें पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की, जिससे सामाजिक विखंडन और तीव्र हो गया।

जातिगत आंदोलनों को जन्म देने वाले कारक

- **पश्चिमी शिक्षा का विकास:** स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों से परिचित होने से निचली जातियों के सुधारवादी नेताओं को प्रेरणा मिली। शिक्षा ने उन्हें पारंपरिक पदानुक्रमों पर सवाल उठाने और अपनी माँगों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का अधिकार दिया।
- **कानूनी सुधार:** भारतीय दंड संहिता (1861) और दंड प्रक्रिया संहिता (1872) ने एक मानकीकृत कानूनी ढांचा तैयार किया, जिससे न्याय प्रणाली में जाति-आधारित असमानताओं में कमी आई और कानूनी निवारण के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ।
- **रेलवे का विस्तार:** रेलवे के प्रसार ने विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ यात्रा करने में सक्षम बनाया, जिससे भौतिक और सामाजिक बाधाएं समाप्त हुईं और समुदायों के बीच अधिकाधिक संपर्क को बढ़ावा मिला।
- **आधुनिक राजनीतिक विचार का प्रभाव:** समतावादी विचारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, तथा हाशिए पर पड़े समूहों को समान अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

- **राष्ट्रीय चेतना का उदय:** बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन ने सामूहिक भारतीय पहचान को बढ़ावा दिया, जाति-आधारित बहिष्कार पर सवाल उठाया और सामाजिक एकता पर जोर दिया।

आत्मसम्मान आंदोलन का परिचय

आत्म-सम्मान आंदोलन एक परिवर्तनकारी सामाजिक सुधार पहल थी जिसका उद्देश्य प्रचलित हिंदू सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करके जाति, धर्म और ईश्वर से मुक्त एक नए, तर्कसंगत समाज का निर्माण करना था। 1925 में तमिलनाडु में ई.वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार) द्वारा शुरू किया गया, यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दी, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाओं के पुनरुद्धार और गौरव को बढ़ावा दिया।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

- आत्म-सम्मान आंदोलन गहरे सामाजिक और राजनीतिक अशांति के दौर में शुरू हुआ। तमिलनाडु में, कठोर जाति व्यवस्था गैर-ब्राह्मण समुदायों पर अत्याचार करती थी, उन्हें मौलिक अधिकारों और अवसरों से वंचित करती थी।

- **ज्योतिराव फुले और बी.आर. अंबेडकर** द्वारा चलाए गए जाति-विरोधी संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए, पेरियार ने जातिगत पदानुक्रम और धार्मिक रूढ़िवादिता से मुक्त एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहां आत्म-सम्मान और मानवीय गरिमा सर्वोपरि होगी।
- 1925 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर आत्म-सम्मान आंदोलन की स्थापना की।

कुडी अरासु की भूमिका

1924 में स्थापित तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरासु, आत्म-सम्मान आंदोलन का मुख्य मुखपत्र थी। हालाँकि बाद में रामास्वामी नायकर ने विदुथलाई (स्वतंत्रता) और पक्कुथारिवु (सामान्य ज्ञान) नामक पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं, फिर भी 1920 के दशक के अंत में कुडी अरासु ही मुख्य प्रचार मंच बना रहा।

उद्देश्य

- **सामाजिक पदानुक्रम को समाप्त करना:** इस आंदोलन का उद्देश्य जन्म-आधारित श्रेष्ठता और भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचनाओं को समाप्त करना था।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** इसमें सभी के लिए समान अधिकारों और अवसरों पर जोर दिया गया, तथा समाज और कानून दोनों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **सभी के लिए समान विकास:** सभी को प्रगति के अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए, जिससे मित्रता, समावेशिता और पारस्परिक सम्मान की स्वाभाविक भावना को बढ़ावा मिले।
  - **उदाहरण:** यह आंदोलन तमिल जिलों में केंद्रित था, तथा इसे मुख्य रूप से हाशिए पर पड़े समूहों जैसे वन्नियाकुल क्षत्रियों और अछूतों से समर्थन प्राप्त था।
- **भाईचारा और सामाजिक एकता:** इसका उद्देश्य अस्पृश्यता को समाप्त करना तथा भाईचारे और एकजुटता पर आधारित समाज का निर्माण करना था।
- **अनाथों और विधवाओं के लिए सहायता:** विधवाओं और अनाथों की देखभाल और सशक्तिकरण के लिए गृह और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना।
- **नये धार्मिक संस्थानों को हतोत्साहित करना:** नये मंदिरों, मठों या वैदिक विद्यालयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना तथा लोगों को जाति-आधारित उपनाम छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **शिक्षा और रोजगार सुधार:** सार्वजनिक संसाधनों को शिक्षा के विस्तार और बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए।

आत्म-सम्मान आंदोलन का महत्व

- **आत्म-सम्मान विवाह:** इस आंदोलन ने आत्म-सम्मान विवाह की शुरुआत की, जो हिंदू विवाह थे, जो पुजारियों या धार्मिक अनुष्ठानों की उपस्थिति के बिना आयोजित किए जाते थे, तथा उनके स्थान पर समानता और पारस्परिक सम्मान की प्रतिज्ञाएं ली जाती थीं।
  - इससे न केवल विवाह संस्था का लोकतंत्रीकरण हुआ, बल्कि भारत में पहली बार ऐसे समारोहों को कानूनी मान्यता भी मिली (जिसे बाद में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा बरकरार रखा गया)।
  - **उदाहरण:** आज भी तमिलनाडु में हजारों जोड़े आत्म-सम्मान विवाह का विकल्प चुनते हैं, जो इस सुधार के निरंतर प्रभाव को दर्शाता है।
- **सामाजिक प्रगति:** इसने जाति-आधारित भेदभाव, देवदासी प्रथा और विधवाओं को कलंकित करने का कड़ा विरोध किया, साथ ही विधवा पुनर्विवाह और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया।
  - इस आंदोलन ने दमनकारी रीति-रिवाजों पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
  - **उदाहरण: नागम्माई (पेरियार की पत्नी)** और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाई, जो उस युग के लिए असामान्य था।

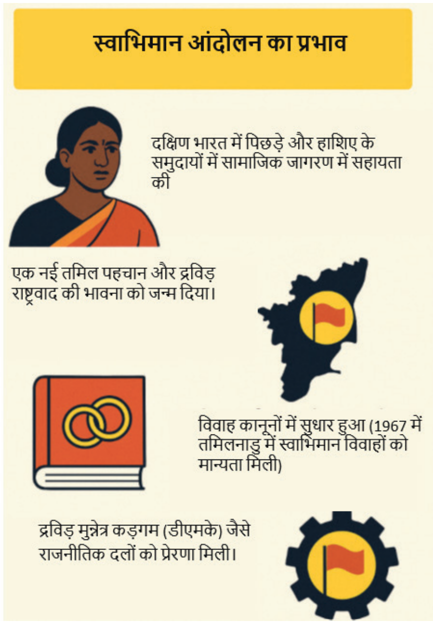

- **राजनीतिक परिवर्तन:** सामाजिक सुधार को राजनीतिक मुक्ति से जोड़कर, इस आंदोलन ने क्षेत्रीय गौरव और तर्कवादी राष्ट्रवाद का एक अनूठा मिश्रण विकसित किया।
  - पेरियार ने इस बात पर जोर दिया कि बौद्धिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक पूर्व शर्त है, तथा उन्होंने लोगों से अंधविश्वास और जातिगत निष्ठा से मुक्त होने का आग्रह किया।
  - **उदाहरण:** जस्टिस पार्टी और बाद में द्रविड़ पार्टियों के कई नेताओं ने आत्म-सम्मान के आदर्शों से प्रत्यक्ष प्रेरणा ली।
- **ऐतिहासिक सम्मेलन:** पहला आत्मसम्मान सम्मेलन (1929, चेंगलपट्टू), जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.पी.ए. सौन्दरा पांडियन ने की थी, लैंगिक और जातिगत मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
  - पेरियार ने ऐसे मंचों का उपयोग महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ तर्क देने के लिए किया।
  - **उदाहरण:** सम्मेलन के प्रस्तावों में उत्तराधिकार में महिलाओं के समान अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, जबकि ऐसे विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिलने में कई दशक लग गए थे।
- **द्रविड़ आंदोलन की नींव:** आत्म-सम्मान आंदोलन ने अंततः व्यापक द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया, जिसने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया।
  - **द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) जैसी पार्टियों के गठन को** सीधे प्रभावित किया, ये दोनों ही दल तमिलनाडु की राजनीति पर हावी हैं।
  - **उदाहरण:** मध्याह्न भोजन योजना और आरक्षण का विस्तार जैसी नीतियां, जिन्हें अब सामाजिक कल्याण के मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है, की जड़ें आत्म-सम्मान और द्रविड़ विचारधारा में हैं।

औपनिवेशिक भारत में अन्य जातिगत आंदोलन

ज्योतिबा फुले (1827-1890) द्वारा सत्यशोधक समाज

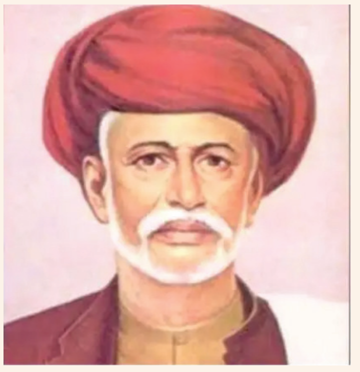

- **पृष्ठभूमि:** महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे ज्योतिबा फुले माली (माली) समुदाय से थे और उच्च जाति के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे।
- **सत्यशोधक समाज का गठन:** 1873 में, फुले ने सत्यशोधक समाज (सत्य शोधक समाज) की स्थापना की, जिसमें माली, तेली, कुनबी, सरिस और धनगर जैसे पिछड़े समुदायों के नेताओं को एक साथ लाया गया।
- **आंदोलन का उद्देश्य:** आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और महिलाओं तथा निम्न जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करना था।
- **प्रेरणादायक कार्य:** सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी सहित फुले की रचनाओं ने आम जनता को सामाजिक असमानताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया।
- **प्रतीकात्मक विकल्प:** उन्होंने पारंपरिक धार्मिक पदानुक्रम को चुनौती देते हुए ब्राह्मणों के धार्मिक प्रतीक राम के विकल्प के रूप में राजा बलि के प्रतीक को बढ़ावा दिया।
- **सामाजिक सुधार की वकालत:** फुले ने संस्कृतनिष्ठ हिंदू धर्म का कड़ा विरोध किया तथा जाति व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त करने का आह्वान किया।
- **हाशिए पर पड़े समुदायों को एकजुट करना:** उनके आंदोलन ने हाशिए पर पड़े समुदायों को एक सामूहिक पहचान प्रदान की, तथा उन्हें धर्म और अंधविश्वास के माध्यम से ब्राह्मणों के शोषण के खिलाफ एकजुट किया।
- **महिला शिक्षा को बढ़ावा:** लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर पूना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो भारत में महिला शिक्षा का अग्रणी उदाहरण था।
- **विधवा पुनर्विवाह आंदोलन:** उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया, 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय-गृह स्थापित किया और असुरक्षित महिलाओं की सुरक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया।

श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन (एसएनडीपी) आंदोलन (1903)

समाचार में: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री नारायण गुरु के बारे में

- इनका जन्म 1856 में **केरल के चेम्पाजंथी** में **एझावा समुदाय में हुआ था।** यह समुदाय जाति-आधारित गंभीर भेदभाव का सामना कर रहा था।
- ये एक **संत, समाज सुधारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे।**
- इनका दर्शन **सामाजिक समानता, आध्यात्मिक ज्ञान और सार्वभौमिक भाईचारे में निहित था।**

एसएनडीपी आंदोलन के बारे में

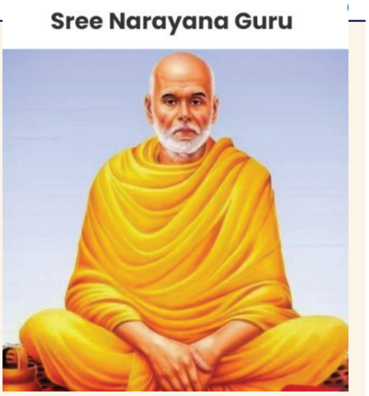

- **संस्थापक:** श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में, एसएनडीपी आंदोलन केरल में जातिगत भेदभाव का मुकाबला करने के लिए शुरू हुआ, विशेष रूप से एझावा समुदाय के सामने आने वाले अन्याय को लक्षित करने के लिए।
- **मंदिर सुधार:** 1888 में, श्री नारायण गुरु ने अरुविप्पुरम में एक शिवलिंग स्थापित किया, जिससे ब्राह्मणवादी सत्ता और मंदिर प्रवेश प्रतिबंधों को चुनौती मिली।
- **सामाजिक और शैक्षिक सुधार:** इस आंदोलन ने एझावाओं के लिए शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया।
- **दर्शन:** गुरु के "मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर" के सिद्धांत ने समानता, एकता और समावेशिता पर जोर दिया।

प्रभाव:

- एसएनडीपी आंदोलन ने केरल में जातिगत बाधाओं को तोड़ दिया, जिससे एझावा और अन्य हाशिए के समूहों की सामाजिक गतिशीलता में सुधार हुआ।
- इसने पूरे भारत में इसी प्रकार के सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया तथा आज भी केरल में सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है।

वायकोम सत्याग्रह (1924)

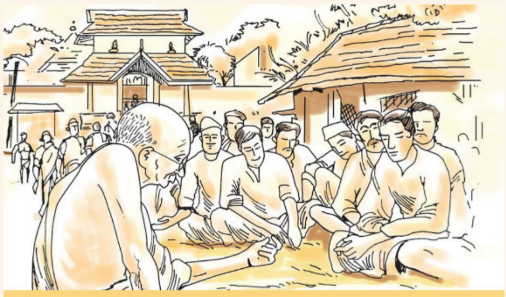

- **नेतृत्व:** मंदिर प्रवेश अधिकार के लिए एक प्रमुख आंदोलन, जिसका नेतृत्व त्रावणकोर में **केपी केशव पणिक्कर ने किया था। महात्मा गांधी ने** सामाजिक न्याय के व्यापक संघर्ष में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपना समर्थन दिया था।
- **परिणाम:** त्रावणकोर के महाराजा द्वारा जारी 1936 की मंदिर प्रवेश घोषणा ने सभी हिंदुओं को सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दे दी।
  - यह केरल में धार्मिक समानता को बढ़ावा देने में एक प्रमुख मील का पत्थर था।
- **मद्रास तक विस्तार (1938): सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास में** भी इसी प्रकार का आंदोलन चलाया गया, जिससे पूरे दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग को बल मिला।

महाड़ सत्याग्रह (1927)

- **विषय:** महाड़ सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किया, भारत में जातिगत भेदभाव को चुनौती देने वाला एक ऐतिहासिक आंदोलन था। यह आंदोलन मुख्य रूप से महाराष्ट्र के महाड़ स्थित चावदार तालाब तक दलितों की पहुँच के अधिकार पर केंद्रित था, जिसे ऐतिहासिक रूप से उनसे वंचित रखा गया था।
- **पृष्ठभूमि:** जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से दलितों (अछूतों) को हाशिए पर रखा, तथा उन्हें सार्वजनिक जल स्रोतों और उच्च जातियों के लिए बने सड़कों का उपयोग करने से रोक दिया।
  - अगस्त 1923 में, बॉम्बे विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत दलित वर्गों को सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित सुविधाओं तक पहुंच की अनुमति दी गई।
  - इसके बाद, जनवरी 1924 में, महाड़ नगर परिषद ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया। हालाँकि, उच्च जाति के हिंदुओं ने इसके कार्यान्वयन का विरोध किया, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो गया।
- **सत्याग्रह की घटनाएँ:** 20 मार्च, 1927 को, अंबेडकर लगभग 2,500 दलितों का नेतृत्व करते हुए चावदार तालाब पर पहुँचे। एक विद्रोही कदम उठाते हुए, उन्होंने तालाब से पानी निकाला और उसे पिया, जिससे सवर्ण हिंदू समुदाय में विरोध भड़क उठा।
  - दिसंबर 1927 में, अंबेडकर और उनके समर्थकों ने जाति-आधारित पदानुक्रम को अस्वीकार करते हुए और सामाजिक समानता की वकालत करते हुए प्रतीकात्मक रूप से 'मनुस्मृति' को जलाया।
- **विरासत:** महाड़ सत्याग्रह जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक बड़ा कदम था और इसने दलित समुदाय के अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प को मजबूत किया।
  - इस ऐतिहासिक संघर्ष के सम्मान में वर्तमान में **20 मार्च को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।**

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय

भारत के पारंपरिक अनुष्ठान रंगमंच

संदर्भ

भारत के 4 अनुष्ठानिक नाट्य रूप – कुटियाट्टम, मुडियेट्टु, रम्मान और रामलीला को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (Intangible Cultural Heritage - ICH) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनुष्ठानिक नाट्य रूप क्या है?

- **पवित्र अनुष्ठानों को नाटकीय अभिव्यक्ति के साथ** संयोजित करने वाला एक प्रदर्शन रूप।
- **मंदिरों, प्रांगणों और उत्सव के मैदानों** में मंचन किया जाता है।
- **अभिनय, गायन, नृत्य, संगीत, कठपुतली और अनुष्ठान प्रतीकवाद** शामिल हैं।
- इस प्रकार कार्य करता है:
  - **भक्ति** (देवताओं और मिथकों का आह्वान)
  - **सामाजिक पहचान** (सामुदायिक भागीदारी),
  - **सांस्कृतिक संचरण** (पीढ़ियों के बीच मूल्य और परंपराएं)।

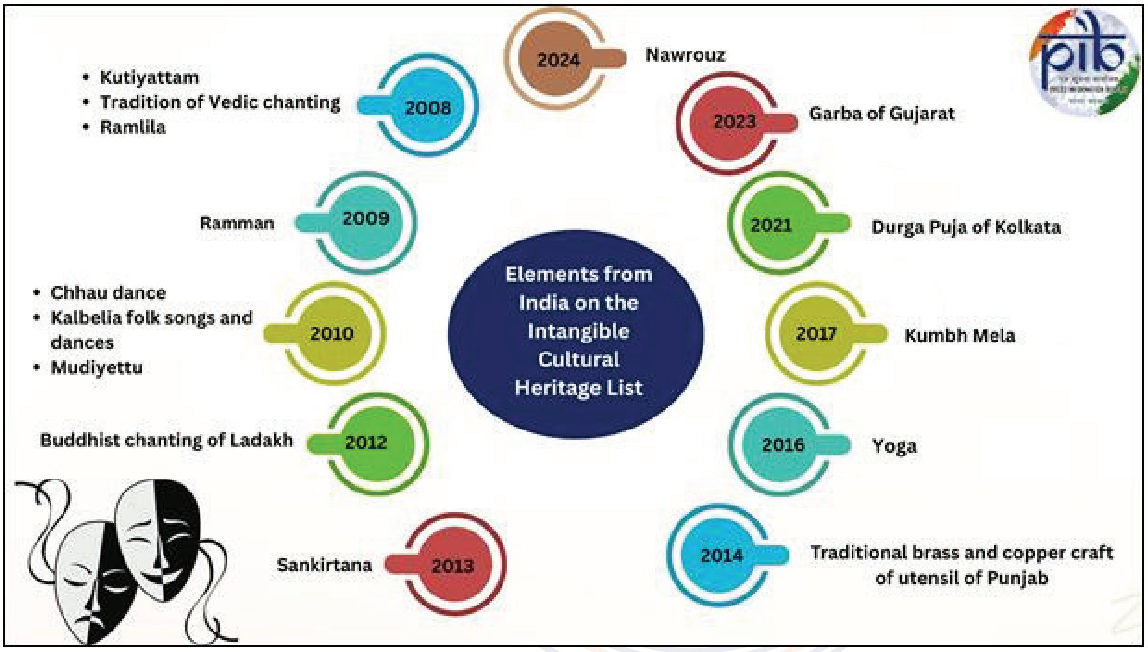

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

- यूनेस्को **की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची** एक वैश्विक मान्यता है जो **परंपराओं और प्रथाओं को दी जाती है** जिन्हें समुदाय पीढ़ियों से आगे बढ़ा रहे हैं।
- ये भौतिक स्मारक या स्थल (जैसे विश्व धरोहर सूची) नहीं हैं, बल्कि **अमूर्त प्रथाएं हैं** जैसे **त्यौहार, अनुष्ठान, नृत्य, गीत, शिल्पकला, मौखिक परंपराएं और रंगमंच के रूप।**
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु 2003 कन्वेंशन** के अनुसार, आईसीएच में शामिल हैं:
  - **मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियाँ** (भाषा सहित)।
  - **प्रदर्शन कलाएँ** (नृत्य, संगीत, रंगमंच)।
  - **सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान, उत्सव कार्यक्रम।**
  - **प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान और अभ्यास।**
  - **पारंपरिक शिल्प कौशल।**

अनुष्ठान रंगमंच	क्षेत्र	प्रमुख विशेषताएँ
कुटियाट्टम	केरल	• सबसे पुराना जीवित संस्कृत रंगमंच (2000+ वर्ष)। • मंदिर प्रांगण (**कुट्टमपालम**) में प्रदर्शन किया जाता है। • **अभिनय** (आँख, हाथ, चेहरे के भाव) का उपयोग करता है।

अनुष्ठान रंगमंच	क्षेत्र	प्रमुख विशेषताएँ
मुडियेट्टू	केरल	• **देवी काली बनाम राक्षस दारिका** का अनुष्ठान नृत्य-नाटिका। • भगवती मंदिरों में फसल कटाई के बाद प्रतिवर्ष किया जाता है। • शुद्धिकरण और **कालमेझुथु** (अनुष्ठान चित्रकला) से शुरू होता है। • पूरा गांव इसमें भाग लेता है: पुजारी, नर्तक, मुखौटा बनाने वाले।
रम्माण	उत्तराखंड (गढ़वाल हिमालय)	• अप्रैल माह में **सलूर-डुंगरा गांवों** में वार्षिक उत्सव। • **भूमियाल देवता** को समर्पित। • इसमें मुखौटा नृत्य, रामायण पाठ और लोक कथाएं शामिल हैं। • प्रत्येक जाति/परिवार की एक अनुष्ठानिक भूमिका होती है।
रामलीला	उत्तर भारत (विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश)	• दशहरा के दौरान **रामायण** का नाटकीय मंचन। • **तुलसीदास के रामचरितमानस** पर आधारित। • मंदिर प्रांगण, सार्वजनिक मंचों पर मंचन किया जाता है।

ज्ञान भारतम मिशन

संदर्भ

संस्कृति मंत्रालय 'ज्ञान भारत' मिशन की शुरुआत करेगा, जिसका उद्घाटन **'भारत की पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना'** विषय पर आयोजित प्रथम 'ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में किया जाएगा।

ज्ञान भारतम मिशन क्या है?

- यह भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत की सुरक्षा और प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच को शामिल किया गया है।
- **मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य:**
  - **पहचान एवं दस्तावेजीकरण:** पांडुलिपियों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण एवं सूचीकरण।
    - » एक व्यापक राष्ट्रीय रजिस्टर का निर्माण।
  - **संरक्षण:** दुर्लभ पांडुलिपियों का पुनरुद्धार।
    - » पुस्तकालयों, मंदिरों, मठों और निजी संरक्षकों के साथ सहयोग।
  - **डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग: एआई-संचालित उपकरणों का** उपयोग करके बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण।
    - » **राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी** की स्थापना।
    - » **ज्ञान-सेतु एआई इनोवेशन चैलेंज** का शुभारंभ।
  - **अनुसंधान एवं छात्रवृत्ति:** पांडुलिपियों का अनुवाद, व्याख्या और प्रकाशन।
    - » शिक्षा में पांडुलिपि ज्ञान का एकीकरण।
  - **क्षमता निर्माण एवं सार्वजनिक भागीदारी:** विद्वानों एवं संरक्षकों को प्रशिक्षण देना।
    - » सार्वजनिक सहभागिता के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रम।
  - **वैश्विक ज्ञान विनिमय:** अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझेदारी।
    - » **विकसित भारत@2047** के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को **विश्व गुरु** के रूप में स्थापित करना।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में

- यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो भारत की प्राचीन पांडुलिपि विरासत के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है।
- **प्रारंभ:** फरवरी 2003
- **मूल संगठन:** यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के अधीन कार्य करता है, जो संस्कृति मंत्रालय का हिस्सा है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य भारत की बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखना तथा शोधकर्ताओं और आम जनता दोनों के लिए पांडुलिपियों को आसानी से सुलभ बनाना है।

यूनेस्को की अनंतिम विश्व धरोहर सूची

संदर्भ

भारत ने यूनेस्को की अनंतिम विश्व धरोहर सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है।

ये स्थल हैं:

- पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप (महाराष्ट्र)
- सेंट मैरी द्वीप समूह (उडुपी, कर्नाटक) की भूवैज्ञानिक विरासत
- मेघालय युग की गुफाएँ (पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय)
- नागा हिल ओफियोलाइट (किफिरे, नागालैंड)
- एर्रा मट्टी डिब्बालु की प्राकृतिक विरासत (विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश)
- तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत (तिरुपति, आंध्र प्रदेश)
- वर्कला चट्टानें (केरल)
  - ये स्थल अस्थायी स्थिति में हैं, अर्थात इन्हें अभी शामिल नहीं किया गया है।
  - हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य (2025) को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
  - **कुल स्थलों की संख्या:** 44 (36 सांस्कृतिक, 6 प्राकृतिक, 1 मिश्रित)

यूनेस्को विरासत स्थलों की श्रेणियाँ

प्रकार	इसमें क्या शामिल है / मानदंड	सुविधाओं के उदाहरण
सांस्कृतिक विरासत	मानव रचनात्मकता, इतिहास, वास्तुकला, कला, स्मारक, पुरातात्विक स्थल आदि से संबंधित स्थल। इन्हें मानदंड i-vi के तहत नामित किया गया है।	स्मारक, ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर, पुरातात्विक उत्खनन आदि।
प्राकृतिक विरासत	उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य, भूविज्ञान, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, संकटग्रस्त प्रजातियों के प्राकृतिक आवास आदि से संबंधित स्थल। इन्हें मानदंड vii-x के तहत नामित किया गया है।	राष्ट्रीय उद्यान, वन, पर्वत श्रृंखलाएं, प्राकृतिक संरचनाएं आदि।
मिश्रित विरासत	वे स्थल जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दोनों के लिए योग्य हों – अर्थात उनमें महत्वपूर्ण मानव इतिहास या वास्तुकला और प्राकृतिक / पारिस्थितिक / भूवैज्ञानिक महत्व दोनों हों।	एक ऐसा स्थान जिसका मानवीय इतिहास हो और जिसमें अद्वितीय जैव-विविधता/भू-विज्ञान से संबंधित विशेषताएं आदि भी मौजूद हों।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ

संदर्भ

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हाल ही में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारतीय क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के बारे में

- **स्थापना:** 1911 में **एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन** के रूप में स्थापित।
  - 1948 में इसका नाम बदलकर **राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) कर दिया गया।**
- **मुख्यालय:** लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
- **सदस्यता:** 180 से अधिक **राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय विधानमंडल इसके** सदस्य हैं।
  - **संसद, राज्य विधानसभाएं और प्रांतीय विधानमंडल** शामिल हैं।
  - भारत की **संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल इसके** सदस्य हैं।
- **उद्देश्य:**
  - **संसदीय लोकतंत्र** और सुशासन को बढ़ावा देना।
  - संसदों के बीच **संवाद और सहयोग के लिए** एक मंच प्रदान करना।
  - **राष्ट्रमंडल चार्टर के मूल्यों का** समर्थन करना: कानून का शासन, मानवाधिकार, पारदर्शिता, शक्तियों का पृथक्करण।
  - **विधायकों और संसदीय संस्थाओं** की क्षमता का निर्माण करना।
- **प्रमुख गतिविधियाँ:**
  - प्रतिवर्ष **राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी)** का आयोजन करता है।
  - **प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और युवा/महिला सांसद कार्यक्रम** आयोजित करता है।
  - ज्ञान साझा करने के लिए **संसदीय समीक्षा** जैसे संसाधन प्रकाशित करता है।

संबंधित तथ्य

- ओम बिड़ला सीपीए इंडिया क्षेत्रीय कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के **9 भौगोलिक क्षेत्र हैं।**
  - **भारत सीपीए का 9वां क्षेत्र** है, जिसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शाखाएं शामिल हैं।

छठ

संदर्भ

संस्कृति मंत्रालय ने छठ पर्व को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में नामांकित करने हेतु प्रयास शुरू कर दिए हैं।

छठ पर्व के बारे में

- **सूर्य देव** और **छठी मैया** (सूर्य देव की पत्नी, जिन्हें उषा, भोर की देवी माना जाता है) को समर्पित एक **प्राचीन वैदिक त्यौहार।**
- **उद्देश्यः**
  - पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य को धन्यवाद देना।
  - समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगना।
- **प्रमुख अनुष्ठानः**
  - **नहाय खायः** भक्त स्नान करते हैं और शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं।
  - **लोहंडा/खरनाः** बिना पानी के उपवास, शाम की प्रार्थना के बाद तोड़ा जाता है।
  - **संध्या अर्घ्यः डूबते सूर्य** को अर्घ्य (जल और प्रार्थना) देना।
  - **उषा अर्घ्यः** अगली सुबह **उगते सूर्य को अंतिम अर्घ्य।**
- नदी के किनारे मनाया जाने वाला यह त्योहार **प्रकृति और जल निकायों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।**

मानकी-मुंडा प्रणाली

संदर्भ

हाल ही में झारखंड में हो जनजाति के सदस्यों ने अपनी पारंपरिक मानकी-मुंडा प्रथा की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया।

हो जनजाति के बारे में

- यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र (पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां जिले) में पाई जाती है।

मानकी-मुंडा प्रणाली (एक पारंपरिक स्वशासन प्रणाली)

- बक्सर की लड़ाई (1764) के बाद, कंपनी ने शाह आलम द्वितीय (1765) के साथ **'इलाहाबाद की संधि' पर हस्ताक्षर किए और 'दीवानी अधिकार'** (बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड में कर एकत्र करने का अधिकार) प्राप्त किया।
- 1793 में अंग्रेजों ने कोल्हान में **स्थायी बंदोबस्त अधिनियम लागू किया →**, जमींदारों ने हो भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया और भारी कर लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण आदिवासी विद्रोह हुए (हो विद्रोह (1821-22) और कोल विद्रोह (1831))।
- **विल्किंसन के नियम (1837): विल्किंसन के नियमों ने मानकी और मुंडा को औपचारिक नेता के रूप में मान्यता दी,** उन्हें शासन और राजस्व की भूमिकाएं सौंपीं, और **पट्टों (भूमि के कार्यों)** के माध्यम से **निजी संपत्ति की शुरुआत की,** जिससे सामूहिक भूमिधारक रैयत (काश्तकार) बन गए।

सारनाथ

संदर्भ

भारत ने सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची (2025-26 चक्र) में शामिल करने के लिए आधिकारिक रूप से नामांकित भी किया है।

सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व

- **बौद्ध विरासतः** वाराणसी के निकट स्थित यह वह स्थान है जहां **गौतम बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में अपना पहला उपदेश (धर्मचक्र प्रवर्तन) दिया था, जो बौद्ध संघ** की स्थापना का प्रतीक है।
  - धमेक **स्तूप** इस स्थान को चिह्नित करता है।
- **मौर्य संरक्षणः सम्राट अशोक (268-232 ईसा पूर्व)** ने सारनाथ का दौरा किया, मठों का निर्माण कराया और **सिंह स्तंभ का निर्माण कराया**, जो बाद में **भारत गणराज्य का प्रतीक बन गया।**
- **बाद के राजवंशः** यह स्थान **कुषाणों (प्रथम-चतुर्थ शताब्दी ई.)** और **गुप्तों (तृतीय-छठी शताब्दी ई.)** के अधीन और विकसित हुआ, जिन्होंने मठों का विस्तार किया और अशोक की संरचनाओं का जीर्णोद्धार करवाया।
  - **12वीं शताब्दी** तक यह एक प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल बन गया।

- **पतन:** पतन 12वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ।
  - ऐतिहासिक विवरण **कुतुबुद्दीन ऐबक (1193 ई.) के शासनकाल में हुए आक्रमणों को विनाश का कारण बताते हैं,** हालांकि कुछ विद्वान बौद्ध धर्म के क्षीण होने के कारण धीरे-धीरे इसमें गिरावट का संकेत देते हैं।
- **पुन: खोज:** 18वीं शताब्दी के अंत में इस स्थल की पुन: पहचान की गई।
  - अलेक्जेंडर कनिंघम (एएसआई, 1861) और बाद में फ्रेडरिक ओर्टेल (1904-05) द्वारा व्यवस्थित उत्खनन से मूर्तियां, शिलालेख, मठ और अवशेष प्राप्त हुए।

विश्व धर्म संसद

संदर्भ

11 सितम्बर, 2025 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के 132 वर्ष पूरे हो जाएंगे।

विश्व धर्म संसद के बारे में

- विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी के भाग के रूप में **11-27 सितम्बर, 1893 को शिकागो** में आयोजित किया गया।
  - आस्था और सह-अस्तित्व पर संवाद के लिए **विश्व के प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों** को एक साथ लाया गया।
- **उद्देश्य:**
  - **अंतर-धार्मिक समझ, सहिष्णुता और सहयोग को** बढ़ावा देना।
  - धर्म को विभाजनकारी शक्ति के बजाय एक एकीकृत शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना।
- **प्रतिभागी:**
  - **ईसाई, यहूदी, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और अन्य धर्मों एवं परंपराओं** के विशेष वक्ता।
  - **वेदांत और धार्मिक सद्भाव** पर स्वामी विवेकानंद का भाषण इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।
- **परंपरा:**
  - यह वैश्विक स्तर पर **पहली औपचारिक अंतरधार्मिक वार्ता** थी।
  - समय-समय पर विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है (जैसे, शिकागो 1993, बार्सिलोना 2004, शिकागो 2023)।

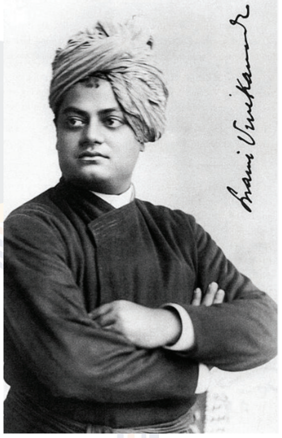

समाचारों में व्यक्तित्व

दादाभाई नौरोजी
(1825-1917)

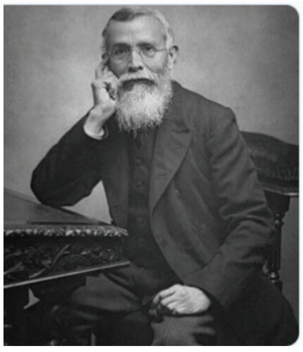

समाचारों में?

इस वर्ष दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है।

नौरोजी के बारे में

- **''भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन''** के रूप में जाना जाता है।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के संस्थापकों** में से एक (1885)।
- **ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए प्रथम भारतीय** (1892, फिन्सबरी, लंदन से लिबरल पार्टी के सांसद)।
- प्रसिद्ध ''धन निष्कासन सिद्धांत'' का प्रचार किया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था।
- **''पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया''**(1901) लिखी।
- **संवैधानिक सुधारों, शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता की** वकालत की।
- 1886, 1893, 1906 में **कांग्रेस अध्यक्ष के** रूप में कार्य किया।
- उनके 1906 के अध्यक्षीय भाषण में **"स्वराज" की मांग की गई**, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रारंभिक आकार दिया।

गोविंद वल्लभ पंत

समाचारों में?

पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती 10 सितंबर 2025 को मनाई गई।

गोविंद वल्लभ पंत के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन: 10 सितम्बर, 1887 को** खूंट, अल्मोड़ा (तत्कालीन संयुक्त प्रांत, अब उत्तराखंड) में जन्म।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:** कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदार: सविनय अवज्ञा, नमक मार्च, भारत छोड़ो, आदि। कई अवसरों पर जेल गए।

- **राजनीतिक कैरियरः**
  - स्वतंत्रता से पहले (1946) संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री बने और फिर स्वतंत्रता के बाद (1950 से) उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने।
  - बाद में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किया गया (जनवरी 1955 से लेकर 1961 में उनकी मृत्यु तक)।
- **प्रमुख योगदानः**
  - उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन।
  - स्वतंत्रता के बाद के युग में राज्य प्रशासन को मजबूत करना।
  - हिन्दी (राजभाषा) का प्रचार-प्रसार, राष्ट्रीय एकता।
  - आंतरिक सुरक्षा, राज्य पुनर्गठन आदि के लिए नीतियों के निर्माण में भूमिका।
- **सम्मानः** 1957 में **भारत रत्न** से सम्मानित।
- **7 मार्च, 1961 को** गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई।

विनोबा भावे

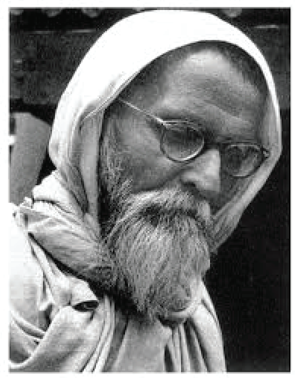

समाचारों में?

11 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

विनोबा भावे के बारे में

- **प्रारंभिक जीवनः 11 सितंबर, 1895 को** महाराष्ट्र के गागोडे में जन्म।
  - **भगवद् गीता** और गांधीवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिकाः महात्मा गांधी** के निकट सहयोगी; उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं।
  - **सविनय अवज्ञा आंदोलन** में भाग लिया और कई बार जेल गए।
  - भारत छोड़ो आंदोलन (1940) के दौरान प्रथम **व्यक्तिगत सत्याग्रही।**
- **भूदान आंदोलन (1951): तेलंगाना** में जमींदारों को भूमिहीन किसानों को भूमि दान करने के लिए राजी करने हेतु शुरू किया गया।
  - "भूदान" = भूमि दान।
  - यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया → बाद में इसका विस्तार **ग्रामदान (गांव का दान)** और **सम्पत्तिदान (धन दान) में हो गया।**
  - **4 मिलियन एकड़** से अधिक भूमि एकत्रित की गई, हालांकि पुनर्वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **दर्शनः सर्वोदय (सभी का कल्याण), अहिंसा** और **सरल जीवन की वकालत की।**
  - **आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और ग्रामीण उत्थान** के प्रबल समर्थक।
- **सम्मानः भारत रत्न** से सम्मानित (1983 में मरणोपरांत)।
  - अपने नैतिक अधिकार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए "आचार्य" (शिक्षक) के रूप में सम्मानित।
- **मृत्युः 15 नवम्बर, 1982 को** महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में निधन हो गया।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

समाचारों में?

भारत के राष्ट्रपति ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राधाकृष्णन के बारे में

- **जन्मः** 5 सितम्बर, 1888, तिरुत्तनी (तमिलनाडु)।
- **मृत्युः** 17 अप्रैल, 1975.
- **उपलब्धियां और योगदानः**
  - **सोवियत संघ में भारत के राजदूत** के रूप में कार्य किया (1949-1952)।
  - **भारत के दूसरे राष्ट्रपति (1962-1967)** और **भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति (1952-1962)** के रूप में कार्य किया।
  - उनकी साहित्यिक कृतियों में द फिलॉसफी ऑफ रवीन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलॉसफी (खंड I एवं II), द हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ और एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ शामिल हैं।
  - **1954** में **भारत रत्न** (भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित।
  - **1931** में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दी गई (बाद में स्वतंत्रता के बाद इस उपाधि को त्याग दिया गया)।
  - वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सहित विश्व भर के कई शैक्षणिक संस्थानों के सदस्य रहे, जहां उन्होंने पूर्वी धर्म और नैतिकता पर व्याख्यान दिया।
  - इनका जन्मदिन **भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।**

डॉ. भूपेन हजारिका

समाचारों में?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में **''बिस्तीर्ण परोरे: सादिया से धुबरी तक एक संगीतमय यात्रा'' का शुभारंभ किया।**

डॉ. भूपेन हजारिका के बारे में

- **जन्म:** 8 सितम्बर 1926, सादिया, असम
- **मृत्यु:** 5 नवंबर 2011, मुंबई
- **पेशा:**
  - प्रसिद्ध **पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, फिल्म निर्माता और लेखक।**
  - **''ब्रह्मपुत्र के कवि''** के रूप में जाना जाता है।
- **राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव:**
  - **संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष** के रूप में कार्य किया (1999-2004)।
  - **असम (1967) में विधायक** भी चुने गए।
  - **असमिया बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक पुनरुत्थान आंदोलनों** के मनोनीत सदस्य।
- **सम्मान और पुरस्कार:**
  - दादा साहब फाल्के पुरस्कार (1992)
  - पद्म भूषण (2001)।
  - भारत रत्न (2019, मरणोपरांत)

सर एम. विश्वेश्वरैया

समाचारों में?

प्रधानमंत्री ने इंजीनियर दिवस पर सर एम. विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की।

विश्वेश्वरैया के बारे में

- 15 सितंबर, 1861 को मुद्देनाहल्ली, कर्नाटक में **जन्म।**
- **योगदान:**
  - **बम्बई लोक निर्माण विभाग में** शामिल हुए; बाद में **भारतीय सिंचाई आयोग के साथ काम किया।**
  - **स्वचालित स्लुइस गेट का** आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध (पहली बार **खड़कवासला जलाशय, पुणे** में स्थापित)।
  - **कृष्णा राजा सागर (केआरएस) बांध** के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका - सिंचाई इंजीनियरिंग में एक मील का पत्थर।
  - मैसूर के दीवान के रूप में सेवा दी **(1912-1919)**
- **सम्मान:**
  - 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें **"सर" की** उपाधि दी गई।
  - **1955 में** भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- **विरासत:** भारत, श्रीलंका और तंजानिया में हर साल **15 सितंबर (उनके जन्मदिन) को मनाया जाता है।**
  - **''आधुनिक मैसूर राज्य के जनक''**और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है।

STUDY IQ PUBLICATIONS